महानगर नई दिल्ली रविवार 16 मार्च, 2025, रु. 6.00 (12+4 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com

ट्रंप प्रशासन कर रहा सख्त कदम उठाने की तैयारी, सूची में पाकिस्तान का भी नाम

इकतालीस देशों पर अमेरिका लगा सकता है यात्रा प्रतिबंध

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 15 मार्च।

अमेरिका में ट्रंप प्रशासन कई देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन एक नए प्रतिबंध के हिस्से के रूप में दर्जनों देशों के नागरिकों के लिए व्यापक यात्रा प्रतिबंध जारी करने पर विचार कर रहा है। इस सूची में कुल 41 देश हैं, जिन्हें तीन अलग-अलग समूहों में विभाजित किया गया है।

सूत्रों के मुताबिक, अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया, क्यूबा और उत्तर कोरिया सहित 10 देशों के पहले समूह को पूर्ण वीजा निलंबन के लिए निर्धारित किया जाएगा। दूसरे समूह में, पांच देश - इरिट्रिया, हैती, लाओस, म्यांमा और दक्षिण सूडान - आंशिक निलंबन का सामना करेंगे, जो कुछ अपवादों के साथ पर्यटक और छात्र वीजा के साथ-साथ अन्य अप्रवासी वीजा को भी प्रभावित करेगा। तीसरे समूह में, बेलारूस, पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान सहित कुल 26 देशों को अमेरिकी वीजा जारी करने के आंशिक निलंबन के लिए विचार किया जाएगा, यदि उनकी सरकारें '60 दिनों के भीतर कमियों को दूर करने के प्रयास नहीं करती हैं।'

एक अमेरिकी अधिकारी ने चेतावनी दी कि सूची में बदलाव हो सकते हैं और इसे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो सहित प्रशासन द्वारा अभी तक अनुमोदित नहीं किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, न्यूयार्क टाइम्स ने सबसे पहले देशों की सूची के बारे में बताया।

सूत्रों के मुताबिक, अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया, क्यूबा और उत्तर कोरिया सहित 10 देशों के पहले समूह को पूर्ण वीजा निलंबन के लिए निर्धारित किया जाएगा। **दूसरे** समूह में, पांच देश - इरिट्रिया, हैती, लाओस, म्यांमा और दक्षिण सूडान आंशिक निलंबन का सामना करेंगे, जो कुछ अपवादों के साथ पर्यटक और छात्र वीजा के साथ-साथ अन्य अप्रवासी वीजा को भी प्रभावित करेगा।

तीसरे समूह में, बेलारूस, पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान सहित कुल 26 देशों को अमेरिकी वीजा जारी करने के आंशिक निलंबन के लिए विचार किया जाएगा, यदि उनकी सरकारें '60 दिनों के भीतर कमियों को दूर करने के प्रयास नहीं करती हैं।'

पहले कार्यकाल में सात मुसलिम देशों पर प्रतिबंध लगाया था

ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी सात इस्लामिक देशों सीरिया, सूडान, सोमालिया, ईरान, इराक, लीबिया और यमन पर प्रतिबंध लगाया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। हालांकि इससे कई मुस्लिम देश नाराज हुए थे। मानवाधिकार संगठनों ने इसे बर्बर फैसला बताया था। बाद में जो बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के बाद इस आदेश को रद्द कर दिया था।

यह कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में सात बहुसंख्यक मुसलिम देशों के यात्रियों पर प्रतिबंध लगाने की याद दिलाता है। ट्रंप ने 20 जनवरी को एक कार्यकारी आदेश जारी किया, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों का पता लगाने के लिए अमेरिका में प्रवेश चाहने वाले किसी भी विदेशी की गहन सुरक्षा जांच की आवश्यकता थी। उस आदेश में कई कैबिनेट सदस्यों को 21 मार्च तक उन देशों की सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, जिनसे यात्रा बाकी पेज 8 पर

रूस-यूक्रेन युद्ध 24 घंटे में खत्म करने का वादा व्यंग्यात्मक : ट्रंप पेज 7

'हमास का समर्थन' और 'आतंकवाद की वकालत' करने पर

अमेरिका में वीजा गंवाने वाली भारतीय छात्रा स्वदेश लौटी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 15 मार्च।

अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही वह भारतीय छात्रा स्वदेश लौट आई है, जिसका वीजा 'हिंसा और आतंकवाद की वकालत' करने तथा हमास समर्थित गतिविधियों में शामिल होने के कारण रद्द कर दिया गया था। होमलैंड सुरक्षा विभाग ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि भारतीय नागरिक रंजनी श्रीनिवासन ने एफ-1 छात्र वीजा पर कोलंबिया विश्वविद्यालय में शहरी नियोजन में डाक्टरेट की छात्रा के रूप में अमेरिका में कदम रखा था।

बयान में कहा गया है कि रंजिनी आतंकवादी संगठन हमास को समर्थन देने वाली गतिविधियों में शामिल थी और विदेश विभाग ने पांच मार्च को उसका वीजा रद्द कर दिया था। इसमें बताया गया है कि होमलैंड सुरक्षा विभाग को रंजनी का 11 मार्च का एक वीडियो मिला है, जिसमें वह स्व-निर्वासन के लिए सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (सीबीपी) के स्मार्टफोन एप का इस्तेमाल करती नजर आ रही है। होमलैंड सुरक्षा विभाग की सचिव क्रिस्टी नोएम ने बयान में कहा कि 'अमेरिका में रहने और पढ़ाई करने के लिए वीजा हासिल करना एक विशेषाधिकार है।'

उन्होंने कहा, 'जब आप हिंसा और आतंकवाद की वकालत करते हैं, तो आपसे यह विशेषाधिकार छीन लेना चाहिए और आपको इस देश में रहने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। मुझे आतंकवाद का समर्थन करने वाली कोलंबिया विश्वविद्यालय की एक छात्रा को स्व-निर्वासन के लिए सीबीपी होम एप का इस्तेमाल करते देख खुशी हुई।' होमलैंड सुरक्षा विभाग ने 10 मार्च को सीबीपी होम एप पेश किया था, जिस पर स्व-निर्वासन की जानकारी देने की सुविधा वाला फीचर उपलब्ध है। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे लोग देश छोड़ने बाकी पेज 8 पर

भारतीय छात्रा रंजनी।

रंजनी श्रीनिवासन आतंकवादी संगठन हमास को समर्थन देने वाली गतिविधियों में शामिल थीं और विदेश विभाग ने पांच मार्च को उनका वीजा रद्द कर दिया था। वह कोलंबिया विश्वविद्यालय में शहरी नियोजन में डाक्टरेट की छात्रा थी।
छात्रा ने स्व-निर्वासन के लिए सीबीपी होम एप का इस्तेमाल किया था। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे लोग देश छोड़ने का इरादा जाहिर करने के लिए इस एप का इस्तेमाल कर सकते हैं।

सिद्धरमैया सरकार ने 'कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता अधिनियम' में संशोधन को मंजूरी दी

मुसलिम ठेकेदारों को सरकारी निविदाओं में चार फीसद आरक्षण

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 15 मार्च।

कर्नाटक सरकार ने मुसलिम ठेकेदारों को सरकारी निविदाओं में चार फीसद आरक्षण प्रदान करने के लिए कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन को अपनी मंजूरी दे दी है। भाजपा ने इसे 'असंवैधानिक और वोट बैंक की राजनीति' बताते हुए इसका विरोध किया है।

इस संबंध में आई रपट के मुताबिक कर्नाटक मंत्रिमंडल ने कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसमें मुसलिम ठेकेदारों के लिए टेंडर में चार फीसद आरक्षण का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य सभी अनधिकृत ग्रामीण संपत्तियों को 'बी' खाते जारी करना है। शुक्रवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की अध्यक्षता में विधानसभा के कैबिनेट हाल में आयोजित बैठक के दौरान ये निर्णय किए गए। इससे पहले, 7 मार्च को राज्य बजट प्रस्तुति के दौरान, सिद्धरमैया ने घोषणा की थी कि श्रेणी-क्क बी वर्गीकरण के तहत सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों का चार फीसद मुसलमानों के लिए आरक्षित किया जाएगा। यह आरक्षण विभिन्न सरकारी विभागों, निगमों और संस्थानों के तहत वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर लागू होगा, जो एससी, एसटी, श्रेणी- क श्रेणी- क्कए और श्रेणी- क्क बी के आपूर्तिकर्ताओं के लिए एक करोड़ रुपए तक के अनुबंधों के लिए है।

भाजपा ने कर्नाटक सरकार के सरकारी ठेकों में मुसलमानों को चार फीसद आरक्षण देने के फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए इसकी आलोचना की और आरोप लगाया कि यह कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा है और इससे राष्ट्रीय एकता कमजोर होगी। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद बाकी पेज 8 पर

भाजपा ने कर्नाटक सरकार के फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए इसकी आलोचना की और आरोप लगाया कि यह कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा है।
मंत्रिमंडल ने कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज (संशोधन) विधेयक को भी मंजूरी दे दी है।

दिल्ली में पहले मारी सिर पर शराब की बोतल, फिर टूटे कांच से काट दिया गला

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 मार्च।

होली के दिन नशे में धुत दो युवकों ने शराब की बोतल तोड़ कांच से गला रेत कर एक युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि वारदात की जानकारी शुक्रवार को मिली। मृतक की पहचान आशीष (26) के रूप में हुई। वारदात के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए थे। हलांकि, सूचना मिलने पर कल्याणपुरी थाना पुलिस ने वारदात के कुछ घंटे बाद ही दोनों आरोपियों को दबोच लिया। इनकी पहचान इंदिरापुरम, गाजियाबाद निवासी पंकज कुमार सिन्हा (30) और मंडावली, दिल्ली निवासी जीतू (27) के रूप में हुई है।

आशीष। (फाइल फोटो)

पुलिस ने इनकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि दोनों आरोपियों पर पहले से एक-एक मामला दर्ज हैं। पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त अभिषेक धानिया ने शनिवार को बताया कि शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे टीम को सूचना मिली कि कल्याणपुरी इलाके में एक युवक का बोतल से गला रेत दिया है। सूचना मिलते ही मौके पर कल्याणपुरी थाने की पुलिस टीम पहुंच गई। पुलिस को पता चला कि घायल को मैक्स अस्पताल ले बाकी पेज 8 पर

मुंगेर में ग्रामीणों के हमले में पुलिस अधिकारी की मौत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 15 मार्च।

बिहार के मुंगेर जिले में लोगों के एक समूह द्वारा कथित तौर पर हमला किए जाने के बाद एक सहायक उप निरीक्षक (एएसआइ) संतोष कुमार सिंह की मौत हो गई। इस मामले में अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

एएसआइ की हत्या के सिलसिले में चार संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया।

एएसआई संतोष कुमार सिंह मुंगेर के मुफस्सिल थाने में आपातकालीन डायल नंबर सेवा 112 में तैनात थे। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विनय कुमार ने बताया, एएसआइ अन्य अधिकारियों के साथ शुक्रवार रात करीब साढ़े आठ बजे दो पक्षों के बीच विवाद से जुड़े एक मामले की जांच करने नंदलालपुर गांव गए थे। विवाद में शामिल कुछ लोगों ने उनके सिर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। ये लोग शराब के नशे में थे। एएसआइ को गंभीर चोटें आईं और उन्हें नजदीकी सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि शनिवार सुबह पटना के एक बाकी पेज 8 पर

पंजाब-चंडीगढ़ सीमा पर नशे में युवक ने कार से मारी टक्कर

दो पुलिसकर्मियों समेत तीन लोगों की मौत

चंडीगढ़, 15 मार्च (जनसत्ता)।

पंजाब-चंडीगढ़ सीमा पर होली के दौरान लगाए गए नाके पर हुए हादसे में दो पुलिस कर्मियों समेत तीन लोगों की मौत हो गई। घटना शुक्रवार सुबह की है। कार की टक्कर लगने से तीनों सीमा पर लगाई गई कंटीली तारों में फंस गए, जिससे उनके शरीर के टुकड़े हो गए। पुलिस कर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस के अनुसार, होली के चलते चंडीगढ़-जीरकपुर सीमा पर नाका लगाया गया था। शुक्रवार सुबह नाके पर तैनात सिपाही सुखदर्शन और गृहरक्षक स्वयंसेवक राजेश ने जांच के लिए बलेनो गाड़ी रोकी हुई थी। तभी अचानक पीछे से तेज रफ्तार पोलो कार आई। उसने बलेनो गाड़ी और नाके पर खड़े पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी। इस दौरान कार चालक भी पुलिस के साथ खड़ा था, टक्कर में तीनों लोग कार की चपेट में आ गए। पुलिस ने सुरक्षा के लिए नाके पर कंटीले तार लगाए हुए थे। तीनों उछलकर तारों में फंस गए और उनके शरीर के टुकड़े हो गए। पुलिस कर्मियों के हाथ और पैर तक अलग हो गए।

मौसम विभाग के अनुसार, अधिकांश स्थानों पर रुक-रुककर हल्की से मध्यम बारिश हुई जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी रह सकती है।

आरोपी चालक अपनी कार मौके पर ही छोड़कर भाग गया। इसके बाद पुलिस ने आसपास के इलाकों में सीसीटीवी कैमरे खंगाले शुरू किए। कार के नंबर के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान की और उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान चंडीगढ़ के हल्लोमाजरा निवासी गोविंद के रूप में हुई है। बताया गया है कि जब उसने तीनों को कुचला तो वह नशे में धुत्त था। पुलिस ने उसकी चिकित्सा जांच करवा दी है।

मृतकों में सिपाही सुखदर्शन, गृहरक्षक स्वयंसेवक राजेश और एक व्यक्ति शामिल है। सूचना मिलते ही चंडीगढ़ की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कंवरदीप कौर मौके पर पहुंचीं और घटना का जायजा लिया।

बंगाल के बीरभूम में हिंसक झड़प, 21 गिरफ्तार; इंटरनेट सेवा बंद

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 15 मार्च।

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में दो समूहों के बीच झड़प के सिलसिले में 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि यह झड़प शुक्रवार शाम सैंथिया पुलिस थाना क्षेत्र में हुई। एक आदेश के अनुसार, किसी भी तरह के अपराध को भड़काने से रोकने के लिए राज्य सरकार ने सैंथिया शहर और सैंथिया पुलिस थाना क्षेत्र के पांच अन्य निकटवर्ती पंचायत क्षेत्रों में 17 मार्च तक इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी हैं। एक अधिकारी ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया। उन्होंने कहा कि तब से क्षेत्र में स्थिति शांतिपूर्ण है। उन्होंने बताया कि हिंसा में दोनों समूहों के कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं और उन्हें चिकित्सा सहायता दी गई। अधिकारी ने बताया कि कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है।

हिंसा में दोनों समूहों के कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं और उन्हें चिकित्सा सहायता दी गई। अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है।

कुलगाम, शोपियां और पुलवामा जिलों के मैदानी इलाकों में हिमपात | **मौसम** | राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जगह बादल छाए रहे

कश्मीर में ताजा बर्फबारी और बारिश से फिर लुढ़का पारा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 15 मार्च।

कश्मीर के कई इलाकों में शनिवार को हिमपात हुआ जबकि कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहीं, राजस्थान में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण बीते 24 घंटे में कई जगह बादल छाए रहे और हल्की बारिश दर्ज की गई।

अधिकारियों ने बताया कि अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां और पुलवामा जिलों के मैदानी इलाकों में बर्फबारी हुई। इसके अलावा, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम जैसे पर्यटन स्थलों पर भी हिमपात दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि बांदीपोरा जिले के गुरेज, कुपवाड़ा के कुछ इलाकों और घाटी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फबारी हुई। अधिकारियों ने बताया कि कश्मीर के अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई।

मौसम विभाग के अनुसार, अधिकांश स्थानों पर रुक-रुककर हल्की से मध्यम बारिश हुई जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी रह सकती है।

मौसम विभाग के अनुसार, अधिकांश स्थानों पर शनिवार को रुक-रुककर हल्की से मध्यम बारिश हुई जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी रह सकती है। कई इलाकों में रविवार सुबह हल्की बारिश हो सकती है और दोपहर तक मौसम में सुधार होने की संभावना है। इसने कहा कि बर्फबारी और बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है जिससे घाटी में ठंड बढ़ गई है।

उधर, राजस्थान में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण बीते 24 घंटे में कई जगह बादल छाए रहे और हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, शनिवार सुबह तक पिछले 24 घंटों में राज्य में कहीं-कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा दर्ज की गई। इस दौरान राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान चित्तौड़गढ़ में 38.5 डिग्री दर्ज किया गया जो सामान्य से 5.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। केंद्र के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में मेघ गर्जन के साथ कहीं-कहीं हल्की बारिश हुई।

उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के तंगमर्ग में शनिवार को बर्फ से ढकी सड़क पर चलते पर्यटक।

सुनीता और बुच का स्थान लेने के लिए नया दल अंतरिक्ष स्टेशन रवाना

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 15 मार्च।

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में लंबे समय से फंसे नासा के दो अंतरिक्ष यात्रियों बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स के स्थान पर अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को तैनात करने के लिए शुक्रवार रात एक यान को रवाना किया गया। इसके साथ ही विलियम्स और विल्मोर की वापसी का रास्ता साफ हो गया। नासा चाहता है कि अंतरिक्ष स्टेशन में यह नया दल वहां मौजूद विलियम्स और विल्मोर से मुलाकात करे ताकि विल्मोर और विलियम्स 'आर्बिटिंग लैब' में होने वाली घटनाओं के बारे में नए लोगों को बता सकें।

-पूरी खबर पेज ७

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

It is for general information that I,Katyayni Singh,D/o-Sushil kumar Raju,R/o,E-12 E.D.D.A-Flats Munirka J.N.U.South West,Delhi-110067,declare that name of my father has been wrongly-written as S.K Raju in my 10th-class marksheet and certificate and MBBS-Degree all-educational documents,and Driving-License no-DL1220120103818,The actual name of my-father is Sushil kumar Raju,Which may be amended accordingly.
0040779772-10

I Raksha Devi Sharma, W/o Mohan Swarup Sharma R/o 1947/15 Panchkula, Haryana, have changed my name to Raksha Sharma 0130050186-2

It is for general information that I,MOHIT,S/o-Jaswant Singh,R/o,Khalilpur-(272) Gurgaon,Haryana-122502,declare that name of my-father has been wrongly-written as Jaswant in my 10th-class and 12th-class marksheet cum certificate educational documents,The actual name of my-father is Jaswant Singh,Which may be amended accordingly.
0040779772-7

It is for general information that I Amita Singh W/o. Surender Pal, D/o Sh. Randhir Singh Dahiya residing at 102A, D-1, Satya Marg, Chanakya Puri, Distt. New Delhi-110021 declare that the name of mine has been wrongly written as Amita Singh Shyoran in my Service Record. The actual name of mine is Amita Singh Which may be amended accordingly.It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection. 0040779771-1

I,hitherto known,as Mohd Imran,S/o-Akhtar Ali,R/o-57,Dhawni Buzurg,Bilaspur, Rampur, Uttar Pradesh-244921,have changed my name,and shall hereafter be,known as Imran Khan
0040779782-10

I,UMA W/o Sh.Om Prakash,R/o A-162, 3rd-Floor,Fateh Nagar,New Delhi-110018,have changed my name to ROMA SINGH.
0040779814-1

I,Rubeena Bano,W/O-Rais Ahmed Khan,H-118/473 2nd Floor.Batla House Jamia-Nagar,Okhla.ND -110025,have changed my name to Rubina Bano,for all future purpose
0040779772-2

I,Rubeena Bano,W/O-Rais Ahmed Khan,H-118/473 2nd Floor.Batla House Jamia-Nagar,Okhla.ND -110025,have changed my name to Rubina Bano,for all future purpose
0040779772-1

I,Reetika D/o Parmod Walia R/o-NP-24A, Pitampura Delhi-110034,have changed my name to Reetika Walia.
0040779782-3

I,Rais Ahmed Khan,S/O-Nisar Ahmed Khan,H-118/473,2nd Floor.Batla-House Jamia-Nagar, Okhla ND-110025,have changed my name to Mohammad Hamid,for all,future purpose.
0040779782-5

I,Prem Arora,S/o Late Ram Kishan,R/o C-11,Hazara-Park Chander-Nagar,Delhi-110051,have changed my name to Prem Prakash Arora,for all purposes.
0040779789-9

I,Prashant S/o-Ram Naresh Chaturvedi,R/o-111-112, 3rd Floor,Pocket-11B, Sector-23,Rohini, Delhi-110085,have changed my name to Prashant Chaturvedi
0040779782-8

I,Pankaj Kumar,S/o-Siyaram Choudhary,H.No-33,3rd-Floor, Pocket-4A,Gate No-02,Spring Valley,Sector-23,Rohini,Delhi-110085,inform that my given-name Pankaj and Surname-Kumar,for all,purposes.
0040779789-7

I,Sajan Kumar Agarwal,S/o-Baijnath Agarwal,R/o-83-84, 2nd Floor,Pocket-19, Sector-24, Rohini, Delhi-110085,have changed my name to Sajjan Agarwal 0040779782-7

I,Pankaj Kumar,Father of,Mannat H.No-33,3rd Floor,Pocket-4A, Gate No-02,Spring-Valley,Sector-23,Rohini,Delhi-110085,have changed minor son Mannat Pankaja,for all,purposes.
0040779789-6

I,Nilesh Kumar Agarwal,S/o-Sajjan Agarwal,R/o-83-84, 2nd Floor,Pocket-19, Sector-24,Rohini, Delhi-110085,have changed my name to Nilesh Agarwal
0040779782-6

I Manorama Devi W/o Rajan Singh R/o Nagla Dharu, Post-Tikathar, Awagarh, Etah, Uttar Pradesh-207301, have changed my name to Manoj Lata
0070956664-1

I,Mohammad Tayyab Hanif,S/o Mohd Hanif,R/o H.No.E-37,E-Block,New Seelampur,Delhi-110053,have changed my name to Mohammad Tayyab.
0040779772-6

I,Meena Kumari,W/o Ashok Kumar,H.No.36A,UGF Block-D, Mohan Garden,Uttam-Nagar,New Delhi-110059,have changed my name to Meena Rani,permanently.
0040779772-3

I,MOHD SULEMAN,S/O KAM-RUDDIN,R/O,B-146,GALI.NO.20 SUBHASH-MOHALLA,NORTH GHONDA,DELHI-110053,HAVE CHANGED MY NAME TO MOHAMMAD SULEMAN SAIFE,FOR FUTURE.
0040779789-5

I,MANPREET KOUR W/o SHRI VIKRAM SINGH PANESAR R/o-H.No-3,Rameshwar Nagar Delhi-110009,have changed my name MANPREET KAUR.
0040779782-2

I,Leesha/Leesha Dawar,W/o-Mohit Verma, R/o RZ-10, Manas Kunj, Uttam Nagar, Delhi, have changed my name to Leesha Verma, for all purposes.
0040779789-4

I,Lalit Kumar Soni, S/o- Khem Chand, R/o RZ-10, Manas Kunj, Uttam Nagar, Delhi, have changed my name to Lalit Soni, for all purposes.
0040779789-3

I,Kishore Gupta,S/o Ram Bhagat Gupta R/o-A-17,Yojana Vihar,East Delhi-110092,have changed my name to Ram Kishor Gupta for all purposes.
0040779782-1

I,Keswani Riya alias Riya Yogita KeswanI,D/o-Yogita Idnani,R/o-G223 DLF-Park Heights-City Phase-5,Golf Course-Road Sector-54,Sikanderpur Ghosi(68)Qe Gurgaon,Haryana-122002,changed my-name to Riya Keswani.
0040779814-2

I,JAYANT KUMAR SHEOKAND,S/O-BALWAN SINGH SHEOKAND,T-36,SWARN SINGH ROAD,MOOL CHAND-COLONY, ADARSH NAGAR,DELHI-33,THAT MY-MINOR SON'S NAME, GAU-RANSH,WRONGLY-WRITTEN IN SCHOOL-RECORDS,CORRECT NAME IS-GAURANSH SHEOKAND
0040779782-4

I,Anjna,w/o-Late Vinod Kumar,R/o B-5/17,Nand Nagri,Mandoli,East Delhi,Delhi-110093,declare that my name wrongly-written as Anjana Arora or Anjana in bank account,my correct-name is-Anjna.
0040779789-8

I,Ajit Singh Sehrawat,S/o-Ram Kishan Sehrawat,R/o-118-119, Pocket-1,Sector-24, Rohini, Delhi-110085,declare that,name of mine,has been,wrongly written,as Ajit Singh in my service-records. The actual,name of mine is Ajit Singh Sehrawat,which may be amended-accordingly.
0040779782-9

I, Vijendra Singh S/o Jaswant Singh R/o 35, Jaitpur Gaaw, Jaitpur, Badarpur, Delhi-44 have changed my name to Vijender Singh
0070956705-1

I, Umesh Kumar Solanki S/o Jaswant Singh R/o 412, Shahbad Mohammadpur, South West Delhi-110061 have changed my name to Umesh Kumar for all future purposes
0070956703-1

I, Surendra Kaur W/o Jaswant Singh R/o 35, Jaitpur Gaaw, Jaitpur, Badarpur, Delhi-44 have changed my name to Surender Kaur
0070956707-1

I, Suman Tejpal W/O Ravinder Tejpal R/O A-7/84,Sector-17, Rohini,Delhi-110085, have Changed my name to Suman Lata Tejpal.
0040779789-2

I, Sanjeev Kumar Tyagi, S/o Sh. Rampal Tyagi, R/o Vill. Nawanagar, Khokhra, Shahpur, Teh.Kalka, Distt. Panchkula (Hr.)-134102, have changed my name from Sanjeev Kumar Tyagi to Sanjeev Tyagi.
0040779273-2

I Tamalika Chatterjee D/o Tanmay Chatterjee R/o House Number-H19, Indian Oil Nagar, Opp-Esic Colony, Site-2 Sector-55, Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh-201301, have changed my name to Tamlika Chatterji
0070956656-1

I Maya Bose W/O Navneet Pachory, R/O Flat No A-203,Ashiana The Heritage Apartments,Sector-4,Vaishali, Ghaziabad 201010, have Corrected My Name from Maya to Maya Bose & the same is updated in My Son Kshitij Pachory Birth Certificate also who is studying in St Francis School Indirapuram.Kindly consider the same in all the future reference & records.
0040779789-1

I Lalababu Yadav S/o Lakhi Yadav R/o House No RD-66, Railway Road, Azadpur Village, Jahangir Puri, North West Delhi, Delhi-110033, have changed my name to Lal Babu Yadav
0070956661-1

I Kanti Devi W/o Ram Shankar R/o Gram Unera, Mahmudabad, Sitapur, Mahmudabad, Uttar Pradesh-261203, have changed my name to Anar Kali
0070956658-1

DEVYANI MAHAJAN D/o Vijay Mahajan, Nimbhore, Jalgaon, student of Ashoka University, changed name to DEVYANI VIJAY MAHAJAN for all purposes.
0130050185-1

व्यक्तिगत

मैं हेमंत कुमार, पुत्र स्वर्गीय श्री रमेश कुमार वर्मा, पताः 114-डी, पॉकेट-सी, मयूर विहार फेज-II, दिल्ली-110092, पर है सभी भविष्य के प्रयोजनों के लिए अपनी नाबालिग (बेटी की जन्म तिथिः 14.06-2010) बेटी का नाम कौशिकी से बदलकर कौशिकी वर्मा कर दिया है।

खोया+पाया

Lost my original Allotment Letter against my Flat No.B-52, Shakti Apartment, Sector-9, Rohini, Delhi-85. Finder May Contact-Utsav Dahiya S/o-Sh.Krishan at above noted address.
0040779770-1

I, Arun Singh S/o Jamuna Singh R/o 2B/201, Rizvi Nagar, S. V. Road, Santacruz(West), Mumbai, Maharashtra-400054, have lost original Allotment Letter & PossessionLetter of my Flat No.- SKE-718(VISTA), 7th Floor, Shipra Krishna, Plot No. 14, AhinsaKhand, Indirapuram, Ghaziabad, UP-201014, which were issued in my name by Shipra EstateLtd. & Jai Krishan Estates Developers Pvt. Ltd. and Registered sale-deed of this Flat wasexecuted in my name, entered in Book No.1, Volume No.121 from Pages 369 to 416 at Sr.No.845 dated 19/11/2008 in the Office of Sub-Registrar-IV, Ghaziabad. If found contact onMob.No.-7208024603.
0040779704-1

LOST AND NOTICE

Original Receipt No.SO134755, Amount 3,51,910, DT. 11/07/2015, & Plot Buyer Agreement (PBA) of Plot No.670, Parsvnath Green, Derabassi, has been lost for which a NCR/FIR is lodged vide its LR No. 2597271/2025 Dated 18/02/2025, in PS Crime Branch, Delhi. Founder may contact owner/allottee **Mr. Gurpreet Singh Kalra** S/o Jagbir Singh Kalra, R/o 16/61, Punjabi Bagh West, New Delhi-110026 at Mobile No.**9811082777.**

सार्वजनिक सूचना

सार्वजनिक सूचना

सभी संबंधित व्यक्तियों को इस सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री सोम नाथ पुत्र श्री भगत राम और स्वर्ण लता पत्नी श्री सोम नाथ दोनों निवासी ए-09/9सी कालकाजी एक्सटेंशन, दिल्ली-1100191 मेरे मुवक्किल उस संपति के मालिक हैं और उन्होंने अपनी मूल जीपीए, कब्जा पत्र, हस्तांतरण विलेख, बिक्री विलेख, आवंटन पत्र सह मांग नोट, संपति का कब्जा प्रमाण पत्र खो दिया है जिसका नंबर ए-09/9सी कालकाजी एक्सटेंशन, दिल्ली-110019 है। यदि कोई व्यक्ति अपने उपरोक्त दस्तावेजों का दुरुपयोग करता है तो यह कानून के अनुसार दंडनीय कृत्य होगा।

MUKESH (Advocate)
Rohini Court, Enrl No. D/9577/2019 Ch. No. 1114

PUBLIC NOTICE

Notified that my client's **(1) YOGESH VATS S/o Uday Shankar Vats (2) RACHNA VATS W/o Yogesh Vats both R/o WZ-233, Gali No.12, Hastsal Road, Uttam Nagar, Delhi-110059,** has severed relations from their son **AAKASH VATS,** due to his cruel and harassing behavior towards my above named clients. Now they have no domestic relations with him and have disowned and disinherited him from all their movable & immovable properties. Any person dealing with him will do at their own cost & risk and my clients shall not be responsible for any kind of his acts.

SAURABH GUPTA
(Advocate)
Enrl.No.D/369/2011)

सार्वजनिक सूचना

श्री मनीष शर्मा पुत्र श्री शांति लाल शर्मा ने हमारी अभिभाष्या आई.सी.आई.सी.आई. एच. एफ. सी., लिमिटेड, शाखा फरीदाबाद, हरियाणा में सम्पति एम. सी. एफ. नंबर 2896-ए का उत्तर-पूर्वी भाग, प्लॉट नंबर 5, खसरा संख्या 275, मु. नंबर 120, किला नंबर 3, 7/2, 8, 13/2, ब्लॉक-ए, बड़कल, एस.जी.एम. नगर, फरीदाबाद, हरियाणा, 58 व०गज० को रहन रख क्रय ऋण लेने का आवेदन किया है। श्री चमन लाल शर्मा व उनकी पत्नी श्रीमती नीलम शर्मा का पूर्व में स्वर्गवास हो गया था। उनके स्वर्गवास के बाद श्री दीपक शर्मा, श्री संजीव व श्रीमती पूनम शर्मा उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अनुसार मृतक के एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी बताये गये है। किसी को आपत्ति हो तो सात दिन में मय सबूत सम्पर्क करें, अन्यथा कोई उज्र/आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

कार्तिक कुमार गोला, एड्वोकेट,
वास्ते **लीगल एसोसियेट,** 0-3/ए-1, दिलशाद गार्डन, दिल्ली-95, मोबः 7011604304.

PUBLIC NOTICE

I, Sunil Kumar Nagpal S/o Sh. Nand Lal Nagpal R/o A-1/23, Satyawati Nagar, Delhi-110052 have lost my original property documents complete chain of Gift Deed **(Regd. No. 15225 dated 28/10/2011),** Sale Deeds and Rectification Deed etc, **LR NO. 2659879/2025,** if found, please contact : **ijatinchadha@gmail.com**

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

फॉर्म संख्या - आई. एन. सी, 26
(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुशरण में)
रजिस्टर्ड ऑफिस स्थान्तरित करने के विज्ञापन हेतु

केंद्रीय सरकार (रीजनल डायरेक्टर्स) उत्तर क्षेत्र दिल्ली
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और
कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(6)(ए) के सबब में
तथा आदिनाथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गुडगाँव हरियाणा

सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है की कंपनी के कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अंतर्गत कंपनी की मेमोरेंडम की धारा में संशोधन करने हेतु दिंनाक 05.03.2025 को आयोजित कंपनी की सामान्य बैठक में सर्वसम्मति से पारित विशेष संकल्प के अनुक्रम के पंजीकृत किये जाने बावत पंजीकृत कार्यालय के एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थांतरण के लिए केंद्रीय सरकार को आवेदन किया है

कोई व्यक्ति जिसका हित कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन स्थिति से प्रभावित होने की संभावना है , इस सूचना के प्रकाशन के तारीख के 14 दिनों के अंदर सम्बंधित क्षेत्रीय प्रबंधक (रीजनल डायरेक्टर्स) उत्तर क्षेत्र, बी-2 विंग, 2 फ्लोर, पर्यावरण भवन **CGO** काम्प्लेक्स नई दिल्ली-110003 को अपने हिट की प्रकर्ति और विरोध के कारण बताते हुए शपथ पत्र द्वारा अपनी आपत्तियों को भेज सकते हैं. अथवा पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित कर सकते हैं. जिसकी एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय के निम्नलिखित पते पर भेजनी होगी रजिस्टर्ड ऑफिस-216/2, लाजपत नगर नई रेलवेज रोड गुडगाँव 122001

आवेदक के लिए और उसकी ओर से
आदिनाथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
गुडगाँव, हरियाणा
अशोक कुमार चौधरी (प्रबंधक)
DIN- 08701050

दिनांकः 05.03.2025
स्थान : गुड़गांव

इंडियन बैंक | **Indian Bank**
इलाहाबाद | **ALLAHABAD**

अंचल कार्यालयः दिल्ली सेंट्रल, 17, संसद मार्ग, प्रथम तल, इलाहाबाद बैंक भवन, नई दिल्ली-110001

सार्वजनिक सूचना

दिनांक **04-03-2025** को इस समाचार पत्र में छपे विज्ञापन ई-नीलामी सूचना के संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि **कर्जदारः श्री उमेश कुमार पुत्र श्री राधाकांत झा** की ई-नीलामी दिनांकित **10.04.2025 को होनी थी के इस खातें की सम्पत्ति को बैंक ने तकनीकी कारणों के द्वारा निरस्त कर दिया गया है।**

प्राधिकृत अधिकारी

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

अंचल कार्यालय, नोएडा
बी-192/ए, ब्लॉक बी, सेक्टर 52,
नोएडा गौतम बौद्ध नगर, उ0प्र0 201301
प्रधान कार्यालयः लोकमंगल,1501,शिवाजीनगर, पुणे-5
इंदिरापुरम शाखा

सोने की नीलामी सूचना

नीचे उल्लिखित व्यक्तियों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि वे ऋण खातों में देयता का भुगतान करने में विफल रहे है। उन्हें पंजीकृत डाक से भी भेजे गए नोटिस अतः उनसे **27.03.2025** को या उससे पहले देयता और अन्य प्रभारी का भुगतान करने और गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों को भुनाने का अनुरोध किया जाता है, ऐसा न करने पर बैंक द्वारा उक्त प्रतिभूतियों को शाखा परिसर में उधारकर्ता की कीमत पर सार्वजनिक नीलामी दिनांक **28.03.2025** को **सुबह 11.30 बजे से दोपहर 1.00 बजे** या उसके बाद किसी अन्य सुविधाजनक तिथि पर बिना किसी सूचना के बैंक के पूर्ण विवेक पर बेचा जाएगा। सोने के आभूषणों की खरीद में रुचि रखने वाले पक्ष नीलामी में भाग ले सकते हैं।

ऋण की तिथि	ऋण खाता संख्या	उधारकर्ता का नाम और पता	आभूषणों का विवरण	कुल वजन (ग्राम मे) (स्टोन और रत्नों के वजन को छोड़कर)	नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य
29-12-2023	60474011743	श्री प्रशांत कुमार पताः IX/4668-A, गली नंबर 2, अजीत नगर, गांधी नगर दिल्ली - 110031	रिंग 1 पीएस	9.48	Rs. 73,944.00

अधिक जानकारी के लिए कृपया बैंक ऑफ महाराष्ट्र की इंद्रपुरम शाखा से संपर्क करें।

दिनांक : 15.03.2025
स्थान : इंदिरापुरम

शाखा प्रबंधक
बैंक ऑफ महाराष्ट्र,
मोबाईल 9355887113

कार्यालय वसूली अधिकारी-II
ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001

आर.सी. 290/2022

विक्रय उद्घोषणा सूचना
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स बनाम कुश भारद्वाज
बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाए ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 52 (2) के अंतर्गत बिक्री उदघोषणा

सीडी#1 कुश भारद्वाज पुत्र विजय भारद्वाज, पी/15/बी1, दिलशाद गार्डन, पूर्वी दिल्ली, साथ ही : फ्लैट नं. जी 2, प्लॉट नं. सी1/91, डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन II, भोपुरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

1. जबकि पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-II द्वारा रु. 24,95,527.27 (**रुपये चौबीस लाख पिचानबे हजार पांच सौ सत्ताईस एवं सत्ताईस पैसे मात्र**) का उल्लेख करते हुए आहरित वसूली प्रमाणपत्र **संख्या** 290/2022 **दिनांक** 09.09.2022 के अनुसार पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली द्वारा ओए संख्या 367/2019 में आहरित उक्त वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार आपसे देय हो गया है। आवेदक 16.01.2019 से वसूली तक सीडी से संयुक्त तथा/अथवा अलग-अलग 9.00% वार्षिक की दर से पेंडेलाइट भावी ब्याज सहित रु. 24,95,527.27 (**रुपये चौबीस लाख पिचानबे हजार पांच सौ सत्ताईस एवं सत्ताईस पैसे मात्र**) की वसूली का अधिकारी है।
2. तथा, जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त वसूली प्रमाणपत्र की संतुष्टि के लिए नीचे अनुसूची में वर्णित संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।
3. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में ई-नीलामी तथा बोली द्वारा उक्त संपत्ति की बिक्री की जाएगी तथा यह बोली "ऑन लाइन इलेक्ट्रोनिक बोली" वेबसाइट **मैसर्स सी1 इण्डिया प्रा.लि., प्लॉट नं. 68, तृतीय तल, सेक्टर-44, गुरुग्राम-122003, हरियाणा के माध्यम से होगी। सम्पर्क व्यक्ति : मिथिलेश कुमार, सहायक प्रबंधक, मोबाइल नं.** 7080804466, **ई-मेल आईडी : mithalesh.kumar@c1india.com तथा delhi@c1india.com** पर उक्त सम्पत्ति की बिक्री **08.05.2025** को 3.00 बजे अप. से 04.00 बजे अप. के बीच, यदि जरूरी हुआ तो 4.00 बजे अप. के बाद 5 मिनट के विस्तार के साथ की जायेगी।
4. संविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी संविदाएँ जमा करने तथा ई-नीलामी विक्रय की कार्यवाहियों में भाग लेने से पूर्व ई-नीलामी विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए पोर्टल **https://www.bankeauctions.com** अवश्य देखें तथा/अथवा **श्री दीपक कुमार, प्राधिकृत अधिकारी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स सर्कल शास्त्र, प्रथम तल, वाणिज्यिक परिसर, मयूर विहार फेज-II, पॉकेट ई, नई दिल्ली, मोबाइल नंबर** 7769988880 **ईमेल आईडीः cs8075@pnb.co.in** पर सम्पर्क करें।
5. सम्भावित संविदाकारों को ईएमडी जमा करने के पश्चात पहले ही पोर्टल के साथ स्वयं को पंजीकृत करना तथा **मैसर्स सी1 इण्डिया प्रा.लि., प्लॉट नं. 68, तृतीय तल, सेक्टर-44, गुरुग्राम-122003, हरियाणा** के माध्यम से होगी। **सम्पर्क व्यक्ति : मिथिलेश कुमार, सहायक प्रबंधक, मोबाइल नं.** 7080804466, **ई-मेल आईडी : mithalesh.kumar@c1india.com तथा delhi@c1india.com** से लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना अपेक्षित है जो कि उपर्युक्त ई-नीलामी के लिए अनिवार्य है।
6. इच्छुक संविदाकार ईएमडी जमा करने के पश्चात **मैसर्स सी1 इण्डिया प्रा.लि., प्लॉट नं. 68, तृतीय तल, सेक्टर-44, गुरुग्राम-122003, हरियाणा के माध्यम से होगी। सम्पर्क व्यक्ति : मिथिलेश कुमार, सहायक प्रबंधक, मोबाइल नं.** 7080804466, **ई-मेल आईडी : mithalesh.kumar@c1india.com तथा delhi@c1india.com** से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
7. सम्पत्ति का निरीक्षण क्रेताओं द्वारा साइट पर **27.02.2025** तथा **28.02.2025 को** 10.30 **बजे पूर्वा. से** 04.00 **बजे अप. तक** किया जा सकता है।
8. यह बिक्री नीचे अनुसूची में नामित उपरोक्त सीडी'ज की संपत्ति की होगी तथा उक्त संपत्ति से जुड़ी देयताएं एवं दावे, जो अब तक सुनिश्चित हैं, वे प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।
9. संपत्ति को अनुसूची में निर्दिष्ट के अनुसार बिक्री पर रखा जाएगा। यदि वसूल की जाने वाली राशि संपत्ति के भाग की बिक्री से पूरी हो जाती है तो शेष के मामले में तुरंत बिक्री रोक दी जाएगी। यदि बिक्री संचालक अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाए, ब्याज लागत (बिक्री लागत सहित) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास जमा कर दिए होने का उनकी संतुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो किसी भी लॉट की नीलामी से पूर्व बिक्री तत्काल रोक दी जाएगी।
10. ऐसे किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति बिक्री के सिलसिले में कोई कर्त्तव्य निर्वहन का दायित्व हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बेची जा रही संपत्ति को अर्जित करने के लिए बोली लगाने या कोई हित अर्जित करने के लिए प्रयास करने में अक्षम होंगे।
11. यह बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा आगे की निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :

11.1 संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत की गई है, लेकिन, इस उद्घोषणा में किसी गलती, त्रुटि अथवा खामी के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे।

11.2. आरक्षित मूल्य जिसके नीचे संपत्ति की बिक्री नहीं की जाएगी, वह है :

क्र. सं.	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु. में)	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) (रु. में)
1.	जी 2, प्लॉट नं. सी1/91, डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन II, भोपुरा, गाजियाबाद	रु. 12,82,000/-	रु. 1,28,200/-

11.3. जो इच्छुक बोलीदाता रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली के कार्यालय में **06.05.2025** के 4.00 बजे सायं तक पैन कार्ड, पहचान के प्रमाण, निवास के प्रमाण आदि दस्तावेजों और कम्पनी के मामले में कम्पनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित संकल्प की प्रति या कम्पनी के प्रतिनिधान/एटॉर्नी की पुष्टि करने वाले किसी दस्तावेज के साथ के साथ आरक्षित मूल्य से ऊपर अपना प्रस्ताव जमा करते हैं वे ई-नीलामी में भाग लेने के योग्य होंगे जो **08.05.2025** को 3.00 बजे अप. से 4.00 बजे अप. के बीच आयोजित की जाएगी। व्यक्तिगत मामले में, उसकी ओर से या उसके प्रमुखों की ओर से संविदा की घोषणा भी जमा करनी होगी। बाद वाले मामले में संविदाकार को अपना प्राधिकार जमा करना होगा, चूक की स्थिति में उसकी संविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। यदि बोली नीलामी बन्द होने के अंतिम 5 मिनट में रखी जाती है तो अंतिम समय स्वतः 5 मिनट आगे बढ़ जाएगा।

11.4. बोलीदाता रु. 1,00,000/- (रुपए एक लाख मात्र) के गुणक में अपनी बोली में सुधार कर सकते हैं।

11.5. असफल बोलीदाता ई-नीलामी प्रक्रिया समाप्त होने के तत्काल बाद रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली से प्रत्यक्ष रूप से अपना ईएमडी प्राप्त कर सकते हैं।

11.6. सफल/उच्चतम बोलीदाता को ईएमडी समायोजित करने के बाद बैंक के अगले कार्यदिवस अर्थात 04.00 बजे अपराह्न तक रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली खाता आरसी नं. 290/2022 के पक्ष में संविदा/बिक्री राशि के 25% का डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर तैयार करना होगा।

11.7. सफल/उच्चतम बोलीदाता को संपत्ति की नीलामी की तिथि से **15वें** दिन, उस दिन को छोड़कर अथवा यदि **15वाँ** दिन रविवार या अवकाश होताहै तो **15वें** दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस को रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली के समक्ष रजिस्ट्रार डीआरटी-II, दिल्ली के पक्ष में देय रु. 1000/- तक 2% तथा 1000 से अधिक की सकल राशि पर 1% की दर से पाउन्डेज शुल्क के साथ रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली खाता "**आर.सी. नं. 290/2022**" के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर द्वारा शेष 75% बिक्री राशि का भुगतान करनाहोगा (डाक द्वारा शेष 75% राशि के भुगतान की स्थिति में वह उक्त रूप से रिकवरी अधिकारी के पास पहुंच जाना चाहिए)।

11.8. सफल संविदाकार को इस फोरम के समक्ष जमा की जाने वाली नीलामी राशि पर प्रयोज्य टीडीएस अदा करने के लिए आय कर अधिनियम की धारा 194-आईए के प्रावधानों के अनुपालन की स्वतन्त्रता होगी।

11.9. निर्धारित अवधि में भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे के डेफ्रे करने के बाद अधोहस्ताक्षरी यदि उपयुक्त समझते हैं तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चूक करने वाले क्रेता को उस राशि अथवा जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी, के प्रति दावे करने के सभी अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा।

12. संपत्ति की बिक्री "**जैसा है जहां है आधार**" "**तथा जो भी वहां है आधार**" पर की जाएगी।
13. सीएच बैंक/सीएचएफआई को यहाँ दिये गये विवरणों की सत्यता को प्रमाणित तथा पुष्ट करने का निर्देश दिया जाता है।
14. अधोहस्ताक्षरी को किसी या सभी बोली को स्वीकार करने अथवा अनुपयुक्त पाते हैं तो अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए किसीभी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है।

सम्पत्ति की अनुसूची

बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर गणना की गई राजस्व	सम्पत्ति पर देय किसी अधिभारों का विवरण	सम्पत्ति पर किए गए दावे, यदि कोई हो, तथा उस प्रकृति एवं मूल्य का अन्य कोई ज्ञात विवरण
जी 2, प्लॉट नं. सी1/91, डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन II, भोपुरा, गाजियाबाद	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं

मेरे हाथ से तथा मुहर लगाकर 10-03-2025 को दी गई। हस्ता./- (दत्तात्रेय बाजपेयी) रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली

मंदिर उत्सव में राजनीतिक झंडों पर विवाद, जांच के आदेश

तिरुवनंतपुरम, 15 मार्च (भाषा)।

केरल के कोल्लम जिले के एक मंदिर में उत्सव में डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन आफ इंडिया (डीवायएफआइ) के झंडे लगाने और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के गुणगान वाले गीतों के प्रदर्शन के मामले में त्रावणकोर देवस्व ओम बोर्ड (टीडीबी) ने जांच के आदेश दिए हैं।

बोर्ड के अध्यक्ष पी. एस. प्रशांत ने शनिवार को बताया कि मंदिरों के अंदर राजनीतिक झंडे या प्रतीकों के प्रदर्शन पर अदालतों ने सख्त प्रतिबंध लगाया है। इस संबंध में बोर्ड ने पहले ही सभी मंदिरों को परिपत्र जारी किया था। उन्होंने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा, 'इस मंदिर उत्सव के कार्यक्रम प्रबंधन समिति द्वारा आयोजित किए गए थे। जैसे ही हमें इस घटना की जानकारी मिली, हमने उन्हें नोटिस जारी करने का आदेश दिया। हमने इस मामले में सतर्कता जांच के आदेश भी दिए हैं और रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।'

इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन का उड़ान स्वीकृति परीक्षण किया

बंगलुरु, 15 मई (भाषा)।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने शनिवार को कहा कि उसने तमिलनाडु के महेंद्रगिरि स्थित अपने प्रणोदन परिसर में एलवीएम 3 प्रक्षेपण यान (एलवीएम-एम 6) के छठे परिचालन मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का उड़ान स्वीकृति तप्त परीक्षण सफलतापूर्वक किया है।

इन परीक्षणों के जरिए इंजन की गुणवत्ता और उप-प्रणालियों के कामकाज का आकलन किया जाता है। एलवीएम3 (प्रक्षेपण यान मार्क-3) इसरो द्वारा विकसित तीन-चरणों वाला मध्यम-उत्तोलक प्रक्षेपण यान है। इसरो ने एक बयान में कहा कि प्रत्येक मिशन में क्रायोजेनिक इंजन को उड़ान के लिए स्वीकृति प्रक्रिया के हिस्से के रूप में तप्त परीक्षण से गुजरना पड़ता है।

एलवीएम3 के 'क्रायोजेनिक ऊपरी चरण' में प्रयुक्त होने वाले स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन (सीई20) के लिए अब तक तप्त परीक्षण 'इसरो प्रपल्शन काम्प्लेक्स' (आइपीआरसी) के बेहद-ऊंचाई परीक्षण (एचएटी) केंद्र में किए जाते थे, जहां अधिकतम तप्त परीक्षण अवधि 25 सेकंड तक रहती है। इसरो ने कहा, 'वर्तमान परीक्षण में पहली बार 100 सेकंड की लंबी अवधि के लिए इंजन का परीक्षण किया गया और इसमें गैर निर्वात स्थितियों में नवोन्मेषी 'नोजल प्रोटेक्शन सिस्टम' का इस्तेमाल किया गया।'

मंत्री को जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार

खंडवा, 15 मार्च (भाषा)।

मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में एक व्यक्ति को राज्य मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ मंत्री को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

खंडवा के पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने बताया कि 13 मार्च को वाट्सएप पर एक संदेश डाला था, जिसमें आदिवासी मामलों के मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। राय के मुताबिक, जांच में पता चला है कि हरसूद थाना क्षेत्र में रहने वाले मुकेश दरबार ने यह संदेश पोस्ट किया था। उन्होंने बताया कि आरोपी ने मंत्री के समर्थकों को फोन करके कथित तौर पर गाली-गलौज भी की।

राय के अनुसार, हरसूद थाने में दरबार के खिलाफ मंत्री को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने, उन्हें जान से मारने की धमकी देने और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। राय के मुताबिक, आरोपी को शुक्रवार को मध्यप्रदेश-राजस्थान सीमा पर स्थित एक गांव से गिरफ्तार किया गया।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालयः ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110020

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(2) एवं 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक **30/11/2024** जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदारः श्री नारायण भट्टाचार्जी पुत्र रामेन्द्र कुमार भट्टाचार्जी और श्रीमती झूमी भट्टाचार्जी पत्नी श्री नारायण भट्टाचार्जी** को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.41,70,305/- (इकतालिस लाख सत्तर हजार तीन सौ पाँच रूपये मात्र)** (जो 30.11.2024 को देय मूलधन और ब्याज निरूपित करता है) साथ ही 30.11.2024 से आज तक का ब्याज तथा अन्य शुल्क उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। कर्जदार बैंक की सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहा है, इसलिए कर्जदार, गारंटर और आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित **सम्पत्ति का कब्जा 11 मार्च 2025** को ले लिया है। कर्जदार और गारंटर को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन **रु.41,70,305/- (इकतालिस लाख सत्तर हजार तीन सौ पाँच रूपये मात्र)** (जो 30.11.2024 को देय मूलधन और ब्याज निरूपित करता है) साथ ही 30.11.2024 से उस पर ब्याज एवं अन्य शुल्क के साथ **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ओखला औद्योगिक क्षेत्र शाखा, नई दिल्ली** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद 13 के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

एसएफ-4, दूसरी मंजिल, बिना छत/अधिकारों के, सम्पत्ति संख्या एच-1/55 का हिस्सा, क्षेत्रफल 60 वर्ग गज यानि 50.166 वर्ग मीटर खसरा संख्या 79/17/2 एवं 79/24 में से, गाँव पालम के क्षेत्र में स्थित एवं कॉलोनी महावीर एन्क्लेव के नाम से ज्ञात, गाँव पालम, नई दिल्ली-110045.

बंधककर्ता का नामः श्री नारायण भट्टाचार्जी पुत्र रामेन्द्र कुमार भट्टाचार्जी एवं श्रीमती झूमी भट्टाचार्जी पत्नी श्री नारायण भट्टाचार्जी.

सीमाएंः
दक्षिणः सड़क पूर्वः गली
पश्चिमः सड़क उत्तरः अन्य की सम्पत्ति

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 11/03/2025
(प्राधिकृत अधिकारी), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

खबर कोना

छह साल बाद पकड़ा गया दिल्ली हिंसा का आरोपी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 मार्च।

दक्षिण पूर्वी जिले में दिसंबर 2019 में सीएए/एनआरसी विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में शामिल फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसकी पहचान शाहीन बाग निवासी मोहम्मद हनीफ (42) के रूप में हुई है। हनीफ मूलरूप से कुच बिहार, पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस की विशेष प्रकोष्ठ (स्पेशल सेल) की टीम ने आरोपी को दबोचा है। पुलिस उपायुक्त अमित कौशिक ने बताया कि आरोपी को अदालत ने भगोड़ा भी घोषित किया हुआ था। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने एक पिस्तौल और पांच कारतूस बरामद किए है।

कर्मचारी पर चाकू से हमला करने के आरोप में चार गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 मार्च।

द्वारका इलाके में आठ मार्च को नकदी एकत्रित करने वाले एक कंपनी के कर्मचारी पर लूटपाट का विरोध करने पर चार आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया और रुपए लूट कर फरार हो गए। लूटपाट और हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान द्वारका सेक्टर-16ए, निवासी भागीरथ (22), काकरौल, द्वारका निवासी सुमित (22), जेजे कालोनी, द्वारका निवासी विवेक मेहरा (21) और चंदरपार्क, ओल्ड नजफगढ़ रोड निवासी विक्की वर्मा (24) के रूप में हुई है।

मेट्रो की केबल चोरी करने के आरोप में पांच गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 मार्च।

मेट्रो की केबल चोरी कर सेवा बाधित कर यात्रियों को परेशानी में डालने वाले गिरोह के पांच आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों में गिरोह के दो सरगना भी शामिल हैं। आरोपियों की पहचान श्रम विहार, शाहीन बाग निवासी मोहम्मद करीमुल्लाह (24), मोहम्मद अनस (21), मोहम्मद जुनैद (25), मोहम्मद आलम उर्फ रबी आलम (25) और जसोला, सरिता विहार निवासी सूरज सिंह (25) के तौर पर हुई है। इन आरोपियों में से मोहम्मद आलम और सूरज को कोलकाता से जीआरपी और स्थानीय पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया।

नाबालिग का अपहरण कर फिरौती मांगने के तीन आरोपी दबोचे गए

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 मार्च।

अपहरण कर 50 हजार रुपए की फिरौती मांगने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने दबोचा लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने पिछले 12 मार्च को वारदात को अंजाम दिया था। नाबालिग को आरोपियों ने साकेत मेट्रो स्टेशन के पास बुलाया, जहां से स्कूटी पर बैठकर उसे लेकर फरार हो गए। महरौली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर कई घंटे तक आरोपियों का पीछा कर उन्हें दबोचा लिया।

मौसम विभाग की चेतावनी

दिल्ली में आज फिर हो सकती है बारिश, चलेंगी तेज हवाएं

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 मार्च।

हवा की गुणवत्ता में सुधार, एक्यूआइ 85 रहा

दिल्ली में शनिवार को पिछले तीन वर्ष में एक जनवरी से 15 मार्च के बीच किसी भी दिन की तुलना में सबसे स्वच्छ वायु गुणवत्ता रही। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने यह जानकारी दी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार शनिवार को शाम चार बजे 24 घंटे का औसत एक्यूआइ 85 रहा, जो इसे संतोषजनक श्रेणी में आता है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने बताया कि शनिवार दिल्ली में औसत एक्यूआइ 85 दर्ज किया गया, जो एक जनवरी से 15 मार्च की अवधि के लिए पिछले तीन वर्षों में सबसे कम है। आज का एक्यूआइ चालू वर्ष का पहला दिन भी है। दिल्ली में 2020 के बाद से पांच वर्षों में पहली बार मार्च में संतोषजनक श्रेणी में एक्यूआइ रहा है।

दिल्ली में मौसम का अजब रुख देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 4.1 डिग्री अधिक है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने यह जानकारी दी। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान 18.7 डिग्री सेल्सियस रहा।

आइएमडी ने बताया कि शुक्रवार दिल्ली में इस साल अब तक का सबसे गर्म दिन रहा और अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 7.3 डिग्री अधिक था। मौसम विभाग ने रविवार को सामान्य रूप से आसमान में बादल छाए रहने तथा हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने का अनुमान जताया है। इस दौरान 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 32 डिग्री सेल्सियस और 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार, 17 मार्च को दिल्ली में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। 17 मार्च को दिल्ली में हवा की रफ्तार 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा देखी जा सकती है। हालांकि इस दिन बारिश नहीं होगी। 18 मार्च को दिल्ली में अधिकतम तापमान 31 से 33 जबकि न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकार्ड किया जा सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि 19 मार्च को भी हल्के बादल नजर आ सकते है।

इस दिन अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकार्ड किया जा सकता है। 20 और 21 मार्च को अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 17 से 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। दोनों ही दिन छिटपुट हल्के बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है। आइएमडी का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 16 मार्च तक व्यापक रूप से बारिश या बर्फबारी के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है।

तेज रफ्तार कार चालक ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी, मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 मार्च।

मयूर विहार थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक कार (थार) चालक ने स्कूटी सवार बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि एक अन्य शख्स घायल हो गया। मृतक की पहचान चिल्ला गांव निवासी श्याम चंद (73) के तौर पर की गई है।

अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे श्याम चंद।

वहीं, घायल की पहचान सूरजमल के तौर पर हुई है। पुलिस ने बुजुर्ग के शव को पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में रखवा दिया है और मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। गांव में किसी की मौत हो गई थी। गांव के लोग शव को लेकर श्मशान घाट जा रहे थे। पूर्वी जिला पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि बुजुर्ग श्याम चंद अपने परिवार के साथ चिल्ला गांव मकान नंबर-84 में रहते थे।

हादसा के वक्त वह स्कूटी पर श्याम चंद और सूरजमल सवार थे और श्मशान घाट की ओर से चिल्ला की तरफ आ रहे थे, तभी अक्षरधाम मंदिर की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने दोनों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद दोनों को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई।

निरीक्षण राजधानी पार्क के पास शनिवार को जल निकासी प्रणाली के निर्माण का निरीक्षण करने पहुंचे पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा।

नरेश बाल्यान के खिलाफ मकोका मामला

पुलिस को दो अप्रैल तक आरोपपत्र दाखिल करने का निर्देश

नई दिल्ली, 15 मार्च (भाषा)।

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को आम आदमी पार्टी नेता नरेश बाल्यान के खिलाफ मकोका के तहत दर्ज मामले में दो अप्रैल तक पूरक आरोपपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 12 मार्च को विशेष लोक अभियोजक अखंड प्रताप सिंह की याचिका पर पुलिस को 20 दिन की हिरासत प्रदान की। न्यायाधीश ने कहा, 'राज्य के विशेष पीपी (सरकारी अभियोजक) ने कहा है कि अभियोजन पक्ष सह-आरोपी विजय गहलोत और साहिल के खिलाफ शीघ्र ही पूरक आरोपपत्र दाखिल करेगा और इसके लिए कुछ समय मांगा है। अनुरोध पर मामले को आगे की कार्यवाही के लिए दो अप्रैल को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जाता है। उक्त तिथि को आरोपी को वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से पेश किया जाए।' अदालत ने हाल ही में एक अन्य सह-आरोपी रितिक उर्फ पीटर के खिलाफ पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लिया। आप नेता को कथित संगठित अपराध मामले में चार दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जबरन वसूली के एक मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल गई थी।

एनएचएआइ करेगी रोहतक सड़क का पुनर्विकास

मंत्री प्रवेश वर्मा ने परियोजना को समय पर पूरा करने का दिया निर्देश

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 मार्च।

'गुणवत्ता में कमी आई तो संबंधित अधिकारी होंगे निलंबित'

मंत्री ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने पर भी बल दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि हम ऐसी सड़कें और जल निकासी प्रणाली बना रहे हैं जो सालों तक टिकेंगी। यदि निर्माण की गुणवत्ता में कोई भी कमी पाई गई, तो ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और संबंधित अधिकारियों को निलंबित कर दिया जाएगा। मंत्री वर्मा ने भरोसा दिलाया कि निर्धारित समय सीमा में रोहतक रोड और जल निकासी परियोजना का कार्य पूरा कर लिया जाएगा, जिससे दिल्ली और हरियाणा के बीच यातायात सुगम होगा।

दिल्ली के लोक निर्माण विभाग (पीडब्लूडी) मंत्री प्रवेश वर्मा ने शनिवार को रोहतक रोड का निरीक्षण किया। यह सड़क हरियाणा को दिल्ली से जोड़ने वाला एक महत्त्वपूर्ण मार्ग है, जो लंबे समय से खराब स्थिति में है। फरवरी से यहां जल निकासी निर्माण कार्य जारी है।

स्थानीय निवासियों की लगातार शिकायतों के बाद, मंत्री ने इस सड़क की जिम्मेदारी पीडब्लूडी से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) को सौंपने का निर्णय लिया। यह पुनर्विकास परियोजना पीरागढ़ी चौक से टिकरी बार्डर तक कुल 18 किलोमीटर के हिस्से को कवर करेगी। जल निकासी प्रणाली के निर्माण की अनुमानित लागत लगभग 115 करोड़ रुपए है और इसे 14 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह क्षेत्र इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आइजीएल) और दिल्ली मेट्रो के तीन स्टेशनों के करीब आता है, जिसके लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त करनी होगी। मंत्री वर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी आवश्यक स्वीकृतियों की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए ताकि परियोजना में अनावश्यक देरी न हो। उन्होंने कहा कि अनुमतियों में देरी से परियोजना की लागत बढ़ती है, इसलिए इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अब दिल्ली में लागू होगी 'जल ही अमृत' योजना

शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित किया प्रकोष्ठ

भूपेन्द्र पांचाल
नई दिल्ली, 15 मार्च।

योजना शहरी स्थानीय निकायों को उपचारित जल की गुणवत्ता बढ़ाने, प्रयुक्त जल उपचार संयंत्र के संचालन में सुधार लाने और जल पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने का काम करेगी।

दिल्ली में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद केंद्र सरकार की लंबित योजनाओं को लागू करने का सिलसिला तेज हो गया है। आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के बाद अब दिल्ली सरकार ने अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) योजना को लागू करने की तैयारी कर ली है।

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग ने सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बाद अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) के अंतर्गत 'जल ही अमृत' नामक उप-योजना को किस तरह से लागू करना, इसको लेकर काम करना शुरू कर दिया है। यह योजना शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/पैरास्टेटल्स को उपचारित जल की गुणवत्ता बढ़ाने, प्रयुक्त जल उपचार संयंत्र (यूडब्लूटीपी) के संचालन में सुधार लाने और जल पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने का काम करेगी।

इस पहल के एक हिस्से के रूप में, राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे उपयोग किए गए जल और जैव ठोसों के प्रबंधन को बढ़ावा देने और चक्रीय बनाने के लिए एक समर्पित जल संसाधन पुनर्प्राप्ति प्रकोष्ठ (डब्लूआरसीसी) की स्थापना करें। सूत्र बताते हैं कि इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय जल संसाधन पुनर्प्राप्ति प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

इसमें उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के सदस्य सचिव, दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अलावा तीनों निकायों नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के सचिव, दिल्ली नगर निगम के आयुक्त और दिल्ली छावनी बोर्ड के सीईओ को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। शहरी विकास विभाग के उप सचिव संजय शर्मा की ओर से इस बाबत आदेश जारी किए गए हैं। आदेश के मुताबिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष की तरफ से शैक्षणिक संस्थानों, थिंक टैंक और निजी क्षेत्र या अन्य सदस्यों को विशेषज्ञ के तौर पर आमंत्रित किया जा सकता है।

एम्स ने चार माह के बच्चे की दुर्लभ सर्जरी से बचाई जान

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 मार्च।

बीमारी के कारण बच्चे के दोनों फेफड़े का एक हिस्सा असामान्य रूप से फूल गया था, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में दिल्ली के एक चार महीने के बच्चे की जीवन रक्षक, न्यूनतम इनवेसिव फेफड़े की सर्जरी सफलतापूर्वक हुई है।

चिकित्सकों ने बताया कि बच्चा जन्मजात लोबार ओवरइन्फ्लेशन (सीएलओ) नामक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित था। यह आपरेशन बच्चे की जान बचाने के लिए बेहद जरूरी था। बच्चे को सांस लेने में तकलीफ महसूस हो रही थी। बीमारी के कारण बच्चे के दोनों फेफड़े का एक हिस्सा असामान्य रूप से फूल गया था, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। एम्स बाल सर्जरी विभाग के मुखिया संदीप अग्रवाल व सर्जन विशेष जैन ने यह जानकारी दी। अब तक इस बीमारी का इलाज करने के लिए पारंपरिक ओपन-चेस्ट सर्जरी की जाती थी। इसमें बड़े चीरे की जरूरत पड़ती थी, जिसमे काफी दर्द होता है और ठीक होने में लंबा समय लगता है। एम्स के विशेषज्ञों ने पहली बार किसी इतने छोटे बच्चे की सर्जरी के लिए थोरैकोस्कोपिक का उपयोग किया। इस सर्जरी में केवल 3 से 5 मिलीमीटर व्यास वाले उपकरण और एक छोटे कैमरे का उपयोग किया गया। सर्जरी विशेष रूप से नाजुक थी, क्योंकि किसी भी मामूली गलती से महत्त्वपूर्ण रक्त वाहिकाओं खून की नली के कट जाने का खतरा था। सर्जरी के बाद बच्चे की तेजी से रिकवरी हुई और सिर्फ दो दिन में उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

बैठक

बजट को लेकर किसान प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री ने किया संवाद

दिल्ली देहात की समस्याओं का जल्द निदान होगा : रेखा गुप्ता

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 मार्च।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को दिल्ली सचिवालय में 'विकसित दिल्ली बजट' पर जनता से सुझाव और अपेक्षाएं संवाद की श्रृंखला में राजधानी के किसानों के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक की।

इस दौरान आगामी बजट 2025 के लिए उनकी अपेक्षाओं और सुझावों पर विस्तार से चर्चा की गई। संवाद सत्र का उद्देश्य किसानों की समस्याओं को समझना, उनके सुझावों को बजट में सम्मिलित करना और दिल्ली में कृषि को बढ़ावा देना और दिल्ली देहात में विकास कार्य में तेजी लाना है। संवाद के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि किसानों के सामने आने वाली

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता।

चुनौतियों के समाधान और कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की गई। बैठक में किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र की प्रगति को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कई महत्त्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए, जो आगामी बजट की नीतियों को सार्थक दिशा प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आगे कहा कि दिल्ली देहात की सभी समस्या का जल्द निदान किया जाएगा। दिल्ली में अब दोषारोपण करने वाली सरकार नहीं बल्कि काम करने वाली सरकार है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि विकसित दिल्ली बजट का प्रारूप तैयार करने में किसानों के अपेक्षाओं और सुझावों को शामिल किया जाएगा, क्योंकि वे न केवल अन्नदाता हैं, बल्कि शहर के पर्यावरण को हरित और स्थिर बनाए रखने में भी अहम योगदान निभाते हैं। संवाद के दौरान किसानों ने तालाब के सौंदर्यीकरण, गांवों के ग्राम सभा के जमीन का उपयोग, बिजली के कनेक्शन, लालडोरा को बढ़ाना, आधुनिक सिंचाई पद्धतियों, केंद्र की योजनाओं का लाभ आदि विषय प्रमुखता से उठाए।

'प्रवेश और मेरा रिश्ता भाई-बहन जैसा'

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा की 82वीं जयंती पर मुंडका में उनके स्मारक पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी प्रवेश वर्मा के साथ उनका भाई-बहन जैसा रिश्ता है। गुप्ता ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुख्यमंत्री की कुर्सी किसके पास है। उन्होंने प्रवेश वर्मा के साथ मिलकर पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवेश वर्मा को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था और मुझे मंत्री, अगर ऐसा होता तब भी चीजें मेरे लिए वैसी ही होतीं। रिश्तों की परिभाषा को बताते रेखा गुप्ता ने कहा कि साहिब सिंह वर्मा के दोनों बच्चों में से एक मुख्यमंत्री हैं और दूसरा मंत्री। गुप्ता ने दिल्ली के विकास में दिवंगत नेता के योगदान की भी प्रशंसा की तथा उनके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। साहिब सिंह वर्मा के अधूरे काम को आगे बढ़ाने के लिए हम भाई-बहन की तरह मिलकर काम करेंगे।

नियुक्तियां

विज्ञापन संख्या 20/2025
भारत सरकार
लोक उद्यम चयन बोर्ड
एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड (फेगमिल)
में
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है|
आवेदकों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि
07 अप्रैल 2025 (15.00 बजे तक) है|
नोडल अधिकारियों द्वारा आवेदनों को
लोक उद्यम चयन बोर्ड में अग्रेषित करने की अंतिम तिथि
16 अप्रैल 2025 (17.00 बजे तक) है |
जानकारी के लिए वेबसाइड
https://pesb.gov.in
में लॉग इन करे |

रेलयात्री कृपया ध्यान दें!

होली उपरान्त विशेष रेलगाड़ियाँ–2025

होली पर्व के उपरांत रेल यात्रियों के सुविधाजनक आवागमन हेतु रेलवे द्वारा निम्नलिखित त्यौहार विशेष रेलगाड़ियों को संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इन त्यौहार विशेष रेलगाड़ियों का दिल्ली क्षेत्र के स्टेशनों से तिथिवार संचालन निम्नानुसार है:–

दिनांक 16.03.2025 (रविवार) को दिल्ली क्षेत्र से प्रस्थान करने वाली रेलगाड़ियों की सूची

विशेष गाड़ी सं.	स्टेशन से	प्रस्थान समय	स्टेशन तक	आगमन समय	ठहराव
04020	आनन्द विहार (ट.)	19:30	बरौनी जं.	18:00	गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ जं., रायबरेली ज. एवं मा बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ ज., वाराणसी, औड़िहार ज., गाजीपुर सिटी, बलिया, सुरेमनपुर, छपरा एवं हाजीपुर जं. स्टेशन
04062	दिल्ली जं.	23:55	पटना जं.	16:40	गाजियाबाद, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जं., मिर्जापुर, पं. दीन दयाल उपाध्याय जं., बक्सर, आरा एवं दानापुर स्टेशन
04068	आनन्द विहार (ट.)	14:00	भागलपुर	13:30	गोविंदपुरी, प्रयागराज जं., पं. दीन दयाल उपाध्याय जं., बक्सर, आरा, दानापुर, पटना जं., बख्तियारपुर जं., मोकामा, हाथीदा जं., लक्खीसराय जं., किऊल जं., अभयपुर, जमालपुर जं. एवं सुलतानगंज स्टेशन
02436	नई दिल्ली (वन्दे भारत विशेष)	08:30	पटना जं. (वन्दे भारत विशेष)	20:10	गाजियाबाद, अलीगढ़, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जं., पं. दीन दयाल उपाध्याय जं., बक्सर एवं आरा स्टेशन
05578	आनन्द विहार (ट.)	05:15	सहरसा जं.	10:30	गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहाँपुर, सीतापुर जं., गोण्डा जं., बस्ती, गोरखपुर जं., कप्तानगंज जं., बगहा, नरकटियागंज जं., रक्सौल जं., बैरगनिया, सीतामढ़ी, जनकपुर रोड, दरभंगा जं., सकरी जं., झंझारपुर, घोघरडीहा, निर्मली, सरायगढ़, सुपौल एवं गढ़ बरुआरी स्टेशन
05220	आनन्द विहार (ट.)	08:00	मुज़फ्फरपुर जं.	00:45	गोविंदपुरी, प्रयागराज जं., पं. दीन दयाल उपाध्याय जं., बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र, सोनपुर जं. एवं हाजीपुर जं. स्टेशन
02982	हज़रत निज़ामुद्दीन	06:00	सोगरिया	13:10	मथुरा जं., भरतपुर जं., बयाना जं., हिण्डौन सिटी, गंगापुर सिटी एवं सवाई माधोपुर स्टेशन
09726	शकूरबस्ती	15:50	ढेहर का बालाजी	22:50	बहादुरगढ़, अस्थल बोहर, झज्जर, रेवाड़ी जं., कुंड, अटेली, नारनौल, निज़ामपुर, डाबला, मांवडा, नीम का थाना, कांवट, श्री माधोपुर, रींगस जं., गोविंदगढ़ मलिकपुर, चौमूं सामोद और नींदर बेनाड स्टेशन
03698	दिल्ली जं.	08:55	गया जं.	00:30	गोविंदपुरी, प्रयागराज जं., पं. दीन दयाल उपाध्याय जं., भभुआ रोड, सासाराम, डेहरी ऑन सोन एवं अनुग्रह नारायण रोड
02526	आनन्द विहार (ट.)	17:20	कामाख्या जं.	03:40	अलीगढ जं., टूंडला जं., गोविंदपुरी, प्रयागराज जं., पं. दीन दयाल उपाध्याय जं., बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र, हाजीपुर जं., बरौनी जं., बेगुसराय, खगड़िया जं., नौगछिया, कटिहार जं., बारसोई जं., किशनगंज, न्यू जलपाईगुड़ी, न्यू कूच बिहार, तूफानगंज, गोलकगंज जं., गौरीपुर, बिलासीपारा, अभयपुरी असम एवं गोवालपाड़ा जं. स्टेशन
03414	दिल्ली जं.	13:35	मालदा टाउन	17:30	कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जं., पं. दीन दयाल उपाध्याय जं., बक्सर, आरा, पटना जं., पटना साहेब, फतुहा, खुसरोपुर, बख्तियारपुर जं., बाढ़, मोकामा, हाथीदा जं., बड़हिया, लक्खीसराय जं., किउल जं., कजरा, अभयपुर, धरहरा, जमालपुर जं., बरियारपुर, सुल्तानगंज, भागलपुर, कहलगांव, साहिबगंज जं., बड़हरवा जं. एवं न्यू फरक्का जं. स्टेशन
02982	हज़रत निज़ामुद्दीन	06:00	सोगरिया	13:10	मथुरा जं., भरतपुर जं., बयाना जं., हिण्डौन सिटी, गंगापुर सिटी एवं सवाई माधोपुर स्टेशन
01708	आनन्द विहार (ट.)	18:05	जबलपुर जं.	10:00	गाजियाबाद, अलीगढ़ जं., टूण्डला जं., इटावा जं., गोविंदपुरी, फतेहपुर, प्रयागराज जं., शंकरगढ़, मानिकपुर जं., सतना, मैहर एवं कटनी स्टेशन
02394	नई दिल्ली	13:20	राजेन्द्र नगर	07:45	गोविंदपुरी, प्रयागराज जं., पंडित दीन दयाल उपाध्याय जं., बक्सर, आरा, दानापुर एवं पटना जं. स्टेशन

दिनांक 17.03.2025 (सोमवार) को दिल्ली क्षेत्र से प्रस्थान करने वाली रेलगाड़ियों की सूची

विशेष गाड़ी सं.	स्टेशन से	प्रस्थान समय	स्टेशन तक	आगमन समय	ठहराव
04081	नई दिल्ली	23:45	श्री माता वैष्णों देवी कटड़ा	11:40	सोनीपत, पानीपत जं., करनाल, कुरुक्षेत्र जं., अम्बाला छावनी जं., ढंडारी कलां, जलंधर कैंट, पठानकोट कैंट, जम्मू तवी एवं शहीद कप्तान तुषार महाजन स्टेशन
04208	दिल्ली जं.	20:20	लखनऊ जं.	06:00	गाजियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहाँपुर एवं हरदोई स्टेशन
04024	दिल्ली जं.	19:30	वाराणसी जं.	09:45	गाजियाबाद, मुरादाबाद, लखनऊ, रायबरेली जं. एवं मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जं. स्टेशन
04064	नई दिल्ली	09:30	गया जं.	01:50	गोविंदपुरी, प्रयागराज जं., पं.दीनदयाल उपाध्याय जं., भभुआ रोड, सासाराम एवं डेहरी–ऑन–सोन स्टेशन
04062	दिल्ली जं.	23:55	पटना जं.	16:40	गाजियाबाद, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जं., मिर्जापुर, पं. दीन दयाल उपाध्याय जं., बक्सर, आरा एवं दानापुर स्टेशन
04066	नई दिल्ली	21:35	सहरसा जं.	22:00	गोविंदपुरी, प्रयागराज जं., मिर्जापुर, पं. दीन दयाल उपाध्याय जं., बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र जं., सोनपुर, हाजीपुर जं., मुजफ्फरपुर, जं., समस्तीपुर जं., दलसिंहसराय, बरौनी जं., बेगूसराय, खगड़िया जं. एवं मानसी जं. स्टेशन
04010	आनन्द विहार (ट.)	23:55	जोगबनी	03:00	गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहाँपुर, सीतापुर जं., गोंडा जं., बस्ती, गोरखपुर जं., देवरिया सदर, सीवान जं., छपरा, सोनपुर जं., हाजीपुर जं., शाहपुर पटोरी, बरौनी जं., बेगूसराय, खगड़िया जं., नवगछिया, कटिहार जं., अररिया जं., एवं फारबिसगंज जं. स्टेशन
04014	आनन्द विहार (ट.)	05:00	जयनगर	12:00	मुरादाबाद जं., बरेली जं., लखनऊ, रायबरेली जं., अमेठी, मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जं., वाराणसी जं., पं. दीन दयाल उपाध्याय जं., बक्सर, आरा, दानापुर पाटलिपुत्र, हाजीपुर जं., मुजफ्फरपुर जं., समस्तीपुर ज., दरभंगा जं. एवं मधुबनी स्टेशन
03256	आनन्द विहार (ट.)	23:30	पटना जं.	18:35	गोविंदपुरी, प्रयागराज जं., पं. दीन दयाल उपाध्याय जं., बक्सर, आरा एवं दानापुर स्टेशन
02394	नई दिल्ली	13:20	राजेन्द्र नगर	07:45	गोविंदपुरी, प्रयागराज जं., पंडित दीन दयाल उपाध्याय जं., बक्सर, आरा, दानापुर एवं पटना जं. स्टेशन
02398	आनन्द विहार (ट.)	08:20	गया	00:30	गोविंदपुरी, प्रयागराज जं., पंडित दीन दयाल उपाध्याय जं., भभुआ रोड, सासाराम, डेहरी ऑनसोन एवं अनुग्रह नारायण रोड
03258	आनन्द विहार (ट.)	05:00	दानापुर	20:45	कानपुर सेन्ट्रल, प्रयागराज जं., पंडित दीन दयाल उपाध्याय जं., बक्सर एवं आरा स्टेशन
03012	आनन्द विहार (ट.)	00:30	हावड़ा	03:00	टूण्डला जं., इटावा जं., गोविंदपुरी, फतेहपुर, प्रयागराज जं., मिर्जापुर, पं. दीन दयाल उपाध्याय जं., भभुआ रोड, सासाराम, डेहरी ऑन सोन, अनुग्रह नारायण रोड, गया, कोडरमा, धनबाद, आसनसोल, दुर्गापुर, बर्द्धमान एवं बैण्डेल जं. स्टेशन
06074	हज़रत निज़ामुद्दीन	04:10	तिरुवनन्तपुरम उत्तर	14:15	मथुरा जं., आगरा कैंट जं., ग्वालियर जं., वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी जं., बीना जं., रानी कमलापति, नागपुर जं., बल्हारशाह, वरंगल, विजयवाड़ा जं., नेल्लूर, गूडूर जं., रेणिगुंटा जं., तिरूपति, चित्तूर, काटपाडी जं., जोलारपेट्टै जं., सेलम जं., इरोड जं., तिरुप्पुर, पोत्तनूर जं., पालक्काड़ जं., तृश्शूर, आलुवा, एरणाकुलम टाउन, कोट्टयम, तिरुवल्ला, चेंगन्नूर, मावेलिक्करा, कायमकुलम जंक्शन एवं कोल्लम जं.

दिनांक 18.03.2025 (मंगलवार) को दिल्ली क्षेत्र से प्रस्थान करने वाली रेलगाड़ियों की सूची

विशेष गाड़ी सं.	स्टेशन से	प्रस्थान समय	स्टेशन तक	आगमन समय	ठहराव
04070	आनन्द विहार (ट.)	00:20	राजगीर	19:50	गोविंदपुरी, प्रयागराज जं., पं. दीन दयाल उपाध्याय जं., बक्सर, आरा, पटना जं., बख्तियारपुर जं. एवं बिहार शरीफ जं.
04030	आनन्द विहार (ट.)	09:00	मुज़फ्फरपुर जं.	06:00	मुरादाबाद, बरेली, शाहजहाँपुर, सीतापुर जं., गोण्डा जं., गोरखपुर जं., कप्तानगंज जं., नरकटियागंज जं., सगौली जं. एवं बापूधाम मोतिहारी स्टेशन
04016	आनन्द विहार (ट.)	11:40	सीतामढ़ी	15:45	गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहाँपुर, लखनऊ जं., रायबरेली, माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जं., वाराणसी, औंड़िहार जं., गाजीपुर सिटी, बलिया, सुरेमनपुर, छपरा, सोनपुर जं., हाजीपुर जं. एवं मुजफ्फरपुर जं. स्टेशन
02436	नई दिल्ली	08:30	पटना जं.	20:10	गाजियाबाद, अलीगढ़, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जं., पं. दीन दयाल उपाध्याय जं., बक्सर एवं आरा स्टेशन
05578	आनन्द विहार (ट.)	05:15	सहरसा जं.	10:30	गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहाँपुर, सीतापुर जं., गोण्डा जं., बस्ती, गोरखपुर जं., कप्तानगंज जं., बगहा, नरकटियागंज जं., रक्सौल जं., बैरगनिया, सीतामढी, जनकपुर रोड, दरभंगा जं., सकरी जं., झंझारपुर, घोघरडीहा, निर्मली, सरायगढ़, सुपौल एवं गढ़ बरुआरी स्टेशन
02394	नई दिल्ली	13:20	राजेन्द्र नगर	07:45	गोविंदपुरी, प्रयागराज जं., पंडित दीन दयाल उपाध्याय जं., बक्सर, आरा, दानापुर एवं पटना जं. स्टेशन
03698	दिल्ली जं.	08:55	गया जं.	00:30	गोविंदपुरी, प्रयागराज जं., पं. दीन दयाल उपाध्याय जं., भभुआ रोड, सासाराम, डेहरी ऑन सोन एवं अनुग्रह नारायण रोड स्टेशन
03010	आनन्द विहार (ट.)	00:30	हावड़ा जं.	03:00	टूण्डला जं., इटावा जं., गोविन्दपुरी, फतेहपुर, प्रयागराज जं., मिर्जापुर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जं., भभुआ रोड, सासाराम, डेहरी ऑन सोन, अनुग्रह नारायण रोड, गया जं., कोडरमा, धनबाद जं., आसनसोल जं., दुर्गापुर, बर्द्धमान एवं बैण्डेल जं. स्टेशन
03436	आनन्द विहार (ट.)	15:45	मालदा टाउन	23:30	गोविन्दपुरी, प्रयागराज जं., पंडित दीन दयाल उपाध्याय जं., बक्सर, आरा, पटना जं., बख्तियारपुर जं., मोकामा, किऊल जं., अभयपुर, जमालपुर जं., सुलतानगंज, भागलपुर, कहलगांव, पीरपैंती, साहिबगंज जं., बड़हरवा जं. एवं न्यू फरक्का जं. स्टेशन
04146	दिल्ली जं.	09:30	सूबेदार गंज	19:40	अलीगढ़ जं., टूण्डला जं., इटावा, गोविंदपुरी एवं फ़तेहपुर स्टेशन
05204	आनन्द विहार (ट.)	09:20	मुज़फ्फरपुर जं.	05:00	गोविंदपुरी, प्रयागराज जं., पं. दीन दयाल उपाध्याय जं., बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र, सोनपुर जं. एवं हाजीपुर जं. स्टेशन
07708	हज़रत निज़ामुद्दीन	03:15	चर्लपल्ली	09:30	आगरा कैंट, वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी), बीना जं., रानी कमलापति (भोपाल), नागपुर, चंद्रपुर, बल्हारशाह, सिरपुर कागजनगर, मंचिर्याल, रामागुंडम एवं काजीपेट जं. स्टेशन
04012	दिल्ली जं.	19:30	दरभंगा	16:30	गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, गोण्डा जं., बस्ती, गोरखपुर जं., नरकटियागंज, रक्सौल, बैरगनिया, सीतामढ़ी एवं जनकपुर रोड स्टेशन

दिनांक 19.03.2025 (बुधवार) को दिल्ली क्षेत्र से प्रस्थान करने वाली रेलगाड़ियों की सूची

विशेष गाड़ी सं.	स्टेशन से	प्रस्थान समय	स्टेशन तक	आगमन समय	ठहराव
04068	आनन्द विहार (ट.)	14:00	भागलपुर	13:30	गोविंदपुरी, प्रयागराज जं., पं. दीन दयाल उपाध्याय जं., बक्सर, आरा, दानापुर, पटना जं., बख्तियारपुर जं., मोकामा, हाथीदा जं., लक्खीसराय जं., किऊल जं., अभयपुर, जमालपुर जं. एवं सुलतानगंज स्टेशन
02436	नई दिल्ली	08:30	पटना जं.	20:10	गाजियाबाद, अलीगढ़, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जं., पं. दीन दयाल उपाध्याय जं., बक्सर एवं आरा स्टेशन
05578	आनन्द विहार (ट.)	05:15	सहरसा जं.	10:30	गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहाँपुर, सीतापुर जं., गोण्डा जं., बस्ती, गोरखपुर जं., कप्तानगंज जं., बगहा, नरकटियागंज जं., रक्सौल जं., बैरगनिया, सीतामढी, जनकपुर रोड, दरभंगा जं., सकरी जं., झंझारपुर, घोघरडीहा, निर्मली, सरायगढ़, सुपौल एवं गढ़ बरुआरी स्टेशन
02394	नई दिल्ली	13:20	राजेन्द्र नगर	07:45	गोविंदपुरी, प्रयागराज जं., पंडित दीन दयाल उपाध्याय जं., बक्सर, आरा, दानापुर एवं पटना जं. स्टेशन
05306	आनन्द विहार (ट.)	00:20	छपरा	22:50	इटावा, कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग, बादशाहनगर, बाराबंकी जं., गोण्डा जं., मनकापुर जं., बभनान, बस्ती, खलीलाबाद, गोरखपुर, कप्तानगंज जं., पडरौना, तमकुही रोड, थावे जं. एवं सीवान जं. स्टेशन
03698	दिल्ली जं.	08:55	गया जं.	00:30	गोविंदपुरी, प्रयागराज जं., पं. दीन दयाल उपाध्याय जं., भभुआ रोड, सासाराम, डेहरी ऑन सोन एवं अनुग्रह नारायण रोड स्टेशन
03414	दिल्ली जं.	13:35	मालदा टाउन	17:30	कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जं., पं. दीन दयाल उपाध्याय जं., बक्सर, आरा, पटना जं., पटना साहेब, फतुहा, खुसरोपुर, बख्तियारपुर जं., बाढ़, मोकामा, हाथीदा जं., बड़हिया, लक्खीसराय जं., किउल जं., कजरा, अभयपुर, धरहरा, जमालपुर जं., बरियारपुर, सुल्तानगंज, भागलपुर, कहलगांव, साहिबगंज जं., बड़हरवा जं. एवं न्यू फरक्का जं. स्टेशन
09004	दिल्ली जं.	13:05	मुंबई सेन्ट्रल	13:30	दिल्ली कैंट, गुड़गांव, रेवाड़ी जं., अलवर, बांदीकुई जं., गांधीनगर जयपुर, जयपुर जं., किशनगढ़, अजमेर जं., ब्यावर, मारवाड़ जं., फालना, पिंडवाड़ा, आबू रोड, पालनपुर जं., महेसाना जं., साबरमती बीजी, वडोदरा जं., उधना जं., वलसाड, वापी एवं बोरीवली स्टेशन

रेलयात्रियों से अनुरोध है कि किसी भी अन्य सूचना और विस्तृत समय–सारणी की जानकारी के लिए रेलमदद हेल्पलाईन नं. 139 पर सम्पर्क करें अथवा रेलवे की वेबसाइट **https://enquiry.indianrail.gov.in** अथवा **NTES App** देखें।

उत्तर रेलवे

हमें www.nr.indianrailways.gov.in पर मिलें

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

पर हमें फॉलो करें

भजनपुरा इलाके की घटना

नशे में पिता से झगड़ा कर रहे युवक को लगी गोली, मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 मार्च।

भजनपुरा इलाके में होलिका दहन के दिन एक युवक शराब के नशे में घर पहुंचा तो पिता ने उसे जमकर डांट लगाई। नाराज युवक पिता की लाइसेंसी दोनाली बंदूक से खुद को गोली मारने की धमकी देने लगा तो पिता ने बंदूक छीनने की कोशिश की, तभी गोली चल गई और युवक को जा लगी। इस घटना में युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान सचिन कुमार (21) के रूप में हुई है।

घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सचिन के पिता मनोज को हिरासत में लिया और बाद में छोड़ दिया। पुलिस ने लाइसेंसी बंदूक को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है, ताकि पता चल सके कि गोली कैसे चली थी। उत्तरी पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त आशीष मिश्रा ने बताया कि सचिन, गामड़ी, एक्सटेंशन में परिवार के साथ रहता था। गुरुवार शाम सचिन शराब के नशे में घर पहुंचा और अपने पिता से झगड़ा करने लगा। कहासुनी के दौरान वह पिता की बंदूक से खुद को गोली मारने की धमकी देने लगा।

> **घटना** की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सचिन के पिता मनोज को हिरासत में लिया और बाद में छोड़ दिया।

उसके पिता ने उससे बंदूक छीनने का प्रयास किया, तभी अचानक गोली चल गई और सचिन के सीने में जा लगी। परिजन उसे लेकर जीटीबी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि मौके से फारेंसिक और क्राइम की टीमों ने सबूत जुटाए हैं और इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

होली पर यातायात उल्लंघन के मामलों में वृद्धि, 7,230 चालान किए गए

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 मार्च।

होली के दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन में 100 फीसद से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस की ओर से शनिवार को मिली जानकारी के मुताबिक, इस वर्ष होली पर कुल 7,230 चालान जारी किए गए, जबकि पिछले साल 2024 में यह संख्या 3,589 थी। पुलिस की ओर से जारी किए गए आंकड़ों पर नजर डालें तो शराब पीकर वाहन चलाने के मामलों में भी वृद्धि हुई।

साल 2025 में 1,213 लोगों को पकड़ा गया, जबकि साल 2024 में यह संख्या 824 थी। वहीं, हेलमेट न पहनने के मामलों में 56 फीसद की बढ़ोत्तरी हुई है। 2024 में 1,524 चालान हुए थे, जो इस साल 2,376 तक पहुंच गए। अन्य यातायात नियम उल्लंघन में भी बढ़ोतरी देखी गई। मोटरसाइकिल पर तीन लोगों द्वारा सवारी करने (ट्रिपल राइडिंग) और बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने के मामलों में इजाफा हुआ। पुलिस ने बताया कि ट्रिपल राइडिंग के लिए 573 चालान जारी किए हैं। पुलिस ने बताया कि साल 2024 में होली के दिन 1,241 लोगों पर अन्य यातायात अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया था, जबकि साल 2025 में यह संख्या 139 फीसद बढ़कर 2,971 हो गई।

नोएडा में भी जमकर टूटे नियम

होली के दिन नोएडा में लोगों ने यातायात नियमों का जमकर उल्लंघन किया। इससे निपटने के लिए शहर की सड़कों पर तैनात यातायात पुलिसकर्मी भी मुस्तैद रहे। इस दौरान पुलिस ने विशेष अभियान में कुल 2411 ई–चालान किए गए। डीसीपी यातायात लाखन सिंह यादव ने बताया कि पुलिस ने होली के दिन जिले भर में जांच अभियान चलाया। इसमें 1225 वाहनों का चालान किया गया और 1186 वाहनों के आइएसटीएमएस कैमरों से चालान किए गए। साथ ही 11 वाहन जब्त किए गए।

ग्रेनो : अप्रैल में 2700 कैमरे लगाने की परियोजना को मिल सकती है मंजूरी

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 15 मार्च।

ग्रेनो में जन सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्राधिकरण ने पूरे क्षेत्र में 2700 सीसीटीवी कैमरे लगाने की महत्वाकांक्षी परियोजना को अप्रैल में मंजूरी मिल सकती है। प्राधिकरण अधिकारियों को उम्मीद है कि इस परियोजना के हकीकत में तब्दील होने पर इलाके की करीब 15 लाख की आबादी पर नजर रखी जा सकेगी।

इस पर करीब 227 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। जिसका मुख्य निगरानी केंद्र नालेज पार्क–4 में बनेगा। यहीं से सीसीटीवी के जरिए समूचे इलाके की निगरानी की जाएगी।

> **227 करोड़** खर्च करेगा प्राधिकरण, 15 लाख की आबादी पर रखी जा सकेगी नजर।

प्राधिकरण अधिकारियों के मुताबिक, यात्रियों को यातायात की स्थिति, सड़क बंद होने, वैकल्पिक मार्गों और आपातकालीन संदेश के बारे में सूचित करने के लिए प्रमुख बिंदुओं पर संदेश डिस्प्ले बोर्ड भी लगाए जाएंगे। वाहन चालकों की मदद और सुरक्षा के लिए आपातकालीन काल बाक्स (ईसीबी) भी लगेंगे, जो लोगों को सीधे आपातकालीन टीम से जोड़ेंगे। प्राधिकरण के एकीकृत नियंत्रण केंद्र के अलावा क्षेत्र के नौ थानों से भी सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। महिला सुरक्षा के लिए प्रमुख जगहों पर पिंक बूथ बनाए जाएंगे। शहर के सभी नौ थाने भी सर्विलांस नेटवर्क से जुड़ेंगे। हर थाने को शहर के सीसीटीवी कैमरों से सीधा प्रसारण (लाइव फीड) मिलेगा। निगरानी के लिए हर थाने पर 40 इंच की एलईडी स्क्रीन लगेंगी।

प्राधिकरण अफसरों का मानना है कि इस परियोजना के जरिए आपातकालीन स्थिति में हरित गलियारा बनाया जा सकेगा। जिसके लिए एंबुलेंस, दमकल व अन्य वाहनों को एक साथ मुख्य सड़कों पर हरी बत्ती देकर या यातायात परिवर्तित कर रास्ता दिया जा सकेगा। ताकि आपातकालीन वाहन बगैर भीड़ में फंसे जल्द अपने गंतव्य तक पहुंच सकें।

Sitara
A SEWA INITIATIVE

सेवा गृह ऋण लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय का पता: बिल्डिंग नं. 8, टॉवर सी, 8वीं मंजिल, डीएलएफ साइबर सिटी, गुरुग्राम 122002

नियम -8(1) कब्जे की सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत **सेवा गृह रिन लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋणियों/सह-ऋणियों/गारंटर को नोटिस में उल्लिखित राशि तथा उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से **60 दिनों** के अन्दर अतिरिक्त ब्याज चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी करते हैं। उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त नियमों के नियम 8(1) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को इस संपत्ति से कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन नीचे उल्लिखित बकाया राशि और ब्याज और आकस्मिक व्यय, लागतों के लिए सेवा गृह रिन लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	उधारकर्ता/ बंधककर्ता/ गारंटर/ लैन का नाम और पता	बकाया, राशि (रु.)	मांग सूचना की तिथि / भौतिक कब्जे की तिथि	अचल संपत्ति का विवरण
1.	**ऋण खाता संख्या : H2CP000005008428** (1) श्रीमति काजल शर्मा, पति श्री धीरज शर्मा, (2)श्री धीरज शर्मा, पिता श्री रवि दत्त शर्मा	₹ 3,08,484/- (तीन लाख आठ हजार चार सौ चौरासी रुपये केवल)	18.11.2024 / 10.03.2025	मकान नं. 62 बी, सेकंड फ्लोर, EWS ब्लॉक एच, सेक्टर 11 , शिव मंदिर, **प्रताप विहार, गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश 201009 बंधक की गई संपत्ति भू-खण्ड का क्षेत्रफल 17.77 वर्गमीटर, सीमाएं: पूर्व** -मकान नं 63 बी, **पश्चिम** - रास्ता 15 फीट चौड़ा, **उत्तर** - मकान नं 61 बी, **दक्षिण** - खुली जमीन
2.	**ऋण खाता संख्या : H2CP000005008427** (1) श्रीमति काजल शर्मा, पति श्री धीरज शर्मा, (2)श्री धीरज शर्मा, पिता श्री रवि दत्त शर्मा	₹ 7,36,123/- (सात लाख छत्तीस हजार एक सौ तेईस रुपये केवल)	22.07.2024 / 10.03.2025	मकान नं. 62 बी, सेकंड फ्लोर EWS ब्लॉक एच, सेक्टर 11 , शिव मंदिर, **प्रताप विहार गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश 201009 बंधक की गई संपत्ति भू-खण्ड का क्षेत्रफल 17.77 वर्गमीटर, सीमाएं: पूर्व** -मकान नं 63 बी, **पश्चिम** - रास्ता 15 फीट चौड़ा, **उत्तर** - मकान नं 61 बी, **दक्षिण** - खुली जमीन
3.	**ऋण खाता संख्या : LAP100004526** (1) श्रीमति प्रमिला देवी, पति श्री दिनेश शाह, (2) श्री दिनेश शाह, पिता श्री राम सूरत शाह, (3) श्री चंदनकुमार, पिता श्री दिनेश शाह	₹ 3,30,812.52/- (तीन लाख तीस हजार आठ सौ बारह रुपये एवं बावन पैसा केवल)	07.09.2024 / 10.03.2025	प्लॉट नं. डी 86, खसरा नं. 312, ब्लॉक-बी," फेज-2, खुराना एन्क्लैव, ग्राम पवई, पाल होटल, राम पार्क, सड़कपुर, गाज़ियाबाद, **लोनी, उत्तर प्रदेश- 201102 बंधक की गई संपत्ति भू-खण्ड का क्षेत्रफल 33 वर्गगज, सीमाएं: पूर्व** - अन्य का प्लॉट, **पश्चिम-** रास्ता 12 फीट वाईड, **उत्तर** - अन्य का प्लॉट, **दक्षिण** - अन्य का प्लॉट
4.	**ऋण खाता संख्या : H4RR000005002524** (1) श्रीमति प्रमिला देवी, पति श्री दिनेश शाह, (2) श्री दिनेश शाह, पिता श्री राम सूरत शाह, (3) श्री चंदनकुमार, पिता श्री दिनेश शाह	₹ 3,25,310/- (तीन लाख पच्चीस हजार तीन सौ दस रुपये केवल)	16.11.2024 / 10.03.2025	खसरा नं. 312, ब्लॉक बी , फेज 2, खुराना एन्क्लैव, ग्राम पावी सादकपुर, परगना लोनी, **तहसील और जिला गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश, बंधक की गई संपत्ति भू-खण्ड का क्षेत्रफल 27.59 वर्गमीटर, सीमाएं: पूर्व** - अन्य प्लॉट, **पश्चिम** - 12 फुट रोड, **उत्तर** - अन्य प्लॉट, **दक्षिण** - अन्य प्लॉट
5.	**ऋण खाता संख्या : H2CP000005009167** (1) श्रीमति तुलसी राठोर, पति श्री विमल सिंह, (2) श्री विमल सिंह, पिता श्री शिव नारायण सिंह	₹ 10,14,556/- (दस लाख चौदह हजार पांच सौ छप्पन रुपये केवल)	18.10.2024 / 10.03.2025	फ्लैट नं. 371 सी, ब्लॉक एस के, सेकंड फ्लोर, सेक्टर - 122, नोएडा, गौतम बुध नगर, **गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201307, बंधक की गई संपत्ति भू-खण्ड का क्षेत्रफल 28.10 वर्गमीटर, सीमाएं: पूर्व** - 30 फीट वाइड रोड, **पश्चिम** -15 फीट वाइड रोड, **उत्तर** - यूनिट नं. सी -370, **दक्षिण** -यूनिट नं. सी 372
6.	**ऋण खाता संख्या : HLP300000218** (1) श्रीमती कविता झा पति श्री दिलीप कुमार झा (2) श्री दिलीप कुमार झा पिता श्री घूरन झा	₹ 2,29,313.02/- (दो लाख उनतीस हजार तीन सौ तेरह रुपये एवं दो पैसा केवल)	04.01.2023 / 10.03.2025	प्लॉट नं डी-48 का जुज भाग, खसरा नं 56, पंचशील एन्क्लैव कालोनी, ग्राम ब्रहमपुर उर्फ भौपुरा, परगना **लौनी, जिला गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश-201005 में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 20.90 वर्गमीटर है सीमाएं : पूर्व** - प्लॉट का बाकि भाग रामपाल, **पश्चिम**- रास्ता 10 फीट, **उत्तर** - प्लॉट दीगर, **दक्षिण** - प्लॉट दीगर मालिक

स्थान: दिल्ली एवं एनसीआर,
दिनांक: 15.03.2025

प्राधिकृत अधिकारी,
सेवा गृह ऋण लिमिटेड

फॉर्म संख्या 3
[विनियम–13(1)(ए) देखें]

ऋण वसूली न्यायाधिकरण,चंडीगढ़ (डीआरटी 2)
प्रथम तल, एससीओ 33–34–35 ,सेक्टर–17 ए,
चंडीगढ़ (तीसरी और चौथी मंजिल पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित)
केस नंबरः ओए/660/2024

ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के नियम 5 के उप–नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के तहत समन।

इंडियन ओवरसीज बैंक
बनाम
भवस्य ट्रेडिंग

सेवा में
(1)भवस्य ट्रेडिंग सिंह
डी/डब्ल्यू/एस/ओ– नरेंद्र
मैसर्स भवस्य ट्रेडर्स, एक स्वामित्व संस्था जिसका पंजीकृत कार्यालय मकान नं. प्लॉट नंबर 9, 18Ꮡ3, अजरौंदा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, फरीदाबाद हरियाणा – 121007 इसके मालिक श्री नरेंद्र सिंह फरीदाबाद, हरियाणा
(2) श्री नरेंद्र सिंह
मालिक मैसर्स भवस्य ट्रेडर्स डी 266 ठाकुर मोहल्ला अजरौंदा गांव सेक्टर 15 ए फरीदाबाद, हरियाणा के माध्यम से।

सम्मन

जबकि, ओए/660/2024 को 06/02/2025 को माननीय पीठासीन अधिकारीध्रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।
जबकि यह माननीय ट्रिब्यूनल रु.2143578.35 के ऋण की वसूली के लिए आपके खिलाफ दायर अधिनियम, (ओए) की धारा 19(4) के तहत उक्त आवेदन पर सम्मनध्नोटिस जारी करता है (दस्तावेजों आदि की प्रतियों के साथ आवेदन संलग्न)।
अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के अनुसार, आप, प्रतिवादियों को निम्नानुसार निर्देशित किया जाता हैः
(i) सम्मन की तामील के तीस दिनों के भीतर कारण बतायें कि याचिकाकर्ता की प्रार्थना पर राहत क्यों न दी जानी चाहिए।
(ii) मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के तहत आवेदक द्वारा निर्दिष्ट संपत्तियों और संपत्तियों के अलावा अन्य संपत्तियों या संपत्तियों के विवरण का खुलासा करना।
(iii) आपको संपत्तियों की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई और निपटान के लंबित रहने तक, मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के तहत प्रकट की गई सुरक्षित संपत्ति या ऐसी अन्य संपत्तियों और संपत्तियों से निपटने या निपटाने से रोका जाता है।
(iv) ट्रिब्यूनल के पूर्व अनुमोदन के बिना मूल आवेदन के क्रम संख्या 3ए के तहत निर्दिष्ट या प्रकट की गई संपत्तियां और ध्या अन्य संपत्ति और संपत्तियां, जिस पर प्रतिभूति हित बनाया गया है, उसे आप बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से, उसके व्यवसाय के सामान्य कार्य को छोड़कर, किसी भी संपत्ति को हस्तांतरित नहीं करेंगे।
(v) आप व्यापार के सामान्य क्रम में सुरक्षित संपत्तियों या अन्य संपत्तियों एवं संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त बिक्री आय के लिए जिम्मेदार होंगे और इस तरह संपत्तियां की बिक्री से आय बैंक या वित्तीय संस्थानों के पास रखे गए खाते में जमा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
आपको आवेदक को उसकी एक प्रति के साथ लिखित विवरण दाखिल करने और दिनांक 30.04.2025 को पूर्वाह्न 10:30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है। ऐसा न करने पर आवेदन पर सुनवाई की जाएगी और आपकी अनुपस्थिति में निर्णय लिया जाएगा।
दिनांक 21.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं इस ट्रिब्यूनल की मुहर के तहत दिया गया आदेश ।
सम्मन जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
नोटः जो लागू न हो उसे काट दें।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
शुद्धिपत्र
(चल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस)
शाखा चन्द्रआचार्य चौक, हरिद्वार

दिनांक 08.03.2025 को जनसत्ता देहरादून (हिन्दी संस्करण) में सरफेसी एक्ट के तहत ई–नीलामी विक्रय नोटिस अचल सम्पत्ति हेतु प्रकाशित की गई है। **क्र0सं0 1, ऋणी:** मैसर्स वेलेस्टा फामास्यूटिकल्स इंक में **कब्जे की स्थिति सांकेतिक कब्जे** के स्थान पर **भौतिक कब्जा** के रूप में पढ़ा जाये। ई–नीलामी की अन्य सभी नियम व शर्ते पूर्ववत् रहेंगी।
दिनांक: 15.03.2025 प्राधिकृत अधिकारी,
स्थानः हरिद्वार बैंक ऑफ बड़ौदा

"IMPORTANT"
Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

केनरा बैंक Canara Bank (भारत सरकार का उपक्रम / A Government of India Undertaking) सिंडिकेटबैंक SyndicateBank
वसूली अनुभाग, दक्षिण दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय
प्रथम तल, डीडीए बिल्डिंग, वर्धमान टॉवर
(पारस सिनेमा के पास), नेहरू प्लेस, दिल्ली– 110019
फोनः 8851630636, rosdelrec@canarabank.com

Ref No: SDRO/SARFAESI/RN/MK/5/2024-25 दिनांक: **10.03.2025**
सेवा में,
1. **श्री मुकेश कुमार (उधारकर्ता) पुत्र श्री सुबोध सिंह** 419, ब्लॉक ए, हिंद विहार, शुक्र बाजार, प्रेम नगर–3, किरारी सुलेमान नगर, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली– 110086, और फ्लैट नंबर सी– 305, तीसरी मंजिल, आम्रपाली कैसल, प्लॉट नंबर जीएच– 04ए, सेक्टर– ची–वी, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश– 201310
2. **श्री बिजय कुमार गुड्डु (सह–उधारकर्ता) पुत्र श्री सुबोध कुमार गुड्डु,** ए 6/322, हिंद विहार प्रेम नगर 3, एसवीटी पब्लिक स्कूल निठारी, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली–110086, और फ्लैट नंबर सी–305, तीसरी मंजिल, आम्रपाली कैसल, प्लॉट नंबर जीएच–04ए, सेक्टर–ची–वी, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश– 201310

विषयः वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 13(8) के अंतर्गत विमोचन के अधिकार का प्रयोग करने के लिए सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने केनरा बैंक, के प्राधिकृत अधिकारी (जिन्हें आगे "सुरक्षित लेनदार" कहा जाएगा) के रूप में अधिनियम के तहत नियुक्त होने के नाते, एतद्वारा सरफेसी नियमों के नियम 8(6) के साथ अधिनियम की धारा 13(8) के तहत आप सभी को निम्नानुसार यह सूचना जारी की हैः
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुरक्षित लेनदार ने अधिनियम की धारा 13(2) के तहत **श्री मुकेश कुमार एवं श्री बिजय कुमार गुड्डु** को **24.12.2024** को मांग सूचना जारी की थीं, जिनमें उक्त सूचनाओं को प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि रु. **14,33,179.76** (चौदह लाख तैंतीस हजार एक सौ उनासी रुपये और छिहत्तर पैसे) दिनांक 24.12.2024 तक और राशि पर उल्लिखित ब्याज का भुगतान करने की मांग की गई थी।
चूंकि उधारकर्तागण/फर्म, बंधककर्तागण तथा गारंटर (उक्त वर्णित) उपरोक्त मांग सूचनाओं में उल्लिखित राशि चुकाने में विफल हो चुके हैं, अतः अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत प्राधिकृत अधिकारी ने दिनांक 05.03.2025 की अधिग्रहण सूचना में वर्णित सुरक्षित संपत्तियों का प्रतीकात्मक कब्जा अधिग्रहण कर लिया था। इसके अलावा, उक्त प्रतीकात्मक कब्जे का नोटिस **फाइनेंशियल एक्सप्रेस और जनसत्ता** में 07.03.2025 को विधिवत प्रकाशित किया गया था।
सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधान जो कि सरफेसी नियमों के नियम 8(6) के साथ पठित है, के अनुपालन में, आप सभी को एतद्वारा सुरक्षित संपत्तियों, जो कि सुरक्षित लेनदार के अधिग्रहण में हैं, को इस सूचना की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर, रु. **14,33,179.76** (चौदह लाख तैंतीस हजार एक सौ उनासी रुपये और छिहत्तर पैसे) दिनांक 24.12.2024 तक और ब्याज, खर्चे, अन्य प्रभार के साथ भुगतान करके अपनी देनदारी का निर्वहन करके मुक्त और पुनः प्राप्त करने का अंतिम और आखिरी अवसर दिया जाता है, ऐसा न करने पर अधिनियम के तहत बिक्री सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित की जायेगी जिसमें सुरक्षित संपत्तियों को बेचने के लिए नीचे निम्नलिखित विधियों में से एक को निर्दिष्ट किया जाएगाः
i. समान सुरक्षित संपत्तियों का निस्तारण करने वाले या संपत्तियों को खरीदने में अन्यथा रुचि रखने वाले व्यक्तियों से कोटेशनें प्राप्त करके या
ii. जनता से निविदाएं निमंत्रित करके या
iii. ई–नीलामी विधि के माध्यम सहित सार्वजनिक नीलामी आयोजित करके या
iv. निजी संधि द्वारा
अधिनियम की धारा 13 (8) के अनुसार, आप समाचार पत्रों में बिक्री सूचना के प्रकाशन की तिथि से पहले किसी भी समय सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के हकदार हैं, किंतु ऐसा करने में विफल रहने पर अधिनियम की धारा 13 (8) के अनुसार बंधककृत संपत्ति को ऋणमुक्त करने का आपका अधिकार समाप्त हो जायेगा।
यह सूचना विषयक अधिनियम/अथवा लागूरत किसी अन्य विधिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रतिभूत ऋणदाता के पास उपलब्ध किसी अन्य अधिकार के पूर्वाग्रह के बिना है।
केनरा बैंक
प्राधिकृत अधिकारी,

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
भाकर्ववाला शाखा
पता 5–बी/3, तिलक नगर दिल्ली, मेन रोड
संपर्क नंबरः 8928623090 मेल आईडीः ubin0562793 @unionbankofindia.bank

धारा 13 (2) के तहत मांग नोटिस **अनुलग्नक बी**
संदर्भः 627906520000183 **दिनांकः** 10.03.2025
सेवा में
1. उधारकर्ता/ओं
ए) सुश्री पूजा चौधरी, एल 2बी/20 मोहन गार्डन, उत्तम नगर नई दिल्ली –110059
इसके अलावाः
सी–7 जी ब्लॉक 27 बीकेसी बांद्रा कुर्का कॉम्प्लेक्स बांद्रा मुंबई
महोदय/महोदया,
वित्तीय आस्तियाँ का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के धारा 13(3) के साथ धारा 13(2) के तहत नोटिस।
आप,यहाँ पतेदार क्रमांक 1 ने हमारी तिलक नगर शाखा से निम्नलिखित ऋण सुविधाएँ प्राप्त की हैं और बकाया/किस्त/ब्याज का भुगतान करने/खातों को संतोषजनक ढंग से संचालित करने में विफल रहे हैं और इसलिए, आय मान्यता और विवेकपूर्ण लेखा मानदंडों के संबंध में आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, आपके खाते/खातों को 18.01.2025 को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दिनांक 10.03.2025 तक आपके खाते/खातों में 878796.45 रुपये "(आठ लाख अठहत्तर हजार सात सौ छियानवे और पैंतालीस पैसे मात्र) की राशि बकाया है।
उपरोक्त खाते/खातों के संबंध में आप में से नंबर 1 से बैंक को देय राशि का विवरण इस प्रकार हैः

सुविधा का प्रकार	एनपीए की तिथि अर्थात 18.01.2025 तक बकाया राशि	18.01.2025 से 28.02.2025 तक लागू न किया गया ब्याज	दंड ब्याज (साधारण)	बैंक द्वारा वहन की गई लागत/प्रभार।	कुल बकाया राशि
VL001–6279065 200001 83	861725.45/–	17064/–	7/–	जैसा लागू हो	878796.45 **
				कुल बकाया राशि :	878796-45 **

बैंक को देय राशि या देय होने वाली राशि की अदायगी सुनिश्चित करने के लिए, सुश्री पूजा चौधरी ने 08.11.2023 को दस्तावेज निष्पादित किए और निम्न प्रकार से सुरक्षा हित बनायाः
नीचे वर्णित चल संपत्ति का दृष्टिबंधकः
4 व्हीलर महिंद्रा बोलेरो निओ एन 4, वाहन संख्या DL4CBC681
इसलिए आपसे वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अनुसार, आपके द्वारा निष्पादित ऋण दस्तावेजों की शर्तों और नियमों के अनुसार संविदात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज और शुल्क सहित रु. 878796.45 **+ लागू शुल्क की राशि का भुगतान करने और इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन करने के लिए कहा जाता है, ऐसा न करने पर, हम उक्त अधिनियम के तहत दिए गए किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करके उपरोक्त प्रतिभूतियों को लागू करने के लिए बाध्य होंगे।
अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, इस नोटिस की प्राप्ति पर आपको बैंक की सहमति के बिना उपरोक्त प्रतिभूतियों का निपटान या उनसे निपटने से रोका/निषिद्ध किया जाता है।
सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में सरफेसी की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है।
भवदीय, स्थानः दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी
** एनपीए के बाद उधारकर्ता द्वारा जमा की गई राशि को पूर्ण बकाया के रूप में उस समय हिसाब में लिया जाएगा।

प्रपत्र सं. आईएनसी–26

(कंपनी (निगमीकरण) नियमावली 2014 के नियम 30 के अनुपालन में)
एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन हेतु समाचारपत्र में प्रकाशित किया जानेवाला विज्ञापन

केंद्रीय शासन, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के समक्ष
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) तथा कंपनी (निगमीकरण) नियमावली 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के उपवाक्य (ए) के प्रकरण में
तथा
टेक्निको एग्री साइंसेज लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय : 25 सामुदायिक केंद्र बसंत लोक, दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली, वसंत विहार, दिल्ली, भारत, 110057 में स्थित है, के प्रकरण में

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कंपनी, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केंद्रीय शासन के पास एक आवेदन करने का प्रस्ताव रखती है, जिसमें शुक्रवार **28 फरवरी 2025 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के** निबंधनों के अनुसार कंपनी के संस्था के ज्ञापन के परिवर्तन के पुष्टिकरण की इच्छा प्रकट की गई है, ताकि कंपनी, अपने पंजीकृत कार्यालय को **"दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र" से "पश्चिम बंगाल के राज्य"** में परिवर्तित करने में समर्थ हो सके।
कोई भी व्यक्ति, जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन द्वारा संभवतः प्रभावित हो सकता है, वह इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह (14) दिवसों की समयावधि के अंदर, अपने हित की प्रकृति और विरोध के आधारों का उल्लेखन करनेवाले एक शपथपत्र द्वारा अनुसमर्थित अपनी आपत्ति/यों को या तो एमसीए–21 पोर्टल (**www.mca.gov.in**) पर एक निवेशक शिकायत प्रपत्र के माध्यम से अथवा मूल प्रति को क्षेत्रीय निदेशक, **बी–2 स्कंध, द्वितीय तल, पण्डित दीनदयाल अंत्योदय भवन, द्वितीय तल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली– 110003** को सौंप दे या प्रेषित कर दे अथवा स्वयं जाकर दे आये अथवा इस पते पर पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित कर दे। साथ ही इस सूचना की एक प्रति, आवेदक कंपनी को निम्न वर्णित पते पर स्थित इसके पंजीकृत कार्यालय को भी प्रेषित कर दे :
पंजीकृत कार्यालय का पता : 25 सामुदायिक केंद्र बसंत लोक, दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली, वसंत विहार, दिल्ली, भारत, 110057

टेक्निको एग्री साइंसेज लिमिटेड
हेतु तथा उसकी ओर से
निदेशक
दिनाँक : 15/03/2025
स्थान : नई दिल्ली **अशोक धर्मराजन**

केनरा बैंक Canara Bank भारत सरकार का उपक्रम / A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate
(भारत सरकार का उपक्रम)
परिसंपत्ति वसूली प्रबंधन (एआरएम) II शाखा,
ए–27, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली– 110016
ईमेल : cb3038@canarabank.com | दूरभाष : 011–26513121

मैसर्स गर्व उद्योग अपने भागीदारों श्री समित मगन पुत्र सुरेंदर मगन और श्री मुकेश धवन पुत्र जगदीश चंद्र धवन और गारंटर श्रीमती ऊषा मगन पत्नी सुरेंदर मगन के माध्यम से।
विषय : आवासीय भवन, प्लॉट संख्या 4, ब्लॉक ए, सेक्टर 40, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, पिन– 201301 में स्थित परिसरों में कब्जा के अंतर्गत पड़े सामान (घरेलू सामान) को हटाना।
संदर्भ : दिनांक 09.11.2023 को ई–नीलामी के अंतर्गत पहले ही बेची जा चुकी संपत्ति।
एतद्द्वारा उधारकर्ता(ओं) / बंधककर्ता और गारंटर(रों) को यह सूचित किया जाता है कि परिसरों में पड़े घरेलू सामान को केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने श्री समित मगन की उपस्थिति में 03.01.2025 को अपने कब्जे में ले लिया है।
आप अपने उपयोग के लिए कुछ निजी सामान बाहर ले गए हैं।
हमने आपको दिनांक 06.01.2025 और 03.02.2025 के पत्रों और दिनांक 11.02.2025 के अंतिम पत्र के माध्यम से दिनांक 12.02.2025 को या इससे पहले पड़े हुए माल को खाली करने के लिए पहले ही सूचित कर दिया है।
आप से विनती है कि इस सूचना की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर उपरोक्त संपत्ति में पड़े सामान / घरेलू सामान को हटा लें अन्यथा बैंक संभावित बोलीदाताओं से उद्धरण आमंत्रित करके इसे "जैसा है जहां है", "जैसा है जो है" के आधार पर बेच देगा और बिक्री राशि को आपके ऋण खाते में समायोजित कर देगा।
आपके द्वारा सामान नहीं हटाने की स्थिति में, बैंक विषयगत वस्तुओं और मदों की किसी भी क्षति / हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और इसके बाद बैंक द्वारा कोई और दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
दिनाँक : 15–03–2025 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : नई दिल्ली **केनरा बैंक**

प्रपत्र क
सार्वजनिक घोषणा
[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

	सुसंगत विशिष्टियाँ	
1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	05.09.1995
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, मुंबई
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U45200MH1995PLC092409
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	22, उद्योग क्षेत्र, मुलुंड लिंक रोड, मुलुंड (पश्चिम) मुंबई – 400053 महाराष्ट्र
6.	कार्पोरेट देनदार के सम्बन्ध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	**11.03.2025** 13.03.2025 को आदेश प्राप्त हुआ
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	**07.09.2025** (शोधन अक्षमता आरंभ तिथि के अनुसार)
8.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	श्री. एम.एल.एल.एल.एन.डी. खानखोजे आईबीबीआई पंजीकरण संख्या – IBBI/IPA-001/IP-P-02922/2024-2025/14483
9.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल पता और ई–मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	पंजीकृत पताः 1401, टी4, वीटीपी ब्यूमोंडे, नेशनआर2, मंजरी खुर्द, गोदरेज बुलेवार्ड के पास, पुणे, महाराष्ट्र–412307 पंजीकृत ईमेलः **milindkhankhoje.ip@gmail.com**
10.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल का पत्राचार हेतु प्रयुक्त पता और ई–मेल	संचार पताः 903–906, 09वीं मंजिल, टॉवर–सी, यूनिटेक बिजनेस जोन, द क्लोज साउथ, सेक्टर 50, गुरुग्राम, हरियाणा 122018 ईमेलः clrp.offshoreInfra@resurgentrpl.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि	**27.03.2025** (ऑर्डर प्राप्त होने की तिथि से 14वां दिन)
12.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप–धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियाँ, यदि कोई हो	लागू नहीं
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिन्हित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) सम्बन्धित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है :	वेब लिंकः https://ibbi.aov.in/en/home/downloads

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, मुंबई पीठ–VI (सीपी (आईबी) सं. 182/एमबी/2022 के तहत) ने 11.03.2025 को ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड के विरुद्ध कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।
ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड के लेनदारों से एतद्वारा अपने दावों का प्रमाण 24.03.2025 को अथवा इससे पूर्व अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर प्रविष्टि 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।
वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दावों का प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं।
प्रविष्टि संख्या 12 के सामने सूचीबद्ध किसी वर्ग से संबंधित अंतिम ऋणदाता को फॉर्म सीए में वर्ग [वर्ग निर्दिष्ट करें] के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि संख्या 13 के सामने सूचीबद्ध तीन शोधन अक्षमता पेशेवरों में से अपने अधिकृत प्रतिनिधि की पसंद का संकेत देना होगा।
दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दण्डनीय होगी।
हस्ता./–
श्री मिलिंद खानखोजे
अंतरिम समाधान पेशेवर
ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड के मामले में
आईबीबीआई पंजीकरण संख्या– IBBI/IPA-001/IP-P-02922/2024-2025/14483
दिनांकः 16.03.2025 **एएफए प्रमाणपत्र संख्या– AA1/14483/01/311225/108026**
स्थानः पुणे **एएफए वैधता – 31.12.2025 तक**

केनरा बैंक Canara Bank सिंडिकेट Syndicate
एसेट रिकवरी मैनेजमेंट – II, शाखा,
ए–27, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली –110016
ईमेल – cb3038@canarabank.com

IIP-ANNEX-VII
फॉर्म बी
[नियम 7(1) देखें]
मांग सूचना का फॉर्म
[दिवालिया और शोधन अक्षमता (कॉर्पोरेट देनदारों के लिए व्यक्तिगत गारंटर की दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2019 के नियम 7(1) के तहत]
1. **श्री सत्य नारायण अग्रवाल**
143 स्वर्णिम विहार, सेक्टर 82, नोएडा, उत्तर प्रदेश
2. **श्री संजीव अग्रवाल**
143 स्वर्णिम विहार, सेक्टर 82, नोएडा, उत्तर प्रदेश
3. **श्रीमती संगीता अग्रवाल**
143 स्वर्णिम विहार, सेक्टर 82, नोएडा, उत्तर प्रदेश
4. **रामदेव पॉलीस्टर्स (पी) लिमिटेड**
पंजीकृत 143 स्वर्णिम विहार, सेक्टर 82, नोएडा, उत्तर प्रदेश
विषयः दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत तिरुपति इंक्स लिमिटेड से बकाया अप्रदत्त ऋण के संबंध में मांग सूचना।
महोदया/महोदय
1. यह पत्र तिरुपति इंक्स लिमिटेड से बकाया अप्रदत्त ऋण की मांग सूचना है।
2. कृपया नीचे बकाया अप्रदत्त ऋण का विवरण देखेंः

ऋण का विवरण	
कुल बकाया ऋण (किसी भी ब्याज या दंड सहित)	रु. 294059059/–
डिफॉल्ट में ऋण की राशि	रु. 294059059/–
ऋण की देय तिथि	31.03.2015
डिफॉल्ट होने की तिथि	31.03.2015
ऋण की प्रकृति	WCTL/FITL रु. 9.96 करोड़
प्रतिभूत ऋण जिसमें रखी गई प्रतिभूति का विवरण, इसके निर्माण की तिथि, लेनदार के अनुसार इसका अनुमानित मूल्य (जैसा लागू हो), और प्रतिभूतियों का विवरण शामिल है	प्राइमः सभी मौजूदा परिसंपत्तियों के माध्यम से प्रथम प्रभार, वर्तमान और भावी दोनों, कंसोर्टियम बैंकों के साथ समान रूप से रैंकिंग। कोलैटरलः ए–1/33, सहकारी औद्योगिक क्षेत्र, दादा नगर, कानपुर में फैक्टरी भूमि और भवन। डुप्लेक्स हाउस नंबरः 143, सेक्टर– 82, नोएडा। डी–109,110,111,112 औद्योगिक क्षेत्र जीएन ईपीआईपी साइट – 5, ग्रेटर नोएडा में फैक्टरी ए–1/29, सहकारी औद्योगिक क्षेत्र, दादा नगर, कानपुर में भूमि और भवन। 267, लेन नंबरः 4, फेज–II सिडको, बारी ब्राह्मणा सांबा जम्मू में फैक्टरी कॉर्पोरेट देनदार के 65.78 लाख इक्विटी शेयर।
अप्रतिभूत ऋण (जैसा लागू हो)	अप्रयोज्य
ऋण से संबंधित वस्तुओं के संबंध में स्वामित्व व्यवस्था (यदि कोई हो) के प्रतिधारण का विवरण (एक प्रति संलग्न करें)	
डिफॉल्ट पर निर्णय देने वाले न्यायालय, न्यायाधिकरण या मध्यस्थ पैनल के आदेश का विवरण, यदि कोई हो (आदेश की एक प्रति संलग्न करें)	अप्रयोज्य
सूचना उपयोगिता के साथ डिफॉल्ट का रिकॉर्ड, यदि कोई हो (एक प्रति संलग्न करें)	
भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 10) के तहत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, या वसीयत की प्रोबेट, या प्रशासन का पत्र, या न्यायालय के आदेश (जैसा लागू हो) का विवरण (एक प्रति संलग्न करें)	अप्रयोज्य
कानून, अनुबंध या अन्य दस्तावेज का प्रावधान जिसके तहत ऋण देय हो गया है (एक प्रति संलग्न करें)	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 128। दिनांक 26.02.2014 को बैंक के पक्ष में बंधककर्ता/गारंटर द्वारा हस्ताक्षरित ऋण सह प्रतिभूति दस्तावेज।
बैंक खाते का विवरण जहां कॉर्पोरेट देनदार के ऋण के संबंध में ऋणदाता द्वारा सामान्य रूप से जमा किए जाते हैं या क्रेडिट प्राप्त किए जाते हैं, उस तिथि से जब ऋण लिया गया था	उपर्युक्त ऋण सुविधा के लिए दिनांक 31.12.2023 का ऋण खातों का विवरण इसके साथ संलग्न है।
ऋण के अस्तित्व और चूक की राशि को साबित करने के लिए इस नोटिस के साथ संलग्न दस्तावेजों की सूची	

3. यदि आपको लगता है कि इस नोटिस की प्राप्ति से पहले ऋण चुका दिया गया है, तो कृपया इस नोटिस की प्राप्ति के चौदह दिनों के भीतर हमें निम्नलिखित भेजकर इस तरह के पुनर्भुगतान को प्रदर्शित करेंः–
(ए) गारंटर के बैंक खाते से अवैतनिक राशि के इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के रिकॉर्ड की सत्यापित प्रति; या
(बी) गारंटर द्वारा जारी अवैतनिक राशि के लिए चेक के भुनाने का साक्ष्य; या
(सी) किसी भी रिकॉर्ड की सत्यापित प्रति कि [लेनदार का नाम] ने भुगतान प्राप्त कर लिया है।
4. अधोहस्ताक्षरी आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस पत्र की प्राप्ति से चौदह दिनों के भीतर बिना शर्त अप्रदत्त ऋण का भुगतान करें, जिसमें विफल होने पर संहिता के तहत आपके खिलाफ दिवालिया समाधान प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
दिनांकः 30.01.2024 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थानः नई दिल्ली **केनरा बैंक**

पंजाब नेशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक !
सर्किल शस्त्रा आगरा सर्किल ऑफिसः–1–2, रघुनाथ नगर, महात्मा गाँधी मार्ग, आगरा

अचल सम्पत्तियों का कब्जा सूचना
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (1) के अन्तर्गत)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम–3 के साथ सहपठित धारा–13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब नैशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने निम्नलिखित बकायेदार ऋणियों/गारन्टरों/बंधककर्ताओं/कानूनी वारिसों को नोटिस में वर्णित राशि, नोटिस प्राप्ति के 60 (साठ) दिनों के अन्दर अदा करने हेतु खाते के सम्मुख अंकित तिथि को मांग नोटिस जारी किया था। ऋणियों/गारन्टरों/बंधककर्ताओं/कानूनी वारिसों के द्वारा इस राशि की अदायगी में विफल रहने पर एतद्द्वारा आम जनता को एवं ऋणियों/गारन्टरों/बंधककर्ताओं/कानूनी वारिसों को विशेष रूप से सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित सम्पत्तियों का उपरोक्त अधिनियम की धारा–13 (4) एवं नियम के उपनियम–8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा आधिपत्य उनके सम्मुख अंकित तिथि को कर लिया गया है। उधारकर्ताओं का ध्यान सुरक्षित परिसम्पत्तियों को मुक्त कराने में उपलब्ध समय के सम्बंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है। एतद्द्वारा ऋणियों/गारन्टरों/बंधककर्ताओं/कानूनी वारिसों को विशेषतः और जनसाधारण को सामान्यतः सूचित किया जाता है कि चूंकि निम्न सम्पत्तियों का सांकेतिक कब्जा/भौतिक कब्जा अधिग्रहण कर लिया गया है, अतः इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई भी सौदा/व्यवहार बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी से न करें एवं ऐसा कोई भी सौदा/व्यवहार पंजाब नैशनल बैंक को देय राशि व तत्सम्बन्धित ब्याज हेतु जैसा कि नीचे खाते के सम्मुख उल्लेखित किया गया है, के अध्याधीन होगा।
ऋणियों/गारन्टरों/बंधककर्ताओं/कानूनी वारिसों का ध्यान, एक्ट के सेक्शन–13 के सब सेक्शन (8) की ओर आकर्षित किया जाता है, कि वे उपलब्ध समय में बैंक के देयों को चुकता कर बंधक सम्पत्तियों को वापिस छुड़ा लें।

ऋणि/गारन्टर/बंधककर्ता के नाम व शाखा का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना दिनांक	कब्जा दिनांक	मांग सूचना के अनुसार बकाया धनराशि
ऋणी/गारन्टर/बंधककर्ता/ (1) मैसर्स माँ कैला देवी शिक्षा समिति इसकी निदेशक श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री रामजी लाल, (2) श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री रामजी लाल (स्कूल सोसायटी की अध्यक्ष), (3) श्री विनीत कुमार शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद (प्रबन्धक/सचिव), (4) श्री राधे श्याम पुत्र श्री विजय शंकर (स्कूल सोसायटी के उपाध्यक्ष), (5) श्री रमेश चन्द पुत्र श्री मोती लाल (स्कूल सोसायटी के उप प्रबन्धक), (6) श्री राजन सिंह पुत्र श्री भूपर (स्कूल सोसायटी के कोषाध्यक्ष), (7) श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री लीलाधर (स्कूल सोसायटी की सदस्य), (8) श्रीमती गुडडी देवी पत्नी श्री दीवान सिंह खाता नम्बर 3633001B00000433 शाखा–दयालबाग, आगरा	साम्यिक बंधक जमीन और बिल्डिंग स्थित खसरा नम्बर 179(ए), मौजा लोह करेरा, तहसील किरावली, जिला आगरा 283122 क्षेत्रफल 4000 वर्गमीटर सम्पत्ति स्वामी माँ कैला देवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चौहद्दी :–पूर्व–दौलत राम की जमीन, पश्चिम–रोड, उत्तर–लीलाधर का मकान, दक्षिण–रहोरगान की जमीन।	30.11.2024	11.03.2025	रु. 51,02,188.00 (इक्यावन लाख दो हजार एक सौ अठ्यासी रुपये मात्र + ब्याज व अन्य देय खर्च दिनांक 30.08.2024 तक तथा भविष्य के खर्च देय।

स्थान– आगरा दिनांक–11.03.2025 प्राधिकृत अधिकारी

Bank of India Relationship beyond banking
मालवीय नगर शाखा, नई दिल्ली

आपको सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित लॉकर खातों से संबंधित हमारी मालवीय नगर शाखा के लॉकर धारक 03 वर्षों में या तो संचालन करने में विफल रहे हैं या हमारे द्वारा उन्हें दी गई विभिन्न सूचनाओं और मांगों के बाद भी उन्होंने लंबे समय से निर्धारित लॉकर किराया का भुगतान करने में लापरवाही बरती है। लॉकर धारकों द्वारा सहमतिप्राप्त नियमों और शर्तों के अनुसार, किराए का भुगतान न करने की स्थिति में बैंक उक्त लॉकरों को तोड़ने–खोलने के लिए स्वतंत्र होगा। तदनुसार, औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद 25.03.2025 तक उक्त लॉकरों को तोड़ने–खोलने का प्रस्ताव है और संबंधित लॉकर धारकों को सलाह दी जाती है कि वे नियत तिथि से पहले शाखा से संपर्क करें और कार्रवाई से बचने के लिए बकाया राशि का निस्तारण करें। लॉकर तोड़ने–खोलने का शुल्क किराएदारों द्वारा वहन किया जाएगा और बैंक बकाया किराया / अन्य शुल्कों, इत्यादि के साथ–साथ इसकी वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

लॉकर संख्या	लॉकर प्रकार	ग्राहक का नाम	पता
000079	ए	सविता ग्रोवर	द्वारा श्री कमल ग्रोवर, सी–12, द्वितीय तल, मालवीय नगर नई दिल्ली / खाता– 602610110000184
000052	ए	अमोलक राज	के 13/ए खिड़की एक्सटेंशन, मालवीय नगर, नई दिल्ली– 110017 / खाता– 602610110000360
000021	ए	सैयद जैनुल आबिदीन	जे4/18 खिड़की एक्सटेंशन, मालवीय नगर, नई दिल्ली– 110017 / खाता– 602610110001320
000026	ए	संदीप चड्ढा	एम 55, कीर्ति नगर, नई दिल्ली– 110000 / खाता– 602610110000753
000119	ए	मेहजबीन अहमद	59, प्रथम तल, हौज रानी, मालवीय नगर, दिल्ली– 110017 / खाता– 602610110003529

दिनाँक : 10–03–2025 **शाखा प्रबंधक**
स्थान : दिल्ली **बैंक ऑफ इंडिया, मालवीय नगर**

---

pnb पंजाब नैशनल बैंक ......भरोसे का प्रतीक **punjab national bank** ...the name you can BANK upon! (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)
सर्किल सस्त्रः गाजियाबाद,
द्वितीय तल, केजे–13, कवि नगर, गाजियाबाद 201001,
ई–मेल आईडी : cs8228@pnb.co.in

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों)तथा जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूति क्रेडिटर के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया था, की बिक्री सम्बद्ध कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) से बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के बकायों की वसूली हेतु नीचे तालिका में वर्णित तिथियों पर **"जहाँ है वहाँ है", "जो है वही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है"** आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि नीचे तालिका में सम्बद्ध सम्पत्तियों के सम्मुख उल्लिखित के अनुसार होगी।

प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री की अनुसूची

लॉट सं.	शाखा का नाम / खाते का नाम / कर्जदार/जमानतियों के खाते का नाम तथा पता	बंधक अचल सम्पत्तियों का विवरण/स्वामी का नाम (सम्पत्ति के बंधककर्ता)	A) सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत माँग सूचना की तिथि / B) बकाया राशि / C) सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जा करने की तिथि / D) कब्जे की प्रकृति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	E) आरक्षित मूल्य (रु. लाख में) / F) ईएमडी / G) संविदा वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	प्रतिभूत लेनदार के संज्ञान में ऋणभारों का विवरण
1.	**बीओः सर्किल सस्त्र-गाजियाबाद (पूर्व में शाखा जी. टी. रोड, गाजियाबाद में)** **शशांक शर्मा पुत्र श्री दिनेश कुमार शर्मा (कर्जदार तथा बंधककर्ता)** निवासीः – ई-38, चौथी मंजिल, झिलमिल कॉलोनी, शाहदरा, दिल्ली-110095 साथ ही, पताः मकान नंबर 1/2244-ए, गांव- चंद्रावली उर्फ शाहदरा, गली नंबर 14, ईस्ट राम नगर मंडोली रोड, शाहदरा, दिल्ली-110032 **श्रीमती सीमा शर्मा पत्नी श्री दिनेश कुमार शर्मा** निवासीः – ई-38, चौथी मंजिल, झिलमिल कॉलोनी, शाहदरा, दिल्ली-110095 साथ ही, पताः मकान नंबर 1/2244-ए, गांव- चंद्रावली उर्फ शाहदरा, गली नंबर 14, ईस्ट राम नगर मंडोली रोड, शाहदरा, दिल्ली-110032	श्री शशांक शर्मा के नाम पर, गली नं. 14, ईस्ट राम नगर मंडोली रोड, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110032, क्षेत्रफल 83.61 वर्ग मीटर, ग्राम- चंद्रावली उर्फ शाहदरा के क्षेत्र में स्थित मकान नं. 1/2244-ए का इक्विटेबल बंधककर्ता	(A) 22.01.2018 (B) रु. 155.94 लाख 31.12.2017 तक (C) 10.10.2018 D) सांकेतिक	(A) रु. 1,26,13,000 (B) रु. 12,61,300 (C) रु. 1.00 लाख	07.04.2025 11:00 पूर्वा. से 04:00 बजे अप. तक	हमें ज्ञात नहीं श्री अशोक कुमार यादव मोबाइलः 9819490364
2.	**बीओः सर्किल शास्त्र-गाजियाबाद (पूर्वः शाखा लोहा मंडी, गाजियाबाद में)** **श्री आकाश गुप्ता पुत्र सुरेश चंद गुप्ता (कर्जदार तथा बंधककर्ता)** निवासीः- यूजीएफ-1, प्लॉट नंबर सी-222, आनंद प्लाजा, तुराब नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201001 **साथ ही,** पताः 321, तुराब नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201001 **श्रीमती। वंदना गुप्ता पत्नी श्री आकाश गुप्ता (सह-उधारकर्ता)** निवासीः- यूजीएफ-1, प्लॉट नंबर सी-222, आनंद प्लाजा, तुराब नगर, गाजियाबाद उ.प्र. 201001 **साथ ही,** पताः 321, तुराब नगर, गाजियाबाद, उ.प्र 201001 **श्री हरीश चंद वार्ष्णेय (जमानती)** निवासीः- मकान नंबर 6/49, गली नंबर 5, शाहदरा, नई दिल्ली-110032	फ्रीहोल्ड आवासीय फ्लैट संख्या यूजी-1, ऊपरी भूतल (छत अधिकार के बिना), (एम.आई.जी.), प्लॉट संख्या 222, मोहल्ला तुराब नगर, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201206 (क्षेत्रफल 71.42 वर्ग मीटर) का समस्त भाग श्री आकाश गुप्ता पुत्र श्री सुरेश चंद गुप्ता के नाम पर	(A) 05.03.2019 (B) रु. 38.23 लाख 30.09.2018 तक (C) 15.03.2022 (D) सांकेतिक	(A) रु. 20.04 लाख (B) रु. 2,00,400/- (C) रु. 0.25 लाख	07.04.2025 11:00 पूर्वा. से 04:00 बजे अप. तक	हमें ज्ञात नहीं श्री अशोक कुमार यादव मोबाइलः 9819490364

नियम एवं शर्तें : **यह बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियम एवं शर्तों तथा आगे निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी।** 1. सम्पत्ति की बिक्री **"जहाँ है जैसे है", "जो है वही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है"** आधार पर की जा रही है। 2. यहाँ ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिभूत आस्तियों के विवरण अधिकृत प्राधिकारी की सर्वोत्तम सूचना के आधार पर बताये गये हैं, किन्तु अधिकृत प्राधिकारी इस उद्‌घोषणा में किसी त्रुटि, गलतबयानी अथवा विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। 3. यह बिक्री वेबसाइट **https://baanknet.com** पर प्रावधानित ई-नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा ऊपर निर्दिष्ट नीलामी की तिथि और समय पर ऑनलाइन की जायेगी। 4. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया **https://baanknet.com** तथा **www.pnbindia.in** देखें। 5. सभी वैधानिक बकाया/सहायक शुल्क/पंजीकरण शुल्क, स्टांप शुल्क, कर/किसी भी प्राधिकरण शुल्क आदि सहित अन्य बकाया राशि क्रेता को वहन करनी होगी और प्राधिकृत अधिकारी या बैंक किसी भी शुल्क, भार में ग्रहणाधिकार या सरकार या किसी अन्य को संपत्ति (ई-नीलामी) के संबंध में किसी अन्य बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जो बैंक को ज्ञात नहीं है, इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर के बकाया, बिजली के बकाया आदि सहित संपत्ति पर ऋणभार के बारे में स्वतंत्र जांच कर लें।

(सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत सांविधिक बिक्री सूचना)

दिनांक : 15.03.2025 स्थान : गाजियाबाद **अधिकृत प्राधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक**

खबर कोना

'स्टैंडर्ड चार्टर्ड' ने पहले सामाजिक बांड के जरिए एक अरब यूरो जुटाए

नई दिल्ली, 15 मार्च (भाषा)।

स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने पहला सामाजिक बांड जारी करके एक अरब यूरो (लगभग 9,400 करोड़ रुपए) जुटाए हैं, जो भारत सहित बैंक के उभरते बाजार में सतत विकास परियोजनाओं में लगाए जाएंगे। स्टैंडर्ड चार्टर्ड (स्टैनचार्ट) ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि आठ साल का बांड मुख्य रूप से छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) को ऋण देने, वित्त तक पहुंच सुनिश्चित करने, रोजगार सृजन में मदद करने और महिला-स्वामित्व वाले एसएमई को सशक्त बनाने और उनका पोषण करने में मदद करेगा।

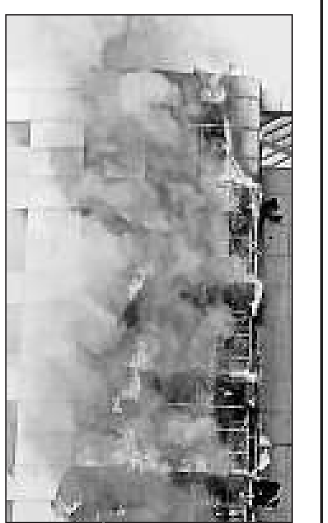

पुणे के एक इमारत में भीषण आग लगने के बाद धुआं निकलता हुआ।

चेन्नई पीठ के आदेश के खिलाफ जांच का निर्देश

नई दिल्ली, 15 मार्च (भाषा)।

अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की चेन्नई पीठ के एक आदेश की जांच का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने एनसीएलटी के अध्यक्ष को 15 मार्च, 2022 के उसके एक आदेश की जांच करने का निर्देश दिया है। एनसीएलएटी ने कहा कि वह इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकता कि जिस तरह से 15 मार्च 2022 का आदेश पारित किया गया है, वह संदिग्ध और भरोसे लायक नहीं लगता है। अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा कि मामले में तथ्य और प्रस्तुतियां 'एनसीएलटी के कामकाज पर सवाल उठाती हैं।' न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा और तकनीकी सदस्य जतिंद्रनाथ स्वैन की दो सदस्यीय पीठ ने कहा, 'एनसीएलटी के अध्यक्ष से अनुरोध है कि वे इस मुद्दे पर, खास तौर पर एनसीएलटी की कार्यवाही में निष्पक्षता लाने के लिए गौर करें और जांच करें, ताकि इन प्रमुख मुद्दों पर आम जनता में विश्वास कायम हो सके।'

बिलासपुर : गोलीबारी में पूर्व विधायक व निजी सुरक्षा कर्मी घायल

शिमला, 15 मार्च (ब्यूरो)।

बिलासपुर के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर को उनके घर पर अज्ञात हमलावरों ने कथित तौर पर गोली मार दी। इस हमले में बंब ठाकुर और उनके निजी सुरक्षा अधिकारी घायल हो गए। ठाकुर के पैर में गोली लगी है और उन्हें शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज (आइजीएमसी) में भर्ती करवाया गया है, जबकि उनके निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) को बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ले जाया गया है। जानकारी के अनुसार पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता बंबर ठाकुर, पत्नी को आबंटित सरकारी आवास के प्रांगण में अन्य लोगों के साथ होली मना रहे थे, तभी चार लोग आए और गोलीबारी शुरू कर दी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने पेश किए आंकड़े

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में रेकार्ड उछाल, 15 अरब डालर बढ़ा

मुंबई, 15 मार्च (भाषा)।

देश का विदेशी मुद्रा भंडार सात मार्च को समाप्त सप्ताह के दौरान दो वर्षों में सबसे तेज उछाल के साथ 15.26 अरब डालर बढ़कर 653.96 अरब डालर हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने यह जानकारी दी।

पिछले सप्ताह देश का विदेशी मुद्रा भंडार 1.78 अरब डालर घटकर 638.69 अरब डालर रह गया था। रुपए में उतार-चढ़ाव को कम करने में मदद के लिए आरबीआइ द्वारा विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप के साथ-साथ पुनर्मूल्यांकन के कारण हाल ही में भंडार में गिरावट का रुख रहा है।

सितंबर, 2024 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार 704.88 अरब डालर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान तीव्र वृद्धि का श्रेय 28 फरवरी को केंद्रीय बैंक द्वारा किए गए 10 अरब डालर के विदेशी मुद्रा विनिमय को दिया जा रहा है, जब उसने प्रणाली में तरलता बढ़ाने के लिए रुपए के मुकाबले डालर खरीदा था।

पिछले सप्ताह देश का विदेशी मुद्रा भंडार 1.78 अरब डालर घटकर 638.69 अरब डालर रह गया था। रुपए में उतार-चढ़ाव को कम करने में मदद के लिए आरबीआइ द्वारा विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप के साथ-साथ पुनर्मूल्यांकन के कारण हाल ही में भंडार में गिरावट का रुख रहा है।

रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, समीक्षाधीन सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार का एक प्रमुख हिस्सा विदेशी मुद्रा आस्तियां 13.99 अरब डालर बढ़कर 557.28 अरब डालर हो गईं। डालर के संदर्भ में उल्लेखित विदेशी मुद्रा आस्तियों में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं की घट-बढ़ का प्रभाव शामिल होता है। हालांकि, समीक्षाधीन सप्ताह में स्वर्ण भंडार का मूल्य 1.05 अरब डालर घटकर 74.32 अरब डालर हो गया। विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 21.2 करोड डालर बढ़कर 18.21 अरब डालर हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, आलोच्य सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) के पास भारत का आरक्षित भंडार 6.9 करोड़ डालर बढ़कर 4.14 अरब डालर रहा।

फरवरी में रेकार्ड 7.2 अरब डालर के विलय-अधिग्रहण

नई दिल्ली, 15 मार्च (भाषा)।

भारत में फरवरी में विलय-अधिग्रहण एवं निजी इक्विटी सौदों में रिकार्ड उछाल देखा गया। ग्रांट थार्नटन की रपट में यह जानकारी दी गई। इस दौरान कुल 7.2 अरब डालर के 226 विलय-अधिग्रहण और निजी इक्विटी सौदे हुए। यह पिछले तीन वर्षों में सबसे अधिक मासिक आंकड़ा है। रपट में कहा गया कि यह फरवरी 2024 की तुलना में मात्रा के लिहाज से 67 फीसद की वृद्धि और मूल्य के लिहाज से 5.4 गुना वृद्धि दर्शाता है। फरवरी में 4.8 अरब डालर के 85 विलय और अधिग्रहण (एमएंडए) सौदे हुए। इसमें मूल्य के लिहाज से घरेलू सौदों की 78 फीसद हिस्सेदारी थी। इसमें कहा गया कि भारतीय सार्वजनिक बाजारों में विदेशी निवेश में गिरावट और व्यापार शुल्कों के बढ़ने सहित वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में सौदा गतिविधियों में लचीलापन देखने को मिला। ऐसा मजबूत घरेलू मांग के चलते हुए। रपट में कहा गया कि समीक्षाधीन अवधि में जेन टेक्नोलाजीज और निटको लिमिटेड प्रमुख अधिग्रहणकर्ता थे। इन दोनों ने चार कंपनियों का अधिग्रहण किया। फरवरी में महत्त्वपूर्ण सौदों में ओएनजीसी-एनटीपीसी ग्रीन द्वारा अयाना रिन्यूएबल पावर का 2.3 अरब डालर में अधिग्रहण शामिल है।

संयुक्त राष्ट्र रपट

भारत और चीन के व्यापार में दिसंबर तिमाही में मजबूत वृद्धि

संयुक्त राष्ट्र, 15 मार्च (भाषा)।

संयुक्त राष्ट्र की एक रपट में कहा गया है कि विकासशील देशों, विशेष रूप से भारत और चीन ने 2024 की अक्तूबर-दिसंबर तिमाही में औसत से बेहतर व्यापार विस्तार देखा। रपट में हालांकि, आगामी तिमाहियों में वैश्विक स्तर पर 'आर्थिक मंदी की संभावना' की चेतावनी दी गई है।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास (यूएनसीटीएडी) द्वारा नवीनतम वैश्विक व्यापार अपडेट (जो मार्च की शुरुआत तक के आंकड़ों को कवर करता है) ने कहा कि 2024 में वैश्विक व्यापार लगभग 1,200 अरब डालर यानी नौ फीसद के विस्तार के साथ 33,000 अरब डालर तक पहुंच गया।

रपट में कहा गया, ''विकासशील देशों, विशेषकर चीन और भारत में औसत से बेहतर व्यापार विस्तार हुआ, जबकि कई विकसित देशों में व्यापार संकुचन हुआ।'' इसमें कहा गया है कि चीन और भारत ने 2024 की चौथी तिमाही में मजबूत व्यापार गति देखी, जबकि अमेरिका एक प्रमुख चालक बना रहा।

साल 2024 की चौथी तिमाही में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापारिक रुझान ने मिश्रित रुझान दिखाए। चीन और भारत के व्यापार में, विशेष रूप से निर्यात में वृद्धि जारी रही। इसके विपरीत, दक्षिण कोरिया में निर्यात वृद्धि में कमी आई, हालांकि यह वार्षिक आधार पर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक रही। अमेरिका में, 2024 की चौथी तिमाही में आयात वृद्धि सकारात्मक रही, जबकि निर्यात वृद्धि घट गई। जापान, रूस, दक्षिण अफ्रीका और यूरोपीय संघ के लिए तिमाही और वार्षिक दोनों आधार पर आयात वृद्धि के रुझान नकारात्मक रहे।

रपट में कहा गया है कि भारत ने 2024 की चौथी तिमाही में माल व्यापार में तिमाही आधार पर आठ फीसद की आयात वृद्धि दर्ज की और वार्षिक आयात में छह फीसद की वृद्धि दर्ज की, जबकि वस्तुओं में तिमाही निर्यात वृद्धि सात फीसद और वार्षिक निर्यात वृद्धि दो फीसद रही।

साल 2024 की चौथी तिमाही में सेवा व्यापार में वृद्धि जारी रही

साल 2024 की चौथी तिमाही में सेवा व्यापार में वृद्धि जारी रही। हालांकि, यह वार्षिक आंकड़ों की तुलना में धीमी गति रही। यह दर्शाता है कि सेवा व्यापार में सकारात्मक रुझान अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं के लिए स्थिर हो सकता है।

भारत और दक्षिण अफ्रीका के लिए सेवा व्यापार में वृद्धि मजबूत रही। वार्षिक आधार पर, कई सबसे बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए सेवा व्यापार वृद्धि दहाई अंक के आंकड़े तक पहुंच गई, जबकि अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह बहुत उच्च स्तर पर रही।

रपट में कहा गया है कि भारत ने पिछली तिमाही की तुलना में चौथी तिमाही में सेवाओं में सात फीसद की तिमाही आयात वृद्धि और 10 फीसद की वार्षिक आयात वृद्धि दर्ज की, जबकि तिमाही निर्यात वृद्धि तीन फीसद और सेवाओं में वार्षिक निर्यात वृद्धि 10 फीसद रही।

धर्मनिरपेक्ष विपक्षी दलों का विस्तृत मंच बनाने की जरूरत : करात

नई दिल्ली, 15 मार्च (भाषा)।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के वरिष्ठ नेता प्रकाश करात ने कहा है कि विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन का गठन लोकसभा चुनावों के लिए किया गया था, न कि राज्य चुनावों के लिए।

उन्होंने धर्मनिरपेक्ष विपक्षी दलों के एक व्यापक मंच का आह्वान किया। करात ने यह भी कहा कि गठबंधन को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए ताकि यह केवल चुनावी राजनीति से प्रभावित न हो। लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों ने इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (इंडिया) गठबंधन बनाया था। माकपा के अंतरिम समन्वयक करात ने एक साक्षात्कार में यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन पर कोई चर्चा नहीं हुई है।

उन्होंने कहा कि घटक दलों के राज्यों में अपने-अपने समीकरण हैं। करात ने कहा, 'यह सच है कि 'इंडिया' गठबंधन के गठन और सभी में नहीं तो कुछ राज्यों में इसके घटकों के बीच सहयोग के कारण निश्चित रूप से भाजपा को लोकसभा में अपना बहुमत खोना पड़ा।'

उन्होंने कहा, 'इसके बाद विधानसभा चुनाव हुए और मुझे लगता है कि विपक्ष के लिए सबसे बड़ा झटका महाराष्ट्र में लगा है, जहां महा विकास आघाडी (एमवीए) ने लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और भाजपा गठबंधन अल्पमत में आ गया। लेकिन विधानसभा चुनाव में इसका उल्टा हुआ।'

निरीक्षण चेन्नई में शनिवार को हाइपरलूप पाड विकसित करने के लिए किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण करते केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव।

असम कांग्रेस प्रवक्ता रीतम सिंह 'एक्स' पर लेख के लिए गिरफ्तार

गुवाहाटी/उत्तर लखीमपुर, 15 मार्च (भाषा)।

कांग्रेस की असम इकाई के प्रवक्ता रीतम सिंह को शनिवार को उस सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें उन्होंने दो वर्तमान विधायकों समेत भाजपा के तीन वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ दर्ज मामलों की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी थी।

सिंह को गुवाहाटी पुलिस की सहायता से लखीमपुर जिला पुलिस की एक टीम ने गुवाहाटी स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया। लखीमपुर के पुलिस अधीक्षक मिहिरजीत गायन ने बताया कि भाजपा विधायक मनाब डेका की पत्नी द्वारा दो दिन पहले 'एक्स' पर एक पोस्ट को लेकर की गई शिकायत के बाद सिंह को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा, हमने उन्हें कानून की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया है। सिंह ने 13 मार्च को 'एक्स' पर उस खबर के साथ पोस्ट की थी जिसमें 2021 में धेमाजी जिले में बलात्कार के एक मामले में अदालत द्वारा तीन व्यक्तियों को दोषी ठहराए का जिक्र था। कांग्रेस नेता ने अपनी पोस्ट में पूछा था, इन दोषियों को यह सजा मिली जिसके वे हकदार थे, लेकिन असम भाजपा ने मनाब डेका, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भाबेश कालिता, पूर्व मंत्री राजेन गोहेन जैसे मंत्रियों और विधायकों पर क्या आरोप लगाया है। क्या कानून सबके लिए समान है। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई सिंह के घर पहुंचे और आरोप लगाया कि उनके सहयोगी के साथ ऐसी कार्रवाई उस दिन हुई, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य में थे।

गोगोई ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, जब मैं उनके आवास पर गया तो मैंने देखा कि कैसे उन्हें बेरहमी से घसीटा गया और मुझसे बात नहीं करने दी गई। सांसद ने पूछा कि क्या केंद्रीय गृह मंत्री को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा के तहत पुलिस के दुरुपयोग के बारे में पता है।

सोनीपत : जमीन विवाद में भाजपा नेता की हत्या

चंडीगढ़, 15 मार्च (ब्यूरो)।

सोनीपत जिले में शुक्रवार देर शाम स्थानीय भाजपा नेता सुरेंद्र जवाहर (42) की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह सोनीपत में भाजपा के मुंडलाना खंड के अध्यक्ष थे।

घटना शुक्रवार रात करीब नौ बजे गांव जवाहर में हुई, जब सुरेंद्र गांव में अपनी किराना दुकान पर थे। घटना की कथित सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा है कि आरोपी ने पिस्तौल से सुरेंद्र पर गोली चलाई और वह मौके पर ही गिर पड़ा। पुलिस ने मृतक के पड़ोसी मोनू के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि सुरेंद्र ने मोनू की बुआ और उसके चाचा से कृषि के लिए जमीन खरीदी थी और इसे लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। सूत्रों ने बताया कि मोनू जमीन खरीदने के खिलाफ था और उसने पहले भी सुरेंद्र को इस सौदे को आगे न बढ़ाने की चेतावनी दी थी। आरोपी ने सुरेंद्र को विवादित भूमि में प्रवेश न करने की चेतावनी दी थी।

हालांकि, शुक्रवार को सुरेंद्र ने जमीन पर खेती की थी। इसके कुछ ही घंटों बाद यह वारदात हो गई। सहायक पुलिस आयुक्त (गोहाना) ऋषिकांत ने बताया कि शुक्रवार शाम को जवाहर गांव में गोलियां चलाने की सूचना मिली थी, जिसमें गांव के नंबरदार सुरेंद्र को दो गोलियां लगी हैं। पुलिस ने उनकी पत्नी कोमल की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जमीन विवाद को लेकर अदालत में भी मामला चल रहा था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई के लिए तीन दलों का गठन किया है। मुख्य आरोपी मोनू को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है।

पढ़ाई में खराब प्रदर्शन पर दो बेटों की हत्या कर की खुदकुशी

काकीनाडा (आंध्र प्रदेश), 15 मार्च (भाषा)।

आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) के 37 वर्षीय कर्मी ने कथित तौर पर 'खराब शैक्षणिक प्रदर्शन' के कारण अपने दो बेटों की हत्या कर दी और खुद भी आत्महत्या कर ली।

एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि बच्चों के पिता वी. चंद्र किशोर ने शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे कथित तौर पर सात साल और छह साल के अपने दो बेटों को पानी की बाल्टी में डुबोकर मार डाला, क्योंकि वह उनके शैक्षणिक प्रदर्शन से निराश था। अधिकारी ने कहा, 'किशोर ने अपने बेटों की हत्या उनके खराब शैक्षणिक प्रदर्शन के कारण की, क्योंकि उसे डर था कि अगर वे पढ़ाई में अव्वल नहीं आए तो उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में संघर्ष करना पड़ेगा।'

प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक प्रियंवदा नटराजन ने कहा | **विमर्श** | 'ब्लैक होल' पर किया है अहम अनुसंधान

प्रौद्योगिकी के विकास से खोज में आ रही तेजी

नई दिल्ली, 15 मार्च (भाषा)।

'ब्लैक होल' पर अपने अग्रणी अनुसंधान के लिए जानी जाने वाली खगोल वैज्ञानिक प्रियंवदा नटराजन का कहना है कि कंप्यूटिंग क्षेत्र में प्रगति के कारण विज्ञान में क्रांतिकारी बदलाव आ रहे हैं, जिससे किसी विचार के जन्म और उसके समर्थन में साक्ष्य मिलने के बीच का समय कम हो गया है और खोज की गति तेज हो गई है।

येल विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान और भौतिकी की प्रोफेसर नटराजन ने हाल ही में यहां एक बातचीत में कहा, 'खोज की गति तेज है क्योंकि गणना में प्रगति के कारण विचारों और उपकरणों का संगम संभव हुआ है। इससे नए परीक्षण, विचारों को प्रमाणित करने के नए तरीके सामने आए हैं और यह विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला रहा है।'

येल विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान और भौतिकी की प्रोफेसर नटराजन ने कहा, 'खोज की गति तेज है क्योंकि गणना में प्रगति के कारण विचारों और उपकरणों का संगम संभव हुआ है। इससे नए परीक्षण, विचारों को प्रमाणित करने के नए तरीके सामने आए हैं और यह विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला रहा है।'

अत्यधिक सघन पदार्थ से बने ब्लैक होल में इतना तीव्र गुरुत्वाकर्षण होता है कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। आमतौर पर इसे किसी तारे के 'मरने' वाले चरण में बनने वाला माना जाता है। नटराजन ने 2005-06 में पहली बार यह प्रस्ताव रखा था कि ब्लैक होल बनने का एक और तरीका भी होना चाहिए, जिसमें पहले किसी तारे का निर्माण हुए बिना सीधे ब्लैक होल बनने की 'प्रत्यक्ष पतन' प्रक्रिया शुरू हो जाए। उन्होंने कहा, 'इस प्रत्यक्ष पतन प्रक्रिया का एक उदाहरण एक बाथटब है - जब आप स्नान कर लेते हैं और प्लग खींच देते हैं, तो आप देखते हैं कि पानी बहुत तेजी से एक भंवर में नीचे जा रहा है।'

नटराजन ने कहा, 'प्रारंभिक ब्रह्मांड में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। डार्क मैटर के चारों ओर उपस्थित सभी गैस (मुख्य रूप से हाइड्रोजन) - जिनके द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण आकाशगंगाओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार है - किसी तारे का निर्माण नहीं करती हैं, बल्कि ब्लैक होल का निर्माण करती हैं।' ब्लैक होल बनाने के उनके क्रांतिकारी विचार को शुरू में वैज्ञानिक समुदाय द्वारा संदेह की दृष्टि से देखा गया था।

नटराजन ने परिचर्चा से पहले कहा, 'लोगों ने कहा, ओह, क्या यह वास्तव में ब्रह्मांड में हो सकता है? यह सिर्फ एक सिद्धांत है! यह संभव नहीं है। खैर, निश्चित रूप से, यह तब तक एक सिद्धांत है जब तक आपको इसका समर्थन करने वाले आंकड़े नहीं मिल जाते।' ज्ञान प्राप्ति की वैज्ञानिक विधि में अवलोकन, प्रयोग और साक्ष्य-आधारित तर्क के माध्यम से विश्व को समझना शामिल है। नटराजन ने याद करते हुए कहा, 'हमें उस विचार को विस्तार से समझाने में समय लगा, जो उस समय एक साधारण विचार था, क्योंकि गणनाएं इस स्तर की नहीं थीं कि यह पता लगाया जा सके कि 'प्रत्यक्ष पतन वाला ब्लैक होल' कैसा दिखेगा।' तमिलनाडु के कोयम्बटूर में जन्मी और दक्षिणी दिल्ली में पली-बढ़ी खगोल भौतिक विज्ञानी ने कहा, 'इसलिए कंप्यूटरों को पर्याप्त कुशल बनने में 10 वर्ष लग गए तथा हमने कृत्रिम ब्रह्मांड में ऐसी वस्तुओं को खोज करने के लिए तकनीक विकसित कर ली।' उन्होंने कहा कि और जैसे-जैसे यह धीरे-धीरे गति पकड़ने लगा, यह देखना बहुत दिलचस्प था कि कैसे सिद्धांत साबित होने लगा।

खबर कोना

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड वाशिंगटन में न्याय विभाग के अधिकारियों को संबोधित करते हुए।

नहीं चाहता था कि मोदी, अन्य नेता वाशिंगटन में तंबू, भित्तिचित्र और गड्ढे देखें : ट्रंप

न्यूयार्क/वाशिंगटन, 15 मार्च (भाषा)।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह नहीं चाहते थे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनसे मिलने आए अन्य वैश्विक नेताओं को वाशिंगटन में संघीय भवनों के पास तंबू और भित्तिचित्र देखने को मिलें। ट्रंप ने अमेरिका की राजधानी की साफ-सफाई का आदेश दिया है। ट्रंप ने शुक्रवार को न्याय मंत्रालय में अपने वक्तव्य में कहा, 'हम अपने शहर की सफाई कर रहे हैं। हम इस राजधानी की सफाई कर रहे हैं और हम अपराध नहीं होने देंगे, हम अपराध के पक्ष में खड़े नहीं होंगे, हम भित्तिचित्रों को हटाने जा रहे हैं, हमने पहले ही तंबू हटाने शुरू कर दिए हैं और हम प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।' उन्होंने कहा कि अब तक वाशिंगटन के मेयर म्यूरियल बोसर ने राजधानी की सफाई की दिशा में अच्छा काम किया है। ट्रंप ने कहा, 'विदेश मंत्रालय के ठीक सामने बहुत सारे तंबू लगे हैं। उन्हें हटाना होगा। हम एक ऐसी राजधानी चाहते हैं जो दुनिया भर में चर्चा का विषय बन सके।'

म्यांमा में गांव पर किए गए हवाई हमले में 27 लोग मारे गए : विपक्षी समूह

बैंकाक, 15 मार्च (एपी)।

म्यांमा की सेना द्वारा लोकतंत्र समर्थक प्रतिरोध समूह के नियंत्रण वाले एक गांव पर किए गए हवाई हमले में कम से कम 27 नागरिक मारे गए और 30 अन्य घायल हो गए। एक विपक्षी समूह और म्यांमा के आनलाइन मीडिया ने शनिवार को यह जानकारी दी। मांडले पीपुल्स डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता ने बताया कि यह हमला शुक्रवार को अपराह्न तीन बजे सिंगू कस्बे के लेट पान हला गांव में हुआ, जो देश के दूसरे सबसे बड़े मांडले शहर से लगभग 65 किलोमीटर उत्तर में है। सेना ने शनिवार को कोई टिप्पणी नहीं की। म्यांमा में एक फरवरी, 2021 को सेना ने आंग सान सू ची की चुनी हुई सरकार को हटा दिया था, जिसके बाद देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सेना ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को बलपूर्वक दबाया और इसके बाद कई लोगों ने हथियार उठा लिए।

लेबनान में ड्रोन हमला कर हिजबुल्ला सदस्य को मार गिराया : इजराइल

बेरूत, 15 मार्च (भाषा)।

इजराइल ने दावा किया कि शनिवार को दक्षिणी लेबनान में ड्रोन हमला कर उसने एक कार को निशाना बनाया, जिसमें सवार हिजबुल्ला सदस्य मारा गया। सरकारी नेशनल न्यूज एजंसी ने बुर्ज अल-म्लौक गांव में हुए हमले की हालांकि विस्तृत जानकारी नहीं दी। यह हवाई हमला, नवंबर के अंत में अमेरिका की मध्यस्थता में हुए युद्ध विराम के बाद से हो रहे हमलों की शृंखला में नवीनतम है। इसके परिणामस्वरूप 14 महीने से चल रहा इजराइल-हिजबुल्ला युद्ध समाप्त हो गया था। इजराइली सेना ने कहा कि मारा गया हिजबुल्ला सदस्य सीमावर्ती गांव कफर किला में सक्रिय था। यह हमला लेबनान की सैन्य अदालत द्वारा इजराइल को डिजिटल जानकारी देने के मामले में दोषी ठहराए गए दो लोगों को कारवास की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद हुआ है। चार न्यायिक अधिकारियों ने शनिवार को एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि दोनों दोषियों में एक को 15 वर्ष की कारावास और दूसरे को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है।

'रूस-यूक्रेन युद्ध 24 घंटे में खत्म करने का वादा व्यंग्यात्मक था'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 15 मार्च।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान दावा किया था कि वह रूस-यूक्रेन युद्ध को 24 घंटे के भीतर सुलझा सकते हैं, लेकिन उनका यह कथन 'थोड़ा व्यंग्यात्मक' था। ट्रंप से संबंधित बयान पर सवाल किया गया जिसे उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कई बार दोहराया था।

'फुल मेजर' टेलीविजन कार्यक्रम के लिए एक साक्षात्कार के दौरान उनसे पूछा गया कि उनके प्रशासन को सत्ता संभाले 54 दिन हो चुके हैं, लेकिन युद्ध का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है।

रविवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम से पूर्व जारी क्लिप में ट्रंप ने कहा, 'जब मैंने यह कहा था, तो मैं थोड़ा व्यंग्यात्मक था। मेरा मतलब यह था कि मैं इस युद्ध को समाप्त कराना चाहता हूं और मुझे लगता है कि मैं सफल हो जाऊंगा।' ट्रंप के इस बयान को एक दुर्लभ स्वीकारोक्ति माना जा रहा है क्योंकि वह अकसर बढ़ा-चढ़ाकर दावे करने के लिए जाने जाते हैं। सीएनएन टाउन हाल में मई 2023 को ट्रंप ने कहा था, 'रूसी और यूक्रेनी लोग मर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि यह सब बंद हो और मैं इसे 24 घंटे में बंद करवा दूंगा।'

तत्कालीन उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ सितंबर में बहस के दौरान ट्रंप ने फिर दोहराया था, 'अगर मैं जीतता हूं तो मैं दोनों पक्षों से बात करूंगा और उन्हें एक साथ लाऊंगा।' इस बीच, ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकाफ इस सप्ताह अमेरिका द्वारा प्रस्तावित युद्धविराम पर चर्चा के लिए मास्को पहुंचे।

संघर्ष विराम प्रस्ताव के बीच दोनों ने एक दूसरे पर हवाई हमले किए

रूस और यूक्रेन ने शनिवार रात को एक दूसरे पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए और दोनों पक्षों ने अपने-अपने क्षेत्रों में 100 से अधिक दुश्मन के ड्रोन देखे जाने की सूचना दी। यह हमला रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा अमेरिकी राजदूत स्टीव विटकाफ से यूक्रेन के साथ युद्ध में 30 दिन के युद्ध विराम के अमेरिकी प्रस्ताव के विवरण पर चर्चा करने के 24 घंटे से भी कम समय बाद हुआ है। वोल्गोग्राद क्षेत्रीय गवर्नर आंद्रेई बोचारोव ने पुष्टि की है कि ड्रोन के गिरते मलबे के कारण शहर के क्रास्नोअर्मेस्की जिले में लुकोइल तेल रिफाइनरी के पास आग लग गई। हालांकि उन्होंने विस्तृत जानकारी नहीं दीं। स्थानीय मीडिया के अनुसार, आस-पास के हवाई अड्डों पर उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी गईं।

अनुरा कुमार दिसानायके की दिल्ली यात्रा के बाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने श्रीलंका की यात्रा करेंगे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 15 मार्च।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले वर्ष श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके की दिल्ली यात्रा के दौरान हुए समझौतों को अंतिम रूप देने के लिए अगले महीने की शुरुआत में श्रीलंका की यात्रा करेंगे।

विदेश मंत्री विजिता हेराथ ने यहां संसद में बजट आबंटन को लेकर हुई चर्चा पर एक सवाल के जवाब में यह बयान दिया। हेराथ ने कहा, 'हमने अपने पड़ोसी देश भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे हैं। हमारी पहली कूटनीतिक यात्रा भारत की थी, जहां हमने द्विपक्षीय सहयोग पर कई समझौते किए।'

उन्होंने कहा, 'भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल की शुरुआत में यहां आएंगे।' हेराथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान सामपुर सौर ऊर्जा स्टेशन के उद्घाटन के अलावा कई नए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। सरकारी विद्युत इकाई सीलोन विद्युत बोर्ड और भारत की एनटीपीसी ने 2023 में पूर्वी त्रिंकोमाली जिले के सामपुर शहर में 135 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने पर सहमति व्यक्त की थी।

हेराथ ने कहा, 'हम अपनी विदेश नीति में किसी का पक्ष लिए बिना तटस्थ रहेंगे और राष्ट्रीय हित को बनाए रखने के लिए काम करेंगे।' वर्ष 2015 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका की यह चौथी यात्रा होगी।

_श्रीलंका_ के विदेश मंत्री विजिता हेराथ ने यहां संसद में बजट आबंटन को लेकर हुई चर्चा पर एक सवाल के जवाब में यह बयान दिया।

सुनीता व बुच का स्थान लेने के लिए नया दल अंतरिक्ष रवाना

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 15 मार्च।

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में लंबे समय से फंसे नासा के दो अंतरिक्ष यात्रियों बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स के स्थान पर अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को तैनात करने के लिए शुक्रवार रात एक यान को रवाना किया गया। इसके साथ ही विलियम्स और विल्मोर की वापसी का रास्ता साफ हो गया।

माना जा रहा है कि अगर मौसम सही रहा तो दोनों फंसे अंतरिक्ष यात्रियों को अगले सप्ताह फ्लोरिडा के तट के निकट जलक्षेत्र में उतारा जाएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजंसी के कैनेडी स्पेस सेंटर से कक्षा में पहुंचने वाले इस नए दल में नासा के ऐनी मैक्लेन और निकोल एअर्स शामिल हैं तथा दोनों सैन्य पायलट हैं। इनके अलावा जापान के ताकुया ओनिशी और रूस के किरिल पेस्कोव भी रवाना हुए हैं और दोनों एअरलाइन कंपनियों के पूर्व पायलट हैं।

ये चारों लोग विल्मोर और विलियम्स के धरती के लिए रवाना होने के बाद अगले छह महीने अंतरिक्ष स्टेशन में बिताएंगे, जिसे सामान्य अवधि माना जाता है। उड़ान के कुछ ही मिनटों बाद मैक्लेन ने कहा, 'अंतरिक्ष उड़ान मुश्किल है, लेकिन इंसान उससे भी अधिक जटिल है।'

_नासा_ चाहता है कि अंतरिक्ष में नया दल वहां मौजूद विलियम्स और विल्मोर से मुलाकात करे ताकि विल्मोर और विलियम्स 'आर्बिटिंग लैब' में होने वाली घटनाओं के बारे में नए लोगों को बता सकें।

कनाडा में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने जताया विश्वास

मंत्रिमंडल में भारतीय मूल की दो मंत्री शामिल

ओटावा, 15 मार्च (भाषा)।

भारतीय-कनाडाई अनीता आनंद और दिल्ली में जन्मी कमल खेड़ा कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के मंत्रिमंडल में शामिल हैं। पूर्व केंद्रीय बैंकर मार्क कार्नी ने शुक्रवार को कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। कार्नी (59) ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की जगह ली, जिन्होंने जनवरी में अपने इस्तीफे की घोषणा की थी। लिबरल पार्टी द्वारा नया नेता चुने जाने तक ट्रूडो सत्ता में बने रहे।

दिल्ली में जन्मी खेड़ा का परिवार उस समय कनाडा चला गया था जब वह स्कूल की शिक्षा ग्रहण कर रही थीं। बाद में उन्होंने टोरंटो के यार्क विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक की डिग्री हासिल की। कनाडा के प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर उल्लेख है कि खेड़ा को पहली बार 2015 में ब्रैम्पटन वेस्ट से संसद सदस्य के रूप में चुना गया था। इसमें कहा गया है, 'मंत्री खेड़ा संसद के लिए चुनी गई सबसे कम उम्र की महिलाओं में से एक हैं। वह एक पंजीकृत नर्स, सामुदायिक स्वयंसेवक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं।'

खेड़ा ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'एक नर्स के रूप में, मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता हमेशा अपने मरीजों की सहायता के लिए मौजूद रहना था और यही मानसिकता मैं स्वास्थ्य मंत्री की भूमिका में भी हर दिन अपनाऊंगी। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी द्वारा मुझे पर जताये गये भरोसे के लिए बहुत आभारी हूं।'

_अनीता_ आनंद को (58) नवाचार, विज्ञान और उद्योग मंत्री बनाया गया है जबकि 36 वर्षीय कमल खेड़ा स्वास्थ्य मंत्री हैं। दिल्ली में जन्मी खेड़ा का परिवार कनाडा चला गया था जब वह स्कूल की शिक्षा ग्रहण कर रही थीं।

राजनीति में आने से पहले, उन्होंने टोरंटो के सेंट जोसेफ हेल्थ सेंटर में एक पंजीकृत नर्स के रूप में काम किया था। ट्रूडो की जगह अगले प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे बताई गई आनंद ने जनवरी में घोषणा की थी कि वह इस दौड़ से हट रही हैं। आनंद ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'मुझे मार्क कार्नी की सरकार में नवाचार, विज्ञान और आर्थिक विकास मंत्री के रूप में शपथ लेने पर गर्व है।'

कनाडा के प्रधानमंत्री की वेबसाइट के अनुसार आनंद को पहली बार 2019 में ओकविले के लिए संसद सदस्य के रूप में चुना गया था और इससे पहले उन्होंने ट्रेजरी बोर्ड के अध्यक्ष, राष्ट्रीय रक्षा मंत्री और सार्वजनिक सेवा और खरीद मंत्री के रूप में कार्य किया था। इसमें कहा गया है कि आनंद ने एक विद्वान, वकील और शोधकर्ता के रूप में काम किया है और वह एक कानूनी शिक्षाविद रही हैं।

दौरा ढाका में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुतारेस (दाएं) और बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन के साथ मीडिया को संबोधित करते हुए।

गुतारेस के बांग्लादेश दौरे पर चुनाव कराने का मुद्दा छाया

संयुक्त राष्ट्र, 15 मार्च (भाषा)।

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुतारेस से कहा कि वह बांग्लादेश में जल्द से जल्द चुनाव कराने के पक्षधर हैं। बांग्लादेश की चार दिवसीय यात्रा पर आए गुतारेस ने यहां चुनाव कराने से संबंधित सुधार प्रस्तावों पर आयोजित गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और 'नेशनल कन्सेन्सस बिल्डिंग कमीशन' सहित विभिन्न हितधारक शामिल हुए थे।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद युनूस 'नेशनल कन्सेन्सस बिल्डिंग कमीशन' का नेतृत्व कर रहे हैं। बैठक में विभिन्न दलों के नेताओं ने अवामी लीग और उसके सहयोगियों को शामिल नहीं किया।

बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने इस बैठक में शामिल होने के बाद संवाददाताओं से कहा, 'हमने उनसे (गुतारेस) कहा कि हम चाहते हैं कि अंतरिम सरकार बांग्लादेश में चुनाव कराने से संबंधित सुधारों को पूरा करने के बाद जल्द से जल्द राष्ट्रीय चुनाव कराए।' सलाहुद्दीन अहमद भी बैठक में शामिल हुए थे।

_गुतारेस_ रोहिंग्या शरणार्थियों और उन्हें शरण देने वाले बांग्लादेशी लोगों के साथ एकजुटता के मिशन पर काक्स बाजार गए।

'इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट का प्रमुख मारा गया'

बगदाद, 15 मार्च (एपी)।

इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी ने शुक्रवार को बताया कि इस्लामिक स्टेट के प्रमुख अब्दल्लाह माकी मोसलेह अल-रिफाई को इराक में एक अभियान के दौरान ढेर कर दिया गया। उसे 'अबु खदीजा' के नाम से भी जाना जाता था।

यह अभियान इराकी राष्ट्रीय खुफिया सेवा और अमेरिकी बलों ने संचालित किया। इराक के प्रधानमंत्री अल-सुदानी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक बयान में कहा, 'इराक के लोग आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपनी प्रभावशाली जीत जारी रखे हुए हैं।'

बयान में कहा गया कि अबु खदीजा 'आतंकवादी संगठन का 'डिप्टी खलीफा' था और इराक तथा विश्व के सबसे खतरनाक आतंकवादियों में से एक था।' अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार रात अपने सोशल मीडिया मंच 'ट्रुथ' पर कहा, 'आइएसआइएस के भगोड़े कट्टरपंथी को आज इराक में मार दिया गया। हमारे साहसी योद्धाओं ने इराकी सरकार और कुर्दिश क्षेत्रीय सरकार के सहयोग से उसे खोजकर मार गिराया।'

समझौता होने पर ही अमेरिकी-इजराइली बंधक रिहा : हमास

काहिरा, 15 मार्च (एपी)।

हमास ने शनिवार को कहा कि वह एक अमेरिकी-इजराइली बंधक को तभी रिहा करेगा, जब इजराइल युद्ध विराम समझौते को लागू करेगा। इसने कहा कि यह समझौता लागू होने पर ही चार बंधकों के शव देगा और एक अमेरिकी-इजराइली बंधक को रिहा करेगा। गाजा पट्टी में इजराइली हवाई हमलों में कम से कम आठ लोग मारे गए, जिनमें एक स्थानीय पत्रकार भी शामिल है। फिलिस्तीनी चिकित्सकों ने यह जानकारी दी।

हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि युद्ध विराम के दूसरे चरण के लिए लंबे समय से विलंबित वार्ता रिहाई के दिन से शुरू होनी चाहिए और 50 दिन से अधिक नहीं चलनी चाहिए। इजराइल को मानवीय सहायता पर रोक लगाना बंद करना होगा तथा मिस्र के साथ गाजा की सीमा पर स्थित रणनीतिक गलियारे से भी हटना होगा। एक अधिकारी ने बताया कि हमास बंधकों के बदले में और अधिक फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की भी मांग करेगा। हमास के सात अक्तूबर, 2023 के हमले के दौरान 21 वर्षीय एडन अलेक्जेंडर को अगवा कर लिया गया था।

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने शुक्रवार को हमास पर 'मनोवैज्ञानिक युद्ध' छेड़ने का आरोप लगाया। अमेरिका ने कहा कि उसने बुधवार को युद्ध विराम को कुछ और सप्ताह बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया है, क्योंकि दोनों पक्ष स्थायी युद्धविराम के लिए बातचीत कर रहे हैं। वरिष्ठ हमास नेता खलील अल-हय्या के शुक्रवार को काहिरा पहुंचने के बाद मिस्र में वार्ता जारी रही। मिस्र और कतर ने युद्ध विराम तक पहुंचने में हमास के साथ प्रमुख मध्यस्थ के रूप में काम किया। जनवरी में हुए युद्ध विराम समझौते के तहत इजराइल और हमास को दूसरे चरण के लिए बातचीत शुरू करनी थी। इस महीने की शुरुआत में पहला चरण समाप्त होने के बाद, इजराइल ने कहा कि वह अमेरिका के एक नए प्रस्ताव पर सहमत हो गया है।

बैठक | ब्रिटिश प्रधानमंत्री किअर स्टार्मर ने कहा

रूस को शांति से किसी तरह के खिलवाड़ की इजाजत नहीं

लंदन, 15 मार्च (भाषा)।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किअर स्टार्मर ने रूस के खिलाफ तथाकथित 'गठबंधन' को मजबूत करने के लिए शनिवार को 25 देशों के नेताओं के साथ डिजिटल तरीके से हुई एक बैठक की मेजबानी की। रूस तीन वर्ष से अधिक समय से यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है। स्टार्मर ने लंदन में '10 डाउनिंग स्ट्रीट' से कहा, 'हम पुतिन को राष्ट्रपति ट्रंप के समझौते से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दे सकते।'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित शांति समझौते पर चर्चा के लिए बैठक में यूक्रेन, यूरोपीय संघ (ईयू), उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो), कनाडा, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं के शामिल होने की उम्मीद थी। यह बैठक अगले सप्ताह होने वाली सैन्य योजना सत्र से पहले हुई। ये सभी देश अगले सप्ताह होने वाली बैठक में क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए सैन्य तैनाती की प्रकृति पर निर्णय लेंगे।

_स्टार्मर_ ने कहा, 'अगर पुतिन शांति बहाली को लेकर गंभीर हैं, तो यह बहुत सरल है। उन्हें यूक्रेन पर अपने बर्बर हमलों को रोकना होगा और युद्ध विराम पर सहमत होना होगा। दुनिया देख रही है।' स्टार्मर ने रूसी प्रशासन पर ट्रंप के 30-दिवसीय युद्ध विराम प्रस्ताव की 'पूर्ण अवहेलना' करने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, 'इससे सिर्फ यह पता चलता है कि पुतिन (रूसी राष्ट्रपति) शांति बहाली को लेकर गंभीर नहीं हैं। अगर रूस आखिरकार बातचीत करना चाहता है, तो हमें युद्ध विराम की निगरानी करने के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शांति स्थायी है। अगर वह (पुतिन) ऐसा नहीं करते हैं, तो हमें इस युद्ध को समाप्त करने के लिए रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करने की जरूरत है।'

स्टार्मर ने पुतिन पर युद्ध विराम से पहले 'व्यापक अध्ययन' करने का आ''ान कर मामले को टालने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, 'दुनिया कुछ कदम उठाते हुए देखना चाहती है, न कि अध्ययन या खोखली बयानबाजी और निरर्थक शर्तें। क्रेमलिन को मेरा संदेश इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता। यूक्रेन पर बर्बर हमले हमेशा के लिए बंद कर दें और अभी युद्ध विराम पर सहमत हो जाएं। तब तक हम शांति स्थापित करने के लिए चौबीसों घंटे काम करते रहेंगे।'

यूएनजीए में जम्मू-कश्मीर के 'अनुचित' जिक्र के लिए पाक की आलोचना

संयुक्त राष्ट्र, 15 मार्च (भाषा)।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू-कश्मीर के 'अनुचित' जिक्र के लिए पाकिस्तान की आलोचना की, साथ ही कहा कि इस तरह की टिप्पणियों से न तो पाकिस्तान के दावे वैध हो जाते हैं और न ही सीमा पार आतंकवाद की उसकी गतिविधियां न्यायसंगत।' संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने 'इंटरनेशनल डे टू काम्बैट इस्लामोफोबिया' पर महासभा की एक अनौपचारिक बैठक में शुक्रवार को कहा, 'जैसा कि उनकी आदत है, पाकिस्तान के पूर्व विदेश सचिव ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का अनुचित संदर्भ दिया है।' हरीश ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से बार-बार जिक्र किए जाने से उसके दावे वैध नहीं हो जाते हैं।

ऐजल के असम राइफल्स शिविर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री ने

विकास के साथ पूर्वोत्तर में शांति सुनिश्चित की

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 15 मार्च।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के विकास के साथ-साथ क्षेत्र में अभूतपूर्व शांति सुनिश्चित की है।

शाह ने यह बयान ऐजल के असम राइफल्स शिविर में स्थानांतरण के अवसर पर आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए दिया। वहीं, असम में एक कार्यक्रम के दौरान शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने असम में शांति कायम नहीं होने दी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसे बहाल किया, बुनियादी ढांचे का विकास किया और पूर्वोत्तर राज्य के युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित किया।

गोलाघाट में शनिवार को लाचित बरफुकन पुलिस अकादमी के उद्घाटन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा व अन्य।

असम में 10,000 से अधिक युवा हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटे

असम में नवीनीकृत लाचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन करने बाद सभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान असम में 10,000 से अधिक युवा हथियार डालकर मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं और राज्य में शांति लौट आई है। शाह ने कहा कि मोदी नीत सरकार असम में हाल ही में आयोजित व्यावसायिक सम्मेलन में प्रस्तावित पांच लाख करोड़ रुपए के निवेश के अलावा तीन लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं लाएगी।

ऐजल में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र मिजोरम के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और असम राइफल्स के शिविर को आइजोल से बाहर स्थानांतरित करना इसका प्रमाण है। शाह ने कहा, असम राइफल्स को स्थानांतरित करने का निर्णय मिजो लोगों के प्रति केंद्र की चिंता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा नीत सरकार सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सुंदर मिजोरम चाहती है तथा प्रधानमंत्री मोदी स्वयं राज्य में विकास परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी कर रहे हैं।

गृह मंत्री ने कहा, असम में पुलिस पहले आतंकवादियों से लड़ने के लिए थी, लेकिन अब यह लोगों की मदद के लिए है और इसके कारण पिछले तीन वर्षों में दोषसिद्धि दर पांच फीसद से बढ़कर 25 फीसद हो गई है। यह जल्द ही राष्ट्रीय औसत को पार कर जाएगी।

असम और मिजोरम के तीन दिवसीय दौरे पर आए शाह ने यह भी कहा कि लचित बरफुकन पुलिस अकादमी अगले पांच वर्ष में शीर्ष अकादमी बन जाएगी, जिसमें विभिन्न चरणों में कुल 1,050 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।

'सरकारी पक्ष रखने वाले विधि अधिकारियों में 30 फीसद महिलाएं होनी चाहिए'

मुंबई, 15 मार्च (भाषा)।

उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने शनिवार को ग्राम पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले विधि अधिकारियों में भी कम से कम 30 फीसद महिलाएं होनी चाहिए।

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में सक्षम महिला अधिवक्ताओं की पदोन्नति का आह्वान किया ताकि न्यायाधीशों में अधिक विविधता लाई जा सके। शीर्ष अदालत की न्यायाधीश ने यहां मुंबई विश्वविद्यालय द्वारा 'ब्रेकिंग ग्लास सीलिंग: वूमेन हू मेड इट' विषय पर आयोजित एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए सवाल किया कि यदि 45 वर्ष से कम आयु के पुरुष अधिवक्ताओं को उच्च न्यायालयों में नियुक्त किया जा सकता है, तो सक्षम महिला अधिवक्ताओं को क्यों नहीं।

उन्होंने कहा कि सफलतापूर्वक बंदिशों को तोड़ने के लिए, हमें कल की लड़कियों और महिलाओं को लिंग-भूमिकाओं और गुणों के पूर्वाग्रहों से नहीं गुजरने देना चाहिए। सफलता के लिए कोई ऐसा गुण नहीं है जो केवल पुरुषों के लिए हो और महिलाओं में न हो। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने

उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने ग्राम पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सराहना की।

रेखांकित किया कि युवा महिलाओं के पास ऐसे आदर्श और मार्गदर्शकों का अभाव है जो उन्हें कानूनी पेशे में आगे बढ़ने और सफल होने के लिए प्रेरित, प्रोत्साहित और मदद कर सकें। उन्होंने कहा कि यह अहम है कि हम उन महिलाओं के महत्व को पहचानें जिन्होंने बंदिशों को तोड़ दिया और उनके मार्ग का अनुसरण करें।

साथ ही, हमें उन महिलाओं को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने भले ही उच्च-स्तरीय उपलब्धियों के माध्यम से सुर्खियां नहीं बटोरीं, लेकिन उनका योगदान महत्वपूर्ण है और जिन्होंने अपने आसपास के लोगों के जीवन पर अपनी छाप छोड़ी है। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि आम महिलाओं के जीवन को भी मान्यता दी जानी चाहिए, जिनकी प्राथमिक भूमिकाएं मां, पत्नी और देखभाल करने वाली की हैं। उनका महत्व हमेशा दिखाई नहीं देता, लेकिन कई मायनों में, ये महिलाएं ही हैं जो अपने परिवार के सदस्यों के लिए बाहरी दुनिया पर विजय पाने का आधार बनाती हैं।

विपक्ष को दबाने के लिए

'रालेक्ट अधिनियम' लाने की कोशिश हो रही : सुले

मुंबई, 15 मार्च (भाषा)।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) सांसद सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र में शहरी नक्सलवाद के खिलाफ प्रस्तावित कानून की तुलना औपनिवेशिक रालेक्ट अधिनियम से करते हुए आशंका जताई कि सरकार की आलोचना करने वाले व्यक्तियों या संगठनों के खिलाफ इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, जिससे प्रभावी रूप से पुलिस राज स्थापित हो सकता है।

सुले ने मांग की कि सरकार विधेयक के मसविदे की समीक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन न हो। 'महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, 2024' विधेयक राज्य में नक्सलवाद से निपटने के लिए पहला कानून बन जाएगा। इसमें

'महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, 2024' विधेयक राज्य में नक्सलवाद से निपटने के लिए पहला कानून बन जाएगा। इसमें गैरकानूनी गतिविधियों से निपटने में सरकार और पुलिस तंत्र को कई शक्तियां देने का प्रस्ताव है।

गैरकानूनी गतिविधियों से निपटने में सरकार और पुलिस तंत्र को कई शक्तियां देने का प्रस्ताव है। इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सभी अपराध संज्ञेय एवं गैर-जमानती होंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पिछले साल दिसंबर में राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान विधेयक को पुनः पेश करते हुए कहा था कि कानून का उद्देश्य शहरी नक्सलियों के अड्डे बंद करना है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि प्रस्तावित कानून वास्तविक असहमति की आवाजों को दबाने के खिलाफ नहीं है। सुले ने शनिवार को दावा किया कि यह विधेयक नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कमतर करेगा। राकांपा (एसपी) की कार्यकारी अध्यक्ष ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर जारी पोस्ट में कहा, 'इस विधेयक के जरिए आम लोगों से सरकार के खिलाफ बोलने का अधिकार छीन लिया जाएगा। एक स्वस्थ लोकतंत्र में असहमतिपूर्ण विचारों का सम्मान किया जाता है।' उन्होंने कहा, 'लोकतंत्र का सिद्धांत विपक्षी आवाजों को भी महत्व देता है, क्योंकि वे सुनिश्चित करते हैं कि सत्ता में बैठे लोग जवाबदेह रहें और जनमत का सम्मान करें।'

पर्व मथुरा के पास दाऊजी मंदिर में होली के एक दिन बाद आयोजित होने वाले पारंपरिक हुरंगा महोत्सव का जश्न मनाते लोग।

आधार से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के मामले को लेकर चुनाव आयोग की बैठक 18 को

नई दिल्ली, 15 मार्च (भाषा)।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मतदाता सूची के आंकड़ों में हेराफेरी के आरोपों के बीच मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ने के मुद्दे पर चर्चा के लिए केंद्रीय गृह सचिव और विधायी सचिव के साथ बैठक बुलाई है।

सूत्रों ने बताया कि कुमार मंगलवार को गृह सचिव, विधायी सचिव और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ के साथ चर्चा करेंगे।

विभिन्न राज्यों में मतदाताओं को आबंटित किए गए 'डुप्लीकेटस' मतदाता फोटो पहचान पत्र क्रमांक के मामलों को उठाते हुए, विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि निर्वाचन अधिकारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मदद करने के लिए मतदाता सूची में हेराफेरी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी लोकसभा में इसी तरह की भावनाएं व्यक्त की थीं। निर्वाचन आयोग ने अगले तीन महीनों में इस मामले को निपटाने का आश्वासन दिया है। आयोग ने कहा है कि 'डुप्लीकेट' नंबर का मतलब जरूरी नहीं कि फर्जी मतदाता ही हों। सूत्रों ने बताया कि कुमार मंगलवार को गृह सचिव, विधायी सचिव और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) के सीईओ के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सरकार ने संसद को बताया कि आधार-मतदाता पहचान पत्र को जोड़ने का काम एक 'प्रक्रिया संचालित' काम है। सरकार ने यह भी कहा है कि जो लोग अपने आधार विवरण को मतदाता सूची से नहीं जोड़ेंगे, उनके नाम मतदाता सूची से नहीं काटे जाएंगे।

भाजपा नेता ने राहुल गांधी की वियतनाम यात्रा पर उठाए सवाल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 15 मार्च।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शनिवार को दावा किया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र की तुलना में वियतनाम में अधिक समय बिता रहे हैं और उन्हें दक्षिण पूर्वी एशियाई इस देश के प्रति 'असाधारण लगाव' के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए।

भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'राहुल गांधी कहां हैं। मैने सुना है कि वह वियतनाम गए हैं।' प्रसाद ने कहा कि गांधी नए साल के दौरान भी दक्षिण-पूर्वी एशियाई देश में थे और उन्होंने वहां करीब 22 दिन बिताए थे। भाजपा नेता ने सवाल किया, 'वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में ज्यादा दिन नहीं बिताते। अचानक वियतनाम के प्रति उनके इतने प्रेम का क्या कारण है?' उन्होंने कहा कि गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और उन्हें भारत में उपलब्ध रहना चाहिए।

पिछले वर्ष 26 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह के निधन के बाद गांधी की वियतनाम यात्रा की थी जिसकी भाजपा ने आलोचना की थी। भाजपा के आइटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने तब कहा था कि जब देश सिंह के निधन पर शोक मना रहा था, तब राहुल गांधी नए साल का जश्न मनाने के लिए वियतनाम गए हुए थे।

अहमदाबाद भीड़ हिंसा मामले में प्रशासन ने की कार्रवाई

आरोपियों के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया

अहमदाबाद, 15 मार्च (भाषा)।

अहमदाबाद में राहगीरों पर हमला करने और दंगा-फसाद करने के आरोप में गिरफ्तार 14 आरोपियों में से छह के 'अवैध रूप से निर्मित' मकानों को प्रशासन ने शनिवार को ध्वस्त कर दिया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

रामोल पुलिस थाने के निरीक्षक एसबी चौधरी ने बताया कि भीड़ ने कुछ राहगीरों पर लाठियों और तलवारों से हमला किया था और इस मामले में एक नाबालिग सहित 14 लोगों को पकड़ा गया था। उन्होंने बताया कि इस हमले में तीन लोग घायल हुए थे और कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए थे। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में से छह के मकान अवैध रूप से निर्मित होने की जानकारी मिली और

रामोल पुलिस थाने के निरीक्षक एसबी चौधरी ने बताया कि भीड़ ने कुछ राहगीरों पर लाठियों और तलवारों से हमला किया था और इस मामले में एक नाबालिग सहित 14 लोगों को पकड़ा गया था।

शहर के अमराईवाड़ी तथा खोखर इलाकों में बने इन मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। अधिकारी ने बताया कि अहमदाबाद नगर निगम भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध ढांचों को ध्वस्त कर रहा है। एक पुलिस अधिकारी ने कह कि एएमसी इन अवैध निर्माणों को हटाने के लिए कार्रवाई कर रही है। इन स्थलों पर लगभग 700-800 पुलिसकर्मी तैनात हैं और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी स्थलों का दौरा किया है।

जानकारी के मुताबिक आरोपियों के परिवार के सदस्यों ने हंगामा करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें नियंत्रित किया और ध्वस्तीकरण के कार्य में बाधा उत्पन्न करने से रोक दिया। अहमदाबाद के वस्त्राल इलाके में लाठियों, तलवारों और चाकुओं से लैस 20 लोगों की भीड़ ने गुरुवार को वाहनों में कथित तौर पर तोड़फोड़ की और लोगों की पिटाई कर आतंक फैलाया। पुलिस ने अलाप सोनी नामक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की थी। सोनी के मुताबिक वह अपने माता-पिता की शादी की सालगिरह मनाने के लिए परिवार के साथ बाहर आया था तभी कुछ असामाजिक तत्वों ने लाठी, तलवार और चाकुओं से उन पर हमला कर दिया।

पेज 1 का बाकी

मुसलिम ठेकेदारों को सरकारी निविदाओं में चार फीसद आरक्षण

ने दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विपक्षी दलों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक वोट बैंक की राजनीति में कांग्रेस का नेतृत्व करना चाहते हैं। प्रसाद ने दावा किया कि कर्नाटक सरकार द्वारा मुसलिम ठेकेदारों के लिए आरक्षण तय करने के फैसले के पीछे राहुल गांधी का हाथ है, क्योंकि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के पास यह फैसला लेने का साहस या राजनीतिक सामर्थ्य नहीं है।

उन्होंने कहा कि सरकारी ठेकों में मुसलमानों के लिए अलग आरक्षण की घोषणा ने सांप्रदायिक और वोट बैंक की राजनीति को नया आयाम दिया है। पूर्व कानून मंत्री ने कहा कि ऐसा निर्णय छोटा लग सकता है, लेकिन इस तरह के घटनाक्रमों के राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर परिणाम होते हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या इस तरह की प्रतिस्पर्धी तुष्टीकरण की राजनीति की कोई सीमा है और क्या सिनेमा और रेल टिकट खरीदने के लिए मुसलमानों की अलग कतारें लगेंगी। प्रसाद ने दावा किया कि ऐसे फैसले उन मुसलमानों की आवाज को भी कमजोर करते हैं जो ऐसी राजनीति के खिलाफ हैं और देश के विकास के लिए खड़े हैं। प्रसाद ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुसलमानों के लिए अलग व्यवहार की कई मांगों का परिणाम अंततः देश का विभाजन हुआ। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने धर्म आधारित आरक्षण के खिलाफ मुखर तरीके से राय रखी है और विश्वास व्यक्त किया कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के फैसले को अदालतों में चुनौती दी जाएगी।

प्रसाद ने सवाल किया कि क्या राहुल गांधी संविधान को समझते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित अन्य राज्य भी कर्नाटक के उदाहरण का अनुसरण कर सकते हैं और भाजपा इसका विरोध करेगी। प्रसाद ने कहा कि संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण का प्रावधान है और विभिन्न राज्यों में मुसलमानों को भी इसका लाभ मिला है। प्रसाद ने कहा कि भाजपा मौलाना अबुल कलाम आजाद और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जैसी मुसलिम हस्तियों का सम्मान करती है।

उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अंडमान और निकोबार क्षेत्र में एक द्वीप का नाम परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हामिद के नाम पर रखा है। प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस नेता इन दिनों भाजपा पर निशाना साधने के लिए भीम राव आंबेडकर की तस्वीरें लेकर घूमते हैं। उन्होंने आंबेडकर द्वारा प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इस बात के लिए की गई आलोचना का हवाला दिया कि नेहरू मुसलमानों के लिए बोलते हैं, लेकिन अनुसूचित जातियों के कल्याण की बात नहीं करते।'वहीं भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि यह आरक्षण कांग्रेस की मुसलिम लीग-जिन्ना मानसिकता को दर्शाता है।

इकतालीस देशों पर अमेरिका लगा सकता है यात्रा प्रतिबंध

आंशिक रूप से या पूरी तरह से निलंबित कर दी जानी चाहिए क्योंकि उनकी 'जांच और स्क्रीनिंग जानकारी बहुत कम है।'

ट्रंप का निर्देश उस आव्रजन कार्रवाई का हिस्सा है जिसे उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में शुरू किया था। उन्होंने अक्तूबर 2023 के भाषण में अपनी योजना का संकेत दिया, जिसमें गाजा पट्टी, लीबिया, सोमालिया, सीरिया, यमन और 'ऐसी किसी भी जगह से लोगों को प्रतिबंधित करने का वचन दिया जो अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा है।'

मुंगेर में ग्रामीणों के हमले में पुलिस अधिकारी की मौत

अस्पताल में सिंह की मौत हो गई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और पुलिस ने अब तक चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

अधिकारी ने बताया, जब गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक गुड्डू कुमार को अन्य संदिग्धों की पहचान के लिए पुलिस वाहन में ले जाया जा रहा था, तब बाकरपुर बागीचा के पास बकरी को बचाने के प्रयास में वाहन सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गया। मुंगेर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) सैयद इमरान मसूद ने बताया कि मौके का फायदा उठाकर आरोपी ने पुलिस का हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। उसने पुलिसकर्मियों पर गोली चलाई लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि वाहन के पेड़ से टकराने के कारण कुछ पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आईं। अधिकारी ने बताया कि पुलिसकर्मियों द्वारा आत्मरक्षा में चलाई गई गोली आरोपी के पैर में लगी, जिसके बाद उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसका इलाज जारी है। उन्होंने बताया कि आरोपी की हालत स्थिर है। अधिकारी ने बताया कि अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। एएसआई सिंह के शव को अंतिम दर्शन के लिए मुफस्सिल थाने लाया गया, जिसके बाद उनके परिवार के सदस्य अंतिम संस्कार के लिए पटना रवाना हो गए। इससे पहले पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने दावा किया था कि मामले के सिलसिले में पांच से छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस महानिदेशक ने बिहार के विभिन्न हिस्सों में पुलिसकर्मियों पर हाल ही में हुए हमलों पर टिप्पणी करते हुए बताया कि सभी पुलिस थानों को विभिन्न मामलों में छापेमारी करने से पहले स्थिति का आकलन करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि जांच स्थलों पर हमेशा पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों के साथ जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। अधिकारी ने बताया कि पुलिस को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आपराधिक मामलों में वांछित फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए अभियान तेज करने को कहा गया है। मुंगेर और अररिया की घटनाओं में जान गंवाने वाले पुलिसकर्मी आपातकालीन नंबर 112 से जुड़े थे।

इस बीच, राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को संवाददाताओं से कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली मौजूदा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार को लोगों की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है।

अमेरिका में वीजा गंवाने वाली भारतीय छात्रा स्वदेश लौटी

का इरादा जाहिर करने के लिए इस एप का इस्तेमाल कर सकते हैं। होमलैंड सुरक्षा विभाग ने कहा कि सीबीपी एप अवैध प्रवासियों को 'देश छोड़ने और स्व-निर्वासन का विकल्प देता है, ताकि उन्हें भविष्य में कानूनी रूप से अमेरिका लौटने और अपने सपनों को साकार करने का मौका मिल सके। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे, उन्हें निर्वासित करेंगे और वे कभी अमेरिका वापस नहीं आ पाएंगे।' विभाग के मुताबिक, आइसीई एचएसआइ नेवार्क के अधिकारियों ने वेस्ट बैंक की मूल निवासी फिलिस्तीनी छात्रा लेका कोर्डिया को एफ-1 वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी अमेरिका में रहने के लिए गिरफ्तार किया है। विभाग के अनुसार, हाजिरी कम होने के कारण लेका का वीजा 26 जनवरी 2022 को रद्द कर दिया गया था। उसने बताया कि लेका को अप्रैल 2024 में न्यूयार्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय परिसर में हमास समर्थक विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने पिछले हफ्ते 'यहूदी छात्रों के लगातार जारी उत्पीड़न को लेकर विश्वविद्यालय की निष्क्रियता' के कारण कोलंबिया विश्वविद्यालय को दिए जाने वाले लगभग 40 करोड़ अमेरिकी डालर के संघीय अनुदान और अनुबंधों को तत्काल रद्द करने की घोषणा की थी।

दिल्ली में पहले मारी सिर पर शराब की बोतल, फिर टूटे कांच से काट दिया गला

जाया गया है। पुलिस अस्पताल पहुंची तो पता चला कि आशीष की मौत हो चुकी है। अस्पताल में चश्मदीद और आशीष का दोस्त विकास मिला। उसने बताया कि आशीष भारत नगर खोड़ा कालोनी, गाजियाबाद में रहता था। इसके परिवार में माता-पिता और तीन भाई हैं। वह अपने पिता के साथ नोएडा सेक्टर-9 में बीड़ी सिगरेट का खोखा लगाता था। वारदात के वक्त वह अपने दोस्तों के साथ होली खेलकर घर लौट रहा था। जैसे ही वह एनएच-24 के कट पर पहुंचा, तभी उनकी मोटरसाइकिल को अन्य मोटरसाइकिल पर सवार दो लड़कों ने टक्कर मार दी। बाद में उल्टा दोनों झगड़ा करने लगे।

पुलिस ने बताया कि विरोध करने पर एक आरोपी ने शराब की बोतल से पहले आशीष के सिर पर वार किया। इससे बोतल टूट गई। इसके बाद आरोपी ने टूटी बोतल के कांच से उसका गला रेत दिया। वारदात के बाद दोनों मोटरसाइकिल पर सवार होकर घटनास्थल से फरार हो गए। वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की और वारदात के कुछ घंटे बाद ही दोनों को दबोच लिया।

संभल में शाही जामा मस्जिद की दीवार की पुताई आज से संभव

संभल, 15 मार्च (भाषा)।

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद की बाहरी दीवार की पुताई रविवार से शुरू हो सकती है। मस्जिद के सचिव मसूद फारूकी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

फारूकी ने बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) की टीम दोपहर करीब 12 बजे मस्जिद आई और इस बात पर चर्चा की कि पुताई में कितनी सामग्री लगेगी तथा इस काम के लिए कितने मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। फारूकी ने कहा,''ये लोग (एएसआइ) कह रहे हैं कि वे कल से काम शुरू करेंगे। हमने उन्हें याद दिलाया कि उच्च न्यायालय ने सात दिन का समय दिया है, जिसमें से तीन दिन बीत चुके हैं।' उन्होंने बताया, एएसआइ के तीन सदस्य यहां आए हैं। वे अपने साथ कुछ मजदूर ले आए हैं। हम भी स्थानीय स्तर पर कुछ मजदूरों की व्यवस्था करेंगे।' इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को एएसआइ को संभल में शाही जामा मस्जिद की बाहरी दीवार की पुताई का काम एक हफ्ते में पूरा करवाने का निर्देश दिया था।

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

पंजीकृत कार्यालय : नं. 167–169, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई– 600015
शाखा कार्यालय : एफ–8, महालक्ष्मी मेट्रो टावर, सेक्टर– 4, वैशाली, गाजियाबाद– 201010

अचल संपत्ति के भौतिक कब्जे की सार्वजनिक सूचना

प्रति. 1. श्री विक्रम राजदान, 2. श्रीमती पल्लवी भार्गव राजदान– दोनों का पता : मकान नंबर– बी–104, सेक्टर 52 नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत, उत्तर प्रदेश, मेट्रो, नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत– 201301

जबकि एलडी. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नोएडा द्वारा पारित आदेश दिनांक– 24.01.2025 के अनुसार, संपत्ति, यूनिट नं. बी–12ए01, 13वीं तल, टॉवर बी, गायत्री और, जीएच–11, सेक्टर–1, ग्रेटर नोएडा पश्चिम नोएडा उत्तर प्रदेश, मेट्रो, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत– 201306 के समस्त भागों एवं अंशों का भौतिक कब्जा मैसर्स हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा 10–03–2025 को ले लिया गया है। विशेष रूप में उधारकर्ताओं और जनसाधारण को एतद्वारा संपत्ति का संव्यवहार न करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति का कोई भी संव्यवहार मैसर्स हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

दिनाँक : 16/03/2025 हस्ता./–, प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : नोएडा हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

डीएमआई हाउसिंग फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड

DMI HOUSING FINANCE
पंजीकृत कार्यालय: एक्सप्रेस बिल्डिंग, तृतीय तल, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, फोन: +91 11 41204444 F: +91 11 41204000
dmi@dmihousingfinance.in U65923DL2011PTC216373

{नियम 8 (1) देखें} कब्जे की सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि, प्राधिकृत अधिकारी ने डीएमआई हाउसिंग फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड की ओर से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनगर्ठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (12) सपठित नियम 3 का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 (2002 का 54) के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिनांक 02 मई, 2024 को एक माँग नोटिस जारी करके ऋणी शम्मी शालिनी पत्नी साहिल और साहिल पुत्र संजय, नेहा पुत्री संजय (सह-ऋणी) को नोटिस में वर्णित राशि रू. 23,66,093/- (रूपये तेईस लाख छियासठ हजार तिरानवे मात्र) दिनांक 19 अप्रैल, 2024 तक उक्त नोटिस के मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अदा करने के लिए कहा गया था।

ऋणियों/सह-ऋणियों/बंधककर्ताओं/जमानतदारों द्वारा उक्त राशि की अदायगी न करने के कारण ऋणियों/सह-ऋणियों/बंधककर्ताओं/जमानतदारों और जनसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित संपत्ति का भौतिक कब्जा दिनांक 10 मार्च 2025 को प्राप्त कर लिया है।

ऋणी को विशेष रूप से एवं जन साधारण को सामान्य रूप से इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे निम्नलिखित संपत्तियों से सम्बन्धित कोई संव्यवहार न करें। निम्नलिखित संपत्तियों से किया गया कोई भी संव्यवहार डीएमआई हाउसिंग फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड के रू.23,66,093/- (रूपये तेईस लाख छियासठ हजार तिरानवे मात्र) दिनांक 19 अप्रैल, 2024 तक एवं अनुबंध की दर से आगे का ब्याज पूर्ण भुगतान होने तक एवं खर्चों के अध्यधीन होगा।

ऋणियों/सह-ऋणियों/बंधककर्ताओं/जमानतदारों का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के उपबंधों की ओर, आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्ति का वर्णन

सम्पत्ति के सभी अंश व अंग गठित होते है जिसमें निर्मित आवासीय दूसरी मंजिल (दाहिनी ओर बिना छत अधिकार के), प्लॉट नं. 38-ए, खसरा नं. 80/1, गली नं. 10, मोहन गार्डन प्रताप एन्क्लेव, गांव हस्तसाल, मेट्रो गगर स्वीट के पास, मेट्रो पिलर नं. 745, वेस्ट दिल्ली, नई दिल्ली 110059 में स्थित है। सीमाएं निम्न हैः- उत्तर मेंः गली 5 फीट, दक्षिण मेंः गली 16 फीट, पूर्व मेंः प्लॉट नंबर 36 एवं 37, पश्चिम मेंः प्लॉट नंबर (प्लॉट का हिस्सा)

हस्ताक्षर/- (प्राधिकृत अधिकारी)
दिनांकः 15/03/2025 स्थानः नई दिल्ली डीएमआई हाउसिंग फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड

केन फिन होम्स लिमिटेड

Can Fin Homes Ltd
डीडीए बिल्डिंग, प्रथम तल, नियर पारस सिनेमा, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली–110019
फोनः 011-26435815, 2643023, 011-26487529, 7625079108
ईमेलः delhi@canfinhomes.com CIN: L85110KA1987PLC008699

परिशिष्ट-IV-A [नियम 9(1) के परंतुक देखें]
अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा **केन फिन होम्स लिमिटेड, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली** शाखा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, **श्रीमती राखी पत्नी स्व. दलीप सिंह एवं स्व. दलीप सिंह पुत्र श्री एलीस (उधारकर्ता) के सभी कानूनी उत्तराधिकारी** एवं **श्री आशीष पुत्र स्व. दलीप सिंह (गारंटर)** की तरफ केन फिन होम्स लिमिटेड की 15.03.2025 तक बकाया राशि **रु.16,82,460/–** (रुपए सोलह लाख बयासी हजार चार सौ साठ मात्र) उस पर आगे ब्याज एवं अन्य प्रभारों इत्यादि की वसूली के लिए दिनांक **03.04.2025** को **"जैसी है जहाँ है", "जैसी है जो है"** तथा **"जो भी है वहाँ है"** आधार पर बेची जाएगी। सुरक्षित मूल्य **रु. 9,80,000/–** (रुपए नौ लाख अस्सी हजार मात्र) तथा धरोहर राशि जमा **रु. 98,000/–** (रुपए अट्ठानबे हजार मात्र) होगी।

संपत्ति का विवरण

फ्लैट नंबर–एसएफ–5, द्वितीय तल, पिछली ओर, प्लॉट नंबर–बी–91, ब्लॉक–बी, एसएलएफ वेद विहार, लोनी जिला–गाजियाबाद (यूपी)–201102. (लगभग 51 वर्ग मीटर)
संपत्ति की सीमाएं इस प्रकार हैं:– उत्तरः प्लॉट नंबर–बी–100, पूर्व फ्लैट नंबर–एसएफ–4
दक्षिणः फ्लैट नंबर–एसएफ–1, पश्चिमः प्लॉट नंबर–बी–92

भार : शून्य

बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तें कैन फिन होम्स लिमिटेड के आधिकारिक वेबसाइट **(https://www.canfinhomes.com/SearchAuction.aspx).** पर उपलब्ध कराई गई हैं
ई–नीलामी में भाग लेने के लिए लिंकः **www.bankeauctionwizard.com**

तिथिः 15.03.2025 हस्ता./–,
स्थानः नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, केन फिन होम्स लिमिटेड

डीएमआई हाउसिंग फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड

DMI HOUSING FINANCE
पंजीकृत कार्यालयः एक्सप्रेस बिल्डिंग, तृतीय तल, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, फोनः +91 11 41204444 F: +91 11 41204000
dmi@dmihousingfinance.in U65923DL2011PTC216373

{नियम 8 (1) देखें} कब्जे की सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि, प्राधिकृत अधिकारी ने डीएमआई हाउसिंग फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड की ओर से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनगर्ठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (12) सपठित नियम 3 का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 (2002 का 54) के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिनांक 20 नवम्बर, 2024 को एक माँग नोटिस जारी करके ऋणी स्व. रोहतास पुत्र पाला राम (मृतक के बाद से) जरिये कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी वारिस संतोष पत्नी स्व. रोहतास, शमशेर पुत्र स्व. रोहतास और संतोष पत्नी स्व. रोहतास, शमशेर पुत्र स्व. रोहतास (सह-ऋणी) को नोटिस में वर्णित राशि रू.11,30,141/- (रूपये ग्यारह लाख तीस हजार एक सौ इकतालीस मात्र) दिनांक 07 नवम्बर, 2024 तक उक्त नोटिस के मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अदा करने के लिए कहा गया था।

ऋणियों/सह-ऋणियों/बंधककर्ताओं/जमानतदारों द्वारा उक्त राशि की अदायगी न करने के कारण ऋणियों/सह-ऋणियों/बंधककर्ताओं/जमानतदारों और जनसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा दिनांक 12 मार्च 2025 को प्राप्त कर लिया है।

ऋणी को विशेष रूप से एवं जन साधारण को सामान्य रूप से इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे निम्नलिखित संपत्तियों से सम्बन्धित कोई संव्यवहार न करें। निम्नलिखित संपत्तियों से किया गया कोई भी संव्यवहार डीएमआई हाउसिंग फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड के रू.11,30,141/- (रूपये ग्यारह लाख तीस हजार एक सौ इकतालीस मात्र) दिनांक 07 नवम्बर, 2024 तक एवं अनुबंध की दर से आगे का ब्याज पूर्ण भुगतान होने तक एवं खर्चों के अध्यधीन होगा।

ऋणियों/सह-ऋणियों/बंधककर्ताओं/जमानतदारों का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के उपबंधों की ओर, आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्ति का वर्णन

निर्मित आवासीय सम्पत्ति के सभी अंश व अंग गठित होते है जिसमें प्लॉट नंबर 123 क्षेत्रफल 200 वर्गगज खेवट नं. 2597 मिन. खसरा नं. 294/1(0-19), 295/1(0-13) किते 2 क्षेत्रफल 1 बीघा 12 बिस्वा पुख्ता 200/4820 हिस्सा क्षेत्रफल 1 बिस्वा 6 बिस्वांसी पुख्ता (200 वर्गगज के बराबर) जो मौजा रोहतक तहसील और जिला रोहतक में स्थित जो एम.सी.एल के अंतर्गत है, मौजा रोहतक, तहसील और जिले रोहतक, सूर्य नगर रोहतक, अंद्रुण नगर निगम रोहतक, हरियाणा 124001 में स्थित है। सीमाएं निम्न हैः- उत्तर मेंः प्लॉट नंबर 122, दक्षिण मेंः प्लॉट नंबर 123, पूर्व मेंः प्लॉट नंबर 115, पश्चिम मेंः गली 20 फीट चौड़ी।

हस्ताक्षर/- (प्राधिकृत अधिकारी)
दिनांकः 15/03/2025 स्थानः रोहतक, हरियाणा डीएमआई हाउसिंग फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड

फॉर्म संख्या एनसीएलटी. 3ए
याचिका का विस्तृत विवरण देने वाला विज्ञापन
(नियम 35 देखें)
स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब लिमिटेड बनाम कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, दिल्ली और अन्य के मामले में
आवेदन संख्याः CP/12/ND/2025

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 131 के तहत वित्तीय विवरणों और बोर्ड रिपोर्ट के स्वैच्छिक संशोधन के लिए एक याचिका स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब लिमिटेड, द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसका सीआईएन U85110DL2004PLC126679 है और यह 4बी/4, तिलक नगर, संत पुरा के पास, पश्चिमी दिल्ली, नई दिल्ली – 110018 भारत, में स्थित है, और इसकी अधिकृत प्रतिनिधि सुश्री मनीषा रावत, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के माध्यम से 25 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किया गया था, और उक्त याचिका को नेशनल कंपनी लॉ न्यायाधिकरण की दिल्ली बेंच के न्यायालय संख्या 4 के समक्ष 01 अप्रैल 2025 को सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया है।

उक्त याचिका/आवेदन/संदर्भ का समर्थन या विरोध करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को याचिकाकर्ता के अधिकृत प्रतिनिधि को अपने इरादे की सूचना, स्वयं या अपने अधिवक्ता को अपना नाम और पता लिखकर इस प्रकार भेजें कि वह याचिका/आवेदन/संदर्भ की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम 5 (पांच) दिन पहले याचिकाकर्ता के अधिकृत प्रतिनिधि के पास पहुंच जाए। जहां वह याचिका/आवेदन/संदर्भ का विरोध करना चाहता है, वहां विरोध के आधार या उसके हलफनामे की एक प्रति ऐसी सूचना के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

याचिका/आवेदन/संदर्भ की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी द्वारा किसी भी व्यक्ति को निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर उपलब्ध कराई जाएगी।

दिनांकित : 12–03–2025 मनीषा रावत
(अधिकृत प्रतिनिधि)

"IMPORTANT"
Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जन स्वा. अभि. विभाग वृत–दौसा

Address:-Police Line Opp. Meena Hostel Maheshwara Road Dausa,
Email ID-se.dau.phed@rajasthan.gov.in
No. SE Dausa/DIPR/NIT-31 to 33/2024-25/7711-20 Date:- 07/03/2025

निविदा संशोधन सूचना 31 से 33/2024-25

इस कार्यालय के पत्रांक 7582–88 दिनांक 03.03.2025 के द्वारा आमंत्रित निविदा संख्या 31 से 33/2024–25 में ई-ग्रास चालान की प्रति एवं मूल स्टाम्प (विभाग में रिसेप्शन नहीं होने से Historical Contracts Non-Performance) जमा कराने की दिनांक 17.03.2025 को 10:50 ए.एम तक जमा कराना अनिवार्य है।

NIBPHE2425A5026
CodePHE2425A5026
PHE2425WSRC11001
PHE2425WSRC11002
PHE2425WSRC11003
DIPR/C/3600/2025

हस्ता./-
अधीक्षण अभियन्ता
जन स्वा. अभि. विभाग,
वृत दौसा

डीएमआई हाउसिंग फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड

DMI HOUSING FINANCE
एक्सप्रेस बिल्डिंग, तृतीय तल, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, टेलीफोन: +91 11-41204444, फैक्स: +91 11-41204000, ई-मेल: rahul.gupta@dmihousingfinance.in www.dmihousingfinance.in

निजी संधि के माध्यम से ई-नीलामी बिक्री नोटिस (सरफेसी अधिनियम के तहत)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 13(8) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन अचल प्रतिभूत आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना।

जन साधारण को साधारणतया तथा ऋणीयों और जमानतदारों को विशेष रूप से यह सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड (सुरक्षित ऋणदाता) के द्वारा नीचे वर्णित सम्पत्तियों को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के प्रावधानों के अन्तर्गत भौतिक कब्जा दिनांक 14 नवम्बर, 2024 को लिया था। जबकि प्रतिभूति लेनदार के जरिये प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित बकाया और आगे के ब्याज, प्रभार एवं लागतों की वसूली हेतु निम्न वर्णित सम्पत्तियों को ई–नीलामी में रखा जाएगा। सम्पत्तियों को ''जहां है जैसी है'' तथा ''जो है जैसी है'' तथा ''वहां जो कुछ भी उपलब्ध है'' के आधार पर किसी वारंटी और क्षतिपूर्ति के बिना बेचा जाएगा।

निरीक्षण की दिनांक व समय: 22/03/2025 को प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 03.00 बजे तक।
ई–नीलामी की दिनांक व समय: 31/03/2025 को प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक। निविदा/ईएमडी जमा दिनांक: 27/03/2025 सांय 4.00 बजे तक।

ऋणी/जमानतदार का नाम	बकाया राशि	प्रतिभूति आस्ति का विवरण	(रूपये) आरक्षित मूल्य	ईएमडी 10%
स्वर्गीय सुनील कुमार पुत्र स्वर्गीय अर्जुन लाल (मृतक) जरियेः- कानूनी प्रतिनिधि/कानूनी उत्तराधिकारी सुनीता कुमारी पत्नी स्वर्गीय सुनील कुमार। सुनीता कुमारी पत्नी स्वर्गीय सुनील कुमार (सह-ऋणी)	ऋण खाता सं. HFC0000234865 जरिये आवेदन नं. GG808933 में रू. 23,02,849/- (रूपये तेईस लाख दो हजार आठ सौ उनचास मात्र) 18 दिसम्बर 2023 तक।	'आवासीय फ्लैट नंबर यूजी 01, एल.आई.जी., अपर ग्राउंड फ्लोर, दाहिनी ओर, आवासीय प्लॉट नंबर 9, खसरा नंबर 1302, आवासीय कॉलोनी, पी.एन. विहार, हडबस्त ग्राम, लोनी (चकबंदी में से), परगना और तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश 201102' में स्थित।	5,00,000/-	50,000/-

नियम एवं शर्तेः

1. बिक्री निजी संधि के माध्यम से ''जहां है जैसी है'' तथा ''जो है जैसी है'' के आधार पर होगी।
2. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, किसी भी संपत्ति पर कोई भार नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले भार, नीलामी में रखी गई संपत्ति का शीर्षक और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकाया राशियों के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की किसी भी प्रतिबद्धता या किसी भी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही इसे ऐसा माना जाएगा। संपत्ति को सभी मौजूदा और भविष्य के भारों के साथ बेचा जा रहा है, चाहे वे बैंक को ज्ञात हों या अज्ञात। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकाया राशियों/बकाया वैधानिक बकाया/करों आदि के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
3. बोली लगाने से पहले संपत्ति और विनिर्देश के बारे में निरीक्षण करना और स्वयं को संतुष्ट करना बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी। नीलामी में रखी गई संपत्ति का निरीक्षण इच्छुक बोलीदाताओं को प्रत्येक संपत्ति विवरण के सामने उल्लेखित साइटों पर करने की अनुमति होगी।
4. संपत्ति को आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, और प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए ई-नीलामी को स्थगित/स्थगित/रद्द करने का पूर्ण अधिकार है।
5. सफल बोलीदाता की ईएमडी को आंशिक बिक्री प्रतिफल के रूप में रखा जाएगा और असफल बोलीदाताओं की ईएमडी नीलामी की तारीख से 7 कार्य दिवसों के भीतर वापस कर दी जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। सफल बोलीदाता को पहले से भुगतान की गई ईएमडी को समायोजित करते हुए बिक्री मूल्य का 25% तुरंत अर्थात् उसी दिन या अगले कार्य दिवस से पहले जमा करना होगा तथा बिक्री मूल्य का शेष 75% बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर या प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर लिखित रूप में सहमत विस्तारित अवधि के भीतर जमा करना होगा।
6. इच्छुक पक्ष आगे की जानकारी/ स्पष्टीकरण तथा अपना आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। प्राधिकृत अधिकारी का विवरण इस प्रकार हैः श्री राहुल गुप्ता, मोबाइल नंः 9211111430 और ई-मेल आईडीः rahul.gupta@dmihousingfinance.in
7. क्रेता को संपत्ति की खरीद के संबंध में सभी स्टांप ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और अन्य खर्च, कर, शुल्क, सोसायटी बकाया राशि का भुगतान करना होगा।
8. उपर्युक्त ऋणी/ सह-ऋणी का ध्यान सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके तहत उपरोक्त उल्लेखित सुरक्षित आस्तियों के मोचन के लिए इस नोटिस की तारीख से 15 दिनों के भीतर बैंक द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री से पहले सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ उपरोक्त बकाया राशि का भुगतान करना होगा अन्यथा आस्तियों को ऊपर उल्लेखित नियमों और शर्तों के अनुसार बेचा जाएगा।

हस्ताक्षर/- (प्राधिकृत अधिकारी)
स्थानः गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश दिनांकः 13.03.2025 डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड

फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (परिसमापन में)

पंजीकृत कार्यालयः द्वितीय तल, फ्यूचर ग्रुप कार्यालय, सोबो ब्रांड फैक्ट्री, पंडित मदन मोहन मालवीय मार्ग, क्रॉस रोड हाजी अली, ताड़देव, मुंबई 400034
ईमेल- frl.eauction@gmail.com

ई–नीलामी–आईबीसी, 2016 के तहत परिसंपत्तियों की बिक्री

नीलामी की तिथि और समय – 7 अप्रैल, 2025
03:00 अप. से 05:00 बजे अप. तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)

फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (परिसमापन में) के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों की बिक्री जो परिसमापन प्रक्रिया विनियमन के विनियमन 33 के साथ पठित आईबीसी 2016 की धारा 35(एफ) के तहत परिसमापन एस्टेट का हिस्सा है। ई–नीलामी **''जहां है, जैसा है और आश्रय रहित''** आधार पर आयोजित की जाएगी।
यह बिक्री ई–नीलामी सेवा प्रदाता ई–बिक्रे के माध्यम से वेबसाइट **www.ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home** के माध्यम से की जाएगी।

आस्ति	विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी (रु.)
लॉट नं. 26	ट्रैवल न्यूज सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एफआरएल की 100% इक्विटी हिस्सेदारी, जो टीएनएसआई रिटेल प्राइवेट लिमिटेड और वेलकम रिटेल प्राइवेट लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी है	6,16,00,000 (रुपये छः करोड़ सोलह लाख मात्र)	61,60,000 (रुपये इकसठ लाख साठ हजार मात्र)

पात्रता दस्तावेज जमा करने की तिथि	16 मार्च, 2025 से 22 मार्च, 2025
ड्यू डिलिजेंस की तिथि	24 मार्च, 2025 से 1 अप्रैल, 2025
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	4 अप्रैल, 2025
ई-नीलामी की तिथि और समय	7 अप्रैल, 2025 दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक
उच्चतम बोलीदाता की घोषणा की तिथि	7 अप्रैल, 2025
सफल बोलीदाता की घोषणा की तिथि	10 अप्रैल, 2025

नोट : *कर यथाप्रयोज्य

ई–नीलामी के नियम एवं शर्तें निम्नलिखित हैं :

1. ई–नीलामी बिक्री केवल **'जैसा है जहाँ है', 'जो है यही है', 'जो कुछ भी है वही है' तथा 'आश्रय रहित'** आधार पर आयोजित की जाएगी और इस प्रकार, ई–नीलामी बिक्री किसी भी प्रकार की छूट, वारंटी और क्षतिपूर्ति के बिना होगी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बोलीदाता आरक्षित मूल्य से कम मूल्य पर बोली नहीं लगा सकते हैं।
2. इच्छुक बोलीदाताओं को फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (परिसमापन के तहत) खाता संख्याः 016020110000388 बैंक ऑफ इंडिया, विशेष आस्ति वसूली प्रबंधन, मुंबई–400038 और आईएफएससी कोडः **BKID0000154** के पक्ष में एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी के माध्यम से ईएमडी राशि जमा करनी होगी।
3. वर्तमान बिक्री नोटिस को ई–नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज के साथ पढ़ा जाना चाहिए जिसमें पात्रता दस्तावेज प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और समयसीमा, वीडीआर तक पहुंच, उचित परिश्रम, नियम और शर्तें और भागीदारी के पात्रता मानदंड का विवरण दिया गया है।
4. इच्छुक बोलीदाताओं को ई–नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज में निर्धारित प्रासंगिक नियमों और शर्तों को अनिवार्य रूप से पढ़ने और उनसे सहमत होने के बाद भाग लेना होगा और तदनुसार ई–नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज में निर्धारित तरीके से **22 मार्च, 2025** तक अपनी ईओआई प्रस्तुत करनी होगी।
5. ई–नीलामी से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए **frl.eauction@gmail.com** पर मेल करें या लिक्विडेटर को उनके ईमेल– **sanjay@sgaindia.in** पर मेल करें और मोबाइल नं. **9540007506**
6. बोलीदाता को यह आश्वासन देना होगा कि वह दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 29ए के अंतर्गत किसी भी प्रकार से अयोग्य नहीं है तथा यदि बोलीदाता किसी भी स्तर पर संहिता की धारा 29ए के अंतर्गत अयोग्य पाया जाता है, तो ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।

हस्ता./–
संजय गुप्ता
परिसमापक– फ्यूचर रिटेल लिमिटेड
आईबीबीआई पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-002/IP-N00982-C01/2017-2018/10354
तिथिः तिथिः 16 मार्च, 2025 पंजीकृत पताः प्राइमस इन्सॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड वैल्यूएशन प्राइवेट लिमिटेड
स्थानः नई दिल्ली डी.58 डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली–110024
मोबाइल नं. : 9810041074

टेकप्रो इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड परिसमापन के अंतर्गत

दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत परिसंपत्तियों की ई-नीलामी बिक्री हेतु सूचना

नीलामी की तिथि एवं समय: सोमवार, 31 मार्च 2025 लॉट नंबर 1 के लिए 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. तक
लॉट नंबर 2 तथा 3 के लिए 2.00 बजे अप. से 5.00 बजे अप. तक
दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण: 24.3.2025 तक; दस्तावेजों का निरीक्षण: 26.3.2025 तक
ईएमडी के भुगतान की अंतिम तिथि: 28.3.2025 तक

यदि लॉट 1 के तहत नीलामी सफल होती है, तो लॉट नंबर 2 एवं 3 की नीलामी परिसमापक द्वारा रद्द कर दी जाएगी।
कंपनी याचिका संख्या (आईबी) संख्या 1721/एनसीएलटी/2019 में आईए 4482/2020 में माननीय एनसीएलटी, चेन्नई के 25 नवंबर 2021 के आदेश के अनुसार, एतद्द्वारा परिसमापन प्रक्रिया दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 35(एफ) के साथ पठित विनियम 32(ई), 33 के तहत आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के गोइंग कंसर्न के रूप में परिसमापन (सीडी) में कॉर्पोरेट देनदार मैसर्स टेकप्रो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना निर्गत की जाती है।
इन परिसंपत्तियों को दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के प्रावधानों के साथ भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के साथ पठित विनियम 32 एवं 33 के तहत "जैसा है जहां है", "जो है यही है", "जो कुछ भी है वहीं है" तथा "बिना किसी सहारे के" के आधार पर बिक्री किया जा रहा है।

लॉट नं.	संपत्ति का ब्यौरा	संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य तथा प्रयोज्य जीएसटी रु. में	जमा धरोहर राशि (आरक्षित मूल्य का 10%) रु.
1	कॉर्पोरेट देनदार (सीडी) की बिक्री एक गोइंग कंसर्न के रूप में, जिसमें कॉर्पोरेट देनदार के अमूर्त मूल्य वाली संपत्तियां तथा केडब्ल्यूए से वसूली भी सम्मिलित है	सी.डी. का अमूर्त मूल्य तथा केरल जल प्राधिकरण से वसूली एवं कोई अन्य परिसंपत्तियां सम्मिलित नहीं	3,59,75,000.00 (रुपये तीन करोड़ उनसठ लाख पचहत्तर हजार मात्र)	35,97,500.00 (रुपये पैंतीस लाख सत्तानवे हजार पांच सौ मात्र)
2	कॉर्पोरेट देनदार (सीडी) की बिक्री एक गोइंग कंसर्न के रूप में, जिसमें केरल जल प्राधिकरण से वसूली तथा अन्य कोई परिसंपत्तियां सम्मिलित नहीं	सी.डी. का अमूर्त मूल्य तथा अन्य कोई परिसंपत्तियां सम्मिलित नहीं	51,05,000.00 (रुपये इक्यावन लाख पांच हजार मात्र)	5,10,500.00 (रुपये पांच लाख दस हजार पांच सौ मात्र)
3	केरल जल प्राधिकरण (केडब्ल्यूए) से विधिक कार्यवाही लंबित होने तक प्राप्त होने वाली परिसंपत्तियां	के.डब्ल्यू.ए. डिस्प्यूट्स प्रतिदायें तथा कोई अन्य परिसंपत्तियां सम्मिलित नहीं	3,08,70,000.00 (रुपये तीन करोड़ आठ लाख सत्तर हजार मात्र)	30,87,000.00 (रुपये तीस लाख सत्तासी हजार मात्र)

● बिक्री 31.3.2025 को www.bankeauctions.com पर सार्वजनिक ई-नीलामी के माध्यम से लॉट संख्या 1 हेतु 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. तक तथा लॉट संख्या 2 एवं 3 हेतु 2.00 बजे अप. से 5.00 बजे अप. तक प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार सहित की जाएगी, तथा आइटम 1,2 एवं 3 के लिए बोली राशि में रु. 10000/- के गुणकों में वृद्धि होगी। संपत्ति का विवरण निविदा दस्तावेज में दिया गया है।
● बिक्री सूचना, ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज जिसमें ऑनलाइन ई-नीलामी बोली फॉर्म घोषणा, ऑनलाइन नीलामी बिक्री की शर्तें और नियम शामिल हैं, वेबसाइट www.bankeauctions.com पर उपलब्ध हैं या श्री अरविंद कुमार से 7418281709 ईमेल आईडी: tn@c1india.com पर संपर्क करें या अधोहस्ताक्षरी, परिसमापक से मोबाइल नंबर 9444373373 ईमेल आईडी: rp.tecproinfra@gmail.com पर संपर्क करें।
● यदि लॉट 1 सफल होता है, तो लॉट संख्या 2 एवं 3 की नीलामी परिसमापक के विवेक पर रद्द कर दी जाएगी।
● संभावित बोलीदाताओं को आईबीसी, 2016 की धारा 29ए के तहत किसी भी तरह की अयोग्यता से ग्रस्त न होने का वचन देना होगा तथा यदि किसी भी स्तर पर अयोग्य पाए जाते हैं, तो जमा की गई धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।
● सफल बोलीदाता को एलओआई जारी होने की तिथि से 3 दिनों के भीतर बिक्री मूल्य का 25% (ईएमडी की कटौती के बाद) का भुगतान करना होगा। यदि एच1 सफल बोलीदाता एलओआई जारी होने की तिथि से 3 दिनों के भीतर बोली राशि का 25% का भुगतान नहीं करता है, तो ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।
● उपरोक्त खण्ड के अनुसार राशि के 25% के भुगतान के बाद एच1 सफल बोलीदाता को शेष बिक्री प्रतिफल का भुगतान एलओआई जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर करना होगा तथा यह अवधि एलओआई जारी होने की तिथि से 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ नीलामी की तिथि से 90 दिनों तक बढ़ा दी जाएगी तथा यदि भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो भुगतान की गई पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी।
● यदि उच्चतम बोलीदाता अयोग्य पाया जाता है या एलओआई की तिथि से 3 दिनों के भीतर एलओआई के अनुसार 25% का भुगतान नहीं करता है, तो परिसमापक एससीसी के परामर्श से, आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 की अनुसूची क के खंड 12ए से 12ई में बताई गई प्रक्रिया का पालन करने के बाद अगले उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित कर सकता है।
● परिसमापन प्रक्रिया की अंतिम तिथि 24.3.2025 है तथा माननीय एनसीएलटी से उसके विस्तार की मांग की जा रही है।
● यह बिक्री आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 33 में निर्दिष्ट अनुसूची I के साथ पठित आईबीसी, 2016 के अनुसार संचालित की जाएगी।

हस्ता./– कृते टेकप्रो इन्फ्रा-प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (परिसमापन में)
स्थानः चेन्नई सत्यादेवी अलामुरी – परिसमापक
तिथिः13.3.2025 आईबीबीआई पंजीकरण संख्या IBBI/IPA-002/IP-N00071/2017-2018/10205

इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड

efl
ऑदुंबर, प्लॉट नंबर 101/1, एरंडवाने, डॉ. केतकर रोड, पुणे 411004, महाराष्ट्र, भारत

कब्जा सूचना [(परिशिष्ट IV) नियम 8(1)]

जबकि इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय औदुंबर, प्लॉट संख्या 101/1, डॉ. केतकर रोड, परांजपे बिल्डर ऑफिसर के सामने, एरंडवाने, पुणे –411004 (बाद में ''ईएफएल'' से संदर्भित), एक गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (54 01 2002) (बाद में ''सरफैसी अधिनियम, 2002'' द्वारा संदर्भित) के प्रावधान के अंतर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आप, कर्जदार/सह–कर्जदार/जमानती को नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित, पर एक माँग सूचना निर्गत की। आपको सूचित किया जाता है कि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है तथा आपसे उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि ब्याज सहित चुकाने का आह्वान किया गया है। कर्जदार/जमानती द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, कर्जदार तथा जनसामान्य को यह सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसामान्य को नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित परिसंपत्ति के साथ लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है तथा निम्न तालिका में वर्णित परिसंपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन बकाया राशि तथा उस पर ब्याज अन्य शुल्क हेतु ''ईएफएल'' के प्रभार के अधीन होगा। कर्जदार का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्ति को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	दायित्वधारी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) का नाम/ऋण खाता सं.	नीचे दी गई तिथि तक कुल बकाया राशि (रु.)*	मांग सूचना तथा कब्जा सूचना की तिथि
1.	ऋण खाता संख्या/संदर्भः **APPL00023072 / LOAN000005010565** 1. धर्मेंद्र दयाल सिंह (कर्जदार) 2. प्यारी देवी दयाल सिंह (सह–कर्जदार) 3. लक्ष्मण दयाल सिंह (सह–कर्जदार) सभी निवासी – ग्राम नरभखेड़ा, जिला –अजमेर, डाकघर नरबद खेड़ा, राज्य– राजस्थान, 305901	रु. 495475 (रुपए चार लाख पंचानवे हजार चार सौ पचहत्तर मात्र)	16-12-2024 / 06-03-2024
अनुसूची II संपत्ति विवरण– अचल संपत्ति का समस्त भाग, पट्टा संख्या 24, बही संख्या 48, खसरा संख्या 739, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, गांव नरबदखेड़ा, ग्राम पंचायत– नरबदखेड़ा, पंचायत समिति जवाजा, जिला– ब्यावर, जिला– अजमेर। सीमाएँः– पूर्वः– खाली भूमि, उत्तरः– सड़क, पश्चिमः– सीता राम पुत्र श्री लाखा सिंह का मकान, दक्षिणः– राजकीय वरिष्ठ विद्यालय नरबदखेड़ा			
2.	ऋण खाता संख्या/संदर्भः **LOAN0000050253201** महावीर प्रसाद रामस्वरूप राव (कर्जदार) 2. सोनू कुमार महावीर प्रसाद राव (सह–कर्जदार) दोनों निवासी – वार्ड नंबर 9, देवली गांव देवली, तेहसील देवली टोंक, राजस्थान	रु. 442526/– (रुपए चार लाख बयालीस हजार पांच सौ छब्बीस मात्र)	30-10-2024 / 08-03-2024
अनुसूची II संपत्ति विवरण– संपत्ति पट्टा संख्या 14, बही संख्या 64, खसरा संख्या 1261, गांव– देवली ग्राम पंचायत– देवली, पंचायत समिति– देवली, तहसील– देवली जिला– टोंक (राजस्थान), पिन कोड 304804.. क्षेत्रफल 91.52 वर्ग गज सीमाएँः– पूर्वः– कुंती लाल जी का मकान, उत्तरः– बंसी लाल जी का मकान, पश्चिमः– कॉमन रोड, दक्षिणः– हेमंत जी का मकान			
3.	ऋण खाता संख्या/संदर्भः **LOAN0000050219471** राजेश कुमार छोगा लाल (कर्जदार) 2. कंचन देवी राजेश कुमार (सह–कर्जदार) दोनों निवासी – शांति नगर नेदी राजसमंद राजस्थान 305921	रु. 568644/– (रुपए पांच लाख अड़सठ हजार छह सौ चौवालीस मात्र)	25-10-2024 / 06-03-2024
अनुसूची II संपत्ति विवरण– संपत्ति अचल संपत्ति का समस्त भाग, पट्टा संख्या 37 बही संख्या 18 खसरा नंबर 14808, माप क्षेत्र 1700 वर्ग फीट, गाँव– नेडी (शांति नगर), ग्राम पंचायत– बलतो की गुवार, पंचायत समिति भीम, तह भीम, जिला– राजसमंद (राज) सीमाएँः– पूर्वः– श्री तिलोक सिंह का मकान उत्तरः– खाली जमीन और सड़क, पश्चिमः– स्वयं का मकान दक्षिणः– श्री भंवर लाल का मकान			
4.	ऋण खाता संख्या/संदर्भः **LOAN0000050221491** श्री नारायण रामफूल सैनी (कर्जदार) 2. किशनी देवी शिव नारायण सैनी (सह–कर्जदार) दोनों निवासी– टीबा वाली ढाणी, राजवास, दौसा, राजस्थान, 303004	रु. 454573/– (रुपए चार लाख चौवन हजार पांच सौ तिहत्तर मात्र)	18-11-2024 / 27-02-2025
अनुसूची II संपत्ति विवरण– संपत्ति खसरा संख्या 311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321 भाग 1/105 ग्राम राजवास तहसीलः लवान जिलाः दौसा क्षेत्र प्रवेश 144.44 वर्ग गज प्रदान किए गए गिफ्ट डीड प्रारूप के अनुसार, क्षेत्र माप 144.44 वर्ग गज सीमाएँः– पूर्वः– किशोर का मकान, उत्तरः– आम रास्ता, पश्चिमः– स्वयं का मकान, दक्षिणः– आम रास्ता			
5.	ऋण खाता संख्या/संदर्भः **LOAN000005042876** 1. सीमा देवी सांवर लाल गुर्जर (कर्जदार) 2. जीवराज सांवर लाल गुड्जर (सह–कर्जदार) दोनों निवासी – गांव – सांगानी, तहसील–आसींद, बरसानी, भीलवाड़ा, राजस्थान, 311204	रु. 457782/– (रुपए चार लाख सत्तावन हजार सात सौ बयासी मात्र)	29-10-2024 / 08-03-2025
अनुसूची II संपत्ति विवरण– संपत्ति का विवरण– आवासीय भूखंड/मकान (पट्टा संख्या 25) क्षेत्र 1508.51 वर्ग फुट आराजी संख्या 100 में वीएचआई .सांगनी जी.पी. बरसनी में स्थित, जैसा इंडस्ट्रीज जिला भीलवाड़ा (राज.) 311204 सीमाएँः– पूर्वः– गोटुकल गुर्जर उत्तर भेरूलाल गुर्जर पश्चिमः– शंभूलाल गुर्जर दक्षिणः– आम सड़क			
6.	ऋण खाता संख्या/संदर्भः **LOAN0000050180831** रामकिशोर रामपूल सैनी (कर्जदार) 2. छोटी देवी रामकिशोर सैनी (सह–कर्जदार) दोनों निवासी – टिबावली ढाणी रजवास शेर सिंह रजवास दौसा राजस्थान 303004	रु. 445516/– (रुपए चार लाख पैंतालीस हजार पांच सौ सोलह मात्र)	18-11-2024 / 27-02-2025
अनुसूची II संपत्ति विवरण– संपत्ति खसरा नंबर ,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320 और 321 भाग 1/105 ग्राम रजवास तहसील लावन जिला दौसा 303004 303004 सीमाएँः– पूर्वः–स्वयं का बाड़ा, उत्तरः–आम रास्ता, पश्चिमः–श्री नारायण का मकान दक्षिणः–आम रास्ता			
7.	ऋण खाता संख्या/संदर्भः **LOAN000005018700** 1. राकेश मदन लाल (कर्जदार) 2. नीटू राकेश (सह–कर्जदार) ऐड– नसून तेहसील मसूदा अजमेर राजस्थान 305401	रु. 7,03,438/– (रुपए सात लाख तीन हजार चार सौ अड़तीस मात्र)	04-10-2024 / 07-03-2025
अनुसूची II संपत्ति विवरण– संपत्ति आवासीय भूखंड (पट्टा संख्या 04), अराजी संख्या 145 में स्थित ग्राम नासूण, ग्राम पंचायत देवमंगारी तहसील मसूदा जिला– अजमेर (राज.)–305401, अजमेर, राजस्थान–305401, भारत सीमाएंः– पूर्वः– रामस्वरूप/मोतीलाल जी का मकान, उत्तरः– राजेश गोयार/मदन लाल का मकान, पश्चिमः– कॉमन रोड दक्षिणः– कॉमन रोड			
8.	ऋण खाता संख्या/संदर्भः **LOAN0000050231171** चेतन सिंह राजू सिंह (कर्जदार) 2. लादू देवी राजू सिंह (सह–कर्जदार) दोनों निवासी – 39 डिगा का बास रायरा कलां तथा खुर्द रायरा कलां पाली राजस्थान 306307	रु. 507775/– (रुपए पांच लाख सात हजार सात सौ पचहत्तर मात्र)	25-10-2024 / 06-03-2025
अनुसूची II संपत्ति विवरण– संपत्ति अचल संपत्ति का समस्त भाग, पट्टा संख्या 07, बही संख्या 01, माप क्षेत्र 222.22 वर्ग गज, गांव– हिंगो का बास रायरा कलां, ग्राम पंचायत– रायरा कलां, पंचायत समिति सोजत, तहसील– सोजत, जिला पाली (राजस्थान) सीमाएँः– पूर्वः–लक्ष्मणसिंह/पूनमसिंह, उत्तरः–खुला वर्ग एवं निकास पश्चिमः– प्रताप सिंह/वेन सिंह, दक्षिणः–स्वयं की खातेदारी			
9.	ऋण खाता संख्या / संदर्भः **APPL00092338/LOAN000005028667** 1. ओम मूल सिंह कर्जदार 2. इंद्र सिंह राठौड़ ओम सिंह राठौड़ (सह–कर्जदार) 3. सोनू सिंह राठौड़ ओम सिंह राठौड़ (सह–कर्जदार) 4. छोटी कंवर ओम सिंह (सह–कर्जदार) 5. भीम सिंह ओम सिंह (सह–कर्जदार) दोनों निवासी– 70–बी बजरंग कॉलोनी, नगर जैसा बोहरा, झोटवाड़ा, जयपुर, राजस्थान, 302012	रु. 11,15,314/– (रुपए ग्यारह लाख पंद्रह हजार तीन सौ चौदह मात्र)	07-11-2025 / 22-02-2025
अनुसूची II संपत्ति विवरण– प्रॉपर्टी 70–बी बजरंग कॉलोनी, नगर जैसा बोहरा, झोटवाड़ा, जयपुर, राजस्थान, 302012			

तिथि 16–03–2025 हस्ता./– अधिकृत प्राधिकारी
स्थानः राजस्थान कृते इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड

Home First Finance Company India Limited

homefirst — We'll take you home
CIN: L65990MH2010PLC240703,
Website: homefirstindia.com Phone No.: 180030008425 Email ID: loanfirst@homefirstindia.com

परिशिष्ट–IV–A [नियम 8(6) के परंतुक देखें]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्वारा आम जनता को सामान्य रूप से और विशेष रूप से ऋणी और सह–कर्जदार(रों) को कॉलम (ii) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति कॉलम (iii) के अनुसार प्रतिभूत लेनदार को गिरवी / चार्ज की गई है, जिसका भौतिक कब्जा होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपने बकाया और ब्याज की वसूली के लिए लिया गया है, जैसा कि नीचे बताया गया है और जबकि बकाया चुकाने में विफलता के परिणामस्वरूप, अधोहस्ताक्षरी कथित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उक्त संपत्ति/यों की बिक्री से देय राशि वसूल करने का प्रस्ताव करता है और इसे ''जहाँ है जैसा है'', ''जैसा है जो है'' और ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर बेचा जाएगा जैसा कि यहाँ वर्णित है। होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड के बकाया कॉलम (i) के अनुसार उधारकर्ता(ओं) और सह–उधारकर्ता(ओं) से प्राप्य राशि की वसूली के लिए नीलामी 'ऑन लाइन' आयोजित की जाएगी।

क्र. सं.	उधारकर्ता(ओं) तथा सह–उधारकर्ता(ओं) के नाम	सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना की राशि	कब्जा करने की तिथि	बाजार मूल्य	ईएमडी राशि	नीलामी की तिथि एवं समय	ईएमडी तथा दस्तावेज जमा करने की अन्तिम तिथि तथा समय	अधिकृत प्राधिकारी का नम्बर
1.	हेमन्त शर्मा, शिवदत्त, राजवती	एफएफ–01 सामने बायां हाथ खसरा संख्या 399.प्रेम विहार–III, गांव सादुल्लाबाद, लोनी गाजियाबाद. गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश,201102. सीमाः– उत्तरः– तजम्मुल का प्लॉट, पूर्वः– अन्य का प्लॉट, पश्चिमः– रोड 20 चौड़ी, दक्षिणः– मार्कण्डेय प्रजापति का प्लॉट	04-07-2024	13,85,519	10-09-2024	8,40,000	84,000	31-03-2025 (11am-2pm)	29-03-2025 (upto 5pm)	7838815471

ई–नीलामी सेवा प्रदाता	ई–नीलामी वेबसाइट/विवरण, अन्य नियम एवं शर्तों हेतु	खाता सं. : ईएमडी/अन्य राशि जमा करने हेतु	शाखा आईएफएससी कोड	लाभार्थी का नाम
कम्पनी का नाम : ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर), हेल्प लाइन नं. 079–35022160 /149 /182 सम्पर्क व्यक्ति : राम शर्मा– 8000023297 ई–मेल आईडी : ramprasad@auctiontiger.net and support@auctiontiger.net.	http://www.homefirstindia.com https://homefirst.auctiontiger.net	912020036268117– होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड–एक्सिस बैंक लिमिटेड, एमआईडीसी, अंधेरी ईस्ट	UTIB0000395	अधिकृत प्राधिकारी, होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड

संविदा वृद्धि राशि : रु. 10,000/–. बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेब पोर्टल (https://homefirst.auctiontiger.net) पर उपलब्ध कराए गए ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी। ई–नीलामी निविदा दस्तावेज जिसमें ऑनलाइन ई–नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणा, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम और शर्तें शामिल हैं, पोर्टल साइट पर उपलब्ध हैं। प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और ज्ञान के अनुसार, संपत्तियों पर कोई ऋणभार नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले, ऋणभार, नीलामी में रखी गई संपत्ति के स्वामित्व और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/देयताओं/संपत्ति को प्रभावित करने के संबंध में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। ई–नीलामी विज्ञापन का गठन नहीं करती है और इसे होम फर्स्ट के किसी भी प्रतिबद्धता या किसी भी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं माना जाएगा। संपत्ति को होम फर्स्ट को ज्ञात हो या अज्ञात सभी मौजूदा और भविष्य के ऋणभारों के साथ बेचा जा रहा है। प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार किसी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकायों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे। बिक्री वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत निर्धारित नियमों/शर्तों के अधीन होगी। किसी भी विसंगति की स्थिति में नोटिस का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक माना जाएगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत वैधानिक 15 दिनों की बिक्री सूचना

कर्जदार/गारंटरों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे ई–नीलामी की तिथि से पहले मांग सूचना में उल्लिखित राशि का भुगतान अप–टू–डेट ब्याज और सहायक खर्चों के साथ कर दें, ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई हो, ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा।

दिनांकः 16–03–2025, स्थानः एनसीआर **अधिकृत प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित, होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड**

राजस्थान में पुलिसकर्मियों ने नहीं मनाई होली

पदोन्नति और वेतन विसंगतियों को दूर करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर दूरी बनाई

जयपुर, 15 मार्च (भाषा)।

राजस्थान के कई जिलों में पुलिस कर्मियों ने पदोन्नति और वेतन विसंगतियों को दूर करने सहित अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में शनिवार को पारंपरिक 'पुलिस होली' कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखी।

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने और पुलिसकर्मियों की मांगों पर गौर करने की मांग की। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी पुलिसकर्मियों की मांगों का समर्थन किया और कहा कि वे सरकार के समक्ष इस मुद्दे को उठाएंगे। परंपरागत रूप से पुलिसकर्मी होली का त्योहार धुलेंडी के अगले दिन मनाते हैं क्योंकि त्योहार के दिन वे कानून व्यवस्था बनाए रखने में तैनात रहते हैं। धुलेंडी के अगले दिन वे 'पुलिस होली' कार्यक्रमों में शामिल होते हैं जिनके आयोजन आमतौर पर जिला पुलिस लाइन में होता है। हमेशा की तरह, राज्य भर में पुलिस लाइनों में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा होली कार्यक्रम की व्यवस्था की गई थी हालांकि, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अन्य जिलों में पुलिस लाइनें खाली रहीं। कोटा, भरतपुर, पाली, सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा में पुलिसकर्मियों ने जिला पुलिस अधीक्षक समेत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ होली खेली, एक-दूसरे पर गुलाल और रंग लगाया और डीजे की धुन पर नाचते नजर आए।

> **मंत्री** किरोड़ी लाल मीणा ने भी पुलिसकर्मियों की मांगों का समर्थन किया और कहा कि वे सरकार के समक्ष इस मुद्दे को उठाएंगे।

कोटा में जिला पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन ने महिला पुलिसकर्मियों के साथ डीजे की धुन पर डांस किया। इसी तरह भरतपुर में पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने अफसरों के साथ होली खेली। हालांकि, इन कार्यक्रमों में पुलिसकर्मियों की भागीदारी अपेक्षाकृत कम रही। भीलवाड़ा के पुलिस ग्राउंड में होली मिलन समारोह रखा गया था।

'मराठवाड़ा और विदर्भ में किसानों की आत्महत्या के आंकड़े चिंताजनक'

बारामती, 15 मार्च (भाषा)।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के अध्यक्ष शरद पवार ने शनिवार को मराठवाड़ा और विदर्भ में किसानों की आत्महत्या के मामलों को लेकर चिंता व्यक्त की और कहा कि केंद्र को किसानों की मदद के लिए नीति लानी चाहिए।

पवार का यह बयान राज्य राहत एवं पुनर्वास विभाग द्वारा जारी आंकड़ों की पृष्ठभूमि में आया है, जिसमें खुलासा हुआ है कि 2024 में महाराष्ट्र में 2,635 किसानों ने आत्महत्या की है। उन्होंने कहा कि मराठवाड़ा और विदर्भ से जो जानकारी आई है, वह चिंताजनक है। हम विभिन्न स्थानों से सटीक आंकड़े एकत्र करेंगे। केंद्र को किसानों की मदद के लिए नीति तैयार करनी चाहिए। राकांपा (एसपी) नेता जयंत पाटिल के अजित पवार के नेतृत्व वाले पार्टी के गुट में शामिल होने की अटकलों पर वरिष्ठ नेता ने कहा कि पाटिल पहले ही मीडिया को अपना बयान दे चुके हैं। पाटिल ने शुक्रवार को बारामती में एक कार्यक्रम में राकांपा (एसपी) प्रमुख से मुलाकात की थी और बाद में कहा था कि वह परेशान नहीं हैं और उनके बयान से गलत निष्कर्ष निकाला गया है। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री पवार ने कहा कि खेती में क्रांति आ रही है और जल्द ही गन्ने की खेती में कृत्रिम मेधा (एआइ) का इस्तेमाल किया जाएगा।

> **शरद** पवार ने केंद्र सरकार से की मदद के लिए नीति लाने की अपील।

'शिंदे पहले कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे'

मुंबई, 15 मार्च (भाषा)।

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता संजय राउत ने शनिवार को दावा किया कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे पहले कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे। हालांकि राउत ने उस वर्ष या महीने का उल्लेख नहीं किया जब शिंदे ने स्पष्ट रूप से ऐसा करने (पार्टी बदलने) की योजना बनाई थी।

उन्होंने दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल का हवाला दिया। शिंदे द्वारा जून 2022 में किए गए विद्रोह के बाद अविभाजित शिवसेना दो धड़ों में बंट गई थी। राउत ने संवाददाताओं से कहा, 'मुझे पता है कि क्या चल रहा था। अहमद पटेल अब जीवित नहीं हैं और इसलिए मैं इस बारे में और कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि वह इस बात को प्रमाणित करने के लिए मौजूद नहीं हैं।' पटेल का 25 नवंबर 2020 को निधन हो गया। जब इस बारे में और पूछा गया तो राउत ने कहा, 'इसके बारे में (वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री) पृथ्वीराज चव्हाण से पूछिए।' संपर्क किए जाने पर चव्हाण ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। शिंदे की प्रतिक्रिया तत्काल उपलब्ध नहीं हो सकी।

मप्र : तालाब में डूबने से तीन लोगों की मौत

मैहर, 15 मार्च (भाषा)।

मध्यप्रदेश के मैहर जिले के एक गांव में दो लड़कों सहित तीन लोगों की शनिवार को तालाब में डूबने से मौत हो गई।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना अमरपाटन थाना क्षेत्र के खारमसेड़ा गांव के बादल टोला तालाब में दोपहर में हुई। अमरपाटन थाना प्रभारी केपी त्रिपाठी ने बताया कि चार लड़के तालाब में नहाने गए थे, तभी उनमें से दो डूबने लगे। उन्होंने बताया कि यह देखकर पास में ही अपने मवेशियों को नहला रहे एक व्यक्ति ने लड़कों को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह भी डूबने लगा।

बैंक ऑफ बड़ौदा / Bank of Baroda

क्षेत्रीय कार्यालय गुड़गांव, प्रथम तल, इरकॉन इंटरनेशनल टॉवर, टॉवर -1, प्लॉट नंबर -16, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर -32, गुड़गांव -122018, भारत
फोन: 01244096734-35, ईमेल: recovery.gurgaon@bankofbaroda.com

ई-नीलामी बिक्री सूचना — चल संपत्तियों की बिक्री

चल संपत्तियों के बंधक समझौते के तहत चल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री नोटिस। आम जनता और खास तौर पर उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल संपत्तियां, जो सुरक्षित लेनदार को सौंपी गई हैं, जिनका कब्जा बैंक ने ले लिया है, उन्हें नीचे दिए गए खाते में बकाया राशि की वसूली के लिए "जहां है, जैसी है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। उधारकर्ता/ओं/बंधककर्ता/गारंटर/सुरक्षित संपत्ति/बकाया राशि/आरक्षित मूल्य/ई-नीलामी की तारीख और समय, ईएमडी और बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया है-
नीलामी 31.03.2025 को दोपहर 02:00 बजे से शाम 6:00 बजे के बीच वेबसाइट https://bob.auctiontiger.net के माध्यम से ऑनलाइन ई-नीलामी होगी।

शाखा का नाम/ संपर्क नं.	उधारकर्ता/ गारंटर का विवरण	बेची जाने वाली संपत्ति का संक्षिप्त विवरण	एनपीए की तिथि	कुल बकाया (रु.)	आरक्षित मूल्य/ बयाना राशि जमा (ईएमडी) राशि (रु. में)	खाता संख्या जिसमें जमा की जाने वाली राशि/ आईएफएससी कोड
मानेसर शाखा 9892443589, 7206160466	श्रीमती राजविंदर कौर, सुखदेव जी सिंह, श्रीमती जसबीर कौर	जगुआर XE 2.0L पेट्रोल पंजीकरण- HR26EE7653 चेसिस नंबर- SAJAB4AX6KL996795 इंजन नंबर- 180904P0004PT204	29.01.2024	रु. 26,38,018.89 प्लस ब्याज और अन्य शुल्क	14,80,000/- 1,48,000/-	82780015181869 BARB0VJMANE

ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 30.03.2025 होगी। इच्छुक बोलीदाता 18.03.2025 से 30.03.2025 तक कार्य दिवसों में दोपहर 1:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच साइट पर संपत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। बोली वृद्धि राशि 10000.00 रुपये (केवल दस हजार रुपये) होगी। बिक्री के सभी विस्तृत नियम और शर्तें हमारी ई-नीलामी एजेंसी की वेबसाइट https://bob.auctiontiger.net से देखी जा सकती हैं।
वैधानिक 15 दिन की बिक्री सूचना। उधारकर्ताओं/गारंटरों को नीलामी की तारीख से पहले ऊपर बताई गई राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस दिया जाता है, ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी की जाएगी और शेष राशि, यदि कोई हो, कानूनी तरीकों से उनसे ब्याज और लागत सहित वसूल की जाएगी।

दिनांक: 15.03.2025, स्थान: गुड़गांव (हरि) — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

केनरा बैंक Canara Bank भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking — सिंडिकेट Syndicate
क्षेत्रीय कार्यालय-एटा — **ई-नीलामी बिक्री सूचना**

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से ऋणी(ओं) जमानतकर्ता(ओं) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो केनरा बैंक के पास गिरवी/प्रभारित है, का सांकेतिक कब्जा केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नियम 13(2) के अन्तर्गत माँग सूचना वर्णित बकाया राशि एवं उस पर ब्याज, खर्चे एवं अन्य व्ययों की वसूली हेतु विक्रय की जाएगी। सम्पत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है।

ऋणी एवं गारण्टर का नाम व पता	कुल उत्तरदायित्व	सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि 10%
सम्पर्क करें: केनरा बैंक शाखा: कासगंज, फोन नं0 8272082343 ई-मेल: cb0241@canarabank.com			
ऋणी: मै0 न्यू हर्षिता रेडीमेड गार्मेंट्स प्रोपराइटर- जगमोहन कुमार पताः मेन मार्केट मोहनपुरा कासगंज उ0प्र0- 207123, श्री जगमोहन कुमार पताः मेन मार्केट मोहनपुरा कासगंज उ0प्र0- 207123	रू0 1362966/- + ब्याज दि. 01.01.2025 से व अन्य खर्चे	साम्यिक बंधक मकान भवन सम्पत्ति स्थित मौजा मोहनपुरा, परगना बिलराम, तहसील एवं जिला कासगंज, उ0प्र0- 207123, एरियाः 85.93 वर्ग मीटर, सम्पत्ति श्री जगमोहन कुमार के नाम। **चौहद्दीः** पूरब- श्री जयपाल का मकान, पश्चिम- कश्मीरी का मकान, उत्तर- गली 10 फीट चौड़ी, दक्षिण- बच्चू सिंह का मकान।	रू0 1292850/- / रू0 129285/-
सम्पर्क करें: केनरा बैंक शाखा: पटियाली, फोन नं0 8272082363 ई-मेल: cb4298@canarabank.com			
ऋणी: मै0 राजा एण्ड कम्पनी प्रोपराइटर- अल्ताफ हुसैन पुत्र अबद हुसैन, अल्ताफ हुसैन पुत्र अबद हुसैन दोनों का पताः मोहल्ला चौक पटियाली कासगंज, गारंटर/बंधककर्ताः अबद हुसैन पुत्र श्री शबिर हुसैन पताः खाता नं0 127 प्लॉट नं0 2226 मोहल्ला मौजा पटियाली कासगंज।	रू0 1400629/- + ब्याज दि. 01.02.2025 से व अन्य खर्चे	साम्यिक बंधक खाली भूमि सम्पत्ति स्थित खाता नं0 127 प्लॉट नं0 2226 मोह. मौजा पटियाली कासगंज, एरियाः 425.60 वर्ग मीटर, सम्पत्ति अबद हुसैन पुत्र शबिर हुसैन के नाम। **चौहद्दीः** पूरब- रोड, पश्चिम- जय सिंह का प्लॉट, उत्तर- विद्या सरन का प्लॉट, दक्षिण- अंसार की सम्पत्ति।	रू0 3830400/- / रू0 383040/-
सम्पर्क करें: केनरा बैंक शाखा: गणेशपुर, फोन नं0 8272082375 ई-मेल: cb4299@canarabank.com			
ऋणीः मै0 याशू बैटरी इनवर्टर हाउस, प्रोपराइटर श्रीमती नीमा पत्नी श्री लवकुश, श्रीमती नेमा पत्नी श्री लवकुश, श्री लवकुश पुत्र भैया लाल सभी का पताः मोहल्ला गोविन्दपुरी, गंजडुंडवारा, कासगंज, उत्तर प्रदेश-207242, मो0 9720096564, **गारण्टर/बंधककर्ताः** श्री राम चन्द्र खिटोलिया पुत्र श्री गिरधारी लाल खिटोलिया, पताः एटा रोड, गंजडुंडवारा, पटियाली, कासगंज, उ0प्र0-207242, मो0 9458628810	रू0 546406/- + ब्याज दि. 01.01.2025 से व अन्य खर्चे	साम्यिक बंधक सम्पत्ति भूमि नं0 1708 का प्लॉट निर्मित आवासीय मकान वाइड नगर पालिका परिषद गंजडुंडवारा स्थित मोहल्ला गोविन्दपुरी परगना पटियाली, कासगंज, एरियाः 41.85 वर्ग मीटर, सम्पत्ति श्रीमती नेमा पत्नी श्री लवकुश के नाम। **चौहद्दीः** पूर्वः अशोक कुमार सक्सेना का मकान, पश्चिमः अर्जुन सिंह का मकान, उत्तरः अन्य सम्पत्ति, दक्षिणः रास्ता 15 फीट चौड़ा।	रू0 1208300/- / रू0 120830/-
ऋणी: अनवर खान पुत्र सुल्तान खान, पताः ग्राम गनेशपुर, गंजडुंडवारा, जिला कासगंज (उ0प्र0)-207242 फोनः 9897119428, **गारंटर/बंधककर्ताः** शेरे अफगान पुत्र सुल्तान खान पताः ग्राम गनेशपुर, गंजडुंडवारा, जिला कासगंज (उ0प्र0)-207242 फोनः 9997567647	रू0 1757895/- + ब्याज दि. 01.01.2025 से व अन्य खर्चे	साम्यिक बंधक सम्पत्ति भूमि नं0 777/0.340 का भाग 50/340 अब आबादी रिकार्ड खसरा गनेशपुर, गंजडुंडवारा, तहसील पटियाली, जिला कासगंज। एरियाः 500 वर्ग मीटर, सम्पत्ति श्री अनवर खान पुत्र सुल्तान खान के नाम। **चौहद्दीः** पूर्वः सबिर की भूमि, पश्चिमः आरिफ की भूमि, उत्तरः कच्चा रास्ता 15 फीट चौड़ा, दक्षिणः अन्य की भूमि।	रू0 2493200/- / रू0 249320/-
सम्पर्क करें: केनरा बैंक शाखा: मैनपुरी-II, फोन नं0 8272082349, ई-मेल: cb18711@canarabank.com			
ऋणीः मै0 अर्शी कंस्ट्रक्शन प्रोपराइटर अनवर खान पुत्र इस्लाम खान पताः महमूद नगर आगरा रोड मैनपुरी उ0प्र0-205001, मो0 9457731786, अनवर खान पुत्र इस्लाम खान पताः ग्राम भटोहा पोस्ट रतिभानपुर, मैनपुरी उ0प्र0- 205001, मो0 9045835015, **गारण्टर/बंधककर्ताः** श्री अनिल कुमार पुत्र श्री सूबेदार सिंह पताः शिव नगर जिला हॉस्पिटल, पीछे की साइड मैनपुरी उ0प्र0 205001, मो0 8273320001	रू0 1873034/- + ब्याज दि. 01.01.2025 से व अन्य खर्चे	साम्यिक बंधक आवासीय मकान भूमि नं0/1394 के भाग पर, वार्ड नं0 25, महमूद नगर, दरिबा, मैनपुरी, यू0पी0-205001, एरियाः 96.25 वर्ग मी., संपत्ति अनवर खान पुत्र इस्लाम खान के नाम। **चौहद्दीः** पूरब- प्लॉट मोहम्मद सैफी, पश्चिम- रोड 14 फीट चौड़ा, उत्तर- आशिक अली का प्लॉट, दक्षिण- मास्टर साहब बेवर वाले का प्लॉट।	रू0 3086100/- / रू0 308610/-
ऋणी: 1. श्री शिव नाथ प्रताप सिंह, पता-170, न्यू बस्ती देवपुरा मैनपुरी उ0प्र0-205001, मो0 8864990090, **गारंटर/बन्धककर्ताः** श्रीमती सिया देवी पत्नी रामबाबू, पता-170, न्यू बस्ती देवपुरा मैनपुरी उ0प्र0-205001, मो0 9411495443	रू0 1905574/- + ब्याज दि. 01.01.2025 से व अन्य खर्चे	साम्यिक बंधक नगर पालिका परिसर न0- 270, स्थित मौजा देवपुरा चिमनी तहसील व जिला-मैनपुरी, एरिया-71.91 वर्ग मीटर, सम्पत्ति श्रीमती सिया देवी पत्नी रामबाबू, **चौहद्दी**-पूर्व- 6 फीट चौडा रोड, पश्चिम- 8 फीट चौडा रोड, उत्तर- श्री कृष्णा का मकान, दक्षिण- विक्रम कुशवाह का मकान	रू0 1913220/- / रू0 191322/-
सम्पर्क करें: केनरा बैंक शाखा: एटा-II फोन नं0 8272082329 ई-मेल: cb18674@canarabank.com			
ऋणी: श्रीमती नीलम तिवारी पत्नी श्री सचिन तिवारी, पता- ग्राम कैलाश गंज एटा उ0प्र0-207001, मो0 7017400186, श्री सचिन कुमार तिवारी पुत्र श्री योगेन्द्र तिवारी, पता-मकान नं0 103 कैलाश गंज एटा उ0प्र0-207001, मो0 8006666484 **गारंटर/बंधककर्ता,** श्रीमती प्रीती रानी पत्नी श्री धर्मेन्द्र सिंह, पता-ग्राम गद्दनपुर भडवास एटा उ0प्र0-207120, मो0 8445232009	रू0 1861886/- + ब्याज दि. 01.01.2025 से व अन्य खर्चे	साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति स्थित गाटा नं0 405, मौजा-असरौली, परगना, एटा सकीट, एटा उ0प्र0-207001, एरिया-59.29 वर्ग मी., सम्पत्ति श्रीमती नीलम तिवारी पत्नी श्री सचिन तिवारी के नाम, **चौहद्दी**-पूरब-प्रीती रानी का मकान, पश्चिम-प्लॉट नं0 8, उत्तर-जयवीर सिंह का मकान, दक्षिण-20' चौडा रास्ता	रू0 1638900/- / रू0 163890/-
ऋणी: श्री शिलेन्द्र प्रताप पुत्र श्री शिशापाल, पता-मकान नं0 58 संजय नगर एटा, उ0प्र0-207001, मो0 9837846810, **गारंटर/बंधककर्ता,** श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री शिशु पाल सिंह, पता- मकान नं0 57 संजय नगर एटा, उ0प्र0-207001, मो0 9058079223	रू0 1560924/- + ब्याज दि. 01.01.2025 से व अन्य खर्चे	साम्यिक बंधक आवासीय मकान गाटा नं0 867 का भाग, मौजा बर्थर, परगना एटा सकीट एटा (संजय नगर), तहसील एवं जिला-एटा, एरिया-96.49 वर्ग मी., सम्पत्ति श्री शिलेन्द्र प्रताप पुत्र श्री शिशापाल के नाम, **चौहद्दी**-पूरब-प्लॉट ब्रजेश कुमार, पश्चिम-रोड 20 फीट, उत्तर-रास्ता 23 फीट, दक्षिण-मुकीर की भूमि	रू0 3658500/- / रू0 365850/-
ऋणी: श्री राजकुमार पाठक पुत्र स्व0 श्री रघुवीर प्रसाद पाठक, पताः मकान नं0 82/2 सेक्टर 7, मोहल्ला पुलिया गर्वी, एटा, यू0पी0-207001, फोनः 9359650839, **गारण्टर/बंधककर्ताः** श्री अमित जैन पुत्र श्री रवि कुमार जैन, पताः 96, नयी बस्ती, शिकोहाबाद रोड, एटा, यू0पी0-207001, फोनः 8449393978	रू0 467738/- + ब्याज दि. 01.01.2025 से व अन्य खर्चे	साम्यिक बंधक आवासीय मकान स्थित मकान नं0 82/2 सेक्टर-7, मोहल्ला पुलिया गर्वी, एटा-207001, एरियाः 37.43 वर्ग मी., संपत्ति श्री राजकुमार पाठक पुत्र स्व0 श्री रघुवीर प्रसाद पाठक के नाम, **चौहद्दीः** पूरब- लक्ष्मन दास का मकान, पश्चिम- गली 6' चौड़ी, उत्तर- आनंद स्वरूप का मकान, दक्षिण- इंद्रा कुमार पाठक का मकान।	रू0 714582/- / रू0 71458/-
ऋणी: श्रीमती गुड्डी देवी पत्नी श्री अशोक कुमार, श्री अशोक कुमार पुत्र श्री कुंवर पाल सिंह दोनों का पताः 128 संजय नगर एटा उ0प्र0-207001 मोबा. 9720547456, **गारंटर/बंधककर्ताः** श्री शीलेन्द्र प्रताप पुत्र श्री सीसापाल पताः मकान नं0 58, संजय नगर, एटा उ0प्र0-207001 मोबा. 9837846810	रू0 1987905/- + ब्याज दि. 01.01.2025 से व अन्य खर्चे	साम्यिक बंधक रिहायशी प्लॉट स्थित मौजा बर्थार परगना एटा साकीत, एटा-207001, एरियाः 74.40 वर्ग मी, सम्पत्ति श्रीमती गुड्डी देवी पत्नी श्री अशोक कुमार के नाम, **चौहद्दी**-पूर्व-वविता का प्लॉट, पश्चिम-जगह मुकीर, उत्तर-जगदीश का प्लॉट, दक्षिण-20' चौड़ा रास्ता।	रू0 1069200/- / रू0 106920/-
ऋणी: श्रीमती किरन लता पत्नी श्री राजकुमार पताः काशीराम आवास, पराग डेरी, शीतलपुर, एटा, उ0प्र0-207001 मोबा. 9536946587, **गारंटर/बंधककर्ताः** श्री विनय कुमार पुत्र श्री महेन्द्र सिंह पताः 162 श्रृंगार नगर, निकट बैंक कॉलोनी, एटा, उ0प्र0-207001 मोबा. 7599220400	रू0 1626990/- + ब्याज दि. 01.01.2025 से व अन्य खर्चे	साम्यिक बंधक गाटा नं0 489, चिलासनी रोड़, ग्राम चिलासनी, परगना एटा साकीत, तहसील एवं जिला एटा, उ0प्र0-207001, एरियाः 188.79 वर्ग मी0, सम्पत्ति श्रीमती किरन लता पत्नी श्री राज कुमार के नाम, **चौहद्दी**-पूर्व-मुकीर का प्लॉट, पश्चिम-30 फीट चौड़ा रोड़, उत्तर-15 फीट चौड़ा रोड़, दक्षिण-अरविंद सक्सेना का प्लॉट।	रू0 1206360/- / रू0 120636/-
सम्पर्क करें: केनरा बैंक शाखा: एटा कुम्स, फोन नं0 8272082332, ई-मेल: cb2977@canarabank.com			
ऋणी: मै0 केरला एसएस स्टील वर्क प्रोपराइटर रईस अहमद पुत्र श्री नवी हसन, रईस अहमद पुत्र नवी हसन दोनो का पताः अलीगंज रोड, शीतलपुर, एटा, उ0प्र0- 207001, मो. 9995971826, **गारंटर/बंधककर्ताः** नन्हे बेगम पत्नी नवी हसन, पता-मकान नं0 228/13 शिवसिंह पुर किदबई नगर एटा-207001	रू0 488065/- + ब्याज दि. 01.01.2025 से व अन्य खर्चे	साम्यिक बंधक रिहायशी भवन स्थित मकान नं0 228/13, किदबई नगर, एटा, उ0प्र0, एरियाः 35.15 वर्ग मीटर, सम्पत्ति श्रीमती नन्हे बेगम पत्नी श्री नवी हसन के नाम। **चौहद्दीः** पूरबः रास्ता, पश्चिमः आसिफ की सम्पत्ति, उत्तरः नाजरीन की सम्पत्ति, दक्षिणः गली।	रू0 1176390/- / रू0 117639/-
श्री पुनीत मिश्रा पुत्र करूनेश मिश्रा, पता-विकास नगर, एटा, उ0प्र0-207001, मो0 9456004337	रू0 6,30,007.53 + ब्याज दि. 07.03.2025 से व अन्य खर्चे	Sr. No. 1., Make /Type TATA, Vehicle No. UP82-AC-7199, Engine No. CR02GRYW28254, Chasis No. MAT629151JK G67420 Model TATA TIGOR XT	रू0 133450/- / रू0 13345/-

निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि व समयः 27.03.2025, सायं 5.00 बजे तक
ई-ऑक्शन का दिनांक व समयः 28.03.2025 प्रातः 11:30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट की अवधि के विस्तार के साथ नीलामी की समाप्ति तक)

बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों तथा ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, कृपया वेबसाइट https://ebkray.in/ या केनरा बैंक की बेवसाइट देखें या केनरा बैंक या सेवा प्रदाता मेसर्स पीएसबी अलायंस लिमिटेड (ebkray) संपर्क विवरण से संपर्क करें। (7046612345 , 6354910172, 8291220220, 9892219848, 8160205051

दिनांक: 16.03.2025 — प्राधिकृत अधिकारी केनरा बैंक

Chola — चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
कॉर्पोरेट कार्यालय : चोला क्रेस्ट, सी54 और 55, बी-4, थिरु वि का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई- 600032, शाखा कार्यालय : एस.सी.ओ. नं. 350-351-352, तृतीय तल, सेक्टर 34ए, चंडीगढ़- 160022

अधिग्रहण सूचना - नियम 8 (1) के अंतर्गत

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, जिसे आगे अधिनियम कहा जाएगा, के अंतर्गत मेसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी हैं तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋणकर्ताओं, जिनके नाम नीचे कॉलम (बी) में दिए गए हैं, को कॉलम (सी) में निर्दिष्ट तिथियों पर उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर ब्याज सहित नीचे कॉलम (डी) में दी गई बकाया राशि चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किए हैं। उधारकर्ताओं द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उसके अधीन बनाए गए नियमों के नियम 9 के साथ, कॉलम (एफ) में उल्लिखित संबंधित तिथियों को कॉलम (ई) में वर्णित कंपनी के पास बंधक संपत्तियों का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे नीचे कॉलम (ई) में उल्लिखित संपत्तियों के साथ लेन-देन न करें और ऐसा कोई भी लेन-देन मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा कॉलम (डी) में उल्लिखित राशि के साथ ब्याज और अन्य शुल्कों के अधीन होगा। प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 13(8) के तहत, उधारकर्ता बिक्री की अधिसूचना से पहले सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों सहित पूरे बकाया का भुगतान करके सुरक्षित संपत्ति को भुना सकते हैं।

क्र. सं.	उधारकर्ता/ओं का नाम और पता और ऋण खाता संख्या	मांग सूचना की तिथि	बकाया राशि	अधिग्रहीत संपत्ति का विवरण	अधिग्रहण की तिथि
A	B	C	D	E	F
	ऋण खाता संख्या **HE01DDD00000059358** उधारकर्ता एवं सह-उधारकर्तागण :- दिवंगत **श्री राजकुमार** के सभी कानूनी उत्तराधिकारी (ज्ञात एवं अज्ञात) **1. अनीता देवी पत्नी स्वर्गीय राज कुमार 2. निखिल पुत्र स्वर्गीय राज कुमार 3. अंकुश पुत्र स्वर्गीय राज कुमार** सभी निवासी : वार्ड संख्या 6, हरि नगर, नरवाना, जींद - 126116 हरियाणा	17/12/2024	रु. 20,33,231/- 12/12/2024 के अनुसार, राशि पर भावी ब्याज सहित।	आवासीय घर के समस्त भाग तथा अंश जिसका नंबर 811-ए है, परिमाप 100 वर्ग गज, जो नगरपालिका समिति क्षेत्र के भीतर, संपत्ति आईडी नंबर 3033ITJ2, हरि नगर, नरवाना रोड के पार, तहसील नरवाना, जनपद जींद, हरियाणा में स्थित तथा श्रीमती अनीता देवी पत्नी राज कुमार के पक्ष में बिक्री विलेख संख्या 5352 दिनांक 09/11/2023 के द्वारा पंजीकृत है।	13/03/2025

तिथि : 16-03-2025, स्थान : चंडीगढ़ / जींद — प्राधिकृत अधिकारी, मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

IndiaShelter Home Loans — इण्डिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड — अचल सम्पत्ति हेतु कब्जा सूचना
पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट 15, 6ठी मंजिल, सेक्टर-44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा-122002, शाखा कार्यालयः कोटाः 10-डी पहली मंजिल, पुंजवानी कॉम्प्लेक्स, गुमानपुरा, कोटा-324007; सवाई माधोपुरः ग्राउंड फ्लोर, आलनपुर लिंक रोड, बैंक ऑफ इंडिया के सामने, सवाई माधोपुर-322021

जबकि, आधोहस्ताक्षरी ने इंडिया शेल्टर फाइनेंस एंड कॉपोरेशन लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रवर्तन (प्रतिभूति) हित अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के नियम 3 के साथ पठित, के तहत प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में, जैसा कि इसके बाद उल्लेख किया गया है, खाते के सम्मुख उल्लिखित तारीखों को एक मांग सूचना जारी की, जिसमें कर्जदार तथा संपत्ति के स्वामी/जमानती को उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि चुकाने के लिए कहा गया। जबकि संपत्ति के स्वामी तथा अन्य, राशि वापस करने में विफल रहे हैं, नीचे उल्लिखित कर्जदारों तथा आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के सम्मुख उल्लिखित तिथियों पर उक्त नियमों के नियम 8 और 9 के साथ नीचे वर्णित संपत्ति/यों पर कब्जा कर लिया है। अब, विशेष रूप से कर्जदार तथा आम जनता को इस संपत्ति/यों के साथ कोई भी लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति/यों के साथ कोई भी लेन-देन नीचे उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज, लागत, आदि के लिए इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉपोरेशन लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा।

कर्जदार/जमानती का नाम (सम्पत्ति के स्वामी) तथा ऋण खाता संख्या	प्रभारित/बंधक सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति का समस्त भाग)	माँग सूचना की तिथि, माँग सूचना की तिथि तक बकाया राशि	कब्जे की तिथि और प्रकार
श्री/श्रीमती हीरा देवी, रामकिशन और रूपसिंह गुर्जर निवास स्थानः ग्राम- कंवरपुरा, पोस्ट- बलरिया, तहसील- चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान 322702 **ऋण खाता संख्या HLSWHLONS000005047089**	पट्टा संख्या 36, पुस्तक संख्या 05 के समस्त भाग, ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा, पंचायत समिति चौथ का बरवाड़ा, जिला. सवाई माधोपुर, राजस्थान) माप क्षेत्रफल 1000 वर्ग फीट सीमाः- पूर्व-खाली प्लॉट श. राधेश्याम मॉल, पश्चिम-रोड, उत्तर-रिक्त प्लॉट श्री। माधो लाई कोली, दक्षिण-खाली प्लॉट मुस्तकीम देशवाली	12.04.2024 रु. 4,54,828.08/- (रुपये चार लाख चौवन हजार आठ सौ अट्ठाईस और आठ पैसे मात्र) 10.04.2024 को देय, साथ में 11.04.2024 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत।	09-03-2025 भौतिक
श्री/श्रीमती विश्वनाथ, मनोज और हेमंत निवास स्थानः मकान नं. 349, बृजराज कॉलोनी, नयापुरा, वार्ड नंबर 24, तहसील लाडपुरा, कोटा राजस्थान 324001 **ऋण खाता संख्या HL1900001943**	प्लॉट/मकान के सभी भाग (सर्वे नंबर 24, बृजराज कॉलोनी, कच्ची बस्ती, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा, राजस्थान) माप क्षेत्रफल 68.33 वर्ग गज। सीमाः- पूर्व- शंकर लाल का घर, पश्चिम- खुली भूमि, उत्तर- रास्ता, दक्षिण- खुली भूमि खाली प्लॉट मुस्तकीम देशवाली	29.05.2024 रु. 8,25,373/- (रुपये आठ लाख पच्चीस हजार तीन सौ तिहत्तर मात्र) 27.05.2024 को देय, साथ में 28.05.2024 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत।	11-03-2025 भौतिक

किसी पूछताछ के लिए कृपया श्री विनय राणा (+91 79886 05030) और श्री नीरज सिंह (+91 7014999205) से संपर्क करें (अधिकृत प्राधिकारी)
स्थान : राजस्थान, तिथि : 16.03.2025 — इण्डिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

TATA — टाटा कैपिटल लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजिनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013

माँग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13(2) के तहत

टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (टीसीएफएसएल) एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी है और कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित है और इसका पंजीकृत कार्यालय पेनिनसुला बिजनेस पार्क, टॉवर ए, 11वीं मंजिल, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013 में है और अन्य स्थानों के अलावा नई दिल्ली में एक शाखा कार्यालय ('शाखा') है, का 01.01.2024 से टाटा कैपिटल लिमिटेड ('टीसीएल') के साथ विलय हो गया है।

यह सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल लिमिटेड (टीसीएल) एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी है और कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित है और इसका पंजीकृत कार्यालय पेनिनसुला बिजनेस पार्क, टॉवर ए, 11वीं मंजिल, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई- 400013 में है और नई दिल्ली में अन्य स्थानों के अलावा एक शाखा कार्यालय ('शाखा') है। 24.11.2023 के आदेशों के अनुसार, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) मुंबई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 66 और अन्य लागू प्रावधानों के साथ धारा 230 से 232 के प्रावधानों के तहत टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ('टीसीएफएसएल') और टाटा क्लीनटेक कैपिटल लिमिटेड ('टीसीसीएल') के बीच हस्तांतरणकर्ता के रूप में और टाटा कैपिटल लिमिटेड ('टीसीएल') के बीच हस्तांतरणकर्ता के रूप में 01.01.2024 से सभी संपत्तियों, परिसंपत्तियों, आस्तियों, अधिकारों, लाभों, हितों, कर्तव्यों, दायित्वों, देनदारियों, अनुबंधों, समझौतों, प्रतिभूतियों आदि के साथ ठहराव की योजना को विधिवत मंजूरी दे दी है। उक्त आदेश और योजना के अनुसरण में, टीसीएफएसएल द्वारा निष्पादित सभी सुविधा दस्तावेज और उसके संबंध में सभी बकाया आवेदक कंपनी को हस्तांतरित हो गए और इस प्रकार टीसीएल इसके अनुसार [कर्जदारों/सह-कर्जदारों] से दावा करने का हकदार है।

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित दायित्वकर्ता/कानूनी प्रतिनिधि/कानूनी उत्तराधिकारी (**कर्जदार/सह-कर्जदार**) ने टाटा कैपिटल लिमिटेड (टीसीएल) से प्राप्त मूलधन, ब्याज और अन्य शुल्कों के पुनर्भुगतान में चूक की है। टीसीएल के बकाए का भुगतान करने में चूक के अनुसार आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार नीचे उल्लिखित ऋण खातों को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। टीसीएल ने अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसरण में अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत नीचे उल्लिखित वैधानिक मांग नोटिस जारी किए हैं, जिसमें कर्जदारों को नोटिस के 60 दिनों के भीतर भावी ब्याज और लागतों सहित उक्त बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया है, जिसमें विफल रहने पर टीसीएल अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत वर्णित सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करेगा, जिसमें नीचे वर्णित संपत्तियों पर टीसीएल के पक्ष में कर्जदारों द्वारा सृजित प्रतिभूति हित का प्रवर्तन भी शामिल हैः

ऋण खाता सं.	दायित्वधारी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/ विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम	एनपीए की तिथि	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि/मांग सूचना की तिथि
20827221	1. **श्री प्रदीप जिंदल,** पुत्र श्री पवन कुमार, आरजेड-21, ऊपरी भूतल, सामने की ओर, नया उत्तम नगर, शांति नर्सिंग होम के पास, दिल्ली- 110059 मोबाइलः 9212429756, 2. **श्रीमती कमलेश,** पत्नी श्री पवन कुमार, आरजेड-31-ए, सुभाष पार्क एक्सटेंशन, उत्तम नगर, नई दिल्ली- 110059, 3. **मेसर्स पवन एंड सन्स स्टील ट्रेडर्स,** इसके प्रोप्राइटर के माध्यम से, भूतल, प्लॉट संख्या 66,75 और 85, नया नंबर 80, खसरा संख्या 31/16 और 31/25, मटियाला एक्सटेंशन मटियाला, दिल्ली-110059	07.02.2025	रु. 35,07,509/- तथा 15.02.2025
सुरक्षित संपत्ति का विवरणः अनुसूची - ए - ऊपरी भूतल, बिना छत/टेरेस अधिकार के, (निर्मित संपत्ति का सामने का भाग), प्लॉट संख्या 21/1, और 21/3 और 21/2 और 21/4 के निर्मित हिस्से पर, निजी मंजिल संख्या ए-1, भूमि क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, यानि 83.62 वर्ग मीटर और अन्य अधिकार, कुल भूमि क्षेत्र 200 वर्ग गज में से, खसरा संख्या 68 और 69 में से, गाँव बिंदापुर, कॉलोनी न्यू उत्तम नगर, आबादी उत्तम नगर, नई दिल्ली में, जिसका विशेष रूप से 08.08.2014 के बिक्री विलेख में वर्णन किया गया है, जो कमलेश के पक्ष में निष्पादित किया गया है। सीमाः पूर्वः संपत्ति का शेष भाग, पश्चिमः सड़क 30 फीट उत्तरः प्लॉट संख्या 22, दक्षिणः प्लॉट संख्या 20			
TCFLA03590 00011908954 & TCFLA03590 0001252077	1. **आर्य होजरी,** डब्ल्यूजेड 1864 मुल्तानी मोहल्ला नियर, कृष्णा मंडल रानी बाग नॉर्थ, वेस्ट दिल्ली-110034, 2. **श्री विश्व गांधी बी,** डब्ल्यूजेड 1864 मुल्तानी मोहल्ला निकट कृष्णा मंडल रानी बाग नॉर्थ वेस्ट दिल्ली-110034, 2. **विभूति गांधी,** डब्ल्यूजेड 1864 मुल्तानी मोहल्ला कृष्णा मंडल के पास, रानी बाग उत्तर पश्चिम दिल्ली-110034	01-02-2025	रु. 2,56,66,816/- तथा 13.02.2025
सुरक्षित संपत्ति का विवरणः अनुसूची - ए - संपत्ति संख्या 917/22/1 (पुरानी) और नई संख्या क/2928, इसकी पूरी संरचना सहित, उस पर निर्मित, साइट के अनुसार, क्षेत्रफल 68.14 वर्ग मीटर (अर्थात 81.1/2 वर्ग गज) छत/छज्जा और अंतिम मंजिल तक ऊपरी निर्माण अधिकारों के साथ, चालू हालत में मीटर के साथ बिजली कनेक्शन के साथ लगे हुए, खसरा संख्या 470/124, खेवट संख्या 1/1 में से, प्लॉट संख्या 22,23 और 24 के भाग पर निर्मित, सीलमपुर गाँव के क्षेत्र में, धरमपुरा, इलाका शाहदरा, गांधी नगर, दिल्ली-31 की आबादी में स्थित है। निम्नानुसार सीमाबद्धः पूर्व की ओरः उक्त संपत्ति का हिस्सा। पश्चिम की ओरः उक्त संपत्ति का हिस्सा दक्षिण की ओर : रोड			
4852054 & 5965566	1. **श्री कल्याण सिंह** मकान नं. - 115, पॉकेट - 6, सेक्टर -22, रोहिणी नई दिल्ली .110085, संपर्क नं. 9211805176, 2. **श्रीमती आशा देवी,** मकान नं. - 115, पॉकेट - 6, सेक्टर -22, रोहिणी नई दिल्ली .110085, 3. **श्री नरेंद्र सिंह** मकान नं. - 115, पॉकेट - 6, सेक्टर -22, रोहिणी नई दिल्ली .110085	07-02-2025	रु. 45,11,794/- तथा 20.02.2025
प्रतिभूत संपत्ति का विवरणः अनुसूची - ए - प्लॉट नंबर 115 भूमि क्षेत्र 90 वर्ग मीटर लेआउट प्लान रोहिणी आवासीय योजना पॉकेट -6 सेक्टर -22 रोहिणी दिल्ली -110085 में स्थित है, जिसका अधिक विवरण श्री कल्याण सिंह के पक्ष में दिनांक 25.02.2006 के हस्तांतरण विलेख में दिया गया है, जिसके भूमि का पट्टा अधिकार हमारे पास है, सीमाएं - उत्तरः प्लॉट नंबर 116, दक्षिणः प्लॉट नंबर 114, पूर्वः सर्विस लेन 4 मीटर, पश्चिमः प्रवेश द्वार			

उपर्युक्त मांग सूचना की प्रभावी सेवा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, हम सार्वजनिक सूचना के माध्यम से उक्त नोटिस की सेवा प्रभावी कर रहे हैं। उपरोक्त कर्जदारों को अधिनियम की धारा 13(2) के तहत इस नोटिस के 60 दिनों के भीतर उपर्युक्त देनदारियों का निर्वहन करने के लिए कहा जाता है, जिसमें विफल रहने पर टीसीएल अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करेगा। प्रासंगिक रूप से, कर्जदारों को यह भी नोटिस दिया जाता है कि अधिनियम की धारा 13(13) की शर्तों के अनुसार, वे बिक्री, पट्टे या अन्यथा उपरोक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों को हस्तांतरित नहीं करेंगे।

दिनांकः 16.03.2025, स्थानः दिल्ली — हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, कृते टाटा कैपिटल लिमिटेड

Criminal Courts, Jalandhar
In The Court Of Ms. Rasveen kaur JMIC17, Jalandhar NACT/8887/2022
next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://ecourts.gov.in
Dheeraj Gupta Vs. Irshad Hussain
CNR NO: PBJL03-013907-2022
Next Date: 15-04-2025
police station/FIR no. Navi Baradari
detail of offence:-
Publication Issued To: Irshad Hussain : Son Of Abdul Vahid, Resident Of Near Lala Kumar Koothi Timar Das Sarai Sambhal Uttar Pardesh
whereas complaint/case has been made before me that Irshad Hussain : R/o Son Of Abdul Vahid, resident of near lala kumar koothi, timar das sarai sambhal uttar pardesh has committed (or is suspected to have committed) the offence punishable under section of negotiable instruments act and it has been returned to a warrant of arrest thereupon issued that the said irshad hussain cannot be found, and whereas it has been shown to my satisfaction that the said irshad hussain has absconded (or is concealing himself/herself to avoid the service of the said warrant): proclamation is hereby made that the said irshad hussain is required to appear before this court (or before me) on 15-4-2025 to answer the said compliant/case
JMIC 17 Jalandhar

"प्रपत्र सं. आईएनसी-26"
सामान्य सूचना कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में
क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (6) के खंड (ए) के मामले में और
देवस्थली इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
(CIN : U72900DL1991PTC043624)
जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : एम-24, फर्स्ट फ्लोर, मेन रोड, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-110048 में स्थित है .....आवेदक

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी प्रादेशिक निदेशक उत्तरी क्षेत्र के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए दिनांक बृहस्पतिवार 06 मार्च, 2025 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ मे कंपनी के संघम ज्ञापन मे संशोधन की पुष्टि की मांग की गई हैं।
कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररुप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिन के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।
कृते देवस्थली इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता/-
दिनांक : 16.03.2025 मनीष जैन
स्थान : नई दिल्ली निदेशक
डीआईएन : 00964919
रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : एम-24, फर्स्ट फ्लोर, मेन रोड, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-110048

"फॉर्म नं. यूआरसी-2"
अधिनियम के अध्याय XXI के भाग I के तहत पंजीकरण के बारे में सूचना देने वाला विज्ञापन [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(बी) और कंपनी (पंजीकरण के लिए अधिकृत) नियम, 2014 के नियम 4(1) के अनुसार]
1. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, एनसीटी में रजिस्ट्रार को पंद्रह दिनों के बाद लेकिन उसके बाद तीस दिनों की समाप्ति से पहले एक आवेदन करने का प्रस्ताव है। दिल्ली और हरियाणा में **मैसर्स वॉव गो ग्रीन एलएलपी** को कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI के भाग I के तहत शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।
2. कंपनी के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैः-
(I) कृषि और अन्य क्षेत्र के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए जिसमें निरीक्षण, कीटनाशकों का छिड़काव, खेतों की फोटोग्राफी और ड्रोन और स्प्रेयर जैसी मशीनों और उपकरणों की अन्य कार्य सहायता की आवश्यकता होती है।
(ii) शुल्क या अनुबंध के आधार पर कृषि गतिविधियाँ (खेतों की तैयारी, फसल की स्थापना, फसलों का उपचार, फसल का छिड़काव, फलों के पेड़ों और लताओं की छंटाई, चावल की रोपाई, चुकंदर को पतला करना, कटाई, कृषि के संबंध में कीट नियंत्रण) वगैरह।)
3. प्रस्तावित कंपनी के मसौदा ज्ञापन और एसोसिएशन के लेखों की एक प्रति का निरीक्षण ए 1715 ग्रीन फील्ड कॉलोनी, फरीदाबाद, हरियाणा, भारत, 12101 स्थित कार्यालय में किया जा सकता है।
4. इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस आवेदन पर आपत्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति **केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए), प्लॉट नंबर 6, 7, 8, सेक्टर 5 आईएमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड-122050,** में रजिस्ट्रार को लिखित रूप में अपनी आपत्ति बता सकता है। एवं इसकी एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, नोटिस के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर भेजें।
हस्ता./-
आवेदक के नाम
1. शंकर गोयनका (डीआईएन 02075790)
2. पार्थ गोयनका (डीआईएन 08070583)
3.राधिका गोयनका (डीआईएन 08099927)
दिनांक 15 मार्च, 2025।

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

पंजीकृत कार्यालय: नं. 167-169, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई- 600015
शाखा कार्यालय: एफ-8, महालक्ष्मी मेट्रो टावर, सेक्टर- 4, वैशाली, गाजियाबाद- 201010

अचल संपत्ति के भौतिक कब्जे की सार्वजनिक सूचना

प्रति, 1. श्री पवन कुमार पाल, 2. श्रीमती दयावती दयावती– दोनों का पता : मकान नंबर– ई–11, शुभ सिटी–3, रोजा जलालपुर, गौतम बुद्ध नगर, मेट्रो, नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत– 201009 जबकि एलडीवे अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नोएडा द्वारा पारित आदेश दिनांक– 21.01.2025 के अनुसार, संपत्ति, फ्लैट नंबर– बी–1608, 16वां तल, टावर–बी, गायत्री और, प्लॉट नंबर– जीएच–11, सेक्टर–1, ग्रेटर नोएडा (पश्चिम) उत्तर प्रदेश, मेट्रो, नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत– 201301 के समस्त भाग एवं अंशों का भौतिक कब्जा मैसर्स हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा 10–03–2025 को ले लिया गया है। विशेष रूप से उधारकर्ताओं और जनसाधारण को एतद्वारा संपत्ति का संव्यवहार न करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति का कोई भी संव्यवहार मैसर्स हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

दिनांक : 16/03/2025 हस्ता./–, प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : नोएडा हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

केन फिन होम्स लिमिटेड

CIN : L85110KA1987PLC008699, केनरा बैंक बिल्डिंग के ऊपर, प्रथम तल, प्लॉट नं. सी–3, सेक्टर–1, नोएडा, उत्तर प्रदेश, पिन कोड– 201301 ई–मेल : noida@canfinhomes.com, फोन न. : 0120–2970164/65/67, 7625079126

नोटिस

कृपया दिनांक 01–03–2025 को प्रकाशित बिक्री नोटिस विज्ञापन का संदर्भ लें, जिसमें "अचल संपत्ति की बिक्री" हेतु नीलामी का उल्लेख किया गया था। यह नीलामी 04–04–2025 को प्रातः **11:30 बजे से 12:30** बजे तक आयोजित की जानी थी, जिसमें निम्नलिखित संपत्ति शामिल थी **फ्लैट नंबर एस –1, दूसरी मंजिल, बिना छत के अधिकार के, फ्रीहोल्ड प्लॉट नंबर – 11/एमएल–2, गौड़ शॉपर्स एम्पायर, सेक्टर–11, वसुंधरा, गाजियाबाद**
जो कि **उधारकर्ता श्री सुशील कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद सह–उधारकर्ता श्रीमती इंदु त्यागी पत्नी श्री सुशील कुमार तथा गारंटर श्री गिरीश चंद्र आर्य पुत्र स्वर्गीय श्री बी.एल. शर्मा** से संबंधित थी। यह नीलामी प्रशासनिक कारणों से तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई है।

तिथि : 15–03–2025 स्थान : नोएड़ा हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी
केन फिन होम्स लिमिटेड

pnb Housing

पंजीकृत कार्यालय: 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110001, दूरभाष : 011–23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com
शाखा पता : सी2/21, प्रथम तल, सी–ब्लॉक, माता चनन देवी मार्ग, जनकपुरी, नई दिल्ली– 110058

अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियम 8(1) के अनुपालन में और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, एक मांग सूचना जारी की थी, जिसमें ऋणकर्ता/सह–ऋणकर्ता/गारंटर को उक्त सूचना में अंकित राशि तथा उस पर ब्याज का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। ऋणकर्ता/गण राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ता/ओं को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति/यों का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, प्रत्येक खाता के समक्ष अंकित तिथियों पर, अधिग्रहण कर लिया है। ऋणकर्ता/ओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति/यों का लेन–देन न करें तथा संपत्ति/यों का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, ऋणानुबंध के अनुसार एक निर्धारित बकाया राशि तथा इस राशि पर ब्याज हेतु **पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लि.** के प्रभाराधीन होगा। **ऋणकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।**

ऋण खाता संख्या	ऋणकर्ता/ सह–ऋणकर्ता/ गारंटर के नाम	माँग सूचना तिथि	बकाया राशि	अधिग्रहण लिये जाने की तिथि	बंधककृत संपत्ति का विवरण
NHL/JAN/0719/730120, बी.ओ.: जनकपुरी	श्री जसवीर सिंह तथा श्री राखी यादव	21/12/2024	रु. 34,76,469.38/– (रुपये चौंतिस लाख छिहत्तर हजार चार सौ उनहत्तर और अड़तीस पैसे मात्र)	11/03/2025 (साँकेतिक)	दुकान नं. यूजी17, प्रथम तल, सिगनम– 93, सेक्टर– 93, गुड़गांव, हरियाणा– 122001

स्थान : जनकपुरी, दिनाँक : 14–03–2025 प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

दिल्ली स्थित केंद्रीय कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष समाचार पत्र विज्ञापन

सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उपधारा (3) तथा सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 के नियम 17 के मामले में

सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 (3) के मामले में तथा जेट–एज रियल बिजनेस एलएलपी के मामले में, जिसका पंजीकृत कार्यालय फ्लैट संख्या 88, शुभम अपार्टमेंट, पी.के.टी. 4, एन.एस.आई.टी. द्वारका, दक्षिण दिल्ली, दिल्ली– 110078 में है ...याचिकाकर्ता। आम जनता को सूचित किया जाता है कि एलएलपी अपने पंजीकृत कार्यालय को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ''दिल्ली'' से ''हरियाणा'' राज्य में बदलने की अनुमति प्राप्त करने के लिए सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 (3) के अंतर्गत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दिल्ली को एक याचिका प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखती है। कोई भी व्यक्ति जिसका हित एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह अपने हित की प्रकृति और विरोध के आधारों को बताते हुए एक हलफनामे द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियों को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दिल्ली को इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 21(इक्कीस) दिनों के भीतर, ऊपर उल्लिखित पते पर अपने पंजीकृत कार्यालय में याचिकाकर्ता एलएलपी को एक प्रति के साथ वितरित कर सकता है या वितरित करवा सकता है या पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है।

आवेदक की ओर से
जेट–एज रियल बिजनेस एलएलपी
हस्ता/–
राजेश डबास
नामित भागीदार
डीपीआईएनः 02116994
पताः फ्लैट नंबर 88, शुभम अपार्टमेंट, पीकेटी 4, एनएसआईटी द्वारका, दक्षिण दिल्ली, दिल्ली–110078
दिनांकः 16/03/2025
स्थानः दिल्ली

टाटा कैपिटल लिमिटेड

11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई–400013

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ('नियम') के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') की धारा 13 (2) के अंतर्गत।

सेवा में,
1. **मेसर्स बालाजी ग्लास कंपनी**
58 एजी3 पीएलएस प्लाजा गांधी रोड, देहरादून उत्तराखंड 248001
2. **अंकुर कुमार**
चुना भट्टा रायपुर रोड, देहरादून 248001
3. **आकांक्षा**
चुना भट्टा रायपुर रोड, देहरादून 248001

प्रिय महोदय/महोदया,

दिनांक 12.02.2025 तक रु. 21,44,879/– (रुपये इक्कीस लाख चौवालीस हजार आठ सौ उन्यासी मात्र) की राशि टाटा कैपिटल लिमिटेड (इसके बाद 'टीसीएल' के रूप में संदर्भित) ऋण खाता संख्या TCFLA0374000012176104, और 24.05.2023 के माध्यम से टीसीएल द्वारा आपको दिए गए होम इक्विटी (एलएपी) ऋण के तहत ब्याज सहित देय है। हमारे बार–बार अनुरोध के बावजूद, आपने अपने खाते में बकाया राशि के लिए कोई राशि का भुगतान नहीं किया है, अतः टीसीएल का बकाया चुकाने में आपकी चूक के अनुसार आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार 03–02–2025 को एनपीए खाता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मैंने, टाटा कैपिटल लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी के अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसरण में नोटिस के 60 दिनों के भीतर रु. 21,44,879/– की ऋण राशि भावी के ब्याज और लागतों के साथ चुकाने को कहते हुए मांग सूचना दिनांक 12.02.2025 जारी की थी, जिसमें विफल रहने पर टीसीएल अधिनियम की धारा 13(4) के तहत विस्तृत सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करेगा, जिसमें नीचे वर्णित संपत्ति पर टीसीएल के पक्ष में आपके द्वारा सृजित प्रतिभूति हित को लागू करना शामिल है।

अनुसूची – ए

दुकान संख्या एजी–5 का वह समस्त भाग [छत के अधिकार के बिना] और नीचे के फ्लोर अधिकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 154 वर्ग फीट या 13.31 वर्ग मीटर है, जिसे पीएलएस प्लाजा देहरादून के नाम से जाना जाता है, जो नगरपालिका संख्या 4–बी राजा रोड, देहरादून 248001 की संपत्ति का हिस्सा है, जिसका विशेष रूप से 18.04.2023 को पंजीकृत बिक्री विलेख में श्रीमती आकांक्षा डब्ल्यू/ओश्री अंकुर कुमार के पक्ष में उल्लेख किया गया है
निम्नानुसार सीमाबद्धः –
पूर्व : दुकान संख्या एजी–4, साइड माप 10 फीट।
पश्चिम : श्री आर्यन त्यागी की संपत्ति, 10 फीट की साइड।
उत्तरः 25 फीट पार्किंग क्षेत्र, 15 फीट 5 इंच की साइड।
दक्षिणः दुकान नं. एजी–6, 15 फीट 5 इंच की साइड।

दिनांक 12.02.2025 की मांग सूचना की प्रभावी सेवा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हम वर्तमान प्रकाशन के माध्यम से उक्त नोटिस की सेवा प्रभावी कर रहे हैं। आपको उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत इस नोटिस के 60 दिनों के भीतर उपर्युक्त दायित्व का निर्वहन करने के लिए कहा जाता है, ऐसा न करने पर टीसीएल उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(13) की शर्तों के अनुसार, आप उपरोक्त प्रतिभूत संपत्तियों को बिक्री, पट्टे या अन्यथा द्वारा हस्तांतरित नहीं करेंगे।

स्थानः देहरादून (उत्तराखंड) **हस्ता./–**
दिनांकः 16.03.2025 **टाटा कैपिटल लि.**

प्रपत्र सं. आईएनसी–26

(कंपनी (निगमीकरण) नियमावली 2014 के नियम 30 के अनुपालन में)
एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन हेतु समाचारपत्र में प्रकाशित किया जानेवाला विज्ञापन

केंद्रीय शासन, (क्षेत्रीय निदेशक) उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) तथा कंपनी (निगमीकरण) नियमावली 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के उपवाक्य (ए) के प्रकरण में

तथा

कैपफिन इंडिया लिमिटेड
(सीआईएन– L74999DL1992PLC048032)

कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत निगमीकृत एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय : 1सी/13, बेसमेंट, नवीन रोहतक मार्ग, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110005 में स्थित है, के प्रकरण में

........याचिकादात्री

विरुद्ध

द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दिल्ली,
चतुर्थ तल, आईएफसीआई टॉवर,
61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली– 110019

........प्रतिवादी

सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कंपनी, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केंद्रीय शासन (क्षेत्रीय निदेशक) के पास एक आवेदन करने का प्रस्ताव रखती है, जिसमें **11 मार्च 2025 को रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलेट द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव के** निबंधनों के अनुसार कंपनी के संस्था के ज्ञापन के परिवर्तन के पुष्टिकरण की इच्छा प्रकट की गई है, ताकि कंपनी, अपने पंजीकृत कार्यालय को **''दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटीडी)'' में स्थित ''दिल्ली'' से ''महाराष्ट्र के राज्य'' में स्थित ''पुणे''** में परिवर्तित करने में समर्थ हो सके।

कोई भी व्यक्ति, जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन द्वारा संभवतः प्रभावित हो सकता है, वह इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह (14) दिवसों की समयावधि के अंदर, अपने हित की प्रकृति और विरोध के आधारों का उल्लेखन करनेवाले एक शपथपत्र द्वारा अनुसमर्थित अपनी आपत्ति / यों को या तो एमसीए–21 पोर्टल (**www.mca.gov.in**) पर एक निवेशक शिकायत प्रपत्र के माध्यम से अथवा मूल प्रति को क्षेत्रीय निदेशक, **बी–2 स्कंध, द्वितीय तल, पण्डित दीनदयाल अंत्योदय भवन, द्वितीय तल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली**– 110003 को सौंप दे या प्रेषित कर दे अथवा स्वयं जाकर दे आये अथवा इस पते पर पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित कर दे। साथ ही इस सूचना की एक प्रति, आवेदक कंपनी को निम्न वर्णित पते पर स्थित इसके पंजीकृत कार्यालय को भी प्रेषित कर दे :

1सी/13, बेसमेंट, नवीन रोहतक मार्ग, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110005

आवेदक हेतु तथा उसकी ओर से
कैपफिन इंडिया लिमिटेड
हस्ता./–
अभिषेक नरबरिया
प्रबंध निदेशक
दिनाँक : 13 मार्च, 2025 **डीआईएन : 01873087**
स्थान : पुणे

ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)

प्रपत्र सं. 3
[विनियम–13 (1)(ए) देखें]

प्रथम तल, एससीओ 33–34–35 सेक्टर–17 ए, चंडीगढ़
(तृतीय एवं चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त स्थल आबंटित किया गया है)
प्रकरण सं.: ओए/1202/2024

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली 1999 के नियम 5 के उप–नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के अंतर्गत न्यायालयी आदेश (समन्स)।

एक्स. नं. 25590

यस बैंक
विरुद्ध
परधुमन परधुमन

(1) परधुमन परधुमन
डी/डब्ल्यू/एस/ओ– ताराचंद
श्री परधुमन पुत्र श्री ताराचंद, निवासी– जमाल, सिरसा, हरियाणा– 125110, सिरसा, हरियाणा
(2) प्रतिवादी सं. 2– श्री तारा चंद पुत्र श्री हरदेव राम अब दिवंगत इनके एलआर द्वारा अभ्यावेदित :–
कानूनी वारिस : 1
2 (ए) परधुमन (पुत्र दिवंगत तारा चंद) अर्थात् प्रतिवादी सं. 1 निवासी जमाल, सिरसा, हरियाणा– 125110
कानूनी वारिस : 2
2 (बी) विमला पत्नी तारा चंद (दिवंगत तारा चंद की विधवा) अर्थात् प्रतिवादी सं. 3 निवासी जमाल, सिरसा, हरियाणा– 125110
(3) प्रतिवादी सं. 3– विमला पत्नी तारा चंद, निवासी– जमाल सिरसा, हरियाणा– 125110

न्यायालयी आदेश (समन्स)

जबकि, ओए/1202/2024, दिनांक 07/03/2025 को माननीय पीठासीन अधिकारी / रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।
जबकि, यह माननीय अधिकरण **रु. 27,55,764.05/–** के ऋणों की वसूली हेतु आपके विरुद्ध दर्ज अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत उक्त आवेदन, (ओए) पर न्यायालयी आदेश अर्थात् समन्स / सूचना निर्गत करके संतुष्ट है (आवेदन, प्रलेखों इत्यादि की प्रतियों के साथ संलग्न है)।
अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के अनुसार, आप अर्थात् प्रतिवादियों को निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है कि :–
(1) न्यायालयी आदेश अर्थात् समन्स प्रसारित होने के तीस दिवसों के अंदर हमें कारण बताएं / दिखाएं कि जिस राहत हेतु प्रार्थना की गई है, उसे स्वीकृत क्यों नहीं किया जाना चाहिए;
(2) आवेदक द्वारा मूल आवेदन–पत्र के क्रमांक 3ए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की गई संपत्तियों एवं परिसंपत्तियों के अतिरिक्त अन्य संपत्तियों अथवा परिसंपत्तियों के विवरण प्रकट करना;
(3) आपको, संपत्तियों की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई और निस्तारण के लंबित रहने तक, मूल आवेदन–पत्र के क्रमांक 3ए के तहत प्रकट की गई प्रतिभूत परिसंपत्तियों या ऐसी अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों का लेन–देन करने या निस्तारण करने से प्रतिबंधित किया जाता है;
(4) आप, अधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना, अपने व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के अलावा, किसी भी ऐसी परिसंपत्ति, जिस पर प्रतिभूति हित सृजित किया गया है उसको और / या मूल आवेदन–पत्र के क्रमांक 3ए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट या प्रकट की गईं अन्य परिसंपत्तियों एवं संपत्तियों को बिक्री, पट्टे के माध्यम से या अन्यथा हस्तांतरित नहीं करेंगे;
(5) आप व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के तहत प्रतिभूत परिसंपत्तियों या अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त बिक्री–आय के लिए उत्तरदायी होंगे और ऐसी बिक्री–आय को, ऐसी परिसंपत्तियों पर प्रतिभूति हित धारण करनेवाले बैंक या वित्तीय संस्थानों के पास अनुरक्षित खाते में जमा करेंगे।
आपको, लिखित विवरण, आवेदक को इसकी एक प्रति प्रेषित करने के दायित्व निर्वहन के साथ, प्रस्तुत करने और 21–03–2025 को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है। ऐसा न करने पर आवेदन पर सुनवाई की जाएगी और आपकी अनुपस्थिति में निर्णय ले लिया जायेगा।
आज दिनाँक : 11/03/2025 को मेरे हस्ताक्षर और इस अधिकरण की मुद्रा के अंतर्गत निर्गत।
ऋण वसूली अधिकरण–।।, चंडीगढ़

फॉर्म जी
आर्क फार्मालैब्स लिमिटेड

गुरुग्राम, हैदराबाद और महाराष्ट्र में फार्मास्युटिकल उद्योग में परिचालनरत् के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति का आमंत्रण
(भारतीय ऋणशोधन अक्षमता और दिवालिया बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋणशोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली 2016 के विनियम 36ए के उप–विनियम (1) के अंतर्गत)

प्रासंगिक विवरण

1.	पैन और सीआईएन / एलएलपी नंबर के साथ कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	आर्क फार्मालैब्स लिमिटेड सीआईएन : U24231MH1993PLC150891 पैन : AACCM0306Q
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता	यूनिट नंबर 301, 302 और 303, एच विंग तृतीय तल, टेक्स सेंटर, सकी विहार रोड के पास, चांदिवली, अंधेरी पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत, 400072
3.	वेबसाइट का यूआरएल	https://www.archpharmalabs.com/
4.	उस स्थान का विवरण जहां अधिकांश अचल परिसंपत्तियां स्थित हैं	विनिर्माण सुविधाएं गुरुग्राम, हैदराबाद और महाराष्ट्र में स्थित हैं
5.	मुख्य उत्पादों / सेवाओं की संस्थापित क्षमता	विवरण cirp.archpharamalabs@gmail.com पर समाधान व्यवसायी को ईमेल करके मांगा जा सकता है
6.	पिछले वित्तीय वर्ष में बेचे गए मुख्य उत्पादों / सेवाओं की प्रमात्रा और मूल्य	वित्त वर्ष 2023–24 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार रु. 1,37,329.27 लाख का कारोबार
7.	कर्मचारियों / कामगारों की संख्या	उपलब्ध सीमित जानकारी के अनुसार 28.02.2025 तक कुल कामगारों और कर्मचारियों की संख्या लगभग 776 है।
8.	दो वर्षों के अंतिम उपलब्ध वित्तीय विवरण (अनुसूचियों के साथ), ऋणदाताओं की सूची सहित अन्य विवरण इस यूआरएल पर उपलब्ध हैं :	विवरण समाधान व्यवसायी को cirp.archpharamalabs@gmail.com पर ईमेल करके मांगा जा सकता है।
9.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के अंतर्गत समाधान आवेदकों के लिए पात्रता इस यूआरएल पर उपलब्ध है :	विवरण समाधान व्यवसायी को cirp.archpharamalabs@gmail.com पर ईमेल करके मांगा जा सकता है।
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि	31.03.2025
11.	संभावित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	10.04.2025
12.	अनंतिम सूची पर आपत्तियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	15.04.2025
13.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	25.04.2025
14.	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स और समाधान योजनाओं के लिए अनुरोध जारी करने की तिथि	30.04.2025
15.	समाधान योजनाओं को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	30.05.2025
16.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया ईमेल आईडी	cirp.archpharamalabs@gmail.com
17.	कॉर्पोरेट ऋणधारक की एमएसएमई के रूप में पंजीकरण स्थिति का विवरण	लागू नहीं होता।

टिप्पणी :
1) फॉर्म जी को सीओसी सदस्यों द्वारा दिनांक 13 मार्च 2025 को आयोजित अपनी बैठक में पारित प्रस्तावों के अनुसार प्रकाशित किया गया है, ताकि अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जा सके।

हस्ता./–
अंशुल गुप्ता
समाधान व्यवसायी
आर्क फार्मालैब्स लिमिटेड
आईबीबीआई पंजी. सं. IBBI/IPA-002/IP-N00310/2017-2018/10899
आईबीबीआई पंजी. पता : 410, चतुर्थ तल, ब्लू रोज इंडस्ट्रियल एस्टेट, मेट्रो मॉल के समीप, बोरीवली पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्र– 400066 (एएफए 31.12.2025 तक वैध)
दिनाँक : 16/03/2025
स्थान : मुंबई

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

SMFG Grihashakti — Nayi Asha. Naya Vishwas.

(पूर्ववर्ती फुलरटन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड)
निगमित कार्यालयः 503 एवं 504, 5वां तल, जी–ब्लॉक, इंसाइप्रि बीकेसी, बीकेसी मेन रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.), मुंबई–400051
पंजीकृत कार्यालय : कॉमर्सजोन आईटी पार्क टावर बी, प्रथम तल, सं.111, माउन्ट पूनामल्ली रोड, परूर चेन्नई – 600116 तमिलनाडु

अचल संपत्ति की अधिग्रहण सूचना [(परिशिष्ट IV) नियम 8(1)]

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्ववर्ती फुलरटन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड), एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ख्राष्ट्रीय आवासन बैंक के साथ विधिवत पंजीकृत (आरबीआई द्वारा पूर्णतः स्वामित्वकृत), (यहां इसमें इसके उपरांत ''एसएमएचएफसी'' के रूप में संदर्भित), के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित निम्नांकित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत की थी, जिसमें आप ऋणकर्ताओं (नाम नीचे वर्णित हैं) को उक्त सूचना में अंकित राशि तथा राशि पर नियत ब्याज का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। यहां इसमें निम्न वर्णित ऋणकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा यहां इसमें निम्न वर्णित ऋणकर्ताओं को और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत मुझे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत अधिग्रहण कर लिया है। यहां इसमें उपरोक्त वर्णित ऋणकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्यतय सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, यहां इसमें निम्नांकितानुसार एक राशि तथा इस राशि नियत ब्याज हेतु ''एसएमएचएफसी'' के प्रभाराधीन होगा।

क्र. सं.	ऋणकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) के नाम, एलएएन	प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना तिथि एवं राशि	अधिग्रहण की तिथि
1.	एलएएनः– 611238311112211 1. दया वंती जय पाल 2. अंकित बाबू राम	दयावंती पत्नी जयपाल के नाम पर दर्ज दिनांक 19–4–2001 की वसीका नंबर 413 वाली बिक्री विलेख के अनुसार मकान के प्लॉट भाग ,वाकिया गली नंबर–1, शिव कॉलोनी, एमसी सीमा के भीतर, करनाल में स्थित खसरा नंबर–1373 में शामिल 49 वर्ग गज वाली सम्पत्ति का सम्पूर्ण टुकड़ा और अंश। इस प्रकार सीमाबद्धः– पूर्व प्लॉट रामकुमार, पश्चिम–गली,उत्तर–भाग मकान ख्याली राम, दक्षिण–संपत्ति शकुंतला देवी।	24.12.2024 दिनांक 19.12.2024 तक रु. 5,24,798.85 (रुपये पांच लाख चौबीस हजार सात सौ अट्ठानवे और पैसे पचासी मात्र)	13.03.2025

हस्ता./–
स्थान : करनाल, हरियाणा **प्राधिकृत अधिकारी एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड**
दिनांक : 13.03.2025 **(पूर्ववर्ती फुलरटन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड)**

pnb Housing Finance Limited — Ghar Ki Baat

परिशिष्ट –4–क
अचल सम्पत्ति(यों) की ई–नीलामी बिक्री सूचना
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालयः – 9 वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के जी मार्ग, नई दिल्ली –110001 फोनः – 011–23357171, 23357172, 23705414, **वेबसाइटः www.pnbhousing.com**
मेरठ शाखाः पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, प्रथम तल, पिनाकल टॉवर, वैशाली कॉर्नर, गढ़ रोड, मेरठ–250004, (यूपी). **नोएडा शाखाः** पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ग्राउंड फ्लोर, डी–2, सेक्टर–3, नोएडा (यूपी)–201301

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कालम नंबर –ए में निदर्शित कर्जदार(रों) एवं गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित कालम नंबर–डी में वर्णित अचल सम्पत्ति(यां), जिसका प्रलक्षित/भौतिक कब्जा पीएनबी हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड (पीएनबी एचएफएल)/प्रत्याभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है (कालम नंबर–सी में वर्णितानुसार) नीचे दिए विवरण के अनुसार **"जैसी है जहां है", जैसी है जो है"** तथा **"जो भी है वहां है"** आधार पर बेची जाएंगी। एतद्द्वारा कालम नंबर –ए में निदर्शित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं)/संबंधित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं) (मृत्योपरान्त) के कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधियों, (चाहे ज्ञात अथवा अज्ञात), निष्पादक(कों), प्रशासक(कों), उत्तराधिकारी(यों), समनुदेशिती(यों) को, जैसी भी स्थिति है, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 अद्यतन संशोधित के नियम 8(6) एवं 9 के तहत सूचना दी जाती है।
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट नामतः **www.pnbhousing.com** में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।

ऋण संख्या, कर्जदार/ सह–कर्जदार का नाम गारंटर(s) (ए)	मांग सूचना मांग की राशि और तारीख (बी)	कब्जा का प्रकार (सी)	बंधक रखी सम्पत्तियों का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	ईएमडी (आरपी का 10%) (एफ)	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि राशि (एच)	निरीक्षण की तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ज्ञात ऋणभार/ न्यायालय मामला, यदि कोई, (के)
HOU/MEE/0416/280174, HOU/MEE/0815/235719, बी.ओ.: मेरठ, ओमवीर सिंह, दिव्या मोहन	01.11.2019 तक रु. 14,72,960.65	भौतिक कब्जा	मकान नंबर 16, खसरा नंबर 634 का हिस्सा, इंदिरापुरी, मोदी नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत।	रु. 1047000	रु. 104700	29.03.2025	रु. 10,000	20.03.2025 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 5:30 बजे	31.03.2025 अप. 02.00 बजे से अप. 03:00 बजे	Not Known
NHL/NOI/1216/338290, बी.ओ.: नोएडा, रॉबिन कांत उपाध्याय, श्रीमती सरोज उपाध्याय और सुश्री मेडिकेयर आईएनसी.	24.02.2024 तक रु. 12,23,504.6	भौतिक कब्जा	दुकान नंबर एफएफ –37, दूसरी मंजिल, ओमेक्स द पार्क प्लाजा, प्लॉट नंबर डी, शक्ति खंड – 2, इंद्रपुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201001, भारत।	रु. 900000	रु. 90000	29.03.2025	रु. 10,000	20.03.2025 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 5:30 बजे	31.03.2025 अप. 02.00 बजे से अप. 03:00 बजे	Not Known

*उसके भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक लागू अनुसार 18 प्रतिशत वार्षिक की दर पर भावी ब्याज, उपगत किए गए अनुषंगी खर्चों, लागत, प्रभारों इत्यादि सहित। ''पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, उपरिवर्णित अचल/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में कोई अन्य ऋणभार/दावे नहीं हैं, सिवाय उनके जो कालम नंबर–के में वर्णित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन ऋणभारों का भुगतान/अदायगी सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा उसकी अपनी व्यवस्था द्वारा की जाएगी। सफल क्रेता(ओं)/बोलीदाताओं से वर्णित ऋणभारों की सत्यता का अभिनिश्चयन स्वतंत्र रूप से करने का अनुरोध किया जाता है। 1. आज की तिथि तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी पर उपरोक्त अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री, हस्तांतरण तथा/अथवा निपटान के संबंध में कोई प्रतिबंध आदेश तथा/अथवा न्यायालय निषेधादेश लागू नहीं है। 2. संभावित क्रेता/बोलीदाता तथा इच्छुक पार्टियां कालम नंबर–के में वर्णित, कार्यवाही/पारित आदेश इत्यादि, यदि कोई, में बहस, जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध उसके स्वामित्व के साथ संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है परंतु उसी तक सीमित नहीं है, का निरीक्षण स्वतंत्र रूप से कर सकती हैं तथा सभी संदर्भों में अपनी संतुष्टि अपनी निविदा/बोली आवेदन प्रस्तुत करने अथवा ऑफर(स) प्रस्तुत करने से पहले कर सकती हैं। बोलीदाता(ओं) को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे। 3. कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता/खरीदार कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% (ब्याना सहित) जमा करने के लिए बाध्य है। पैसा, यदि कोई हो, जमा किया गया) उसी दिन या अगले कार्य दिवस की तुलना में बाद में नहीं। सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य का 25% प्राप्त करने के बाद ही (बोली लगाने वाले) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। शेष 75% बिक्री पुष्टि पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता द्वारा बिक्री प्रतिफल राशि जमा करनी होगी और इस तरह की जमा राशि के डिफ़ॉल्ट होने पर, संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा। 4. **मैसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री संचालन में प्राधिकृत अधिकारी कार्पोरेट कार्यालय पता : प्लॉट नंबर 68, तृतीय तल, सेक्टर–44, गुरुग्राम, हरियाणा–122003 वेबसाइट–**www.bankeauctions.com** सहायता करेगी। संपत्ति के निरीक्षण या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण से संबंधित किसी भी सहायता के लिए, पीएनबीएचएफएल प्राधिकृत अधिकारी **अमित शर्मा, मुनेन्द्र कुमार, संपर्क नंबर 1800120 8800**, या सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अथवा **www.pnbhousing.com** पर देखें।

स्थान : उत्तर प्रदेश, दिनांक : 16–03–2025 प्राधिकृत अधिकारी, मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

केनरा बैंक Canara Bank

भारत सरकार का उपक्रम — A Govt. of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate

वसूली एवं कानूनी अनुभागः मुंबई दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय, केनरा बैंक, कफ परेड, मेकर टॉवर, ई विंग, 14वीं मंजिल, मुंबई –मेलः rorecoverymums@canarabank.com वेबसाइटः www.canarabank.com

अचल संपत्ति की बिक्री

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित।

आम जनता को तथा विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां, जो सुरक्षित लेनदार के पास बंधक हैं, जिनका कब्जा केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उन्हें **''जैसा है जहां है'' और ''जैसा है जो है''** के आधार पर **25.04.2025** को, सुबह 11.00 बजे से दोपहर 1. 30 बजे के बीच ऑनलाइन ई–नीलामी के माध्यम से, नीचे वर्णित बकाया राशि की वसूली के लिए बेचा जाएगा, जो कि इसमें बताई गई हमारी विभिन्न शाखाओं को देय है।

बयाना **राशि 24.04.2025 को या उससे पहले, शाम 4:00 बजे तक जमा** की जानी चाहिए। ईएमडी और अन्य दस्तावेजों का विवरण **24.04.2025 को या उससे पहले शाम 05.00 बजे तक** सेवा प्रदाता को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व नियुक्ति लेकर **23.04.2025 को सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे के बीच** संपत्ति का निरीक्षण किया जा सकता है।

क्र. सं	उधारकर्ता(ओं)/ गारंटर(ओं)/ बंधककर्ता(ओं) का नाम	बकाया	सुरक्षा/क्षेत्र का विवरण वर्ग फीट में (कब्जे की स्थिति)	आरक्षित मूल्य (आर.पी.) / बयाना राशि जमा (ईएमडी)	केनरा बैंक खाता का विवरण / शाखा का नाम और संपर्क विवरण
1	**उधारकर्ता (ओ) :–** **मेसर्स कार्डियर फूड्स एंड बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड अपने निदेशकों श्री अजीत कुमार जेना और श्री गोपाल चतुर्वेदी पुत्र बाल मुकुंद चतुर्वेदी के माध्यम से** **गारंटर (ओ) :–** **बंधककर्ता (ओ) :–** मेसर्स कार्डियर फूड्स एंड बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड	**रु. 4,85,72,394.86** (रुपये चार करोड़ पचासी लाख बहत्तर हजार तीन सौ चौरानबे और पैसे छियासी मात्र) 30.06.2024 तक प्लस वर्तमान ब्याज और अन्य शुल्क देय	दुकान/हॉल पुरानी संपत्ति संख्या 329 और नई जल दर संख्या 79/325, 79/325ई, 79/325एफ और 79/325एम कॉम्प्लेक्स के भाग (प्रथम तल का भाग) पर बनी है लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, दलपत खिड़की मथुरा में स्थित मेसर्स कार्डियर फूड्स एंड बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड की है। **उत्तरः** नारायणदास, विजय कुमार, अजय कुमार और राजाराम का मकान, **दक्षिणः** ग्राउंड फ्लोर पर खुला आसमान और रास्ता, **पूर्वः** बाबूलाल और लाला मिस्त्री आदि का मकान, **पश्चिमः** लिफ्ट की सीढ़ियाँ और खुला आसमान CERSAI सुरक्षा हित आईडी – 400074859462 शीर्षक धारक का नामः मेसर्स कार्डियर फूड्स एंड बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड क्षेत्रः 248.85 वर्ग मीटर **(सुपर एरिया) (कब्जा प्रतीकात्मक)**	**रु. 5,76,49,000/–** **रु. 57,64,900/–**	**केनरा बैंक ए आर स्ट्रीट शाखा खाता संख्या 209272434, आईएफएससी कोडः सीएनआरबी0000102/ प्रबंधक केनरा बैंक ए आर स्ट्रीट 8655963168 / 8160439507 / 7021343367 / 9491457391**
2	**उधारकर्ता (ओ) :–** **मेसर्स कार्डियर फूड्स एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड अपने निदेशकों श्री अजीत कुमार जेना और श्री गोपाल चतुर्वेदी पुत्र बाल मुकुंद चतुर्वेदी के माध्यम से** **गारंटर (ओं) :–** **बंधककर्ता (ओं) :–** मेसर्स कार्डियर फूड्स एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड	रु. 6,30,89,571.62 (रुपये छह करोड़ तीस लाख नवासी हजार पांच सौ इकहत्तर और पैसा बासठ मात्र) 30.06.2024 तक साथ ही वर्तमान ब्याज और अन्य देय शुल्क	दूसरी मंजिल पर व्यावसायिक दुकान (उत्तर–पूर्व की ओर) ''लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स'' के नाम से जानी जाने वाली इमारत, वाटर टैक्स नंबर 329, नई संख्या 79/325 पर गली लुधियाना, दलपत खिड़की, कोतवाली रोड, मथुरा, उत्तर प्रदेश–281001 पर स्थित है। **उत्तरः** घर नारायणदास, विजय कुमार, अजय कुमार और राजाराम **दक्षिणः** ग्राउंड फ्लोर पर खुला आसमान और रास्ता, **पूर्वः** घर बाबूलाल ओवरसियर और लाला मिस्त्री आदि **पश्चिमः** लिफ्ट और झीना और खुला आसमान CERSAI सुरक्षा हित आईडी – 400075740644 शीर्षक धारक का नामः मेसर्स कार्डियर फूड्स और बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड क्षेत्रः 246.64 वर्ग मीटर **(सुपर एरिया) (कब्जा प्रतीकात्मक)**	**रु. 3,90,68,000/–** **रु. 39,06,800/–**	**केनरा बैंक ए आर स्ट्रीट शाखा खाता संख्या 209272434, आईएफएससी कोडः सीएनआरबी0000102/ प्रबंधक केनरा बैंक ए आर स्ट्रीट 8655963168 / 8160439507 / 7021343367 / 9491457391**

बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए कृपया **https://baanknet.in/** के माध्यम से दिए गए ई–नीलामी लिंक को देखें। **a-** नीलामी / बोली केवल **https://baanknet.in/** वेबसाइट के माध्यम से' 'ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली'' के माध्यम से होगी। बोलीदाताओं को ई–नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने से पहले विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है। **b-** बिक्री नोटिस में उल्लिखित तिथियों पर प्राधिकृत अधिकारी के साथ पूर्व नियुक्ति के साथ संपत्ति का निरीक्षण किया जा सकता है। **c-** संपत्ति को उस कीमत पर बेचा जाएगा जो आरक्षित मूल्य से अधिक है और भाग लेने वाले बोलीदाता 10000/– के गुणकों के साथ नीलामी प्रक्रिया के दौरान अपने प्रस्ताव में और सुधार कर सकते हैं। **d-** आरक्षित मूल्य का 10% ईएमडी राशि प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक, शाखा के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जानी है। या आरटीजीएस/एनईएफटी/फंड ट्रांसफर के माध्यम से 24.04.2025 को शाम 4.00 बजे तक या उससे पहले केनरा बैंक के खाते में जमा किया जाएगा। ईएमडी और अन्य दस्तावेजों का विवरण **24.04.2025 को शाम 5.00 बजे तक** सेवा प्रदाता को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। **e** ईएमडी राशि के भुगतान के बाद इच्छुक बोलीदाताओं को 24.04.2025 को शाम 5.00 बजे तक केनरा बैंक शाखा में निम्नलिखित दस्तावेजों/विवरणों की एक प्रति हाथ से या ईमेल द्वारा जमा करनी चाहिए। प. ईएमडी राशि के लिए डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर। यदि आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से भुगतान किया जाता है, तो यूटीआर नंबर के साथ उसकी पावती रसीद। **ii-** पैन कार्ड, आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी हालांकि सफल बोलीदाता को बोली राशि के 25% की शेष राशि का भुगतान करते समय इन दस्तावेजों को मूल रूप में बैंक में प्रस्तुत करना होगा। **iii** बोलीदाता का नाम, संपर्क नंबर, पता, ईमेल आईडी। **iv-** ईएमडी की ऑनलाइन वापसी के लिए बोलीदाता का खाता विवरण। **f-** इच्छुक बोलीदाताओं को अपना नाम पोर्टल मेसर्स पीएसबी एलायंस (बैंकनेट) **https://baanknet.in/** पर पंजीकृत करना चाहिए और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना चाहिए। भावी बोलीदाता सेवा प्रदाता मेसर्स पीएसबी एलायंस (बैंकनेट) से ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। संपर्क नंबर **8291220220, support.baanknet@psballiance.com, https://baanknet.in/**। **g-** असफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी उन्हें बोली प्रक्रिया पूरी होने के 24 घंटे बाद और 7 कार्य दिवसों के भीतर वापस कर दी जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। **h-** नीलामी ऊपर बताए अनुसार आरक्षित मूल्य पर शुरू होगी। बोलीदाता अपने प्रस्तावों को 10,000/– रुपये के गुणकों में सुधारेंगे। ऑनलाइन नीलामी के समापन पर जो बोलीदाता सबसे ऊंची बोली (आरक्षित मूल्य से अधिक) प्रस्तुत करेगा, उसे सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। सफल बोलीदाता के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जाएगी, बशर्ते कि सुरक्षित लेनदार द्वारा इसकी पुष्टि की जाए। **i-** सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य का 25% (पहले से भुगतान की गई ईएमडी सहित) उसे सफल बोलीदाता घोषित करने के तुरंत बाद जमा करना होगा और शेष राशि सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। यदि सफल बोलीदाता बिक्री मूल्य का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसके द्वारा की गई जमा राशि को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिना किसी बिक्री मूल्य के जब्त कर लिया जाएगा, उसके द्वारा की गई जमा राशि को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिना किसी सूचना के जब्त कर लिया जाएगा और संपत्ति को तुरंत फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा। **j**. 50.00 लाख रुपये (केवल पचास लाख रुपये) और उससे अधिक की बिक्री आय के लिए, सफल बोलीदाता को बिक्री आय पर 1% की दर से टीडीएस काटना होगा और बैंक के टीडीएस प्रमाण पत्र की मूल रसीद जमा करनी होगी। **k-** सभी परिवहन शुल्क, स्टांप ड्यूटी / जीएसटी पंजीकरण शुल्क आदि, जैसा भी लागू हो, सफल बोलीदाता द्वारा ही वहन किए जाएंगे। **l-** बैंक के ज्ञान में संपत्ति पर कोई भार नहीं है। सफल बोलीदाता सभी सोसायटी बकाया, नगरपालिका कर / पंचायत कर / बिजली /पानी शुल्क /अन्य शुल्क, शुल्क और करों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जिसमें बकाया राशि, यदि कोई हो, विषय संपत्ति के संबंध में और / या इसे प्रभावित करने वाले सभी बकाया शामिल हैं। **m-** प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए ई–नीलामी की शर्तों को स्थगित / रद्द या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। **n.** यदि ऐसे बोलीदाता हैं जिनके पास इंटरनेट तक पहुंच नहीं है, लेकिन वे ई–नीलामी में भाग लेने में रुचि रखते हैं, तो वे केनरा बैंक, मुंबई सर्कल कार्यालय या क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं, जो एक सुविधा केंद्र के रूप में आवश्यक व्यवस्था करेंगे। **o-** अधिक जानकारी के लिए केनरा बैंक, रिकवरी और लीगल सेक्शन, दूसरी मंजिल, बांद्राकुर्ला कॉम्प्लेक्स, सर्कल ऑफिस, मुंबई से संपर्क करें" संपर्क नंबर 022–26728432 और किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान संपर्क किया जा सकता है या सेवा प्रदाता मेसर्स पीएसबी अलायंस (BAANKNET) से संपर्क करें। संपर्क नंबर 8291220220, **support.baanknet@psballiance.com**, **https://baanknet.in/**

दिनांक : 13.03.2025 **हस्ता/–**
स्थान : मुंबई **अधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक**

pnb Housing Finance Limited — Ghar Ki Baat

परिशिष्ट –4–क
अचल सम्पत्ति(यों)की ई–नीलामी बिक्री सूचना
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालय : – 9 वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के जी मार्ग, नई दिल्ली –110001 फोन : – 011–23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com
नोएडा शाखाः– ग्राउंड फ्लोर, डी–2, सेक्टर – 3, नोएडा (यूपी) – 201301। दिल्ली शाखाः– 8वीं मंजिल डीसीएम बिल्डिंग 16, बाराखंभा रोड, सीपी नई दिल्ली – 110001।

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कालम नंबर –ए में निदर्शित कर्जदार(रों) एवं गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित कालम नंबर–डी में वर्णित अचल सम्पत्ति(यां), जिसका प्रलक्षित/भौतिक कब्जा पीएनबी हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड (पीएनबी एचएफएल)/प्रत्याभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है (कालम नंबर–सी में वर्णितानुसार) नीचे दिए विवरण के अनुसार **"जैसी है जहां है", जैसी है जो है"** तथा **"जो भी है वहां है"** आधार पर बेची जाएंगी। एतद्द्वारा कालम नंबर –ए में निदर्शित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं)/संबंधित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं) (मृत्योपरान्त) के कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधियों, (चाहे ज्ञात अथवा अज्ञात), निष्पादक(कों), प्रशासक(कों), उत्तराधिकारी(यों), समनुदेशिती(यों) को, जैसी भी स्थिति है, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 अद्यतन संशोधित के नियम 8(6) एवं 9 के तहत सूचना दी जाती है।
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट नामतः **www.pnbhousing.com** में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।

ऋण संख्या, कर्जदार/ सह–कर्जदार का नाम गारंटर(s) (ए)	मांग सूचना मांग की राशि और तारीख (बी)	कब्जा का प्रकार (सी)	बंधक रखी सम्पत्तियों का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	ईएमडी (आरपी का 10%) (एफ)	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि राशि (एच)	निरीक्षण की तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ज्ञात ऋणभार/ न्यायालय मामला, यदि कोई, (के)
NHL/NOI/1221/941893, बी.ओ.: नोएडा, शिखा गर्ग/अंकित गर्ग, अंश मल्टीकॉम	06–05–2024 तक रु. 53680803.42	प्रतीकात्मक कब्जा	एफएफ1 और एफएफ2, एफएफ, प्रथम तल, ग्रेनो कॉम्प्लेक्स –कमर्शियल, प्लॉट नंबर सीएस 29 सेक्टर 36, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत–201310	रु. 49499000	रु. 4949900	17.04.2025	रु. 2 लाख	03.04.2025 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05:30 बजे	18.04.2025 अप. 02.00 बजे से अप. 03:00 बजे	Not Known
16710007748, बी.ओ.: दिल्ली, कृष्ण दत्त शर्मा/मिथलेश शर्मा और रवि दत्त शर्मा एवं अमित शर्मा	13–07–2023 तक रु. 1161602.7	भौतिक कब्जा	प्लॉट नंबर सी–15 एफ एफ मिलो कॉम्प्लेक्स वसुंधरा गाजियाबाद,	रु. 9967000	रु. 996700	17.04.2025	रु. 10,000	03.04.2025 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05:30 बजे	18.04.2025 अप. 02.00 बजे से अप. 03:00 बजे	Not Known
HOU/PTP/1216/337353, बी.ओ.: पीतमपुरा, दलीप सिंह/ लक्ष्मी देवी	22–04–2024 तक रु. 2487470.4	भौतिक कब्जा	1804,18, टॉवर–बी1, सुपरटेक गोल्फ विलेज (गोल्फ कंट्री का हिस्सा) होल्ड, प्लॉट नंबर–टीएस–5, सेक्टर–22 (डी), यमुना एक्सप्रेसवे, एनए, एफ1 फॉर्मूला ट्रैक, एनए, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत–201301	रु. 2383000	रु. 238300	17.04.2025	रु. 10,000	03.04.2025 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05:30 बजे	18.04.2025 अप. 02.00 बजे से अप. 03:00 बजे	Not Known

*उसके भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक लागू अनुसार 18 प्रतिशत वार्षिक की दर पर भावी ब्याज, उपगत किए गए अनुषंगी खर्चों, लागत, प्रभारों इत्यादि सहित। ''पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, उपरिवर्णित अचल/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में कोई अन्य ऋणभार/दावे नहीं हैं, सिवाय उनके जो कालम नंबर–के में वर्णित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन ऋणभारों का भुगतान/अदायगी सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा उसकी अपनी व्यवस्था द्वारा की जाएगी। सफल क्रेता(ओं)/बोलीदाताओं से वर्णित ऋणभारों की सत्यता का अभिनिश्चयन स्वतंत्र रूप से करने का अनुरोध किया जाता है।
1. आज की तिथि तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी पर उपरोक्त अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री, हस्तांतरण तथा/अथवा निपटान के संबंध में कोई प्रतिबंध आदेश तथा/अथवा न्यायालय निषेधादेश लागू नहीं है। 2. संभावित क्रेता/बोलीदाता तथा इच्छुक पार्टियां कालम नंबर–के में वर्णित, कार्यवाही/पारित आदेश इत्यादि, यदि कोई, में बहस, जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध उसके स्वामित्व के साथ संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है परंतु उसी तक सीमित नहीं है, का निरीक्षण स्वतंत्र रूप से कर सकती हैं तथा सभी संदर्भों में अपनी संतुष्टि अपनी निविदा/बोली आवेदन प्रस्तुत करने अथवा ऑफर(स) प्रस्तुत करने से पहले कर सकती हैं। बोलीदाता(ओं) को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे। 3. कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता/खरीदार कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% (ब्याना सहित) जमा करने के लिए बाध्य है। पैसा, यदि कोई हो, जमा किया गया) उसी दिन या अगले कार्य दिवस की तुलना में बाद में नहीं। सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य का 25% प्राप्त करने के बाद ही (बोली लगाने वाले) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। शेष 75% बिक्री पुष्टि पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता द्वारा बिक्री प्रतिफल राशि जमा करनी होगी और इस तरह की जमा राशि के डिफ़ॉल्ट होने पर, संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा। 4. **मैसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री संचालन में प्राधिकृत अधिकारी कार्पोरेट कार्यालय पता : प्लॉट नंबर 68, तृतीय तल, सेक्टर–44, गुरुग्राम, हरियाणा–122003 वेबसाइट–**www.bankeauctions.com** सहायता करेगी। संपत्ति के निरीक्षण या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण से संबंधित किसी भी सहायता के लिए, पीएनबीएचएफएल प्राधिकृत अधिकारी **अमित कुमार/ दीपक शाह संपर्क नंबर 18001208800**, या सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अथवा **www.pnbhousing.com** पर देखें।

स्थान : दिल्ली, दिनांक : 16.03.2025 प्राधिकृत अधिकारी, मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

खबर कोना

इंडियन वेल्स: बीएनपी परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट में इगा स्वियातेक के खिलाफ शाट लगातीं रूस की किशोरी मीरा एंड्रीवा।

आइडब्लूएल : गोकुलम केरला ने ओड़ीशा को 3–1 से हराया

भुवनेश्वर, 15 मार्च (भाषा)।

गोकुलम केरला ने शनिवार को यहां कलिंगा स्टेडियम में गत चैंपियन ओड़ीशा एफसी को 3–1 से शिकस्त दी जिससे वह इंडियन वुमैंस लीग 2024–25 खिताब की दौड़ में बरकरार है। फजीला इक्वपुट (42वें और 59वें मिनट) ने ओड़ीशा के खिलाफ दो गोल करके अपने गोलों की संख्या 15 तक पहुंचाई जबकि ओड़ीशा एफसी की स्ट्राइकर प्यारी खाका (32वें मिनट) ने आत्मघाती गोल किया। मेजबान टीम के लिए एकमात्र गोल स्थानापन्न खिलाड़ी नेहा ने 50वें मिनट में गोल किया। गोकुलम केरला के आठ मैच में 20 अंक हैं जिससे वह तालिका में शीर्ष पर है। ईस्ट बंगाल उससे दो अंक पीछे है लेकिन उसने एक मैच कम खेला है। वहीं ओड़ीशा की टीम आठ मैच में 11 अंक लेकर तीसरे स्थान पर है।

विशेष ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन जारी

नई दिल्ली, 15 मार्च (भाषा)।

भारतीय खिलाड़ियों ने इटली के तूरिन में चल रहे विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों में अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखते हुए 15 और पदक जीते। इस तरह से भारत की कुल पदक संख्या अब 24 हो गई है। अल्पाइन स्कीइंग में दीपक ठाकुर और गिरिधर ने असाधारण कौशल का प्रदर्शन करते हुए क्रमशः इंटरमीडिएट सुपर जी एम04 और एम05 श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीते, जबकि अभिषेक कुमार ने नोविस सुपर जी एम01 श्रेणी में रजत पदक हासिल किया। राधा देवी ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए इंटरमीडिएट सुपर जी एफ03 स्पर्धा में रजत पदक जीता। जियारा पोर्टर ने शार्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग के 111एम एफ1 और 222एम एफ2 में रजत पदक जीते, जबकि तंशु ने 777एम एमश्रेणी में कांस्य और 500एम एम3 श्रेणी में रजत पदक जीता। क्रास कंट्री स्कीइंग में आकृति ने 50 मीटर क्लासिकल तकनीक फाइनल एफ03 में कांस्य पदक हासिल किया।

भारत के स्नोशूइंग खिलाड़ियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। वासु तिवारी ने 50 मीटर रेस एम03 स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि जहांगीर और तान्या ने क्रमशः 50 मीटर रेस एम04 और एफ02 श्रेणियों में रजत पदक जीते। शालिनी चौहान ने 50 मीटर रेस एफ03 श्रेणी में कांस्य पदक जीता।

सविता और हरमनप्रीत को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार

नई दिल्ली, 15 मार्च (भाषा)।

पेरिस ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारतीय हाकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को हाकी इंडिया सातवें सालाना पुरस्कार में वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी और दिग्गज गोलकीपर सविता को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार मिला।

पचास वर्ष पहले 15 मार्च को ही कुआलालम्पुर में भारत को एकमात्र विश्व कप जिताने वाली अजितपाल सिंह की कप्तानी वाली भारतीय टीम को ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया । इस पुरस्कार के तहत टीम को 50 लाख रुपए दिए गए। हाकी इंडिया ने यह समारोह आज भारत की विश्व कप जीत के 50 साल और इस वर्ष भारतीय हाकी के सौ साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया था।

पिछले साल पेरिस ओलंपिक में दस गोल करके भारत को लगातार दूसरा ओलंपिक कांस्य पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह को यह पुरस्कार तीन बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता दिवंगत बलबीर सिंह सीनियर के नाती कबीर सिहं भोमिया, हाकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिर्की और महासचिव भोलानाथ सिंह ने प्रदान किया। पुरस्कार के तहत दोनों खिलाड़ियों को एक ट्राफी और 25.25 लाख रुपए दिए गए।

हाल ही में 300वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली सविता को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का बलजीत सिंह पुरस्कार भी मिला। सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर का परगट सिंह पुरस्कार अमित रोहिदास ने जीता जबकि सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर का अजितपाल सिंह पुरस्कार हार्दिक सिंह को मिला। सर्वश्रेष्ठ फारवर्ड का धनराज पिल्लै पुरस्कार अभिषेक को दिया गया। वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ अंडर 21 महिला खिलाड़ी का असुंथा लाकड़ा पुरस्कार ड्रैग फ्लिकर दीपिका को मिला जबकि पुरुष वर्ग में जुगराज सिंह पुरस्कार अराइजीत सिंह हुंडल ने जीता।

हाकी इंडिया का सातवां सालाना पुरस्कार

हरमनप्रीत सिंह

हरमनप्रीत को वर्ष 2024 का एफआइएच पुरुष खिलाड़ी और अब खेल को अलविदा कह चुके पी आर श्रीजेश को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार मिलने पर व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए पुरस्कार दिया गया।

एकमात्र विश्व कप जितने वाली टीम को 50 लाख रुपए

पचास वर्ष पहले 15 मार्च को ही कुआलालम्पुर में भारत को एकमात्र विश्व कप जिताने वाली अजितपाल सिंह की कप्तानी वाली भारतीय टीम को ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। इस पुरस्कार के तहत टीम को 50 लाख रुपए दिए गए। हाकी इंडिया ने यह समारोह आज भारत की विश्व कप जीत के 50 साल और इस वर्ष भारतीय हाकी के सौ साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया था।

खुशी

ब्रिटेन : महिला फुटबाल लीग कप के फाइनल में मैनचेस्टर सिटी को पराजित करने के बाद ट्राफी उठाए चेल्सी के खिलाड़ी।

दिल्ली कैपिटल्स को हराकर मुंबई इंडियंस दूसरी बार बनी चैंपियन

मुंबई, 15 मार्च (भाषा)।

मुंबई इंडियंस ने कप्तान हरमनप्रीत कौर (66 रन) के अर्धशतक के बाद अपनी गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से शनिवार को यहां महिला प्रीमियर लीग के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को आठ रन से हराकर दूसरी ट्राफी अपने नाम की।

वहीं दिल्ली कैपिट्ल्स को लगातार अंतराल पर विकेट गंवाने का खामियाजा अपने तीसरे फाइनल में हार से भुगतना पड़ा और उसे तीसरी बार उप विजेता बनकर संतोष करना पड़ा। बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद मुंबई इंडियंस की टीम अपने घरेलू मैदान पर हरमनप्रीत के अर्धशतक के बावजूद सात विकेट पर 149 रन ही बना सकी वहीं दिल्ली की टीम 20 ओवर में नौ विकेट पर 141 रन ही बना सकी।

हरमनप्रीत ने 44 गेंद में नौ चौके और दो छक्के जड़ित पारी खेली, लेकिन दूसरे छोर पर उन्हें कोई अच्छा जोड़ीदार नहीं मिला जिससे टीम धीमी शुरूआत के बाद इस स्कोर तक ही पहुंच सकी। कप्तान ने नैट साइवर ब्रंट (30 रन) के साथ तीसरे विकेट के लिए 62 गेंद में 89 रन की साझेदारी निभाई। अगर यह साझेदारी नहीं बनी होती तो मुंबई इंडियंस की टीम इस स्कोर तक भी नहीं पहुंची होती। पर मुंबई इंडियंस की गेंदबाजों ने इस छोटे से लक्ष्य का अच्छा बचाव कर टीम को 2023 के बाद दूसरा खिताब दिला दिया।

नैट साइवर ब्रंट ने 30 रन देकर तीन, अमेलिया केर ने 25 रन देकर दो जबकि शबनीम इस्माइल, हेली मैथ्यूज और साइका इशाक ने एक एक विकेट प्राप्त किया।

महिला प्रीमियर लीग

जीत का जश्न मनाती मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर और नीता अंबानी।।

कुश्ती : दीपक पूनिया, अंतिम पंघाल भारतीय टीम में

नई दिल्ली, 15 मार्च (भाषा)।

विश्व चैंपियनशिप के पदक विजेता दीपक पूनिया और अंतिम पंघाल को 25 से 30 मार्च तक जार्डन के अम्मान में होने वाली सीनियर एशियाई चैंपियनशिप के लिए शनिवार को 30 सदस्यीय भारतीय टीम में शामिल किया गया।

भारतीय कुश्ती महासंघ द्वारा यहां आइजी खेल परिसर में कराये गए चयन ट्रायल के दौरान पुरुष फ्रीस्टाइल और ग्रीको–रोमन के साथ–साथ महिला वर्ग में 10–10 पहलवानों का चयन किया गया। 2019 विश्व चैंपियनशिप में रजत और 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण जीतने वाले पूनिया हालांकि अब 86 किग्रा से 92 किग्रा में आ गए हैं।

टेस्ट कप्तानी को लेकर रोहित पर अभी आम सहमति नहीं

नई दिल्ली, 15 मार्च (भाषा)।

चैंपियंस ट्राफी की जीत ने रोहित शर्मा का कद और ऊंचा कर दिया है जिससे अगर वह टेस्ट कप्तान बरकरार रहें और इंग्लैंड दौरे पर टीम के कप्तान के तौर पर जाएं तो यह हैरानी की बात नहीं होगी, हालांकि चयनकर्ताओं ने 20 जून से शुरू होने वाले दौरे के लिए अभी तक कोई फैसला नहीं किया है।

समझा जाता है कि कप्तानी के लिए एकमात्र पसंद के तौर पर रोहित के लिए आम सहमति नहीं बन पाई है। जसप्रीत बुमराह की फिटनेस की स्थिति भी एक मुद्दा है जिससे युवा भारतीय खिलाड़ियों की अगली पंक्ति में संभावित स्पष्ट नेतृत्वकर्ता का भी अभाव है। रोहित पर दुबई में अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव था, दुबई में खिताब ने निश्चित रूप से कप्तान को राहत दी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या राष्ट्रीय चयन समिति चुनौतीपूर्ण टेस्ट प्रारूप पर फैसला लेते समय वनडे प्रारूप में सफलता पर विचार करेगी। टीम को पिछले डब्लूटीसी (विश्व टेस्ट चैंपियनशिप) चक्र में छह शिकस्त मिली थी। भारत के लिए नया चक्र इंग्लैंड शृंखला से शुरू होगा जहां पहला टेस्ट लीड्स में खेला जाएगा।

लुई हैमिल्टन क्वालीफाइंग में आठवें स्थान पर रहे

मेलबर्न, 15 मार्च (एपी)।

लुई हैमिल्टन ने फार्मूला वन में फेरारी की तरफ से पदार्पण करते हुए शनिवार को यहां वर्ष की पहली रेस आस्ट्रेलिया ओपन के क्वालीफाइंग में आठवां स्थान हासिल किया जबकि मैकलेरन के लैंडो नारिस पोल पोजीशन हासिल करने में सफल रहे।

फार्मूला वन की रविवार की शुरुआती रेस से पहले क्वालीफाइंग सत्र समाप्त होने के तुरंत बाद नारिस ने अपने टीम रेडियो पर कहा कि साल की शुरुआत करने का यह कोई बुरा तरीका नहीं है, सभी को धन्यवाद।

सफाई

विराट कोहली ने कहा कोई घोषणा नहीं कर रहा हूं

संन्यास की अफवाहों को किया खारिज

बंगलुरु, 15 मार्च (भाषा ।

भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने शनिवार को स्पष्ट रूप से कहा कि वह फिलहाल संन्यास के बारे में नहीं सोच रहे हैं क्योंकि वह खेल का आनंद ले रहे हैं और उनके अंदर 'प्रतिस्पर्धी भावना' पूरी तरह से बरकरार है। कोहली ने दुबई में हाल में भारत की चैंपियंस ट्राफी जीत में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने भी उनके बारे में संन्यास की चर्चाओं को खारिज कर दिया।

कोहली ने 'आरसीबी इनोवेशन लैब' में एक बातचीत सत्र के दौरान कहा कि घबराइए नहीं। मैं कोई घोषणा नहीं कर रहा हूं। अभी तक सब कुछ ठीक है। मुझे अब भी खेलना पसंद है।

कोहली ने कहा कि उन्हें उपलब्धियां हासिल करने की इच्छा नहीं है लेकिन वह पूरी तरह क्रिकेट का आनंद लेने के लिए खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे लिए खेलना अब पूरी तरह से आनंद, प्रतिस्पर्धी भावना और खेल के प्रति प्रेम है और जब तक यह है, मैं खेलना जारी रखूंगा। जैसा कि मैंने आज कहा कि मैं किसी उपलब्धि के लिए नहीं खेल रहा हूं।

कोहली ने कहा कि 'प्रतिस्पर्धी भावना' के कारण खिलाड़ी के लिए खेल से दूर जाने का सही समय ढूंढना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि प्रतिस्पर्धी भावना आपको संन्यास के सवाल का जवाब नहीं ढूंढने देती है। इस बारे में राहुल द्रविड़ से मेरी बहुत दिलचस्प बातचीत हुई।

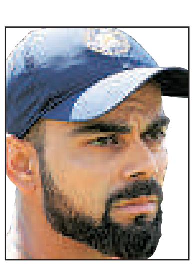

कहा, मेरे लिए खेलना अब पूरी तरह से आनंद, प्रतिस्पर्धी भावना और खेल के प्रति प्रेम है और जब तक यह है, मैं खेलना जारी रखूंगा।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 42, अंक 118
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए रमेश चंदर मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com,
बोर्ड अध्यक्ष : विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज*, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

मुफ्त की मार

किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को यह अधिकार है कि वे सत्ता में अपनी भागीदारी बढ़ाने या सत्ता हासिल करने के लिए जनता के ज्यादा से ज्यादा हिस्से को अपनी नीतियों से प्रभावित करें। मगर एक लोकतंत्र की यह स्वस्थ परंपरा विरूपित होने लगती है, जब राजनीतिक पार्टियां सिर्फ वोट हासिल करने के लिए ऐसे वादे करने लगें, जो जनता को उसका अधिकार दिलाने के बजाय ज्यादातर लोगों को आश्रित या परनिर्भर बनाने में ही मददगार बनने लगें। सत्ता में आने के बाद कोई सुविधा, सेवा या सामान मुफ्त मुहैया कराने का वादा देश की राजनीति में फल-फूल रहा एक ऐसा ही चलन है, जिसे कई बार समाज कल्याण कार्यक्रमों के नाम पर पेश किया जाता है। मगर सवाल है कि आखिरकार मुफ्त की रेवड़ी से जनता और देश को क्या हासिल होता है!

यह एक सामान्य समझ है कि अगर किसी व्यक्ति, व्यापक जनसमूह या समुदाय की मदद करनी हो तो जितना जोर उसे तात्कालिक सहायता मुहैया कराने पर होना चाहिए, उससे ज्यादा बड़ा मकसद यह होना चाहिए कि उस व्यक्ति या व्यापक जनसमूह का आर्थिक, सामाजिक और अन्य स्तर पर इस तरह सशक्तीकरण हो, उसे सक्षम बनाया जाए कि उसे मदद की जरूरत न हो। अपना पांव मजबूत होने या स्वनिर्भर होने या किसी की मदद की जरूरत न होने की स्थिति में पहुंचने के बाद कोई भी व्यक्ति न केवल अपना और अपने परिवार, समुदाय को मजबूत करेगा, बल्कि वह समाज और देश को मजबूत बनाने में एक अहम भूमिका निभाएगा। दूसरी ओर, किसी भी वजह से अगर कोई व्यक्ति आमतौर पर अपने जीवन के लिए लंबे समय तक किसी अन्य पर या सरकारी मदद पर निर्भर होगा, तो परनिर्भरता को लेकर सहज होने की वजह से उसकी क्षमताओं में लगातार कमी आती जाएगी और इस तरह उसकी उपयोगिता भी घटती जाएगी।

विडंबना यह है कि देश की राजनीति में कमजोर तबकों की सहायता के नाम पर मुफ्त सौगात मुहैया कराने के वादों का जैसा चलन चल पड़ा है, उसने सामाजिक विकास की दिशा को बुरी तरह प्रभावित किया है। मतदाताओं का वोट और सत्ता हासिल करने के लिए अमूमन सभी पार्टियों की ओर से लोगों को निशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराने की मानो होड़ लग गई है यह एक अलग प्रश्न है कि सत्ता में आने के बाद कोई पार्टी जनता के किए गए कितने वादे, और खासतौर पर कोई सुविधा या सेवा मुफ्त मुहैया कराने के वादों पर अमल करती है। मगर नागरिकों को सहायता के नाम पर सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध कराने के जितने वादे जमीन पर उतरते हैं, उनका राजनीतिक और आर्थिक हासिल आखिर क्या है?

धन का रोना

दिलचस्प यह है कि व्यापक महत्त्व की किसी योजना या फिर जनता के अधिकारों से संबंधित किसी नीति को लागू करने की मांग पर सरकारों की ओर से एक आम प्रतिक्रिया यही आती रही है कि इसके लिए धन की कमी है। इस तरह का जवाब एक रस्म की तरह पेश कर दिया जाता है और जनता की सुविधाओं में कटौती होती रहती है। मगर दूसरी ओर चुनाव में जनता का वोट लेने के मकसद से किए गए वादों को पूरा करने के क्रम में अरबों रुपए खर्च में सरकारों को कोई हिचक नहीं होती। सवाल है कि अगर सरकारी कोष से जनता के किसी बड़े हिस्से को कोई सामान या सुविधा निशुल्क मुहैया कराई जाती है तो उस खर्च के बोझ को कहां से पूरा किया जाता है। जाहिर है, जनता का जो हिस्सा अपनी आय का एक खासा हिस्सा कर के रूप में चुकाता है, उसका हिसाब जनता के किसी अन्य हिस्से को मुफ्त के सौगात के रूप में शामिल हो जाता है। मगर यह चलन सिर्फ इस तरह के जोड़-घटाव या हिसाब तक सीमित नहीं है। विचित्र यह भी है कि एक पार्टी की ओर किए जाने वाले मुफ्त की सौगातों पर दूसरी पार्टी सवाल उठाती है, लेकिन चुनावी जीत के लिए वह भी वैसा ही करती दिख जाती है। इस क्रम में होता यह है कि सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ता जाता है, जिसकी मार अन्य योजनाओं और कार्यक्रमों पर पड़ती है।

सवाल

जनता के एक हिस्से की सुविधाओं और उनके अधिकारों को लेकर सरकार की उदासीनता या बहानेबाजी के समांतर दूसरे हिस्से के बीच सहायता के नाम पर परनिर्भरता को बढ़ावा देने को लेकर बहसें तेज हुई हैं। गौरतलब है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावों से पहले दी जाने वाली मुफ्त की रेवड़ियों और चुनावी जीत हासिल करने के लिए इस तरह के और ज्यादा वादों की एक बार फिर तीखी आलोचना की है। शीर्ष अदालत ने साफ तौर पर कहा कि आए दिन बैठे-बिठाए मुफ्त सामान और अन्य सुविधाएं मिलने की वजह से बहुत सारे लोग काम करने को तैयार नहीं हैं।

रेवड़ियां बांटते राज्य

दिल्ली
- हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली।
- बीस हजार लीटर पानी हर महीने मुफ्त।
- वरिष्ठ नागरिक को मुफ्त तीर्थयात्रा।
- महिलाओं के लिए मुफ्त में बस सफर।
- मुफ्त वाई-फाई की सुविधा।
- अब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद महिलाओं को 2500 रुपए देने और उचित पात्र को आयुष्मान भारत योजना के तहत दस लाख तक का मुफ्त इलाज देने का वादा किया गया है।

महाराष्ट्र
- महिलाओं को 2100 रुपए हर माह। (चुनाव से पहले 1500 रुपए)
- 2027 तक 50 लखपती दीदी बनाने का लक्ष्य।
- किसानों का कर्ज माफ।
- किसान सम्मान योजना में सालाना 15000 रुपए।
- हर गरीब को भोजन और आश्रय।
- वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी।
- इसके अलावा केंद्र की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा।

हिमाचल
- महिलाओं को 1500 रुपए महीने।
- 125 यूनिट मुफ्त बिजली।
- पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा।

छत्तीसगढ़
- 'महतारी वंदन स्कीम' के तहत शादीशुदा महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए की मदद।
- 'दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना' के तहत किसानों को सालभर में 10,000 रुपए मिलेंगे।
- गरीब परिवार की महिलाओं को 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर।

मध्य प्रदेश
- लाडली बहना योजना के तहत 1250 रुपए प्रतिमाह।
- मुफ्त स्कूटी योजना। (मेधावी 12वीं पास छात्रा के लिए)
- हर महीने 100 यूनिट तक बिजली सिर्फ 100 रुपए में।
- गरीब परिवार की बच्चियों को 21 साल की उम्र पूरी होने पर 2 लाख रुपए।
- किसान सम्मान निधि और किसान कल्याण योजना के दायरे में आने वाले किसानों को सालाना 12,000 रुपए देने का वादा। इसके अलावा केंद्र की सभी योजनाओं का लाभ।

राजस्थान
- किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली रकम को बढ़ाकर 12,000 रुपए करने का वादा।
- 12वीं पास मेधावी लड़कियों को स्कूटी।
- राशन कार्ड धारकों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर।
- लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बच्ची के जन्म पर दो लाख रुपए का बचत बांड देने का वादाक।

कर्नाटक
- शक्ति गारंटी योजना सरकारी स्वामित्व वाली गैर-लग्जरी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा।
- गृह लक्ष्मी योजना के आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए।

झारखंड
- मइया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए हर महीने।
- 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना।

केंद्र सरकार की योजनाएं
- देश के अस्सी करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज।
- किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6000 रुपए।
- आयुष्मान भारत योजना में हर परिवार को पांच लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज।
- प्रधानमंत्री आवास योजना।
- उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर।

सत्ता की चाबी

ऐसा लगता है कि इस सबसे बेखबर राजनीतिक पार्टियों ने इस औजार को सत्ता हासिल करने की चाबी मान लिया है और जनहित या जन कल्याण कार्यक्रमों के नाम पर इसके औचित्य को सिद्ध करने की कोशिश की जाती है। अलग-अलग सरकारों ने जनकल्याण नीतियों के तहत अधिकार के रूप में आर्थिक या अन्य सहायता मुहैया कराने और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के बरक्स मुफ्त सामान, सुविधा या सेवा को एक ही कोटि में रख लिया है। जबकि हकीकत यह है कि मुफ्त की सौगात पर आधारित राजनीति से सीधे तौर पर समाज कल्याण कार्यक्रमों के लिए बनाई जाने वाली नीतियां प्रभावित होती हैं और प्रकारांतर से उसमें कटौती होती है।

ऐसा नहीं है कि भारतीय राजनीति और सत्ता व्यवस्था में मुफ्त की सौगातों पर आधारित राजनीति पर सवाल नहीं उठे हैं। जनता के एक हिस्से की सुविधाओं और उनके अधिकारों को लेकर सरकार की उदासीनता या बहानेबाजी के समांतर दूसरे हिस्से के बीच सहायता के नाम पर परनिर्भरता को बढ़ावा देने को लेकर बहसें तेज हुई हैं। गौरतलब है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावों से पहले दी जाने वाली मुफ्त की रेवड़ियों और चुनावी जीत हासिल करने के लिए इस तरह के और ज्यादा वादों की एक बार फिर तीखी आलोचना की है। शीर्ष अदालत ने साफ तौर पर कहा कि आए दिन बैठे-बिठाए मुफ्त सामान और अन्य सुविधाएं मिलने की वजह से बहुत सारे लोग काम करने को तैयार नहीं हैं। अदालत ने यह सवाल भी उठाया कि मुफ्त की योजनाएं लागू करके क्या परजीवियों का एक समूह नहीं खड़ा किया जा रहा है।

योजना का सिलसिला

रिजर्व बैंक भी अपनी एक रपट में यह चिंता जता चुका है कि कई राज्यों ने अपने बजट में कृषि ऋण माफी, कृषि और घर को मुफ्त बिजली, मुफ्त परिवहन, बेरोजगारी भत्ता और नकद सहायता देने की घोषणाएं की हैं। पिछले कई वर्षों से देश की एक बड़ी आबादी के लिए मुफ्त अनाज की योजना जारी है। जबकि इस तरह के खर्चों से राज्यों या केंद्र के पास अपने उपलब्ध संसाधन खत्म हो सकते हैं और आर्थिक बुनियादी ढांचे के निर्माण की उनकी क्षमता बाधित हो सकती है। राजनीतिक पार्टियां भी एक दूसरे पर मुफ्त के दांव की राजनीति करके देशहित को प्रभावित करने का आरोप लगाती रही हैं। खुद प्रधानमंत्री भी इस प्रवृत्ति को एक नकारात्मक राजनीतिक चलन बता चुके हैं।

यानी जिस मसले पर इतने स्पष्ट और तीखे सवाल उठ रहे हैं, वह मौजूदा भारतीय राजनीति में सत्ता हासिल करने का एक सबसे प्रमुख जरिया बन गया है। इस राजनीति के दीर्घकालिक नतीजों से बेपरवाह सियासी पार्टियां एक ओर लगातार मुफ्त के तोहफे देने का वादा करती रहती हैं, दूसरी ओर जनता का एक खासा हिस्सा भी इसी कारण से वैसी पार्टियों को अपना समर्थन देने को तैयार हो जाता है।

बाधित राह

यह एक ऐसी समस्या है कि इस क्रम में जनता के भीतर वैचारिक सशक्तीकरण की प्रक्रिया भी बुरी तरह प्रभावित होती है। दीर्घकालिक या फिर व्यापक जनहित के मुद्दों और विचारधारा पर आधारित राय के निर्माण और उसके आधार पर सरकार बनाने की सुचिंतित प्रक्रिया और वैचारिक सशक्तीकरण की राह रुक जाती है और लोग सिर्फ तात्कालिक नफा-नुकसान को ध्यान में रख कर किसी वैसे नेता या पार्टी को भी वोट दे देते हैं, जिनका उन्होंने अब तक विरोध किया होता है या फिर उनके राजनीतिक दर्शन के परिणामों से वे आमतौर पर अनजान होते हैं। बल्कि अब यह भी देखा जाने लगा है कि जो पार्टी सत्ता में आने के बाद ज्यादा लोकलुभावन मुफ्त की सौगात देने का वादा करता है, मतदाताओं का एक हिस्सा उसे अपना समर्थन दे देता है। यह सही है कि अगर कोई सरकार जनता के किसी हिस्से को हर महीने एक निर्धारित रकम देती है तो इससे उस परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी कुछ आसान होती है। अगर वह राशि उस परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त करने या भविष्य के लिए बेहतर आय का जरिया बनाने में मददगार होती है, तब उसे एक सकारात्मक पहल कहा जा सकता है। मगर यह छिपा नहीं है कि इस तरह के चलन आमतौर पर निर्भरता के कारक बनते गए हैं। और यह एक सामान्य हकीकत है कि अगर कोई लंबे समय तक बिना किसी मेहनत के एक निर्धारित आय प्राप्त करता रहता है, तो यह उसके जीवन-अभ्यास में शामिल हो जा सकता है, उसे उसकी आदत लग जा सकती है।

सशक्तीकरण के सहारे

इसीलिए सहायता के साथ और इसके जरिए आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण की सलाह दी जाती है, ताकि लोगों की समस्याओं का दीर्घकालिक हल खोजने और सुनिश्चित करने में मदद मिल सके। अगर मुफ्त की सुविधाएं, सेवाएं, खाद्यान्न या अन्य चीजें अगर जनता का आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण की जमीन को मजबूत करती हैं, लोगों की क्षमता में विकास होता है, वे स्वनिर्भरता की ओर अग्रसर करती हैं तो उसकी अहमियत समझी जा सकती है। मगर देश की ज्यादातर आबादी को रोजगार के बजाय पेट भरने के लिए मुफ्त राशन मुहैया कराना किस तरह देश की समृद्धि का सूचक है। एक वाजिब सवाल यह उठता रहा है कि जनता को कुछ सुविधाएं निशुल्क मुहैया कराने को लेकर जताई जाने वाली आपत्तियों के बीच यह ध्यान रखना जरूरी क्यों नहीं समझा जाता कि पिछले कुछ वर्षों के भीतर सरकार ने बड़ी कारपोरेट कंपनियों के कितने लाख करोड़ रुपए बट्टे-खाते में डालने के बहाने व्यावहारिक रूप से भूल जाने की व्यवस्था कर दी। हालांकि अमीर लोगों के कर्जे माफ किए जाने के चलन के बीच मुफ्त की योजनाओं का एक औचित्य ढूंढ़ लिया जाता है, लेकिन सच यह है कि दोनों ही व्यवस्थाएं सुविधावादी राजनीति का नतीजा है, जिसका आखिरी और दीर्घकालिक खमियाजा आम लोगों को उठाना पड़ता है। आखिर क्यों रोजगार को अधिकार के रूप में एक सामान्य चलन नहीं बनाया जाता है, ताकि किसी भी व्यक्ति की क्रय और खर्च की शक्ति इतनी हो जाए कि उसे कोई भी सामान या सुविधा मुफ्त प्राप्त करने की होड़ में शामिल न होना पड़े।

अधिकार और सम्मान

सच है कि बेहद जरूरतमंद लोगों या समूहों के लिए जनकल्याण कार्यक्रमों का संचालन वक्त और मानवीयता का तकाजा है, लेकिन ऐसे तबकों के लिए खाद्यान्न और रोजगार उनके अधिकार के रूप में सुनिश्चित किए जाएं। एक लोकतंत्र की खूबसूरती तभी खिलेगी, जब वह अपने वंचित नागरिकों के लिए जीवन से जुड़ी आवश्यकताएं सम्मान और अधिकार के रूप में मुहैया कराए। इसलिए एक निर्धारित रकम, मुफ्त में खाद्यान्न, बिजली-पानी की सुविधा या अन्य प्रकार के भत्तों को एक नियमित व्यवस्था बनाने के बजाय जरूरत इस बात की है कि आबादी के ज्यादा से ज्यादा बड़े हिस्से को रोजगार मुहैया कराया जाए, सेवाओं और सुविधाओं के खर्च को सबकी पहुंच में बनाया जाए, लोगों की अच्छी और संतोषजनक आय सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी के भीतर ऐसी आर्थिक क्षमता विकसित हो, जिससे वे अपनी जरूरत की तमाम सुविधाएं और सेवाएं सम्मान के साथ हासिल कर सकें।

सौगात की कीमत

'रेवड़ी संस्कृति' पर चिंता जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि मुफ्त की रेवड़ी की राजनीति की वजह से कई राज्य बेतहाशा खर्च कर रहे हैं, जिससे राज्य डूबते चले जा रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

- कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना में महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए मिलते हैं। गृह ज्योति योजना में 200 यूनिट बिजली मुफ्त है। इन योजनाओं पर करीब 52,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह रकम राज्य के 2023-24 के वित्तीय घाटे का 78 फीसद है।
- महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना चल रही है। राज्य के उच्च मार्गों पर टोल खत्म करने, किसानों का कर्ज माफ करने और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा जैसी योजनाओं पर सालाना 44,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- दिल्ली में करीब बाईस लाख घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है। महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा है। हाल ही में दिल्ली में हुए चुनावों में जीत हासिल करने वाली भाजपा ने महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया था। इन मुफ्त की रेवड़ियों का बोझ अब दिखने लगा है। दिल्ली ने साल 2024-25 के लिए राष्ट्रीय लघु बचत कोष से 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज मांगा है।
- पंजाब, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों को सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने में भी दिक्कत हो रही है। हिमाचल प्रदेश पर मार्च 2022 तक 69,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो मार्च 2024 तक बढ़कर 86,600 करोड़ रुपए हो गया। मार्च 2025 तक यह कर्ज बढ़कर लगभग 95,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इसका मुख्य कारण मुफ्त बिजली, महिलाओं को मासिक भत्ता और पुरानी पेंशन योजना जैसी योजनाओं का कार्यान्वयन है।
- देश में सबसे अधिक कर्ज तमिलनाडु पर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक का स्थान है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया की एक रपट के अनुसार, मार्च 2024 तक सभी राज्य सरकारों पर कुल 75 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, जो मार्च 2025 तक बढ़कर 83.31 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है।

जनसत्ता सरोकार

विमर्श

दो

जनसत्ता | 16 मार्च, 2025

सौदागर से सौदागरी

दूसरी नजर

पी चिदंबरम

> दुनिया को संचालित करने के लिए, सत्तावादी शासक एक 'क्लब' बनाएंगे- ट्रंप, पुतिन और शी जिनपिंग। वे अपने मनचाहे इलाकों को हड़प लेंगे। तीनों देश, दुनिया को 'प्रभाव के क्षेत्रों' में विभाजित करने और संबंधित प्रमुख क्षेत्रों में संसाधनों का दोहन करने का प्रयास करेंगे। भारत, चीन के सामने कमजोर होगा और न तो अमेरिका उसकी मदद करेगा, और न ही रूस।

माना जाता है कि अधिकारों का पहला चार्टर 1215 में इंग्लैंड के सम्राट द्वारा स्वीकृत 'मैग्ना कार्टा' है। यह भी माना जाता है कि दुनिया की पहली संसद आइसलैंड में 1262 में स्थापित 'अलथिंग' थी। ब्रिटेन में पहली द्विसदनीय विधायिका की तलाश 1341 में हुई थी। दुनिया का पहला लिखित संविधान 1600 में सैन मैरिनो गणराज्य द्वारा तैयार किया गया था। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का श्रेय फ्रांसीसी दार्शनिक मांटेस्क्यू द्वारा 1748 में प्रकाशित 'कानून की भावना' को दिया जाता है। किसी देश की न्यायिक शक्ति पहली बार 24 सितंबर, 1789 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में निहित की गई थी।

खतरे में अच्छाई

सांविधानिक इतिहास के महान और बेहतरीन पाठ अमेरिकी संविधान में निहित हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं सहित अनेक देशों ने इनकी नकल की है। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देशों ने एक नई विश्व-व्यवस्था बनाने का वादा किया था, जिसमें युद्ध, गरीबी और बीमारी को समाप्त करने का संकल्प था। इसमें वे काफी हद तक सफल भी हुए। हालांकि नई व्यवस्था स्थानीय युद्धों को समाप्त नहीं कर सकी, मगर इससे पहले, बीते आठ दशकों की तुलना में, दुनिया ने ऐसा अमन, अभूतपूर्व विकास और व्यापक समृद्धि कभी नहीं देखी थी।

इसलिए, यह एक बड़ा झटका है कि पिछले तीन वर्षों के घटनाक्रम- और, खासकर, 20 जनवरी, 2025 के बाद के घटनाक्रम- दुनिया को एक स्वार्थी और सत्तावादी सांचे में ढालने की धौंस देते हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यालय अपनी विशाल, निर्दिष्ट और अनिर्दिष्ट शक्तियों के कारण अद्वितीय है, इस तथ्य से यह जाहिर होता है कि अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है। उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विलियम मैककिनले ने संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र का विस्तार किया और प्यूर्टो रिको, गुआम, फिलीपींस और हवाई पर कब्जा कर लिया। वुडरो विल्सन और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने स्वतंत्र अभिव्यक्ति को दबा दिया और विदेशियों तथा विद्रोहियों को हिरासत में लेने या निर्वासित करने के लिए कार्यकारी आदेशों का इस्तेमाल किया। बराक ओबामा ने युद्ध शक्ति अधिनियम, 1973 के तहत अमेरिकी कांग्रेस की अनुमति के बिना, लीबिया में युद्ध शुरू कर दिया था। अन्य राष्ट्रपतियों ने अपने कार्यालय की सीमाओं को जांचा-परखा और स्पष्ट रूप से वे असंवैधानिक कृत्यों से बच निकले।

विश्व व्यवस्था पर प्रहार

संयुक्त राज्य अमेरिका के सैंतालीसवें राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप से ज्यादा, किसी राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों का बेजा इस्तेमाल नहीं किया। आठ दशकों तक, विचलन और दुस्साहस के बावजूद, अमेरिका को स्वतंत्र, लोकतांत्रिक देशों का अगुआ और विश्व व्यवस्था का संरक्षक माना जाता था। शांति, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए कई वैश्विक संस्थान बनाए गए। हालांकि, ट्रंप साहब के सत्ता संभालने के बमुश्किल आठ हफ्तों के भीतर, अमेरिका ने डब्लूएचओ को त्याग दिया और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी), संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) को वित्तीय मदद देने से इनकार करने या रोकने की धमकी दी है। ट्रंप साहब ने यूएसएड को बंद कर दिया और दुनिया भर में दर्जनों कार्यक्रमों को रोक दिया है। वे नाटो और यूरोपीय सहयोगियों को छोड़ सकते हैं।

घरेलू स्तर पर, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क के उकसावे पर, ट्रंप साहब ने अमेरिकी सरकार के ढांचे को खत्म करना शुरू कर दिया है। उन्होंने हजारों लोगों को नौकरी से निकाल दिया है और शिक्षा विभाग को बंद करने की आशंका है।

ट्रंप साहब के शासन में, दोस्त दुश्मन बन गए हैं (राष्ट्रपति जेलेंस्की) और दुश्मन दोस्त बन सकते हैं (राष्ट्रपति पुतिन)। ट्रंप कनाडा को अमेरिका का इक्यावनवां राज्य बनाना चाहते हैं और उन्होंने ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल होने के लिए खुला आमंत्रण दिया है। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा है कि 'हम इसे किसी न किसी तरह हासिल करेंगे'।

ट्रंप साहब ने दुश्मन (चीन) और दोस्त (भारत) के बीच कोई अंतर नहीं रखा है, और वे हर तरह के सौदे करने को तैयार हैं। 'मैंने अपनी पूरी जिंदगी सौदेबाजी की है', उन्होंने शेखी बघारते हुए कहा था और राष्ट्रपति जेलेंस्की को आमंत्रित करने, अपमानित करने और बाहर निकालने के बाद, उन्होंने उन्हें वापस आमंत्रित किया- 'जब वे शायद महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने को तैयार हो जाएं'। ट्रंप साहब ने इसे 'बदला' कहा।

दुनिया पर काले बादल

अमेरिका के एक सौदागर राष्ट्रपति और कबूलनामे वाले सौदेबाज के साथ दुनिया कहां जाएगी? और भारत के लिए इसके क्या निहितार्थ हैं?

दुनिया को संचालित करने के लिए, सत्तावादी शासक एक 'क्लब' बनाएंगे- ट्रंप, पुतिन और शी जिनपिंग। वे अपने मनचाहे इलाकों को हड़प लेंगे- अमेरिका की नजर पनामा नहर, कनाडा, ग्रीनलैंड और गाजा पर है; रूस, जो पहले ही क्रीमिया, अब्खाजिया और दक्षिण ओसेशिया पर कब्जा कर चुका है, और यूक्रेन तथा शायद जार्जिया पर कब्जा करना चाहता है; और चीन, तिब्बत और हांगकांग को जबरन अपने में मिलाने के बाद, ताइवान, भारत के महत्त्वपूर्ण हिस्सों और दक्षिण चीन सागर तथा उसके द्वीपों पर कब्जा करने की अपनी इच्छा दबाए नहीं रख सका है। तीनों देश, दुनिया को 'प्रभाव के क्षेत्रों' में विभाजित करने और संबंधित प्रमुख क्षेत्रों में संसाधनों का दोहन करने का प्रयास करेंगे। भारत, चीन के सामने कमजोर होगा और न तो अमेरिका उसकी मदद करेगा, और न ही रूस।

भारत को अमेरिका से अधिक सैन्य उपकरण खरीदने पर मजबूर होना पड़ेगा। उसे कम शुल्क पर अमेरिका से अधिक सामान आयात करने पर बाध्य होना पड़ेगा। अमेरिका और रूस के बीच तनाव कम होने का मतलब यह होगा कि रूसी तेल अब सस्ते दामों पर उपलब्ध नहीं होगा। भारत को 'ब्रिक्स' को कम महत्त्व देने के लिए 'मनाया' जा सकता है। 'क्वाड' को चीन के प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं माना जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश अपने साझा संरक्षक, अमेरिका के तहत घनिष्ठ संबंध बनाएंगे। अगर ट्रंप साहब 'टैरिफ युद्ध' शुरू करते हैं, तो यह नियम-आधारित विश्व व्यापार को पलट देगा और भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। जर्मनी और फ्रांस ने महसूस किया है कि भारत को अपनी रक्षा खुद करनी होगी।

मोदी साहब सोचते हैं कि ट्रंप के साथ उनकी दोस्ती भारत को बचा लेगी। मगर ऐसा कोई मौका नहीं आने वाला है। ट्रंप स्वार्थी और अहंकारी हैं, और उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि उनकी वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। दुनिया के लोगो, चार साल तक और इंतजार करो।

आंगन के सांप

वक्त की नब्ज

तवलीन सिंह

> पिछले सप्ताह ट्रेन को बंधक बनाने वालों ने औरतों और बच्चों को ढाल बना कर अपना बचाव करने की कोशिश की थी। कई बेगुनाह लोग मारे गए हैं, लेकिन पूरी खबर किसी को नहीं मालूम अभी तक, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने असलियत छिपाने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। कभी न कभी हकीकत सामने आ ही जाएगी। पर, सवाल है कि क्या पाकिस्तान के सैनिक शासक आतंकवादी गुटों को तैयार करना बंद कर देंगे या नहीं?

दशकों से पाकिस्तान के सैनिक शासकों ने दहशत को बढ़ावा दिया है, सो पिछले सप्ताह जब बलूच आतंकवादियों ने एक ट्रेन में सौ से ज्यादा यात्रियों को बंधक बनाया, तो दुनिया के मीडिया ने उसे खास तवज्जो नहीं दी। भारत में वह खबर सुर्खियों में रही एक दो दिन, लेकिन वह दर्द जो होना चाहिए बेगुनाह लोगों को मारा जाता देख कर, वह नहीं दिखा। कैसे दिखेगा, जब हमारे देश के अंदर इतनी बार बेगुनाह लोगों का पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ऐसे शिकार किया है जैसे वे इंसान ही न हों। मुंबई में आज भी जब उन जगहों से गुजरती हूं, जहां अजमल कसाब और उसके साथियों ने लोगों को मारा था, तो 26/11 की यादें ताजा हो जाती हैं। पाकिस्तान को कई बार नसीहत दी है दुनिया के बड़े नेताओं ने कि आतंकवादियों को पालना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन इस मुल्क के सैनिक शासकों ने किसी की नहीं सुनी। एक बार जब अमेरिकी राजनेता हिलेरी क्लिंटन पाकिस्तान में थीं बतौर खास सरकारी मेहमान, उन्होंने अपने भाषण में खुलकर कहा था कि जो लोग सांप पालते हैं अपने आंगन में, उन्हें याद रखना चाहिए कि कभी न कभी वे सांप उनको डंस सकते हैं। इस नसीहत के बावजूद, पाकिस्तान पालता रहा आतंकवादियों को, शरण देता रहा उसामा बिन लादेन जैसे दहशतगर्दों को।

अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के पीछे भी पाकिस्तान का हाथ है, और आज वहां महिलाओं को पूरी तरह अदृश्य कर दिया गया है। महिलाएं न बाहर जा सकती हैं बिना बुर्के में खुद को लपेटे, न नौकरी कर सकती हैं, न पढ़ सकती हैं। कुछ महीने पहले तालिबान शासकों का फरमान आया कि उन्हें खिड़कियों पर नहीं आना चाहिए, ताकि गलती से भी कोई उनको देख न ले। पाकिस्तान के सैनिक शासकों ने तालिबान को न पाला-पोसा होता, तो शायद तालिबान नाम की यह जिहादी संस्था होती ही नहीं। जबसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, हम जैसे पत्रकारों के लिए पाकिस्तान आना-जाना तकरीबन पूरी तरह बंद हो गया है, मगर एक जमाना था जब हम वहां जाया करते थे, जब भी कोई बड़ी राजनीतिक घटना होती थी।

उन दिनों मैं अक्सर जाया करती थी पाकिस्तान, सो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह आतंकवादियों को खास मेहमान की तरह रखा जाता है उस देश में। पेशावर में मैं मिली हूं उन सारे अफगान जिहादी नेताओं से, जो आगे जाकर अफगानिस्तान के शासक बने थे। लाहौर के एक गुरुद्वारे में मैं मिली हूं खालिस्तानी आतंकवादियों से, और देखा है कि किस तरह हाफिज सईद जैसे दरिंदे को सरकारी संरक्षण में रखा गया है। एक बार जब मैं वापस भारत आ रही थी तो एअरपोर्ट पर एक सिपाही मिला, जिसने मुझसे कहा कि 'आप सिखों को हमारे सदर जिया उल-हक का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने बहुत मदद की है आपकी।'

मैंने मुस्कराकर उसकी बात टाल दी थी, लेकिन वापस दिल्ली आकर अपने लेख में विस्तार से लिखा था कि कैसे मैं ननकाना साहब गुरुद्वारे में गई थी और वहां लोगों से बातें की, तो मालूम हुआ कि आपरेशन ब्लू स्टार के बाद भिंडरांवाले के कई नौजवान साथी यहां आए थे और उनको आतंकवाद का प्रशिक्षण पाकिस्तानी सेना के अफसरों से मिला था। वापस जब अपने पंजाब में आए, तो एक पूरे दशक तक इतना आतंक फैलाया था कि शाम के छह बजने के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलता था डर के मारे। हर गांव में हुआ करते थे उनके जासूस और हथियारबंद सिपाही, हर गुरुद्वारे के अंदर हुआ करते थे इनके अड्डे। दहशत के उस दौर को समाप्त किया था केपीएस गिल ने, आतंकवादियों के साथ वही सलूक करके, जो वे किया करते थे पुलिसवालों के साथ, और उनके साथ भी जो उनकी नजर में पुलिस के मुखबिर थे।

पंजाब में हालत सुधरे, तो पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंक फैलाया और घाटी के शहरों-कस्बों में वही हाल हुआ, जो पंजाब में कभी था। रात होने से पहले लोग अपने घर लौट जाते थे। कश्मीर में इसलिए कि जिहादियों को आम लोगों का काफी समर्थन मिला, जिहादी आतंकवाद को समाप्त करने में देर भी लगी और सख्ती भी बरतनी पड़ी इतनी कि आज भी श्रीनगर की हर दूसरी गली में पहरा देते हैं हमारे सैनिक और सुरक्षाकर्मी। मुंबई हमले के बाद हमारी सरकार ने सबूत दिए पाकिस्तान को कि हमले के दौरान जो दस हत्यारे इस शहर में भेजे गए थे, वे हर कदम पर किसी पाकिस्तानी फौजी अफसर से संपर्क करके आगे बढ़ रहे थे। इन सबूतों को लेकर फिल्में बनी हैं, किताबें लिखी गई हैं, लेकिन आज तक पाकिस्तान सरकार मानने को तैयार नहीं है कि उस हमले के पीछे उसकी सेना थी।

सो, अब जब पाकिस्तान के अंदर ही हमले कर रहे हैं उसी किस्म के लोग, जिनको प्रशिक्षित किया था पाकिस्तानी सेना ने, तो हम क्यों आंसू बहाएं? पिछले सप्ताह ट्रेन को बंधक बनाने वालों ने औरतों और बच्चों को ढाल बना कर अपना बचाव करने की कोशिश की थी। कई बेगुनाह लोग मारे गए हैं, लेकिन पूरी खबर किसी को नहीं मालूम अभी तक, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने असलियत छिपाने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। कभी न कभी हकीकत सामने आ ही जाएगी। पर, सवाल है कि क्या पाकिस्तान के सैनिक शासक आतंकवादी गुटों को तैयार करना बंद कर देंगे या नहीं? मेरा खयाल है कि इनमें से कई गुट अब बेकाबू हो चुके हैं और वे अपने आकाओं को डंसने लगे हैं। जब कोई अपने आंगन में सांप पालता है, तो ऐसा ही होता है।

जोखिम के उपकरण

शिक्षा

ज्योति सिडाना

> यह भी सच है कि समाज पुन: बैलगाड़ी या सरल तकनीक वाले दौर की ओर नहीं लौट सकता, लेकिन आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ समायोजन बैठाया जा सकता है ताकि डिजिटल उपकरण केवल सहायक की भूमिका में रहे। जीवन पर हावी होकर हमारे अस्तित्व को चुनौती न दे। समाजविज्ञानी कहते हैं कि यदि हम सफल होना चाहते हैं, तो हमें असफलता की दर को दोगुना करना होगा।

आज के दौर को संकट और जोखिमों का दौर कहा जा सकता है जिनमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम देखे जा सकते हैं। प्राचीन समाज में किसी भी प्रकार की समस्या या जोखिम के लिए अशिक्षा को एक महत्त्वपूर्ण कारण माना जाता था, पर आज के शिक्षित और तकनीकी रूप से विकसित समाज में इस प्रकार के जोखिमों के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। एक ऐसा समाज, जिसमें तकनीकी ज्ञान और कौशल का उपयोग कर जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। शिक्षा का उद्देश्य उत्पीड़नकारी व्यवस्था और शोषण को समाप्त करना तथा समानता स्थापित करना होता है। शिक्षा महज ज्ञान का लेन-देन नहीं, बल्कि समाज को संतुलित विकास की ओर अग्रसर करती है। शिक्षाशास्त्री पाउलो फ्रेरे लिखते हैं कि शिक्षित होने का मतलब उत्पीड़न वाली व्यवस्था में अपनी जगह बना लेना नहीं, बल्कि मनुष्य बनना है और पूर्ण मनुष्य तभी बना जा सकता है जब अमानुषिक बनाने वाले यथार्थ को बदला जाए।

तकनीक का उपयोग समाज और मानव के विकास तथा प्रगति के लिए किया जाए, तब तक तो ठीक है, लेकिन उसका आवश्यकता से अधिक उपयोग या उस पर पूरी तरह निर्भरता ने अनेक तरह के जोखिमों को उत्पन्न कर दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सामाजिक संबंध यहां तक कि मनुष्य की सुरक्षा तक खतरे में है। निजता की अवधारणा अब अतीत की घटना हो गई है, क्योंकि आप हर जगह कैमरे की निगरानी में हैं, यानी आपकी जिंदगी का हर पक्ष खुली किताब के समान है जिसे कोई भी पढ़ सकता है, देख सकता है और तो और उसका दुरुपयोग कर सकता है। समाज विज्ञानी अलरिच बैक ऐसे समाज को जोखिम भरे समाज की संज्ञा देते हैं। कुछ खतरे प्राकृतिक होते हैं, जिनका सामना करना चुनौती हो सकता है, क्योंकि वे अनिश्चित होते हैं और उन पर पूर्णतः नियंत्रण करना भी लगभग संभव नहीं होता। मगर तकनीकी खतरे स्वयं मानव द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, जिन्होंने मानव अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया है।

सामाजिक असमानता, आर्थिक अस्थिरता, पर्यावरणीय संकट, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां ऐसे खतरे हैं, जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। मसलन, छोटी उम्र में दिल का दौरा, आंखों का रोग, मोटापा, कैंसर, कंप्यूटर और रोबोट क्रांति के कारण रोजगार के क्षेत्र में अनिश्चितता, तनाव, निराशा, हिंसा, अकेलापन और पर्यावरण संबंधी जोखिम आदि ऐसे खतरे हैं जिनमें तकनीकी विकास ने वृद्धि कर दी है। फिर भी इन जोखिमों से लड़ने या इन्हें रोकने के सार्थक प्रयास दिखाई नहीं दे रहे। संभवतः इसलिए कि विज्ञान और तकनीकी विकास किसी भी देश की प्रगति का सूचक माना जाता है। मगर आश्चर्य की बात है कि तकनीकी रूप से विकसित राष्ट्र खुद को गैर-तकनीकी राह पर चलने के लिए अग्रसर हो रहे हैं और हमारे जैसे विकासशील देश विकसित देशों की पंक्ति में शामिल होने और स्वयं को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की होड़ में तकनीक केंद्रित समाज बनते जा रहे हैं। यहां स्वीडन के उदाहरण की चर्चा की जा सकती है। स्वीडन ने वर्ष 2009 में स्कूल-कालेजों में किताबों की जगह स्क्रीन लगाने के लिए बेहिसाब खर्च कर दिए, लेकिन अब वह पुनः किताबें वापस लाने के लिए बड़ी राशि खर्च कर रहा है। आखिर क्यों, यह गहन चिंतन का विषय है। संभवतः उसने शिक्षा के डिजिटलीकरण के खतरों को अनुभव कर लिया, तो क्या विकासशील देश उनके अनुभवों से सबक नहीं ले सकते।

शिक्षा बाजार और मुनाफे की व्यवस्था नहीं, कल्याण और विकास की प्रणाली है। इसलिए विभिन्न तरह के खतरों का सामना करने के लिए सरकारी संस्थानों को बेहतर करना होगा। केवल निजी क्षेत्र को समर्थन देने से विकास नहीं होगा। परंपरागत शिक्षा प्रणाली की खामियों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली द्वारा सुधारना एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन उसे पूर्णतः उपेक्षित करना समस्या का समाधान नहीं है। कितनी भी विकसित तकनीक क्यों न हो, वह एक शिक्षक का स्थान नहीं ले सकती। यह बात अलग है कि कुछ लोग इस बात से असहमति रखते हैं, वे मानते हैं कि एआइ (कृत्रिम मेधा) के विकास के बाद ये संभावनाएं भी गलत साबित हो रही हैं। बच्चों को जन्म देने का काम कृत्रिम कोख करेगी, रोबोट चिकित्सक, शिक्षक, नर्स, परिचारक और ड्राइवर की भूमिकाओं का निर्वाह करेंगे, लेकिन यहां एक महत्त्वपूर्ण सवाल है कि क्या दुनिया के अधिकांश देश, विशेष रूप से विकासशील देश, इस तकनीक के परिणाम भुगतने या उनका सामना करने के लिए तैयार हैं? जहां सरकारी विद्यालयों/महाविद्यालयों में कुर्सी-मेज, शिक्षक और बुनियादी संसाधन तक नहीं हैं, चिकित्सा केंद्रों में जीवनरक्षक सुविधाएं, पर्याप्त चिकित्सक और कर्मचारी नहीं है, महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा की गारंटी नहीं है, साइबर अपराध पर नियंत्रण नहीं है, वहां एक विकसित, समृद्ध और खुशहाल समाज की कल्पना यथार्थ से कोसों दूर नजर आती है।

आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ संतुलन बिठाया जाना चाहिए, ताकि डिजिटल उपकरण केवल सहायक की भूमिका में रहें, जीवन पर हावी होकर हमारे अस्तित्व को चुनौती न दें। समाजविज्ञानी कहते हैं कि अगर हम सफल होना चाहते हैं, तो हमें विफलता की दर को दोगुना करना होगा। क्योंकि अगर हम तकनीक के जोखिम को खत्म नहीं कर सकते, तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, सिवाय इसके कि हम इस पर नियंत्रण करना सीखें लें। दरअसल, तकनीक या तकनीकी ज्ञान बुरा नहीं है, लेकिन उसका वह उपयोग नहीं हो रहा, जिससे समाज को फायदा अधिक हो।

इसके विपरीत नई दुनिया में बच्चे, किशोर और युवा सूचनाओं के ऐसे भंवर जाल में फंसते जा रहे हैं, जिससे निकलना उनके बस में नहीं रहा। छोटी उम्र में ही मोबाइल और लैपटाप की ऐसी लत पड़ने लगी है कि यह पीढ़ी इसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर पाती है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि मशीनी मानव की जगह सहृदय मानव, काल्पनिक दुनिया की जगह वास्तविक दुनिया और आभासी संबंधों की जगह वास्तविक संबंधों को दोबारा केंद्र में लाया जाए. ऐसा न हो कि आने वाले समय में मशीन मालिक और मानव गुलाम बन जाए, जिसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

खबर में आने का नया सूत्र

बाखबर

सुधीश पचौरी

> खबर में आने का नया सूत्र है, जानी-मानी हस्तियों को अपमानित करो, खबर बनाओ। चैनल भी ऐसे लोगों को निराश नहीं करते। उनके लिए 'बदतमीजी' भी 'एक संस्कृति' है।

यह इस 'होली' की खबर है कि 'डर' की खबर है, जो 'तनाव' की खबर है। इस होली की बोली में सुरक्षा बलों की टोली है। चैनलों पर पंक्तियां सरकती दिखती हैं: 'इस बार की होली 'शुद्ध सनातनी' होली... 'हिंदुत्व' की होली... लगता है कि इस बार 'होली' की परिभाषा भी सिकुड़ चली है। एक ओर जुमे की नमाज... दूसरी ओर होली का त्योहार..! कई संवाददाता बताते रहे कि संभल में मस्जिदें तिरपाल से ढकी हैं, उत्तर प्रदेश में ढकी हैं। एक चैनल लिखता है: 'अपनेपन का त्योहार... धर्म पर क्यों तकरार... कि मस्जिदों पर तिरपाल... अजीब है हाल'!

एक मौलाना कहते हैं कि यह पहली बार है कि मस्जिदें ढकी गई हैं... फिर एक चैनल पर लाइन कि 'संभल, मुरादाबाद... नमाज ढाई बजे के बाद...'!

जुमे के दिन 'संभल' में होली आयोजन को लेकर एक पुलिस अधिकारी का यह आदेश कि 'जो न खेलें, घर से न निकलें...' बहसों में बना रहता है। इस बार पुरानी दिल्ली में भी पुलिस की गश्त दिखती है, ताकि कोई अवांछित घटना न हो। इतनी 'डरी हुई' होली कभी न दिखी। एक चैनल में पंक्तियां रेंगती हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश में और यूपी के बारह जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कुछ पंक्तियां नेताओं के शुभ संदेश... कि 'होली प्यार से मनाएं', 'भाईचारे से मनाएं'! फिर एक पंक्ति कहती है कि 'प्यार से गले मिलें'। लेकिन ऐसे संदेशों को कौन माने?

फिर भी सभी महामहिमों द्वारा होली की शुभकामनाएं... लेकिन इनमें 'जनसाधरण' की होली कहां? चैनलों में तो 'डर' है, 'तनाव' है!

एक चैनल की एक संवाददाता 'बरसाने' की 'होली' का सीधा प्रसारण दिखा रही है। रंगों के बीच ब्रजबालाओं के साथ नाचती-गाती, 'लट्ठमार होली' की खबर देती हुई वह भी होली की तरंग में लहराती दिखती है। जरा-सा घूंघट काढ़े खूब सजी-धजी तगड़ी-सी ब्रजबालाएं लाठी लिए दिखती हैं और कुछ देर में 'लट्ठमार' होली भी शुरू हो जाती है। अबीर गुलाल की बौछार के बीच सिर पर पाग बांधे हुरिहारों के चेहरों पर इतने रंग हैं कि सब बेपहचान नजर आते हैं। एक हुरिहारा कहता है कि हम 'बरसाने' में आकर अपनी भाभियों के लिए गीत गाएंगे तो वे लाठी लेकर मारना शुरू कर देंगी। हम ढाल सिर पर रख बचते रहेंगे। पिटने पर भी कोई बुरा नहीं मानता। यही 'लट्ठमार' होली है।

एक महिला जरा-सा घूंघट काढ़ कर खुश होकर संवाददाता से कहती है कि आज के दिन औरतें मर्दानी बन जाती हैं... मर्दों के सिर पर जोर से लट्ठ बजाती हैं! पहले ब्रज की औरतें राधा बनकर कान्हा को बुलाने 'नंदगांव' जाती और गाती हैं कि 'कान्हा बरसाने में आइ जइयो बुलाय गई राधा प्यारी...' फिर बहुत से लोग कान्हा का बाना धरण कर अपने सिरों पर पाग बांध और हाथ में ढाल लेकर 'बरसाने' आते हैं। जैसे ही वे हमें छेड़ते हैं, हम उन पर लट्ठ बरसाने लगती हैं और गाने लगती हैं कि कान्हा बरसाने में आ जइयो बुलाय रही राधा प्यारी... एक गोपी उछल-उछल कर लट्ठ मारती रहती है। फिर भाभी-देवर का गीत-संवाद होता है, फिर रंग और लट्ठ बरसते हैं... कैमरे सब तस्वीरें लेते रहते हैं। विदेशी भी रंगों में बेपहचान हो जाते हैं। एक चैनल पर एक हुरिहारा कहता है कि राधे रानी के 'बरसाने' में आकर सारे दुख-दर्द दूर हो जाते हैं।

मस्ती के इन दृश्यों के बीच अचानक एक चैनल की कुछ पंक्तियां फिर डराने लगती हैं..! कहां गए वे एक से एक सुरीले फिल्मी गीत, जो होली के इस दिन खबर चैनलों में खासकर बजाए जाते थे। एक दिन एक विपक्षी नेता एक नामी अभिनेत्री को कमतर करने वाला बयान देकर विवाद पैदा कर देता है। अभिनेत्री के पक्षधर उस पर पिल पड़ते हैं और देर तक तू-तू मैं-मैं होती रहती है। खबर में आने का नया सूत्र है। जानी-मानी हस्तियों को अपमानित करो, खबर बनाओ। चैनल भी ऐसे लोगों को निराश नहीं करते। उनके लिए 'बदतमीजी' भी 'एक संस्कृति' है।

बीता सप्ताह एक दक्षिणी राज्य के एक मुख्यमंत्री के नाम रहा। पहले उन्होंने 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' को कोसा, फिर 'त्रिभाषा फार्मूले' के बहाने 'केंद्र' पर 'हिंदी' थोपने का आरोप लगाया, फिर केंद्र द्वारा अपेक्षित धन न देने की शिकायत की, फिर 'परिसीमन' को लोकसभा की वर्तमान सीटों को कम करने वाला बताया, फिर उन्होंने दक्षिणी राज्यों को इकट्ठा कर 'दक्षिण बरक्स उत्तर' किया। केंद्र कहता रहा कि न कोई 'हिंदी' थोप रहा है, न सीटें कम हो रही हैं, लेकिन जब परस्पर 'विश्वास की कमी' हो तो कोई क्या करे..!

अंत में उन्हीं मुख्यमंत्री ने 'रुपए के चिह्न' को बदलकर 'तमिल चिह्न' घोषित कर दिया। एक चर्चा में 'मुद्रा' के 'चिह्न विशेषज्ञ' ने साफ किया कि 'मुद्राचिह्न' तय करने का अधिकार 'रिजर्व बैंक' का है। फिर रुपए के 'स्वीकृत चिह्न' को जिस कलाकार ने बनाया, वह तमिलनाडु के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री का स्नेह पात्र रहा। अब उन्हीं के सुपुत्र मुख्यमंत्री रुपए के उसी चिह्न को खारिज कर रहे हैं, लेकिन जब तक रिजर्व बैंक ही खारिज न करे, वह खारिज नहीं हो सकता है! जय हो 'खारिज संस्कृति' की!

परछाई का भ्रम

चित्रा मुद्गल

बाल कथा

जान ली होंग बड़ा निर्दयी राजा था। जो भी उसकी बुराई करता या उसके खिलाफ बोलता वह उसे जेल में डाल देता था या फिर मजदूरी करने चीन भेज देता, जहां चीन की महान दीवार बनाने का काम चल रहा था। बुद्धिमान व्यक्तियों से उसे नफरत थी। लेखकों और शिक्षकों से विशेष बहाना ही ढूंढता रहता था कि कब वे उनके विरुद्ध कुछ लिखें और वह उन्हें जेल में ठूंस दे।

शिक्षक चान के साथ भी उसने यही किया।

चान और उसकी पत्नी ली एक-दूसरे को बहुत प्यार करते थे। दोनों का बचपन साथ-साथ एक ही गांव में बीता था। दोनों साथ-साथ बड़े हुए थे और बाद में दोनों ने शादी कर ली थी।

चान की गिरफ्तारी के ठीक एक महीने बाद बाद ली ने एक प्यारे से शिशु को जन्म दिया। चान की अनुपस्थिति ली को ऐसे मौके पर बहुत खली। जब-तब उसकी आंखें छलछला आतीं। उसने नवजात शिशु का नाम रखा चिन। इस नाम को चान ने शिशु के पैदा होने से पूर्व ही चुन लिया था।

चिन ने जब बोलना शुरू किया तो ली ने उसे स्वयं पढ़ाने का निश्चय किया। चान की किताबों की आलमारी में से उसने बच्चों की कुछ किताबें निकाली। चिन को पकड़ाते हुए कहा, 'ये किताबें तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए लाकर रखी थी। किताबें पाकर नन्हा चिन प्रसन्न हो उठा। बोला, 'तुम पढ़ाओगी मां तो मैं पढूंगा'।

चिन मेधावी बच्चा था। बड़ी जल्दी उसने अक्षर लिखना सीख लिया और किताबें पढ़ने लगा। कभी-कभी वह हठ ठान लेता, 'मां, मुझे अपने पापा से मिलना है।' उदास ली बेटे को पुचकारती, 'अभी तुम्हें पापा कैसे मिल सकते हैं? वह तो परदेस गए हैं।' 'तो फिर कब मिलेंगे'

'जल्दी ही वह परदेस से लौटने वाले हैं, तब'। चिन ली की बात मान कर जिद छोड़ देता।

जब चिन सो जाता, ली उसके बिछौने के निकट फर्श पर घुटने टेक कर पति की तंदुरुस्ती और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती। दिन बीतते रहे। चिन पांच साल का हो गया।

एक रात अचानक भयानक आंधी आई। दरवाजे, खिड़की पटपटाने लगे। शोर से चिन जाग गया और रोने लगा। उसका भय दूर करने के लिए ली ने लालटेन जलाई और चिन के बिस्तर के करीब रख दी ताकि प्रकाश में उसका भय जाता रहे।

लालटेन रख कर जैसे ही ली खिड़की-दरवाजे बंद करने के लिए कमरे से बाहर जाने लगी, उजाले में उसकी परछाई दीवार पर देख चिन भय से चीख पड़ा। ली ने उसका डर निकालने के लिए समझाया, 'डरो मत, यही तो तुम्हारे पापा हैं।' चिन फौरन बिस्तर से उतर पड़ा। घुटने टेक कर उस दीवार की ओर मुंह कर उसने कहा, 'मेरे प्यारे पापा! शुभरात्रि।' और वह आराम से अपने बिछौने पर सो गया।

उस रात के बाद यह घटना हर रात दोहराई जाने लगी। परछाई के रूप में उसे अपने पापा जो मिल गए थे।

एक रात जब चिन सो गया और ली सोने जा रही थी, तभी उसे मंदिर से बुलावा आया कि पुजारी ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। जैसे ही ली घर से बाहर निकली, अचानक अपने सामने चान को पाकर खुशी से विभोर हो उठी, 'तुम'?

चान तनिक घबराया हुआ सा था, 'तुम कहां जा रही थी?' पूछा उसने।

ली ने बताया, 'मंदिर में बुलाया है'। 'हो आओ', चान ने सहज होने की चेष्टा कर कहा, 'मैं जेल से भाग कर आया हूं।'

'तुम घर जाओ और जाकर छिप जाओ। मैं बस यूं गई और यूं आई'। ली ने कहा।

चान के घर पहुंचने के कुछ देर बाद ही चिन नींद में डर गया और रोने लगा। चान से बेटे का रोना न देखा गया। वह बेटे के निकट जा पहुंचा और बोला, 'घबराओ नहीं बेटे, मैं तुम्हारा पिता हूं।'

चिन ने जैसे ही उसे देखा रोना भूल कर आगबबूला हो उठा, 'चले जाओ यहां से। तुम मेरे पापा नहीं हो। मेरे पापा बहुत दूर रहते हैं। मगर रोज रात में वह मेरे पास आते हैं। जब मैं सो जाता हूं, वह चले जाते हैं।' यह कह कर चिन पापा को याद करता हुआ फिर सो गया।

चान बेटे चिन का उत्तर सुन सन्न रह गया। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। ली उसे मिली थी पर वह मंदिर जाने की हड़बड़ी में थी। उसने यह भी नहीं बताया कि वह किससे मिलने मंदिर जा रही है। यहां चिन उसे पहचानने से इंकार कर रहा है। वह कहता है कि उसके पिता कोई और हैं जो रोज रात में उससे मिलने आते हैं।

प्रतीकात्मक तस्वीर

चान को लगा, ली का प्यार और विश्वास टूट गया है। वह अब किसी और से प्यार करने लगी है। दुख और गुस्से से वह बेकाबू हो उठा। ली जब मंदिर से लौट कर आई, घबराई हुई थी।

चान को लगा, ली का प्यार और विश्वास टूट गया है। वह अब किसी और से प्यार करने लगी है। दुख और गुस्से से वह बेकाबू हो उठा। ली जब मंदिर से लौट कर आई, घबराई हुई थी। उसने चान से कहा, मंदिर में पुजारी ने उसे बताया, कुछ सिपाही गांव में उसे पकड़ने के लिए खोज रहे हैं। वह घर में ही छिपा रहे। पर उसकी बातों का चान ने कोई जवाब नहीं दिया।

उसे क्रोधित देख ली ने क्रोध का कारण जानना चाहा। बहुत पूछने पर चान ने अपना शक उस पर प्रकट कर दिया और बिना ली का उत्तर सुने घर से बाहर चला गया।

समझदार ली की समझ में सारा मामला आ गया। ली बहुत दुखी हो गई। उस रात नदी में कूद कर उसने आत्महत्या कर ली।

अगली सुबह पड़ोसियों ने चिन को अपने घर में रख लिया।

दूसरे दिन ही राजा की तरफ से यह घोषणा हुई, जो कैदी लेखक हैं, शिक्षक हैं, समाज सुधारक हैं उन्हें क्षमादान दिया जाता है और रिहा किया जाता है। चान ने भी घोषणा सुनी। वह जहां छुपा हुआ था वहां से बाहर निकल आया और अपने गांव की ओर चल दिया। रास्ते में ही उसने अपनी प्यारी पत्नी ली के विषय में यह दुखदायी घटना सुनी तो पागल सा हो उठा। फौरन चिन को लेने अपने पड़ोसियों के घर जा पहुंचा।

रात का समय था। उदास चिन सोने के लिए जा रहा था। चिन ने बिस्तर पर चढ़ने से पूर्व अपने पिता को पुकारा। चान ने जब यह देखा तो लालटेन को आले पर से उतार कर उसके बिस्तर के पास रखी मेज के ऊपर रख दिया। किंतु जैसे ही वह दरवाजे से बाहर जाने लगा, लालटेन की रोशनी में उसकी परछाई दीवार पर उभरी। चिन ने उसकी परछाई देखी तो घुटनों के सहारे उस दिशा में बैठ गया और बोला, 'शुभरात्रि मेरे प्यारे पापा'।

चान समझ गया कि दूसरा पिता सिर्फ एक परछाई थी। ली ने चिन की तसल्ली के लिए ही ऐसा किया होगा। वह चिन को छाती से चिपका कर फूट-फूट कर रोने लगा। अचंभित चिन को उसने बताया, वह उसका वही पिता है जो परदेस गया हुआ था।

बच्चे को विश्वास दिलाने के लिए चान ने लालटेन के सामने वही बात दोहराई। फिर तो बाप बेटे बड़ी देर तक एक-दूसरे को गले लगा कर रोते रहे और ली को याद करते रहे।

चान ने उसी नदी के किनारे चट्टान पर अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी से एक मंदिर बनवाया। रोज शाम को वह और चिन वहां बैठ कर ली को खूब-खूब याद करते। उन्हें लगता, ली वहीं है। उनके वहां पहुंचते ही खिलखिलाती हुई सी उनके पास आकर बैठ जाती है।

दंतकथाओं की खान दक्षिण के तेनालीराम

जनसत्ता सरोकार

अमर किरदार

आम तौर पर राजा-महाराजाओं की छवि या तो बहुत गुस्सैल, अत्याचारी की होती है या फिर दयालु प्रजावत्सल की। इन दो छवियों के बीच कौतुक होता है कि क्या राजा कभी परेशान होता है, क्या राजा कभी गलत फैसला लेता है, क्या कोई ऐसी बात होती है जो राजा को समझ में नहीं आई? वो कौन होगा जो राजा को कहे, हुजूर आपका यह फैसला गलत है। जिसकी बातें सुनने के बाद राजा को पछतावा भी हो और वह अपने गलत फैसले को पलट दे।

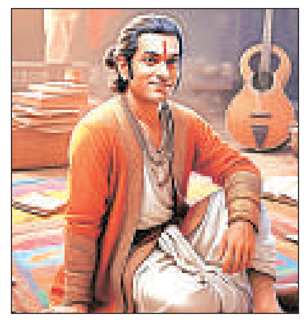

दक्षिण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश में विजयनगर साम्राज्य में राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीरामा (तेनालीरामा, तेनालीरमन, देश के कई हिस्सों में उन्हें अलग-अलग नाम से पुकारा जाता है) की मशहूरियत हुई। तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबार के अष्टदिग्गजों में शामिल थे। उनका जन्म 16वीं सदी की शुरुआत में तेलुगु भट्ट परिवार में हुआ था। पिता के निधन के कारण उनकी माता उन्हें उनके ननिहाल 'तेनाली' लेकर आ गई थीं जहां उनका पालन-पोषण हुआ। तेनाली की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई लेकिन उन्होंने तत्कालीन समाज और संस्कृति को अपनी पाठशाला बना लिया। उनमें आसपास के सामाजिक जीवन के अध्ययन की ललक थी। तत्कालीन समाज में इस तरह की कुशाग्रता को दैवीय शक्ति ही माना जाता था। तेनालीराम के बारे में दंत कथा है कि उन्होंने काली मां की उपासना की। काली मां ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। कहते हैं कि काली मां के वरदान के कारण तेनालीराम के पास ऐसी बुद्धि हुई जिसके कारण धन को भी उनके पास आना पड़ा।

चाहे अकबर का दरबार हो या कृष्णदेव राय का दोनों जगह विदूषकों की भूमिका रही होगी जिसने बाद में कई तरह की दंतकथाओं का रूप लिया। राजाओं के दरबार में प्रकांड विद्वानों को इसलिए विदूषक की संज्ञा मिली क्योंकि उन्हें राजनीति, अर्थनीति, कूटनीति सबका अच्छा ज्ञान था। इनकी जिम्मेदाराना छवि ऐसी ही बनाई गई कि ये हास-परिहास में राजा को गलत व कठोर फैसले से रोकते थे।

चाहे अकबर का दरबार हो या कृष्णदेव राय का, दोनों जगह विदूषकों की भूमिका रही जिसने बाद में कई तरह की दंतकथाओं का रूप लिया। राजाओं के दरबार में प्रकांड विद्वानों को इसलिए विदूषक की संज्ञा मिली क्योंकि उन्हें राजनीति, अर्थनीति, कूटनीति सबका अच्छा ज्ञान था। इनकी जिम्मेदाराना छवि ऐसी ही बनाई गई कि ये हास-परिहास में राजा को गलत व कठोर फैसले से रोकते थे। ये लोक से जुड़े होते थे तो राजा को लोक से जोड़ने का काम करते थे। राजा को हंसा कर मनाने का सबसे मुश्किल काम यही कर सकते थे।

तेनालीराम की कथाएं उत्तर से लेकर दक्षिण तक की पत्र-पत्रिकाओं में लंबे समय से छप रही हैं। 1956 में 'तेनाली रामकृष्ण' के नाम से तेलुगु में फिल्म भी बनी थी। उन पर तमिल और कन्नड़ में भी फिल्में बनीं। 1990 में दूरदर्शन ने 'तेनाली रामा' के नाम से धारावाहिक का निर्माण किया। कार्टून नेटवर्क ने भी 'द एडवेंचर्स आफ तेनाली रामा' नाम का कार्टून धारावाहिक बनाया। दंतकथाओं से लेकर कार्टून नेटवर्क का हिस्सा बने तेनाली रामा इतिहास और मिथक के मेल से बने लोकप्रिय किरदारों में एक हैं। हर पीढ़ी इनकी कथाओं को अपने परिवेश के हिसाब से बुनती है।

संदेशा में अंदेशा

जनसत्ता सरोकार

मार्गदर्शन

आप बहुत सुंदर हैं...। तारीफ किसकी, कैसे और कब करें इसका भी कायदा होता है। पिछले दिनों एक अदालती टिप्पणी में कहा गया कि अनजान महिला को रात में ऐसे संदेश भेजना अश्लीलता की श्रेणी में आता है। इस टिप्पणी का सोशल मीडिया पर बहुत मजाक भी बना। मतलब दिन में ऐसे संदेश भेज दें तो क्या अश्लीलता में नहीं आएगा?

किसी भी अदालती टिप्पणी के एक वाक्य भर को उठा लेना विश्लेषण को गलत दिशा में ले जाता है। इसलिए हम इस टिप्पणी को यहीं पर छोड़ते हैं और बात करते हैं कार्यस्थल में महिला सहयोगियों से संदेश व्यवहार की। वैसे तो सांस्थानिक ढांचे के तहत दफ्तरों में विशाखा दिशा-निर्देश हैं। इसे इसी अवधारणा के साथ लाया गया था कि व्यावसायिक जगहों पर महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार न हो जो उनकी प्रतिभा, कुशलता, गरिमा और बुनियादी अधिकारों का हनन करता हो। कार्यस्थलों पर ऐसा कोई भी संदेश या संकेत नहीं देना चाहिए जिससे पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच लैंगिक भेदभाव हो।

याद रखिए, वाट्सऐप संदेश आपका लिखित संदेश हैं। लिखित संदेशों को हमेशा औपचारिक माना जाता है।

इन दिनों ज्यादातर कर्मचारी संस्थान से जुड़े वाट्सएप समूह पर जुड़ते हैं। आम तौर पर जो भी संस्थान का अगुआ या निदेशक होता है उसके संदेशों पर व्यावसायिक प्रतिक्रिया ही दी जाती है। ऐसे संदेशों में 'इमोजी' के कम से कम इस्तेमाल की सलाह दी जाती है। अगर आपने शब्दों में अपनी बात कह दी है तो फिर उसके चित्रगत प्रतीकों में जाने की जरूरत नहीं है।

दफ्तर के कर्मचारियों के बीच आधिकारिक वाट्सएप समूह के अलावा निजी तौर पर भी बातचीत होती है। आम तौर पर हम निजी बातचीत में एक पंक्ति के साथ कई तरह के 'इमोजी' लगा देते हैं। हो सकता है कि किसी एक सहयोगी को यह पसंद हो लेकिन कई लोगों को 'इमोजी' के अतिरेक से चिढ़ भी होती है। बहुत से लोग, बहुत से इमोजी के सही अर्थ भी नहीं समझते और 'इमोजी' का बेलगाम इस्तेमाल करते हैं।

दफ्तर के रिश्तों को हम बहुत जल्दी आत्मीय मान लेते हैं और निजी बातचीत में उसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वाट्सएप संदेशों में भी हम कुछ ऐसे शब्दों और प्रतीकों का इस्तेमाल कर बैठते हैं।

याद रखिए, वाट्सएप संदेश आपका लिखित संदेश हैं। लिखित संदेशों को हमेशा औपचारिक माना जाता है। इन दिनों वाट्सएप ने यह सुविधा दे रखी है कि आप अपने लिखे को संपादित कर सकते हैं, लेकिन उसकी सीमा है। इसलिए किसी महिला कर्मचारी को संदेश लिखते वक्त शाब्दिक मर्यादा का तो ध्यान रखिए ही 'इमोजी' की मर्यादा का भी ध्यान रखिए। चुंबन या गले लगाने जैसे 'इमोजी' प्रतीकों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही नृत्य करने, होठों का, राजकुमारी जैसी 'इमोजी' का भी इस्तेमाल नहीं करें। संदेशों को एक-एक पंक्ति की खेप में भी भेजने से परहेज करें। हो सकता है कि उसे पढ़ने वाला इस मानसिक अवस्था में न हो कि वह बार-बार आ रहे संदेशों पर प्रतिक्रिया दे। संदशों को मुकम्मल लिख कर उसे एक बार ठीक से पढ़ लें और संपादन की जरूरत हो तो करें। महिला हो या पुरुष, वरिष्ठ हो या कनिष्ठ किसी के संदर्भ में भी ध्यान रखें कि भाषाई अशुद्धियों से भरा संदेश नहीं भेजें।

कोई व्यावसायिक जरूरत न हो तो कार्य अवधि के बाद महिला कर्मचारियों को संदेश न भेजें। संदेश भेजते वक्त दफ्तर की पाली का भी ध्यान रखें। कोई महिला रात की पाली में काम कर गई है तो इसका मतलब यह नहीं कि सुबह छह बजे उसे संदेश भेज दें। याद रखें, आपके भेजे संदेश आपके व्यक्तित्व के अग्रदूत हैं।

हरी सब्जी

रेखा शाह आरबी

कहानी

'नर्मदा...आओ बैठो...यहां पर धूप है...थोड़ा आराम मिलेगा, आजकल इस दिसंबर की ठंड में धूप भी भगवान की नेमत है वरना इंसान कांप-कांप कर ही मर जाए। और हम जैसों के लिए तो यह और मुसीबत करती है।' पैंसठ वर्षीय शीला अपनी हम उम्र पड़ोसन नर्मदा से बोली।

शीला ने कुर्सी खींचकर नर्मदा को बैठने के लिए दिया। नर्मदा शीला की पड़ोसन थी। दोनों बहू-बेटों वाली थी। इसीलिए घर की ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं थी। खाली होने पर एक-दूसरे से अपने दुख सुख बतियाया करती थी। या समय गुजारने के लिए भी एक दूसरे से बात कर लिया करती थी।

आज भी खाली देखा तो नर्मदा को कुछ देर अपने पास बात करने के लिए बुला लिया और नर्मदा भी चली आई।

नर्मदा का मिजाज थोड़ा-थोड़ा खिंचा हुआ देखकर शीला ने पूछा, 'क्या हुआ है कोई बात है? क्यों आज तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है वरना रोज तो बहुत मुस्कुराती रहती हो'।

'अरे कुछ नहीं शीला दीदी आज रोहित की बहू जाने उसके मन में क्या था थोड़ी सी दो बातें क्या कह दी पलट कर उल्टा जवाब देने लगी।'

'अरे नर्मदा आजकल जमाना ही ऐसा है। बहू को कितना भी करो और अपने सारे जीवन की कमाई दे दो ..लेकिन बहू तो बहू होती है शर्म, लिहाज, त्याग की उनसे अपेक्षा करना ही बेकार है। इसीलिए तुम अपना मन दुखी मत करो दूसरे की जायी से क्या ज्यादा उम्मीद करना'। शीला सांत्वना देते हुए बोली।

अंदर से दोनों के लिए चाय लेकर आती हुई शीला की बहू पूजा ने ये बातें सुनी तो उसे बहुत ही दुख हुआ। आज इतने वर्षों से सास और ससुर की सेवा कर रही हूं। उसके बावजूद इनकी सोच में जरा भी बदलाव नहीं हुआ।

उसने सोच लिया कि इस बात का इन्हें अहसास करा कर रहूंगी कि बहू कितना त्याग करती है। घर में सब्जी लाने के लिए शीला के पति रतन जी ही जाते थे। रात में सब्जी बनाने के लिए वही सब्जी लेकर आए थे। आज सब्जी में फूल गोभी और मटर लेकर आए थे। शीला और रतन जी को पूजा के हाथ की बनी हुई गोभी, मटर, टमाटर की सब्जी बहुत पसंद आती थी।

पूजा ने बहुत ही जतन से आलू, फूलगोभी, मटर की मसाले डालकर सब्जी बनाई। पूरा घर खुशबू से महक रहा था। उसने सास और ससुर दोनों के लिए एक साथ ही भोजन निकाला और ले जाकर उनके आगे परोस दिया।

शीला और रतन जी दोनों हाथ धोकर खाने के लिए भोजन पर बैठे। पूजा ने खाने में सब्जी, रोटी और सलाद परोसा था। सब्जी की कटोरी देखते ही शीला चौंक पड़ी। आज खाना परोसते समय पूजा ने सिर्फ हरी सब्जियां छांट कर परोसने के बजाय कटोरी में आलू भी परोसा था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। हमेशा बनी तरकारी से छांट कर हरी सब्जियां ही परोसती थी। उसे पता था कि दोनों मधुमेह के मरीज हैं सो आलू नुकसान देह है। उस समय शीला ने कुछ नहीं कहा। आलू किनारे खाना खा लिया। रतन जी ने भी आलू किनारे करके खाना खा लिया।

खाना खाने के बाद शीला सीधे पूजा के पास पहुंची और बोली, 'पूजा यह आज तुमने कैसी सब्जी निकाली थी। तुम्हें पता है कि हम दोनों लोगों को मधुमेह है और हम लोग सब्जी में कभी भी आलू नहीं खाते हैं। डाक्टर ने हम दोनों को ही आलू खाने से मना किया है। इसके बावजूद आज तुमने सब्जी में हमें आलू भी दे दिया था'।

'मम्मी जी, मुझे पता है कि आप और पापा जी मधुमेह के मरीज हैं। लेकिन शायद आप लोगों को नहीं पता है कि मैं ऐसी किसी भी बीमारी की मरीज नहीं हूं जिसमें मुझे सिर्फ आलू की सब्जी खाने के लिए कहा जाए। तकरीबन दस साल हुए, जब से बहू बनकर इस घर में आई हूं तब से घर में जब भी सब्जी बनती है तो उसमें से हरी सब्जी आप दोनो को निकाल कर देने के बाद पतिदेव और बच्चों को खाना देने के बाद, मेरे हिस्से में ज्यादातर आलू ही आता है। मुझे आलू खाना पड़ता है। आज से मैं यह त्याग करना छोड़ रही हूं। और मैं तो बहू हूं। बहू भला कहां त्याग करती है। आप भी तो इस बात को मानती हैं।'

खाना खाने के बाद शीला सीधे बहू पूजा के पास पहुंची और बोली, 'पूजा यह आज तुमने कैसी सब्जी निकाली थी। तुम्हें पता है कि हम दोनों को मधुमेह है और हम लोग सब्जी में कभी भी आलू नहीं खाते हैं। डाक्टर ने हम दोनों को ही आलू खाने से मना किया है। इसके बावजूद आज तुमने सब्जी में हमें आलू भी दे दिया था'

शीला पूजा की बातें सुनकर बेहद शर्मिंदा हो गई। उसने शांत मन से विचार किया तो उसे अंदर से बेहद शर्मिंदगी हो रही थी। दस साल से बहू हम दोनों के लिए इतना त्याग कर रही है। मैं उसकी इस अच्छाई और त्याग की कदर भी न कर सकी। मां बनना तो दूर मैं तो उसकी एक अच्छी सास भी न बन सकी। अगर मैं औरत बन कर भी इस बारे में सोची होती तो मुझे अपनी बहू की तकलीफ जरूर दिखाई दे जाती। इतना करने के बाद भी मैं सुबह नर्मदा से उसकी बुराई ही कर रही थी।

वह शर्मिंदगी के साथ बोली, 'बहू मुझे माफ कर दे। बड़ी होकर भी मेरे अंदर बड़प्पन नहीं था और तू मुझसे बहुत छोटी होकर भी एक बेटी से भी ज्यादा हम लोगों के बारे में सोची'।

'अरे मां जी आप मुझसे माफी मत मांगिए। मैं तो बस आपको यह अहसास दिलाना चाहती थी कि बहू भी त्याग करती है। अनेक तरीकों से करती है। बस उसके उन कामों के लिए दो शब्द अच्छे मिल जाएं तो वह उसे पुरस्कार के जैसे लगते हैं। वहीं पर यदि ताने मिलें तो उसे उन कामों को करने में अरुचि हो जाती है। हर बच्चे को मां-बाप से शाबाशी और पुरस्कार की आशा रहती है कुछ करने के बदले। बहू हुई तो क्या हुआ मेरा भी इतना तो हक है।' कहकर शीला के गले लग गई।

'तुम्हारा हक इससे ज्यादा है और सुनो कल से तुम्हें सिर्फ आलू खाने की जरूरत नहीं है। कल से तुम्हारे पापा जी से कहकर हरी सब्जियां ज्यादा मंगवाया करूंगी ताकि सभी स्वस्थ रहें।'

सच है क्या और झूठ क्या

विचार बोध

रोहित कुमार

यह शुद्धता के दावों का दौर चल रहा है। बाजार बढ़-चढ़ कर अपनी चीज को दूसरी से शुद्ध बता कर बेचने की होड़ में लगा है। मगर शुद्धता फिर भी संदिग्ध बनी रहती है। दरअसल, भौतिक रूप में सौ फीसद शुद्ध कुछ नहीं होता। जिसे सौ फीसद शुद्ध बताया जाता है, कुछ न कुछ अवांछित माने जाने वाले तत्त्व उसमें भी होते ही हैं। उन्नत से उन्नत तकनीक के सहयोग से शुद्ध करने के बावजूद उसमें कुछ न कुछ अशुद्धियां रह ही जाती हैं। सौ फीसद त्रुटिहीनता एक गणितीय अवधारणा है। इसे अर्थशास्त्रीय आंकड़ों में तो दर्ज किया जा सकता है, गणितीय समीकरणों में हल किया जा सकता है, पर जीवन के कार्यव्यवहार में सौ फीसद शुद्धता की गारंटी संभव नहीं। कुदरत के जो रंग-रेशे, जो तत्त्व हैं, उनके भी सौ फीसद शुद्ध होने का दावा नहीं किया जा सकता। इसलिए कि इस कायनात की हर चीज एक-दूसरे से गुत्थम-गुत्था है। एक का कुछ न कुछ दूसरे में मिल जाना स्वाभाविक है।

दिखना और होना

इसीलिए दर्शनशास्त्र परम तत्त्व और परम सत्य की बात करता है। ऐसा सत्य, जिसमें किसी तरह की मिलावट न हो। वह है, तो कैसा है, यह भी प्रत्यक्ष अनुभव की बात नहीं। इसलिए परम को भी एक अवधारणा बता कर कुछ लोग खारिज करने का प्रयास करते हैं। जो प्रत्यक्ष दिखता है, उसके तो सच होने पर बहुत पहले से शक है। दर्शन यह भी कहता है कि जो दिखता है, वास्तव में वह होता नहीं। वह उसके होने का आभास भर है। विज्ञान भी साबित कर चुका है कि जो हम देखते हैं, वह हमारे देखने से बिल्कुल अलग होता है। यानी हमारा देखना, मानना या मान लेना भी एक अवधारणा पर ही काम करता है। जिसे हम लाल रंग कहते हैं, वह वास्तव में लाल होता नहीं। वह केवल हमारे देखने की क्षमता और आंखों की बनावट की वजह से लाल नजर आता है। हम जिस चीज को जिस रूप में देखते-पहचानते, व्याख्यायित करते हैं, वह हमारी सामूहिक चेतना की एक अवधारणा मात्र है। जरूरी नहीं कि उसी चीज को गाय या बिल्ली भी उसी रूप में देखती हो। जिसे हम लाल कहते हैं, वह गाय या बिल्ली के लिए ठीक वही लाल नहीं होता। इसलिए कि प्रकृति में रश्मियां अलग-अलग वातावरण के अनुसार रंग रचती रहती हैं। मगर जीवन की यह जटिल विडंबना है कि हम अपने ही अनुभव-सत्य को सौ फीसद सच मान लेते हैं, दूसरे के अनुभव-सत्य को पलटने की कोशिश करते हैं। फिर विवाद करते हैं।

सच और झूठ

जिन्हें हम मानते हैं कि निजी जीवन में बहुत ईमानदार और सच्चे व्यक्ति हैं, वे भी कहीं न कहीं, कुछ न कुछ बेईमान और झूठे साबित हो ही जाते हैं। इसीलिए दुनिया की तमाम आत्मकथाएं संदिग्ध होती हैं। जब भी आदमी अपने बारे में कुछ बताना शुरू करता है, तो पूरा सच कभी नहीं बता पाता, जबकि उसका अनुभव-सत्य अपना है। यही पहलू उसे थोड़ी चालाकी करने का अवसर भी देता है। अपने बारे में अप्रिय या तुच्छ समझी जाने वाली बात कोई उजागर नहीं करना चाहता। हर कोई अपना बेहतर से बेहतर ही प्रकट करने का प्रयास करता है। इसी में झूठ की मिलावट की गुंजाइश बनती है। इसीलिए जब कोई सच्चा से सच्चा व्यक्ति भी अपने बारे में लिखता या लिखवाता है, तो उसमें कुछ न कुछ झूठ मिला ही देता है। जिसे हम सौ फीसद ईमानदार मानते हैं, जिसके जीवन में कभी कोई दाग नहीं लगा, वह भी किसी न किसी से अनुराग तो रखता ही है। वही अनुराग उससे कभी न कभी कोई बेईमानी करने को उकसा देता है। फिर वह उसे नीति के हवाले सही ठहराने का प्रयास करता रहता है।

दरअसल, जीवन जीने, समाज को संचालित करने के लिए जो नीतियां, जो नियम बने हैं, वे सीमित दायरे के अनुभवों से निर्मित हैं। बदलते समय और स्थितियों के मुताबिक उन्हें बदलना जरूरी होता है। यही फांक व्यक्ति को कई बार मनमानी की सुविधा भी देती है। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है कि वह स्वयं को श्रेठ बनाना चाहता है। इसी के लिए वह तरह-तरह से संघर्ष करता है। तमाम त्याग और तपस्या इसी के लिए हैं। श्रेष्ठता एक पद है। वह परम पद में परिवर्तित हो जाए, तो जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। मगर श्रेष्ठ होने या बनने का यही गुण कब दुर्गुण में बदल जाता है, व्यक्ति को पता ही नहीं चलता। वह अपनी श्रेष्ठता साबित करने की कोशिश में कब दूसरों को अश्रेष्ठ साबित करना शुरू कर देता है, उसे भान ही नहीं होता। कुदरत ने कोई भी जीव, कोई भी चीज ऐसी बनाई ही नहीं, जिसमें कोई न कोई गुण न हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता, जिसमें सीखने लायक, ग्रहण करने लायक कुछ न हो। मगर यह हमारा श्रेष्ठ होने का बोध ही है, जो दूसरों के गुणों को भी नजरअंदाज कर देता है। दूसरों को हम नकारते चले जाते हैं। फिर तो वही श्रेष्ठ मान भी लिया जाता है, जो अधिक से अधिक लोगों को नकार सकता हो।

> **दर्शन** यह भी कहता है कि जो दिखता है, वास्तव में वह होता नहीं। वह उसके होने का आभास भर है। विज्ञान भी साबित कर चुका है कि जो हम देखते हैं, वह हमारे देखने से बिल्कुल अलग होता है। यानी हमारा देखना, मानना या मान लेना भी एक अवधारणा पर ही काम करता है।

शुद्धता की गारंटी

शुद्धता, पवित्रता, पावनता, श्रेष्ठता अर्जित करने के मूल्य हैं। इन्हें अर्जित करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उसके बाद भी सौ फीसद कोई शुद्ध हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसीलिए परम स्थिति की अवधारणा विकसित हुई। वह परम स्थिति अभी तक केवल ईश्वर की मानी गई। मनुष्य का लक्ष्य ईश्वर की स्थिति तक पहुंचना ही तो है। परम पद प्राप्त करने का। वहां तक पहुंचने के सबने अपने-अपने मार्ग विकसित किए हैं। मगर उन रास्तों में भी श्रेष्ठता और अश्रेष्ठता के झगड़े कहां कम हैं! है न यह विचित्र बात, कि ईश्वर हो जाने की कोशिश में भी अमानवीय तक हो जाने से हम गुरेज नहीं करते। फिर कैसे कह सकते हैं कि कोई भी विचार परम शुद्ध है। जब विचार ही शुद्ध न होगा, तो कर्म में शुद्धता की गारंटी भला कैसे दी जा सकती है। अगर विचार पूरी तरह शुद्ध न सही, जहां तक हो सके, उसमें से अशुद्धियां कम से कम की जा सकें, तो जीवन की बहुत सारी झंझटें अपने आप खत्म हो जाती हैं।

आंखों में तनाव जल का रिसाव

नुस्खे

तनाव केवल मस्तिष्क में नहीं होता। शरीर के विभिन्न अंगों में भी होता है। आंखों में भी होता है। आजकल जिस तरह लोगों के कामकाज का दायरा कंप्यूटर, लैपटाप, टैबलेट और मोबाइल फोन पर बढ़ता गया है, उसमें आंखों का तनाव एक आम समस्या बन चुकी है। इलेक्ट्रानिक उपकरणों के परदे पर देर तरह आंखें जमाए रखने की वजह से उनकी पेशियों में तनाव बढ़ जाता है। इससे आंखों से पानी गिरने, कीचड़ पैदा होने, धुंधला दिखने लगने आदि जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। आंखों से पानी अधिक गिरता है, तो आंखों में सूखापन उतर आता है, जिससे खुजली शुरू हो जाती है। इस तनाव से बचने के लिए कुछ नुस्खे अवश्य अपनाने चाहिए।

विराम लेते रहें

कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों पर काम करते हुए थोड़ी-थोड़ी देर पर विराम लेते रहें। पांच मिनट के लिए ही सही, आंखें बंद करके बैठें और फिर काम शुरू करें। अगर काम का ज्यादा दबाव न हो तो हर दो-तीन घंटे पर थोड़ी देर टहल-घूम लिया करें।

पानी के छपाके मारें

आंखों की सेहत के लिए पानी के छपाके मार कर आंखों को धोना बहुत लाभदायक होता है। सुबह सोकर उठने के बाद से ही यह काम शुरू कर देना चाहिए। अंजुरी में पानी भरें और आंखें पूरी खोल कर छपाके मार कर धोएं। ऐसा पांच-सात बार करें। दिन में जब भी आंखों में तनाव महसूस हो, आंखों पर पानी के छपाके मार लिया करें। इससे आंखों को ठंडक पहुंचती और पेशियों का तनाव कम होता है।

गुलाबजल डालें

रात को सोने से पहले अगर आंखों में दो-दो बूंद गुलाबजल डाल लिया करें, तो इससे आंखों में जमा गंदगी साफ हो जाती है और आंखों को ठंडक पहुंचती है। सुबह जब आप सोकर उठेंगे, तो आंखों में कीचड़ नहीं मिलेगा, रोशनी कुछ तेज समझ आएगी।

परदे से परहेज

आजकल आंखों को सबसे अधिक नुकसान मोबाइल और कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रानिक उपकरणों के परदे से निकलने वाली रोशनी पहुंचा रही है। इलेक्ट्रानिक उपकरणों से निकलने वाली रोशनी सामान्य रूप से उपयोग होने वाली रोशनी से बहुत अधिक तेज होती है, इसलिए उसका आंखों की रेटिना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए कभी भी इलेक्ट्रानिक उपकरणों का उपयोग अंधेरी जगहों में ज्यादा देर तक न करें। मनोरंजन आदि के लिए मोबाइल फोन का उपयोग धीरे-धीरे कम कर दें, तो आंखों की सेहत ज्यादा अच्छी बनी रहेगी।

व्यायाम

आंखों के लिए कुछ आसान से व्यायाम हैं, जिन्हें कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है। आंखों को पूरा खोलें और उनकी पुतलियों को एक बार दाएं, फिर बाएं ले जाएं,

कुछ देर रोकें और फिर इस क्रिया को पांच से सात बार दोहराएं। गर्दन को स्थिर रखते हुए पुतलियों को ऊपर और फिर नीचे करें। फिर दाहिने से बाएं और बाएं से दाहिने गोल-गोल घुमाएं। फिर दोनों हाथों की दो-दो अंगुलियों से नाक के ऊपर, आंखों के चारों ओर और भौहों के ऊपर दबाव डालते हुए मालिश करें। दोनों भौहों के बीच में हल्का दबाव दें। ऐसा पांच से सात बार करें। इस क्रिया को दिन में तीन से चार बार कर सकते हैं। इससे आंखों का तनाव कम होगा और पानी गिरने जैसी समस्या दूर हो जाएगी।

स्मृतियों का लोप बढ़ाए रोग

सेहत

अक्सर हम भूल जाते हैं कोई चीज रख कर? लोगों के नाम याद नहीं आते? यह अल्जाइमर है, यह एक ऐसा रोग है जिसे लोग गंभीरता से नहीं लेते। याददाश्त की कमी और कोई निर्णय न ले पाना प्राथमिक लक्षण हैं। यह रोग भी आधुनिक जीवन शैली का ही परिणाम है। नतीजा अब इसकी जद में बुजुर्ग ही नहीं, युवा भी आने लगे हैं।

रोग की जड़

अल्जाइमर को समझने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि हमारे मस्तिष्क में करीब एक अरब तंत्रिका कोशिकाएं हैं। हर कोशिका दूसरी कोशिकाओं से संवाद कर एक नेटवर्क तैयार करती है। न्यूरान यानी कोशिकाएं ही देखने-सुनने और सूंघने में सहायता करती हैं। इस तरह दिमाग की कोशिकाओं के इतने काम हैं कि हैरानी होती है। ये कोशिकाएं ही हैं जो सूचनाएं इकट्ठी करती हैं। हर अंग को निर्देश इन कोशिकाओं के माध्यम से ही मिलता है। जब किसी को अल्जाइमर हो जाता है, तो कोशिकाओं का कुछ समूह कमजोर हो जाता है और काम करना बंद कर देता है। एक समय ऐसा आता है जब कोशिकाएं मृत होने लगती हैं। कुल मिला कर यह रोग एक मस्तिष्क विकार है, जिसमें धीरे-धीरे स्मृति लोप होने लगता है।

जब भूलने लगें

अलग-अलग लोगों में अलग- अलग लक्षण दिखते हैं। लोग अपने जान-पहचान के लोगों और परिचित स्थान भी भूलने लगते हैं। कोई शब्द याद करने में दिक्कत होती है। अक्सर वाक्य पूरा करने के लिए सही शब्द खोजने में परेशानी होती है। इसके अलावा व्यवहारगत लक्षणों से भी इसे समझा जा सकता है। जैसे सामान्य कार्यों में समय लगने लगता है। पैसे संभाले नहीं संभलते। रुपए-चाबी रख कर रोगी भूल जाता है। किसी जानी-पहचानी जगह पर भी इंसान भटकने लगता है। कई बार रोगी असामान्य रूप से चिंतित, तो कभी गुस्से में दिखता है।

बढ़ता दायरा

यह रोग समय के साथ बिगड़ने लगता है। प्रारंभिक अवस्था में याददाश्त कमजोर होने लगती है। रास्ता भटक जाने पर इंसान अपना पता भी भूलने लगता है। ऐसी स्थिति आने पर तुरंत उपचार और सघन देखभाल की जरूरत होती है। दूसरे चरण में आदमी यह भूल जाता है कि वह कौन है। उसे अपना नाम तक याद नहीं रहता। व्यवहार बदलने लगता है। नई चीजें सीखने की स्थिति में नहीं होता। अंतिम चरण में मरीज संवाद करने की स्थिति में नहीं होता। उसका अपनी शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं होता। खाना निगलने में दिक्कत होती है।

उपचार के रास्ते

पैंसठ साल की उम्र के बाद अल्जाइमर की संभावना अधिक होती है। अगर रिश्तेदारों में या परिवार में किसी को यह हुआ है, तो फिर जोखिम बढ़ जाता है। शोधकर्ता यह पता लगा रहे हैं कि इसके पीछे आहार, पर्यावरण और शिक्षा की कोई पृष्ठभूमि होती है या नहीं। इस समय इस रोग का कोई उपचार नहीं है। हालांकि इसके लिए दवाओं पर काम चल रहा है। अलबत्ता तंत्रिका तंत्र विशेषज्ञ लक्षणों के आधार पर कुछ दवाएं जरूर देते हैं। इससे नींद पूरी होने और याददाश्त बनाए रखने में मदद मिलती है। चिकित्सकों की राय में ऐसे मरीजों को स्वस्थ भोजन और शांत वातावरण मिलना चाहिए। उन्हें किसी भी तनाव से दूर रखना चाहिए। ऐसे रोगियों के लिए पर्याप्त नींद बहुत जरूरी है। उन्हें प्रकृति के बीच रख कर व्यायाम और योग से सामान्य बनाने की कोशिश की जाती है। स्वस्थ जीवनशैली इस रोग से लड़ने का एकमात्र उपाय है।

(यह लेख सिर्फ सामान्य जानकारी और जागरूकता के लिए है। उपचार या स्वास्थ्य संबंधी सलाह के लिए विशेषज्ञ की मदद लें।)

महत्त्व देंगे तो मिलेगा महत्त्व

जीवन शैली

एक मशहूर उक्ति है कि हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें, जैसा हम दूसरों से अपने प्रति व्यवहार की उम्मीद करते हैं। एक पंक्ति में सिमटा यह सूत्र दरअसल हमारी जीवनशैली की एक वह सबसे महत्त्वपूर्ण सलाह है, जो हमें कई तरह की दुविधाओं से उबार लेती है। आमतौर पर होता यही है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ बातचीत करते हुए हमारी बातों की अनेदखी करता है, हमारे प्रति कड़वी भाषा का इस्तेमाल करता है या किसी स्तर पर हमें महत्त्व नहीं देता है तो ऐसे व्यवहार से स्वाभाविक रूप से हमें निराशा होती है, दुख होता है।

सुनने का धीरज

यों भी दो या इससे ज्यादा लोग जब आपस में या किसी समूह में बात कर रहे हों तब यह न केवल बहस या विमर्श का एक जरूरी पहलू होता है कि सभी एक दूसरे की बातों को गंभीरता से सुनें और तब उसका जवाब दें, बल्कि समझदारी और संवेदनशीलता के साथ-साथ शिष्टाचार का तकाजा भी। लेकिन ऐसा अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग या तो अपनी बात कहने की गैरजरूरी हड़बड़ी में होते हैं या फिर एक विचित्र दंभ से लैस दिखते हैं कि दूसरों की बात सुनना उन्हें जरूरी नहीं लगता। ऐसे में होता यह है कि किसी भी प्रसंग में बात एकतरफा या एकांगी रह जाती है और उसका दूसरा पक्ष नहीं आ पाता और साथ ही अपना विचार न रख पाने की वजह से कोई व्यक्ति खुद को उपेक्षित महसूस करे।

जैसे को तैसा

यहीं यह बिंदु उभर कर सामने आता है कि अगर हम किसी व्यक्ति और उसके विचार को महत्त्व नहीं देते हैं, तो हम अपने लिए उससे किस तरह यह उम्मीद कर सकते हैं कि वह हमें महत्त्व दे और हमारी बातों को गंभीरता से ले। यह व्यवहार का सामान्य मनोविज्ञान है कि हम एक दूसरे को महत्त्व देकर ही एक ऐसा वातावरण बना सकते हैं, जिसमें हमारी बातों को भी गंभीरता से सुना जाए, उसको महत्त्व दिया जाए। इससे न केवल विचार के मोर्चे पर समृद्धि आ सकती है, बल्कि सामान्य शिष्टाचार का तकाजा भी पूरा होगा। व्यक्ति के कद और पद की अनदेखी की जाए और उसके व्यक्तित्व और व्यवहार के आधार पर उसके साथ सभ्य और शिष्ट व्यवहार किया जाए तो यही वास्तव में महत्त्वपूर्ण है।

> *अगर हम किसी व्यक्ति और उसके विचार को महत्त्व नहीं देते हैं, तो हम अपने लिए उससे किस तरह यह उम्मीद कर सकते हैं कि वह हमें महत्त्व दे और हमारी बातों को गंभीरता से ले।*

पद-कद के बजाय

यों भी, कोई व्यक्ति कितना सभ्य है, यह इस बात तय होना चाहिए कि वह बिना पद-कद का खयाल किए एक सामान्य और गरीब कहे जाने वाले हाशिये के समुदाय से आने वाले लोगों के साथ कैसे पेश आता है। पढ़ा-लिखा होना और मौजूदा दुनिया में परिभाषित या माना जाने वाला पद और कद हासिल करने का संदर्भ अलग हो सकता है। आमतौर पर होता यही है कि जिन्हें कमजोर मान कर दरकिनार कर दिया जाता है, उन्हें महत्त्व नहीं दिया जाता है, वे पढ़े-लिखे लोगों को महत्त्व देते हैं। आपसी टकराहट और उसका हल निकालने के वंचित तबकों के तरीके परिस्थितिजन्य हो सकते हैं, लेकिन सभ्य और शिष्ट होने का दिखावा करने के बजाय सम्मान से पेश आने का चलन इन्हीं तबकों के बीच देखा जाता है।

व्यंजन पारंपरिक, अंदाज आधुनिक

रसोई

कटहल की सब्जी

यह कटहल का मौसम है। यों तो समुद्र तटीय इलाकों में बारहो महीने कटहल के फल लगते हैं, पर मैदानी भागों में इसी मौसम में कटहल आना शुरू होता है। मैदानी भागों में पैदा होने वाला कटहल सब्जी के लिए उत्तम होता है। उसमें रेशे अधिक नहीं होते, उसका गूदा अधिक ठोस होता है। सब्जी के लिए छोटे कटहल का चुनाव करें, तो स्वाद बढ़ जाता है। इसकी सब्जी बनाने के कई तरीके हैं। कई लोग इसे उबाल कर, तो कुछ लोग तल कर तरी के साथ इसकी सब्जी बनाते हैं। पर हम यहां इसे बनाने के सबसे आसान तरीके पर बात करेंगे। इस तरह इसका स्वाद भी काफी बढ़ जाता है।

सामग्री

कटहल (टुकड़ों में कटा हुआ): ढाई सौ ग्राम, प्याज: ढाई सौ ग्राम या चार मध्यम आकार के, लहसुन: आठ-दस कलियां, अदरक: करीब दो इंच बड़ा, बारीक कटा, दही: एक कटोरी, तेल: आधा कटोरी या एक कलछी, खड़े मसाले: धनिया, जीरा, काली मिर्च, तेजपत्ता, दालचीनी, दो-तीन साबुत लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, गरम मसाला।

विधि

सबसे पहले कटे हुए कटहल को एक बड़े कटोरे में रखें। प्याज को लंबा-लंबा काट कर कटहल में डाल दें। फिर उसमें एक चम्मच खड़ा धनिया, दो तेजपत्ता, एक टुकड़ा दालचीनी, दस-बारह काली मिर्च, साबुत लाल मिर्च, लहसुन, बारीक कटा अदरक, आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च, एक चम्मच गरम मसाला और जरूरत भर का नमक डाल कर अच्छी तरह मिला लें। फिर तेल गरम करें और जब उसमें से धुआं उठने लगे, तो आंच बंद कर दें। इस तेल को कटहल पर डालें और चम्मच से अच्छी तरह मिला कर कटोरे को ढंक कर रख दें। आधा घंटा तक रखने के बाद दही को अच्छी तरह फेंटें और कटहल में डाल कर हाथ से मलते हुए सारी सामग्री को अच्छी तरह मिला लें।

अब इस सामग्री को एक कुकर में डालें। कटोरे में चार-छह चम्मच पानी डाल कर मसालों को ले लें और कुकर में डाल दें। ढक्कन लगा कर धीमी आंच पर पंद्रह-बीस मिनट तक पकने के लिए रख दें। जब दो से तीन सीटी आ जाए, तो आंच बंद कर दें। भाप शांत हो जाए, तो ढक्कन खोलें और कलछी से चलाते हुए सब्जी को मलें, ताकि प्याज और मसाले गल कर तरी का रूप ले लें। सब्जी तैयार है। जैसे खाना चाहें, खाएं।

लौकी की बर्फी

लौकी की बर्फी न केवल उत्तम मिठाई होती है, बल्कि यह पेट संबंधी समस्याओं को भी दूर करती है। इसे बना कर पंद्रह-बीस दिन तक रख सकते हैं। बाजार की बनी किसी भी मिठाई से यह बेहतर होती है। इसे बनाना भी आसान है।

सामग्री

लौकी: एक (नरम, करीब एक किलो), चीनी: ढाई सौ ग्राम, घी: सौ ग्राम, इलाइची पाउडर: एक छोटा चम्मच।

विधि

लौकी का छिलका उतार कर मोटे कद्दूकस पर कस लें। कड़ाही में आधा घी गरम करें और उसमें लौकी डाल कर चलाते हुए पकाएं। लगातार चलाते रहें। जब उसका सारा पानी सूख जाए, तो चीनी डाल दें। पांच से सात मिनट और चलाते हुए पकाएं। जब सामग्री सूखी नजर आने लगे, तो उसमें बचा हुआ घी और इलाइची पाउडर डाल कर चलाते हुए ठंडा करें। हल्का गरम रह जाए तो उसे किसी बड़ी थाल या ट्रे में घी चुपड़ कर बिछा दें। बेलन फिरा कर सतह को बराबर करें और ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब सामग्री पूरी तरह ठंडी हो जाए तो चाकू से उसे बर्फी के आकार में काट लें। इस बर्फी में चूंकि दूध या खोए का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए पंद्रह-बीस दिन तक डिब्बे में बंद करके रख दें, खराब नहीं होगी। जब भी मीठा परोसना हो, यह बर्फी परोसें।